अष्टम माला, खंड 51, अंक 1 Monday, 24th July, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 24 जुलाई, 1989/2 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
166	12	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
90	9	"डा0 श्री एस0 ढिल्लों" के स्थान पर "डा0 जी0 एस0 ढिल्लों" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 51, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 5, सोमवार, 24 जुलाई, 1989/2 श्रावण, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82, 83, 85, 90 और 93 .	2-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 81, 84, 86 से 89, 91, 92 और 94 से 100 .	17-27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 805 से 858, 860 से 965, 967 से 995 और 997 से 1013 .	27-178
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	178-195, 250, 254
सभा पटल पर रखे गए पत्र	195-197
नियम 377 के अधीन मामले	197-199
(एक) जम्मू और कश्मीर में कतिपय स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की मांग	
श्री जनक राज गुप्त	197
(दो) वैशाली (बिहार) से आने और वहां जाने के लिए संचार तथा परिवहन सुविधाओं में सुधार किए जाने की मांग	
श्रीमती किशोरी सिंह	198
(तीन) लौह-अयस्क का लदान और उसकी उतराई मद्रास पत्तन की बजाय किसी अन्य पत्तन से किए जाने की मांग	
श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली	198
(चार) दिल्ली में गर्मियों के दौरान जल आपूर्ति में होने वाली कमी को दूर किए जाने के लिए उपाय किए जाने की मांग	
श्री विजय एन० पाटिल	198-199

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(पांच) दिल्ली क्षेत्र की सभी पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की मांग

श्री भरत सिंह 199

(छः) कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्टरी के कार्यालय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से बांदा स्थानान्तरित किए जाने की मांग

श्री भीष्म देव दुबे 199

नियम 193 के अधीन चर्चा 200-253

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 और 12

कुमारी ममता बनर्जी 203-213

श्री पी० सेलवेन्द्रन 213-216

श्री जगन्नाथ कौशल 217-224

श्री जी०एम० बनातवाला 226-231

श्री पी०आर० कुमारमंगलम 231-237

श्री वसन्त साठे 237-250

श्री श्रीपति मिश्र 250-253

लोक सभा

सोमवार, 24 जुलाई, 1989/2 भावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न । श्री रेणुपद दास ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलत नहीं किया जाएगा । यह प्रश्न काल है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजू बन रियान ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पसन्द करता हूं । यह तर्कों की बात है । इसके अलावा और इससे अधिक कुछ नहीं । हमें तर्क देने चाहिए । मैं उच्च लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाए रखना चाहता हूं । मुझे यही कहना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो स्वेच्छा से बताया गया है मैं वही कह सकता हूं—मैं पृष्ठभूमि नही जानता । मैं केवल वही देख सकता हूं जो यहां देखता हूं ।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे कोई बात मेरी जानकारी में लाए होते, तो मेरे द्वारा कार्यवाही की गई होती ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है, महोदय । मैं इसके अलावा किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैं केवल प्रश्न काल के लिए अनुमति दूंगा । उसके बाद आप जो चाहें कहें ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के पश्चात । अभी नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या : 82, श्री पी०एस० सईद ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

घरेलू कम्प्यूटरों का उत्पादन

*82. **श्री पी०एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी कम्प्यूटरों के उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वार्षिक उत्पादन की तुलना में यह कितना अधिक अथवा कम होगा;

(ग) इस संबंध में औद्योगिक गृहों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) स्वदेशी साफ्टवेयर विकसित करने के बारे में क्या स्थिति है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जी, हां । इस योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में मानकीकृत आकार के वैयक्तिक कम्प्यूटरों के उत्पादन का विचार है तथा इसके लिए एक केन्द्रीय अभिकरण द्वारा थोक मात्रा में सामग्रियों की खरीदारी की व्यवस्था की गई है जिसका समन्वय एक केन्द्रीय अभिकरण करेगा ।

वर्ष 1989-90 के दौरान वैयक्तिक कम्प्यूटरों का उत्पादन वर्ष 1988-89 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

भारतीय कम्प्यूटर विनिर्माताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

बम्बई स्थित राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र स्वदेशी साफ्टवेयर के विकास पर ध्यान दे रहा है। स्वदेशी साफ्टवेयर के विकास-कार्य को और अधिक सुस्थिर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र के अन्तर्गत बंगलौर में एक राष्ट्रीय साफ्टवेयर केन्द्र की स्थापना की जा रही है। उद्योग, अनुसंधान तथा विकास और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा साफ्टवेयर के विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है।

श्री पी०एम० सईद : महोदय, अपने उत्तर में उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है कि इन कम्प्यूटरों का उत्पादन बड़ी संख्या में वैयक्तिक कम्प्यूटरों का उत्पादन ही है। जहां तक मुझे जानकारी है यह 25 से 28 हजार की संख्या से अधिक हो गयी है। इस क्षेत्र में, अनुसंधान से यह साबित हो गया है कि उच्च तकनीक वाले सुपर कम्प्यूटरों तथा अन्य कम्प्यूटरों की तुलना में ऐसे कम्प्यूटर तेजी से बदलते हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमें यहां आश्वासन दे सकती है कि हम एक अनुसंधान स्कंध बनाएंगे कि विकसित देशों की असफलता हमारे कम्प्यूटर के क्षेत्र में न हो। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री के०आर० नारायणन : महोदय, हम पहले ही मिनी एवं माइक्रो कम्प्यूटर मिनी सुपर कम्प्यूटर तथा मेन फ्रेम कम्प्यूटर जैसे विभिन्न श्रेणियों के कम्प्यूटर बना रहे हैं। समानांतर संगणन क्षमता विकसित करने के लिए हमारी योजना है। समानांतर कम्प्यूटरों के विकास के लिए हमारी तीन वर्षीय योजना है जिनकी क्षमता सुपर कम्प्यूटर जैसी होगी।

श्री पी०एम० सईद : ऐसा कहा जाता है कि जहां तक कीमत एवं गति का संबंध है यह समानांतर कम्प्यूटर सुपर कम्प्यूटर से भी अधिक अच्छा है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में समानांतर कम्प्यूटरों का निर्माण करेंगे।

श्री के०आर० नारायणन : सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही हम समानांतर संगणन क्षमता का विकास कर रहे हैं। हमने सी—डी०ए०सी० नामक एक संस्था बनाई है। यह समानांतर कम्प्यूटरों का विकास कर रही है जिसकी क्षमता 1000 मेगाफ्लाप है। यह सुपर कम्प्यूटर के बराबर है। यह सुपर कम्प्यूटर की भांति बहुपयोगी नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग (घ) में कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर का उल्लेख किया है। अब, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत विदेशों को करोड़ों रुपये मूल्य के साफ्ट्वेयर का निर्यात कर सकता है।

उत्तर के भाग (घ) में उन्होंने यह नहीं बताया है कि कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर का विकास करने के लिए क्या किया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, विश्व में कम्प्यूटर प्रतिस्पर्धा जोरों पर है। किंतु कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत के पास बहुत अतिरिक्त जन-शक्ति है जिसको यदि काम में लाया जाए तो विदेशों को कम्प्यूटर तकनीक एवं साफ्ट्वेयर विकास निर्यात किया जा सकता है।

मैं सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहता हूं। दूसरे, पिछले दो वर्षों में साफ्ट्वेयर के निर्यात में कितना कारोबार हुआ है ?

श्री के०आर० नारायणन : साफ्टवेयर के विकास के लिए हमारी अत्यंत प्रणालीबद्ध और महत्वाकांक्षी योजना है। वास्तव में, कम्प्यूटर एवं इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्रों में यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में से एक है। हमने 1988 में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य के साफ्ट्वेयर का निर्यात किया है। 1994-95 में हमारा लक्ष्य 1000 करोड़ मूल्य के साफ्टवेयर निर्यात करने का है। अर्थात, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य 1000 करोड़ रुपये का है। 1990-91 के लिए लक्ष्य 300 करोड़ रुपये का है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : आपने 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य पा लिया है। इसमें जो आपने पिछले वर्ष की राशि बताई, उससे कितना अधिक है ?

श्री के०आर० नारायणन : एक वर्ष अर्थात् 1988-89 के आंकड़े 100 करोड़ रुपये हैं। ये आंकड़े वर्ष 1987 के 70 करोड़ रुपये 1986 के 494 करोड़ रुपये तथा 1985 के 34 करोड़ रुपये थे। निर्यात में वृद्धि इस प्रकार हुई है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर्स में जो साफ्टवेयर काम आएगा, उन पर कोई छूट देने की योजना पर क्या विचार किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर के विकास की बहुत गुंजाइश है। अगर एक ही भाषा में कम्प्यूटर विकसित होता रहा तो भारतीय भाषाओं को खतरा है। भारतीय भाषाओं के विकास की दृष्टि से यह सर्वथा उचित होगा कि इस पर भारत सरकार विचार करे और साफ्टवेयर के लिए विशेष छूट देने की कृपा करे। क्या ऐसी कोई योजना सरकार की है ?

[अनुवाद]

श्री के०आर० नारायणन : जी हां, एक योजना है और हम पहले ही कुछ भारतीय भाषाओं में साफ्ट्वेयर का विकास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : कोई कंसेशन देंगे क्या ?

[अनुवाद]

श्री के०आर० नारायणन : हम इस विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं और अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं सहित सम्पूर्ण साफ्टवेयर को अनेक रिआयतें प्राप्त हैं। हम भारतीय भाषाओं में साफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी उल्लेख किया है कि 100 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। मैं निर्यात किए जा रहे पैकेज साफ्ट्वेयर एवं प्रोजेक्ट साफ्ट्वेयर के अलग-अलग आंकड़े जानना चाहता हूं। यह सभी को मालूम है कि प्रोजेक्ट और कुछ नहीं बल्कि श्रम-शक्ति का निर्यात है। अतः, श्रम-शक्ति के निर्यात के अतिरिक्त पैकेज साफ्ट्वेयर के रूप में कितना निर्यात किया गया है ? प्रोजेक्ट निर्यात कितना है ? परियोजनाएं विदेश भेजने का मतलब है कि हम साफ्ट्वेयर कार्मिकों को विदेश भेज रहे हैं। हम श्रम-शक्ति बाहर भेजते हैं और कुछ नहीं। यह प्रतिभा पलायन का एक अप्रत्यक्ष रूप है जिसमें हम प्रतिभावान व्यक्तियों को विदेश

भेज देते हैं। वह भारत में साफ्ट्वेयर विकसित करके उसका निर्यात करने से भिन्न है। 100 करोड़ रुपये में से पैकेज साफ्ट्वेयर कितना है तथा प्रोजेक्ट साफ्ट्वेयर कितना है ?

श्री के०आर० नारायणन : इस समय मेरे पास इनके अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। मैं बाद में वे माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती हेतु विशेष अभियान

\+
*83. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने हेतु एक विशेष अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कितनी रिक्तियों का पता लगाया गया है तथा इस संबंध में विभिन्न विभागों को क्या अनुदेश दिए गए हैं;

(ग) इस अभियान को कब शुरू किया गया था और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) यह भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ङ) क्या हाल ही में नई दिल्ली में जून, 1989 में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी, और यदि हां, तो इस चर्चा के निष्कर्ष क्या हैं ?

कार्मिक तथा लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे 30 अप्रैल 1989 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अग्रेनीत आरक्षणों पर भर्ती के लिए 1 जून, 1989 से 30 अगस्त, 1989 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाएं। 28-6-1989 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकारी पदों में लगभग 27,000 रिक्तियां पता लगाई गई हैं।

(ग) और (घ). इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों को 9 मई, 1989 को अनुदेश जारी कर दिए गए थे और यह भर्ती, रेल मंत्रालय को छोड़कर जोकि इस कार्य को 30-9-89 तक पूरा करेगा, 31 अगस्त, 1989 तक पूरी की जानी है।

(ङ) जून 1989 में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था। मुख्य सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि विशेष भर्ती अभियान को सफल बनाने में राज्य एजेंसियों को सहयोग दिया जाए। राज्यों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकारों के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने पर विचार करें।

श्री लक्ष्मण मलिक : सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विशेष भर्ती अभियान कार्यक्रम शुरू करने के लिए साहसिक कदम उठाये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान कार्यक्रम से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गरीबी दूर होगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वर्तमान रिक्तियों को भरने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके लिए सामाजिक न्याय सुरक्षित करने में यह काफी सहायक होगा। इसके जो भी कारण हों, बहुत से रिक्त पद भरे जाने हैं। अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण, आरक्षित पद काफी समय तक रिक्त रहते हैं। इससे पहले, सरकार द्वारा बहुत से निदेश भी जारी किए गए लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह देखने के लिए एक निगरानी कक्ष बनाने पर विचार कर रही है कि इन निदेशों को किस तरह कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री पी० चिदम्बरम : निगरानी भी विशेष भर्ती अभियान का ही अंश है। कल्याण राज्य मंत्री डा० बाजपेयी और कार्मिक मंत्रालय में स्वयं मैं इस पर निगरानी रख रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के पास रिपोर्टें भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी इस मामले में बहुत रुचि दिखा रहे हैं और वे भी हर पखवाड़े इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम निश्चय ही इस अभियान की सफलता की निगरानी करेंगे।

श्री लक्ष्मण मलिक : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि केन्द्र सरकार ने 27000 रिक्त पदों का पता लगाया है। राज्य सरकार के अन्य विभागों, सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में आपकी क्या राय है। क्या सरकार ने वहां भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पदों का पता लगाया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री पी० चिदम्बरम : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमने मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों में रिक्त पदों का पता लगाया है। इसके अलावा बैंकों ने भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 8800 रिक्तियों का पता लगाया है और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह काम 31 अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भी काफी अधिक रिक्तियों का पता लगाया है। वहां करीब 8000-9000 रिक्तियां हैं और लोक उद्यम ब्यूरो के परामर्श से उनके लिए एक सारिणी तैयार की जा रही है वे भी इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेंगे। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, हमें यहां की स्थिति का पता लगाने अथवा वहां की निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही निजी क्षेत्र में हम ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमती वसवराजेश्वरी : प्रधानमंत्री को ऐसा उचित कदम उठाने के लिए बधाई देने के साथ-साथ मैं यह जानना चाहती हूं कि कुल 27000 रिक्तियों में से कितने पद श्रेणी क और श्रेणी ख आदि के हैं। क्या यह सच है कि इन पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का ध्यान आकृष्ट करने के केन्द्र सरकार ने एक 'पोस्टर अभियान' चलाया है ? क्या बैंकों को भी ऐसा करने के लिए निदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो इन उपायों से ऐसे उम्मीदवारों का पता लगाने में कहां तक सहायता मिलेगी ताकि वे उन रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र भेज सकें ?

श्री पी० चिदम्बरम : पहले मैं प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर दूंगा। जी हां, हमने एक 'पोस्टर अभियान' चलाया है। डाकघरों, बी०डी०ओ० के कार्यालयों, जिला आयुक्त के कार्यालय

आदि में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बैंकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शाखाओं में इन पोस्टरों को प्रिंट कराकर वितरित करें। हमारा ध्येय यह है कि इस तरह से इन पदों के लिए अधिक से अधिक उम्मीदवार मिल सकें ताकि इस अभियान के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और वे इन पदों के लिए आवेदन भेजे। मुझे विश्वास है पोस्टर अभियान से इनके लिए अधिक से अधिक उम्मीदवार मिल सकेंगे।

जहां तक रिक्तियों का संबंध है, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। अनुसूचित जातियां ग्रुप क—507, ग्रुप ख—623; ग्रुप ग—8796, ग्रुप घ—2632 कुल—12558. अनुसूचित जनजातियां ग्रुप क—356; ग्रुप ख—415; ग्रुप ग—9041; ग्रुप घ—5493 कुल 15305 कुल रिक्तियां—27863. यह आंकड़े 28 जून, 1989 तक के हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन अड़चनों से सरकार ने पहले इन पदों पर भर्ती नहीं की ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्त आयोग ने सरकार से कभी इन पदों को भरने के लिए कहा था। और यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह कहना ठीक नहीं होगा कि किसी ने भर्ती पर रोक लगाई थी। जैसा कि पिछले सत्र में संसद में घोषणा करते समय मैंने कहा था कि यह तत्कालीन नीति का ही परिणाम था। तत्कालीन नीति यह थी कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो उस रिक्त को अनारक्षित किया जा सकता है और रोस्टर प्वाइंट रिक्ति तीन वर्षों तक बनी रहती थी। और यदि तीन वर्षों तक भर्ती के बाद भी हमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता था तो उस रिक्ति को रद्द कर दिया जाता था। भारत सरकार की यह नीति थी। यह नीति कई वर्षों तक बनी रही। उस नीति के परिणामस्वरूप और संभवत: भर्ती अधिकारियों की किसी त्रुटि के कारण कई रिक्तियां नहीं भरी गईं; उन्हें पुन: अनारक्षित करके आगे बनाए रखा गया। दिनांक 1 जनवरी, 1985 को इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, जब हमने इस मामले का 3 वर्षों तक बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस समस्या का मूल कारण अनारक्षण था। जब तक इन्हें अनारक्षित करने का अधिकार दिया गया था, इन रिक्तियों को बनाए रखने और फिर रद्द करने के इस चक्र से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। अत: 10 जून, 1988 को इस सरकार ने अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाने का साहसिक निर्णय लिया। एक बार अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाने के बाद हमने यह देखा कि कितने रिक्त पदों को आगे बनाए रखा गया था और उन पदों को भरने के लिए हमने एक विशेष अभियान चलाया। हमारे पास राजनैतिक शक्ति है और हमने प्रशासनिक क्षमता उपलब्ध कराई है। मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। यह तत्कालीन नीति का ही परिणाम है। हमने आज उस नीति को बदल दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, आज देश के तमाम हरिजन और आदिवासी प्रधानमंत्री के प्रति बहुत आभार प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों पर उन लोगों को ही भर्ती किया जायेगा, उन्हें दूसरे लोगों से नहीं भरा जायेगा। फिर भी अभी बहुत से ऐसे विभाग हैं, जहां हरिजनों के लिये आरक्षित पदों

को भरने के लिये एडवर्टाइजमैंट्स नहीं निकाले जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी यहां उत्तर में कहा कि 31 अगस्त तक सारे आरक्षित पदों पर नियुक्तियां कर ली जायेंगी, दूसरी तरफ कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफैंस, रेलवे, आदि, जहां से अभी तक कोई रिजर्व्ड पदों को भरने के लिये विज्ञापन नहीं निकाले गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन विभागों को सरकार की तरफ से आदेश निकाल कर कहा जायेगा, कोई तिथि निर्धारित की जायेगी ताकि आरक्षित पदों पर हरिजनों को ही नियुक्त किया जाये। जहां खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होता है क्या आप उन विभागों के अधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई विभाग है जहां रिक्त पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती की जानी हो और उसके लिए अभी तक विज्ञापन न दिया गया हो। वास्तव में, हमने जो पुनरीक्षा की है उससे पता चलता है कि व्यावहारिक रूप से जिस भी विभाग में ऐसी रिक्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरी जानी है, उसका विज्ञापन दिया जा चुका है और मुझे विश्वास है कि वे 31-8-89 तक इन्हें भर देंगे। हमने विभागाध्यक्षों, सचिवों से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि वे 31 अगस्त 1989 तक इन रिक्तियों को भरने में समर्थ नहीं होते तो सरकार इस बारे में गंभीर कदम उठाएगी और मैं तो कहूंगा कि सभी विभागाध्यक्षों, सभी सचिवों और सभी संगठनों के अध्यक्षों ने इस काम में अपना पूरा सहयोग और समर्थन देने का वायदा किया है। मैं इस अभियान के प्रति उनकी वचनबद्धता का अंदाज लगा सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इस अभियान में सफलता मिलेगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : ऐसे 27000 पदों का पता लगाया गया है जिन्हें भरा जाना है। क्या मैं यह समझूं कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, इनके कुल रिक्त पद 27000 ही हैं ? यदि नहीं तो यह कुल रिक्त पदों का कितना प्रतिशत है इसके अतिरिक्त, क्या सरकार का इरादा प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारिता में सुधार लाने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे अनुरोध किया, तत्कालीन नीति के अंतर्गत, जिस पद को तीन वर्ष तक न भरा जा सके वह रद्द कर दिया जाता था। अतः हम अब उन रिक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में, इन रिक्तियों को अब आगे के लिए किया गया आरक्षण अथवा रोस्टर प्वांइट कहा गया है जिन्हें भरा जाना था किन्तु उन्हें आगे के लिए आरक्षित रखा गया। कुल 27863 आंकड़े इन्हीं रिक्त पदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार हम रिक्त पदों की संख्या की गणना करते हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए था और जिन्हें नहीं भरा गया, हम अब उन सभी पदों को भरने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी के सेनानिवृत्त होने, प्रोन्नत होने, किसी की मृत्यु अथवा पद से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए हैं। अब जो पद रिक्त हो रहे हैं, हैं, उन्हें भर कर हम पिछले सारे बकाया को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार 27863 के आंकड़े को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यद्यपि वह इस भर्ती अभियान से संबंधित नहीं है, मुझे इसका उत्तर देते हुए खुशी हो रही है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम की संवीक्षा प्रधानमंत्री ने मात्र दो माह पूर्व ही की थी। हमने अल्पसंख्यकों की भर्ती में काफी प्रगति की है। इस पर मेरी सहयोगी डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी निगरानी रख रही हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी

करने की जरूरत है वह कर दिया गया है। हम इस बारे में जागरूक हैं। हम यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी बढ़े।

"अग्नि" प्रक्षेपास्त्र का छोड़ा जाना

+

*85. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्री कृष्ण सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में चांदीपुर समुद्र-तट से छोड़े गए मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र "अग्नि" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इससे प्राप्त जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की रक्षा तैयारी के संदर्भ में इसका क्या महत्व है; और

(घ) क्या प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी को और विकसित करने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) "अग्नि" एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली है और यह कोई अस्त्र नहीं है। 22 मई, 1989 को परीक्षण की गई "अग्नि" वाहन के प्रक्षेपण में दो प्रणोदी चरण थे जिसके लिए क्लोज्ड लूप इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया था और यह कम्प्यूट प्रणाली तथा री-इण्टरी स्ट्रक्चर से युक्त था।

(ख) "अग्नि" प्रक्षेपण ने सभी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है। इसके प्रक्षेपण से मल्टी-स्टेज प्रौफ्ल्शन, क्लोज्ड लूप इनर्शियल गाइडेंस और री-इण्टरी स्ट्रक्चरों के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां हुई हैं।

(ग) "अग्नि" जैसी उच्च परिशुद्धता वाली प्रणाली के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से देश परंपरागत ध्वंसाग्र (वारहेड) को लम्बी दूरी तक सही लक्ष्य पर प्रक्षेपित करने की क्षमता से युक्त हो गया है।

(घ) "अग्नि" रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग द्वारा निष्पादित किए जा रहे एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का एक भाग है।

श्री उत्तम राठौड़ : भाग (क) के उत्तर में उन्होंने कहा कि "यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली है और यह कोई अस्त्र नहीं है"।

यदि ऐसा है क्या इसका गैर-सैनिक प्रयोजनों के लिए कोई इस्तेमाल है और यदि है तो हमें कृपया बताएं कि किन-किन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मुझे प्रश्न समझ नहीं आया ? कृपया इसे दोहराएं।

श्री उत्तम राठौड़ : क्या इसका अन्य क्षेत्रों जैसे गैर-सैनिक क्षेत्रों में भी कोई इस्तेमाल है ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैं अभी नहीं बता सकता कि किस भाग का क्या इस्तेमाल होगा किन्तु इसकी प्रद्योगिकी न केवल अति आधुनिक है बल्कि इसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र आते हैं । उदाहरण के लिए टेली-मीटरी, रेडियो, रडार संचार प्रौद्योगिकी ।

मार्ग दर्शन प्रणाली की प्रौद्योगिकी अति आधुनिक है । पुन: प्रवेश ढांचे का अर्थ है कि पुन: प्रवेश के समय उच्च ताप से प्रतिरक्षा । उसमें एक कम्प्यूटर काम करता है जो इस मिसाईल प्रणाली का दिमाग है । इस लिए आनबोर्ड कम्प्यूटर काफी लाभकारी हो सकता है । इसका, निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होगा ।

इसलिए, मुझे इसकी कई सम्भावनाएं नजर आती हैं । किन्तु अभी मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि किस-किस का इस्तेमाल कहां-कहां पर होगा ।

श्री उत्तम राठौड़ : अग्नि प्रक्षेपास्त्र छोड़ने से पहले अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों का दबाव पड़ रहा था कि हम इसे नहीं छोड़ें । क्या उस दबाव का अब प्रभाव पड़ेगा और हम इस दिशा में कार्य नहीं कर पायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह मुद्दा प्रधान मंत्री द्वारा तथा मेरे द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है । इस देश का किसी भी दबाव के आगे झुकने का प्रश्न ही नहीं है; और मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दूंगा । अग्नि की उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वदेशी प्रयत्न है । हम जानते हैं कि कुछ देशों द्वारा एक सीमित क्षेत्र के बाहर प्रौद्योगिकी के अन्तरण को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है । सात देशों ने मिलकर दूसरों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया है । किन्तु यह एक स्वदेशी प्रयास है और हम निश्चित रूप से इस देश में एक ऐसी तकनीक विकसित करेंगे जो हमारी जरूरतों और हमारे संसाधनों के अनुकूल हो ।

श्री विजय एन० पाटिल : हम अग्नि छोड़ने में सफल रहे हैं : किन्तु मेरे विचार से स्पेस लांचिंग तिदकल प्रोग्राम भी इससे जुड़ा है और हम इसमें भी परीक्षण करते रहे हैं और पहले भी अन्तरिक्ष में विभिन्न उपग्रह भेजते रहे हैं और प्रक्षेपण वाहनों की मार क्षमता में वृद्धि करते रहे हैं । क्या यह भविष्य में हमारे अपने बेस से उपग्रह छोड़ने के कार्यक्रम से जुड़ा है । इस समय हम इन्साट-एक और दो का प्रक्षेपण अन्य देशों से कर रहे हैं । क्या यह कार्यक्रम भी इससे जुड़ा है; और अब तक हमने कितनी सफलता प्राप्त की है—50 किलोग्राम या 100 किलोग्राम —और यदि हमें अपने बेस से बाहरी अन्तरिक्ष में उपग्रह भेजना पड़े तो हम कितना भार ले जा सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह दोनों अलग-अलग कार्यक्रम हैं । यह कार्यक्रम, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक गैर-सैनिक कार्यक्रम है **(व्यवधान)** जैसा कि मैं कह रहा था···**(व्यवधान)**

गैर-सैनिक और सैनिक अन्तरिक्ष कार्यक्रम अलग-अलग कार्यक्रम हैं । एक अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत है और यह रक्षा विभाग—डी०आर०डी०ओ० के अन्तर्गत है । इस प्रकार यह दोनों स्वतन्त्र हैं और हम इन्हें स्वतन्त्र बनाए हुए हैं । जहां तक अग्नि मिसाईल की मार क्षमता का संबंध है यह 1000 किलोग्राम तक हो सकती है और यह 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है ।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 'इंटरमिडिएट बैलिस्टिक मिसाईल' का परीक्षण चांदीपुर में किया गया था । हम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाईल, इन्टर कान्टीनेन्टल मिसाईल और पोलर बैलिस्टिक मिसाईल का देश में निर्माण कर सकते हैं । इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं, इन सभी चीजों के परीक्षण के लिए विस्तृत भूमौतिकीय (जियोफिजि-

कल) पहलू की भी जांच की गई है और क्या हम इस बैलिस्टिक मिसाईल का इस्तेमाल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं : क्योंकि भारत एक ऐसा देश है—देश नहीं उप-महाद्वीप —जहां सभी प्रकार की भूमौतिकीय (जियोफिजिकल) परिस्थितियां उपलब्ध हैं। क्या हम इसका इस्तेमाल सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बनावटी वर्षा के लिए कर सकते हैं; जैसा कि भू-वैज्ञानिक कहते हैं ? क्या हम इसका इस्तेमाल तूफानों से बचने के लिये कर सकते हैं ? यह सच है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं यह बात एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि गैर-सैनिक कार्यक्रम, सैनिक कार्यक्रम से भिन्न है। इसलिए जिन पहलुओं का मेरे माननीय मित्र ने जिक्र किया है, यदि कभी संभव हुआ तो गैर-सैनिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत आएंगे। उन्होंने जिन क्षेत्रों का जिक्र किया है वह दूर संवेदन के अन्तर्गत आते हैं और मौसम पर निगरानी का कार्यक्रम एक अलग महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए वर्षा करना, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए उपग्रह की जरूरत नहीं है किन्तु यह एक अत्यन्त महंगा कार्यक्रम है। किंतु यह सब ऐसे मामले हैं जो इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आते। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र एक कार्यक्रम को दूसरे कार्यक्रम के साथ न मिलायें।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मैं अपना हाथ प्रश्न पूछने के लिए शुरू से ही उठा रहा हूं। किन्तु अभी तक मुझे नहीं पुकारा गया। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी कांस्टीट्यूएन्सी में एक और भिजवा दें।

(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, आर्टिफिशियल रेन अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी वैसे तो बरसात ज्यादा ही होती है, बाकी जो होनी है सो होनी ही है।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि वह किसी भी विकसित देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं हैं तथा उन्होंने देश को उसके अपने संसाधनों और तकनीकी जानकारी से आत्मनिर्भर बनाने में अपना दायित्व निभाया है। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सरकार, अन्य देशों की सरकारों में दबाव के आगे नहीं झुकी। किन्तु मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में इस देश के विपक्षी दलों की क्या राय है ? क्या उन्होंने 'अग्नि' परीक्षण के विरोध में कोई राय प्रकट की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अग्नि प्रक्षेपास्त्र अन्तरिम परीक्षण रेंज से छोड़ा गया था। सरकार का विचार बलियापाल में एक राष्ट्रीय परीक्षण रेंज स्थापित करने का है। यह चांदीपुर से छोड़ा गया। हम इसे बलियापाल से छोड़ना चाहते थे किन्तु वहां विपक्षी नेताओं द्वारा प्रेरित आन्दोलन चल रहा था **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : जनता दल।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हां, जनता पार्टी के नेता कर रहे थे जो अब जनता दल है।

श्री के०एस० राव : आप उनके नाम क्यों नहीं लेते ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं बिल्कुल ले सकता हूं। उदाहरण के एक हैं श्री समरेन्द्र कुन्दू। श्री बीजू पटनायक ने एक वक्तव्य जारी किया था। इसलिए मैंने इस बारे में श्री बीजू पटनायक तथा अन्यों से विचार विमर्श करने का प्रयत्न किया है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : वह कांग्रेस (एस) में शामिल हुए हैं या जनता दल में ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जनता दल में। उन पर निगरानी रखना बड़ा कठिन है। मेरे विचार से अब भी वहां एक आन्दोलन जारी है। मेरे विचार से वहां फैलाई गई अफवाहों के कारण उस क्षेत्र में अनावश्यक भय उत्पन्न हो गया है। मैं अपने मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि वहां यह भ्रान्तियां समाप्त हों। हमें अन्तरिम परीक्षण रेंज के आसपास रहने वाले लोगों से भी काफी सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनमें वह लोग भी शामिल हैं जो सुरक्षा क्षेत्र में रहते हैं और जिन्हें केवल कुछ घंटों के लिए ही वहां से हटाया गया। उन्हें दिए गए मुआवजे तथा अन्य सुविधाओं पर 61 लाख रुपए से अधिक राशि व्यय की गई। इसलिए, वहां पर लोग काफी प्रसन्न हैं। जब मैं वहां गया तो मैं वहां कुछ लोगों से मिला और हो सकता है इससे बलियापाल में रहने वाले लोगों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा हो।

श्री चिंतामणि जेना : मैं भी अपने मंत्री महोदय के साथ हमारे विख्यात वैज्ञानिकों, विशेषकर जो रक्षा मंत्रालय में डी०आर०डी०एल० में काम कर रहे थे, को स्वदेशी मिसाईल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने पर बधाई देता हूं, जिसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तथा देश के भीतर विपक्षी दलों, जो नहीं चाहते थे कि देश के भीतर इस प्रकार की स्वदेशी मिसाईल का निर्माण हो, के भारी विरोध के बावजूद इस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण को बढ़ावा दिया। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब 22 मई को इसका सफतापूर्वक परीक्षण किया गया तो कुछ नेताओं ने खुले आम यह वक्तव्य दिया कि यह वास्तव में अग्नि मिसाईल नहीं बल्कि, उसकी नकल थी और यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय ने इसका विरोध किया है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस पर कितनी लागत आई है और जब इसका परीक्षण किया गया तो क्या यह 2500 किलोमीटर के लक्ष्य तक पहुंच पाई और क्या यह भी सच है कि यह परमाणु अस्त्र भी ले जा सकती है ? यदि नहीं, तो जब कुछ विपक्षी नेता जनता में खलबली मचाने के लिए इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे तो सरकार द्वारा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह सच है कि यहां और विदेशों में दोनों ही जगह इस संबंध में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं कि अग्नि का छोड़ा जाना इस अर्थ में पूर्णत: एक स्वदेशीय प्रयास नहीं है और हमने पश्चिम जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद ली है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में विपक्ष के सदस्य ने जो कुछ कहा है उसकी भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, लेकिन इस समय मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन विदेशी अखबारों में मैंने इससे संबंधित समाचार पढ़े। जब मैं विदेश गया तो मुझसे यह प्रश्न किया गया और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह हमारा अपना प्रयास था। यह हमारा अपना प्रयास है, यह हमारी अपनी तकनीक है और अपने वैज्ञानिकों द्वारा किये गए कार्य पर हमें नाज है। इस उपलब्धि से कोई हमें हटा नहीं सकता है और मैं समझता हूं कि प्रैस में प्रकाशित हुए उस समाचार का, जिसका जिक्र मैंने पहले किया,

पश्चिम जर्मनी की सरकार ने खंडन किया है। उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि अग्नि के लिए तकनीक के विकास में पश्चिम जर्मनी ने सहायता की है।

एक समाचार में यह कहा गया था कि डी०आर०डी०एल० के निदेशक डा० कालम, जो कि उस दल का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने अग्नि की तकनीक विकसित की, जब वे कुछ महीनों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका गए थे, उन्होंने वहां इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। ऐसा हुआ था कि 25 वर्ष पहले वे कुछ महीनों के लिए अमरीका गए थे। तब से राकेट टेक्नोलोजी में बहुत अधिक विकास हुआ है तथा इस क्षेत्र में डा० कालम उनके दल ने सराहनीय काम किया है और मैं इस सभा की ओर से उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा।

जहां तक लागत का संबंध है, इस परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया कुल व्यय करीब, 5 करोड़ रुपये है। लेकिन सिर्फ प्रोद्योगिकी 'डेमोन्स्ट्रेटर' अग्नि की लागत लगभग 3 करोड़ रुपये है।

राजस्थान में एस०टी०डी० सुविधा

*90. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एस०टी०डी० सुविधा वाले स्थानों की संख्या, इसकी जनसंख्या और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राजस्थान में और अधिक स्थानों पर ऐसी सुविधा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए नीचे लिखी प्राथमिकताएं अपनाई जाती हैं—

(एक) राज्यों की राजधानियों से दिल्ली को,

(दो) जिला मुख्यालयों से संबंधित राज्यों की राजधानियों को,

(तीन) 31.3.1985 की स्थिति के अनुसार 1000 लाइनों से अधिक क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज, और

(चार) व्यवहार्यता की शर्त पर परियात के आधार पर युक्तिसंगत ठहराए गए अन्य मार्ग।

जहां तक राजस्थान का संबंध है, राज्य की राजधानी जयपुर, दिल्ली से पहले ही एस०टी० डी० पर जुड़ा है।

राजस्थान के कुल 27 जिला मुख्यालयों में से 16 को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है, शेष 11 जिला मुख्यालयों को मार्च 1990 तक एस०टी०डी० पर जोड़ने की योजना है।

राजस्थान में एस०टी०डी० सुविधा का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से कई अन्य राज्यों से बेहतर है।

(ख) जी, हां।

(ग) बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालवाड़, सवाई माधोपुर और टोंक में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था—

[अनुवाद]

क्या राजस्थान में एस०टी०डी० सुविधा वाले स्थानों की संख्या इसकी जनसंख्या और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है ?

[हिन्दी]

मंत्री जी का जवाब आया है—

[अनुवाद]

राजस्थान में एस०टी०डी० की सुविधा का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से कई अन्य राज्यों से बेहतर है।

[हिन्दी]

मान्यवर, करीब 671 एस०टी०डी० फैसिलिटीज राजस्थान में हैं। राजस्थान जो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, वहां के लिए जो नॉर्म्स दिए हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स 1990 तक होंगे और लास्ड क्राइटेरिया जो बताया है—

[अनुवाद]

व्यवहार्यता की शर्त पर परियात के आधार पर युक्तिसंगत ठहराए गए अन्य मार्ग।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, राजस्थान में ऐसे कौन से रूट्स हैं जो जस्टिफाइड हैं ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : इस प्रश्न के लिए मेरा उत्तर कि राजस्थान में एस०टी०डी० की सुविधा का स्तर तुलनात्मक दृष्टि से कई अन्य राज्यों से बेहतर है, सातवीं योजना के लक्ष्यों पर आधारित है। सभी जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध करना सातवीं योजना का लक्ष्य है। राजस्थान में अब तक हम 18 स्थानों पर एस०टी०डी० उपलब्ध करा पाए हैं। इन 18 स्थानों में से मनालोर तथा बेवार नामक दो नये जिला मुख्यालयों में हमने एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध करायी है और 11 जिला मुख्यालयों में सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इन दो स्थानों पर हमने विभाग द्वारा अपनाये गए मानदण्ड

के आधार पर अर्थात् जहां एक हजार लाइन की क्षमता हो, एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की है। अत: अन्य राज्यों से राजस्थान की तुलना करने पर हम कई अनेक राज्यों से इसे बेहतर पाते हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स के अलावा आपके जो

[अनुवाद]

व्यवहार्यता की शर्त पर परियात के आधार पर युक्तिसंगत ठहराए गए अन्य मार्ग।

[हिन्दी]

उनमें कौन-कौन से राजस्थान के शहर के नाम हैं, जहां एक हजार एक्सचेंज की बात है?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, जहां भी हमने 1,000 लाईन की क्षमता प्राप्त की है, हमने एस०टी०डी की सुविधा उपलब्ध करायी है। जहां भी 1,000 लाईन की क्षमता पार कर जायेंगे हम एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध करा देंगे।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर और जैसलमेर जिले जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनमें बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में ही अभी तक एस०टी०डी० फैसिलिटी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इन दोनों जिलों में एस० टी०डी० फैसिलिटी आप कब तक प्रदान करेंगे, इस के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, बाड़मेर जिला उन जिलों में से एक है जो संचार मंत्रालय द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आई०डी०एन० जिले के रूप में चुने गए हैं। बाड़मेर जिले में एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध की जानी है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : जैसलमेर के बारे में क्या विचार है?

श्री गिरिधर गोमांगो : 31 मार्च, 1990 के पहले वहां भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जम्मू से जयपुर जोड़ना है।

मधुबनी और दरभंगा जिलों में डाकघर खोलना

[अनुवाद]

*93. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में कितने डाकघर खोले गए; और

(ख) क्या वर्ष 1989-90 में इन जिलों में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गत पांच वर्षों (सातवीं योजना) के दौरान मधुबनी और दरभंगा में खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :

योजना वर्ष	खोले गए डाकघरों की संख्या	
	मधुबनी	दरभंगा
1985—86	—	—
1986—87	—	—
1987—88	—	1
1988—89	—	—
1989—90 (1-7-1989 तक)	6	6
जोड़	6	7

(ख) चालू वर्ष (1989-90) के दौरान इन दो जिलों में और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या मैं जान सकता हूं कि डाकघर खोलने का मापदण्ड क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विगत पांच वर्षों में बिहार के किस जिले द्वारा इस मापदण्ड की पूर्ति की गयी है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : विशेष दर्जे के क्षेत्रों, पहाड़ी जिलों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिये मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। मापदण्ड यह है कि जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के गांवों मे 1500 तथा सामान्य क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या होनी चाहिए । हमने जनसंख्या के आधार पर जिलों का चयन नहीं किया है। यह प्रश्न दो जिलों अर्थात् मधुनबी और दरभंगा से संबंधित है। 1985-86 से हमने मधुबनी और दरभंगा जिले में क्रमशः छः और सात डाकघर खोले हैं। मधुबनी और दरभंगा जिले में डाकघरों का औसत सीमा क्षेत्र क्रमशः 8.49 वर्ग किलोमीटर तथा 7.14 वर्ग किलोमीटर है और सम्पूर्ण बिहार के लिए यह औसत 15.85 वर्ग किलोमीटर है। औसतन प्रत्येक डाकघर के अन्तर्गत 5000 से 6000 की आबादी आती है । वर्ष 1989-90 के लिये बिहार मंडल द्वारा 250 ई डी शाखा डाकघर तथा विभागीय उप-कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव हमारे पास भेजा गया है । वर्तमान नीति के अन्तर्गत कभी-कभी हम अधिक डाकघर खोलने में सक्षम नहीं होते। अतः हमने वित्त मंत्रालय से इस मापदण्ड में कुछ ढील देने का अनुरोध किया है ताकि अधिक से अधिक शाखा डाकघर खोले जा सकें। हम पहले ही पंचायत मुख्यालयों में एक लाख डाकघर

खोल चुके हैं। विशेष श्रेणी योजना के अन्तर्गत हम प्रत्येक पंचायत में शाखा डाकघर खोलना चाहते हैं। अत: हम इस मापदण्ड में कुछ ढील चाहते हैं जो कि वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। एक बार यदि इसमें ढील मिल जाये फिर हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध करा देंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार के सभी पंचायत मुख्यालयों में शाखा डाकघर कब खोले जायेंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो : यह बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश से सम्बन्धित मामला है। एक बार नीति निर्धारित हो जाने पर अधिकांश ग्राम पंचायतों में यह कार्य किया जायेगा।

डा० गौरी शंकर राजहंस : किस तिथि तक ?

श्री गिरिधर गोमांगो : किसी तिथि का प्रश्न यहां नही उठता है। एक बार यदि मापदण्डों में ढील दे दी जायेगी फिर हम अधिकांश पंचायतों में डाकघर खोल देंगे।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : पूरे देश में डाक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि पूरे देश में डाक सुविधाओं में विकास होने के बावजूद तार और पत्रों को पहुंचने में 7 या 10 दिनों की देर अनावश्यक रूप से क्यों हो जाती है। इनका शीघ्र एवं सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : डाक का वितरण पोस्टमैन द्वारा किया जाता है। अन्य स्थानों के अलावा पहाड़ी और दूर दराज से क्षेत्रों में भी शाखा डाकघर हैं। अत: डाकघरों में जब एक बार तार पहुंचता है तो इसका वितरण पोस्टमैन द्वारा करवाना पड़ता है जो कि बहुत अधिक दूरी तय करते हैं। हम इलैक्ट्रोनिक ट्रांसमिशन तथा अन्य उच्च तकनीकी पद्धतियुक्त एक नई प्रणाली शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं जो हम तार भेजने के लिए पहले ही लागू कर चुके हैं। हाल ही में हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तार भेजने के लिये उपग्रह संचार प्रणाली शुरू की है। इसी प्रकार न सिर्फ तार के लिये बल्कि डाक वितरण के लिये भी हम बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्वालियर हवाई अड्डे में विमानशाला के ढहने से हानि

[अनुवाद]

*81. **श्री रेजुपद दास** :

श्री बाबू बन रियाम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1989 में ग्वालियर हवाई अड्डे में विमानशाला के ढहने से अनुमानत: कितनी क्षति हुई है;

(ख) इस दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं अथवा करने का विचार है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोई जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ). हैंगर की छत ढह जाने के कारण उसमें खड़े विमान को क्षति पहुंची। विमान की मरम्मत के लिए कदम उठाए गए हैं और अगस्त, 1989 के अन्त तक विमान की मरम्मत पूरी होने के पश्चात् ही कुल वित्तीय हानि ज्ञात हो सकेगी।

इस कार्य के लिए बिठाई गई जांच अदालत ने यह निष्कर्ष लिया है कि हैंगर की छत भार वहन करने वाले अवयवों की संरचनात्मक विफलता के कारण ढह गई। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे ऐसे सभी हैंगरों की संरचनात्मक मजबूती को सुनिश्चित करें जिनकी बनावटी (फाल्स) छतें हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा का बढ़ाया जाना

*84. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक पक्षों से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में प्राप्त हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). यद्यपि केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा में आम वृद्धि किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो भी केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सरकारी सेवा में भर्ती के लिए तथा सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती के लिए आयु-सीमा बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) सिवल परीक्षा के लिए आयु-सीमा बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

महिलाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाओं के सम्बन्ध में आयु-सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

युवकों को जबरन हिजड़े बनाना

[हिन्दी]

*86. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान युवकों को जबरन हिजड़े बनाने के बारे में 3 फरवरी, 1989 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग). "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जांच-पड़ताल के लिए भेजा गया है। तथापि, युवकों को जबरन हिजड़े बनाये जाने के बारे में जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, कोई रिपोर्ट हाल में ध्यान में नहीं आई है।

भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाना

[अनुवाद]

*87. **श्री अमरसिंह राठवा** :

डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी एवम् आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाने के कार्य का और इस कार्य पर अब तक हुए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या संपूर्ण भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जो कि बाड़ लगाने का कार्य कर रहा है, के अनुसार पंजाब सैक्टर में 120 किलोमीटर में से 118 किलोमीटर और राजस्थान के चुने गए सैक्टर में 58.8 किलोमीटर में से 51.5 किलोमीटर में 10 जुलाई 1989 तक कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बारे में 30 जून 1989 तक 2451 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

(ख) समस्त भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

*88. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित करने पर विचार कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक आयोजित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक जल्दी करने का प्रस्ताव है। जैसे ही सही तिथि निर्धारित की जाएगी इसकी सूचना दे दी जाएगी।

बोफोर्स तोप सौदे की जांच

*89. **श्री तम्पन थामस :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बोफोर्स तोप में जांच किस स्थिति में है; और

(ख) यदि जांच पूरी हो गई है, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और इस संबंध में अभी तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जांच-कार्य अभी भी जारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि

*91. **श्री महेश्वर तांती :**

श्री अब्दुल हमीद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "युवाओं में वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा देने" संबंधी योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान कुछ युवा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर भेजा था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके अनुभवों आदि का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). जी हां। "युवाओं में वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा देने" संबंधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना के एक भाग के रूप में, प्रति वर्ष औसतन, 35 वर्ष से कम आयु के, करीब 100 युवा वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए सहायता दी जाती है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/ग्रीष्म/शीतकालीन शालाओं में भाग लेने तथा संबंधित विषयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अद्यतन विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए युवा वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करता है। ये अवसर युवा वैज्ञानिकों को ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं, जिनकी सरकार द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित अनुसंधान के थ्रस्ट क्षेत्रों से संबद्धता होती है। ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप, युवा वैज्ञानिक इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम होते हैं। युवा वैज्ञानिकों की भागेदारी पर उनके पर्यवेक्षणों तथा अनुभव के साथ रिपोर्ट देश भर की संबंधित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिचालित की जाती है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की कार्रवाई से अवगत कराया जा सके।

महाराष्ट्र में विकास बोर्डों की स्थापना

*92. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री डी०जी० पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्र के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव शीघ्र ही स्वीकृत किए जाने का विचार है जैसा कि प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की नागपुर यात्रा के दौरान आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार से, संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के उपबंधों को लागू करने के लिए एक योजना का मसौदा फरवरी, 1989 में प्राप्त हुआ था। इसमें उक्त उपबंध के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश का मसौदा और इसके अनुसरण में राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश का मसौदा, सम्मिलित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड की स्थापना करने की व्यवस्था है। इस पर विचार करने के बाद महाराष्ट्र सरकार से राज्य की अपेक्षाओं और कानूनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के आदेश को नया रूप देने का अनुरोध किया गया था।

(ख) अप्रैल, 1989 में महाराष्ट्र सरकार ने, कोंकण के लिए भी एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए विशिष्ट उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 371 (2) (क) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस मामले पर उपयुक्त रूप से विचार करने के लिए राज्य सरकार से कुछ मुद्दों पर सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन

*94. **श्री अजय बिश्वास :**

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). गैर-सरकारीकरण का अर्थ है सरकार के स्वामित्व की उत्पादन इकाइयों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना। रक्षा उत्पादन इकाई के स्वामित्व को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

पंजाब, दिल्ली और इनके आस-पास के राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां

*95. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने साम्प्रदायिकता भड़काने के इरादे से अपनी हिंसक गतिविधियां तेज कर दी हैं, जैसा कि 12 जून, 1989 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर बम-विस्फोट तथा पंजाब में मोगा में की गई हत्याओं से स्पष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि हिन्दुओं और सिखों के बीच साम्प्रदायिक असामंजस्य की भावना को फैलाना ही आतंकवादियों की युक्ति का मुख्य ध्येय रहा है।

(ख) अपने प्रयासों के बावजूद आतंकवादी इस प्रकार की कोई भी स्थिति पैदा करने में सफल नहीं हुए हैं तथा पंजाब के लोगों ने साम्प्रदायिक सामंजस्य बनाये रखा है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं और उन्होंने लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं।

मध्य प्रदेश से सेना में भर्ती

*96. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए, उस राज्य से सेना में जवानों की भर्ती हेतु किसी ठोस योजना की रूप-रेखा तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है और इस योजना के अन्तर्गत कितने युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) ऐसी कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा, बाढ़ तथा समुद्री तूफान के कारण दूरसंचार व्यवस्था को क्षति

*97. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, जून, और जुलाई, 1989 के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में वर्षा, बाढ़ तथा समुद्री तूफान के कारण दूरसंचार व्यवस्था को हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था को पुनः ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उड़ीसा के तटवर्ती जिलों तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से गंभीर व्यवधानों का पता चला है।

इन क्षेत्रों में अभी भी लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा, बाढ़ और चक्रवात के कारण दूरसंचार प्रणाली को हुई क्षति का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। खंभे, तार, ब्रैकेट और इंस्यूलेटर जैसी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करके संचार सुविधा बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बार-बार बाढ़ और चक्रवात आने वाले क्षेत्रों में खुली तार लाइनों को कम क्षमता की रेडियो प्रणाली द्वारा बदलने की विभाग की योजना है। इन उपस्करों का विनिर्माण संयुक्त क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है।

आतंकवादियों को पाकिस्तान से सहायता

*98. **श्री सरफराज अहमद :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सक्रिय आतंकवादियों को पाकिस्तान अभी प्रशिक्षण तथा हथियार दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या मई, 1989 में हुई भारत-पाकिस्तान वार्ता के दौरान भारत और पाकिस्तान आतंकवाद, नशीली औषधों के अवैध व्यापार और तस्करी तथा अवैध रूप से सीमा पर होने वाली घुसपैठ को रोकने हेतु संयुक्त सीमा निगरानी के लिए सहमत हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ). पंजाब में कार्यरत आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की अन्तर्ग्रस्तता का मामला भारत सरकार द्वारा अनेक अवसरों पर पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है। हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की, दिसम्बर, 1988 में "दक्षेस" की बैठक के सम्बन्ध में इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान पाकिस्तान की प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धों के लिए एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त पर वचनबद्ध है।

मई, 1989 में हुई गृह सचिव स्तर की बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देश आतंकवाद, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री, तस्करी, तथा भारत-पाकिस्तान सीमा से अवैध रूप से सीमा पार करने को रोकने के लिए निम्नलिखित ठोस उपाय करने के लिए सहमत हुए हैं :

1. **दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच सहयोग व्यवस्थाएं**

(i) महानिदेशक, पाकिस्तान रैंजर्स तथा सीमा सुरक्षा बल, पंजाब और राजस्थान के महा-निरीक्षक, सीमा स्तम्भों के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त सीमा पार के अपराधों का मुकाबला करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार सहयोग के सहमत

उपायों के कार्यान्वयन की द्विवार्षिक समीक्षा करेंगे। अपनी बैठकों के दौरान वे मध्यस्थ स्तर पर बैठकों समेत ऐसे उपायों पर भी सहमत हो सकते हैं जो दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को सुधारने में सहायक हो।

(ii) सीमा सुरक्षा बल भारत-पाकिस्तान सीमा पर साथ-साथ मिलजुल कर समन्वित गश्त करेंगे और गश्ती दल को संयुक्त रूप से ब्रीफ और डी-ब्रीफ किया जाएगा। दोनों सीमा सुरक्षा बलों के सम्बन्धित अधिकारी जून, 1989 में इस व्यवस्था की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन को अन्तिम रूप देने के लिए बैठक करेंगे।

2. नशीली दवाओं के अवैध व्यापार तथा तस्करी को रोकना

(i) दोनों देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान करने के क्षेत्र को विस्तृत किया जाना चाहिए ताकि भिन्न-भिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के संगठन, शक्तियों, कार्यों तथा पतों, प्रशिक्षण सामग्री उपकरण, विधायन, जब्त की गई वस्तुओं और अन्य संबंधित मामलों के आंकड़ों तथा अन्य कार्य प्रणाली, अपनाए गए मार्ग इत्यादि शामिल किए जा सकें।

(ii) नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध कानूनों को तर्क संगत बनाने के लिए कदम उठाने में अच्छाई है ताकि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले एक देश के कठोर दंड से बचने के लिए दूसरे देश में न भागें अथवा कार्य करें।

(iii) दोनों तरफ से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने/निषेध करने के लिए नशीली दवा कानूनों के कार्यान्वयन को कड़ा करने तथा सीमा-पार से उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है।

3. कानून आदि के अधीन फरार व्यक्तियों से निपटने के लिए सहयोग व व्यवस्थाएं

(i) दोनों देशों में इन्टरपोल प्रमुखों तथा उनके प्रतिनिधियों में नई सावधिक बैठकों समेत व्यक्तिगत स्तर पर और अधिक सम्पर्क होना चाहिए।

(ii) पाकिस्तान की एफ०आई०ए० तथा भारत की सी०बी०आई० जो मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है और अपने-अपने देशों में अन्य उपयुक्त एजेंसियों के साथ जुड़ी हुई है, को तलाश शुदा तथा अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें अन्य देशों को सौंपने की व्यवस्था करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की रूपरेखा को एफ०आई०ए० तथा सी०बी०आई० के प्रतिनिधियों द्वारा अगले तीन माह की अवधि के भीतर विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाना है।

(iii) एक-दूसरे देश में रोजगार इत्यादि की तलाश के लिए लोगों के बड़े-बड़े समूहों को घुसपैठियों के रूप में भेजने वाले संगठित गिरोहों तथा दलालों को निष्क्रिय करने से संबंधित एजेंसियों को निकट सहयोग से कार्यवाही करनी चाहिए।

नवीन बम्बई में नई दूरसंचार समिति

*99. **श्री पी० कुलनदईवेलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन बंबई में दूरसंचार आयोग द्वारा एक नई दूरसंचार समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस दूरसंचार समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) 13 सदस्यों सदस्यों वाली एक समित बनाई गई है। इसका स्वरूप इस प्रकार है :

—मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	अध्यक्ष
—मुख्य सचिव	वैकल्पिक अध्यक्ष
—सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त संस्थान	2
—सक्रिय उपभोक्ता	2
—प्रेस	1
—उद्योग एसोसिएशन	1
—सी०आई०डी०सी०ओ० का प्रतिनिधि	1
—राज्य सरकार का प्रतिनिधि	1
—दूरसंचार विभाग (महानगर टेलीफोन निगम लि० और विदेश संचार निगम लिमिटेड) के प्रतिनिधि	3

डाकघर बचत बैंक के लिए बोर्ड का गठन

*100. **श्री मदन पांडे** :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघर बचत बैंक के लिए एक बोर्ड का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों तथा कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बोर्ड के गठन से उपभोक्ताओं तथा विभाग को कोई विशेष लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्राहक सेवा और डाकघर बचत बैंक की अन्य प्रचालन समस्याओं से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से, ज्ञापन संख्या 93-1/89-एस०बी० दिनांक 15 जून, 1989 के तहत डाकघर बचत बैंक के एक सलाहकार बोर्ड के गठन को आदेश दिया गया था। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक एजेन्सी के रूप में देश के 1,44,084 डाकघरों के माध्यम से डाकघर बचत बैंकों का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। डाकघर बचत बैंक का विशाल नेटवर्क

राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र तथा किसान विकास पत्रों के लगभग 3.90 निवेशकर्त्ताओं के अलावा, विभिन्न बचत योजनाओं के अन्तर्गत 7.39 करोड़ खाता धारकों को अपनी सेवा प्रदान करता है। तथापि, विभाग में न तो डाकघर के निचले स्तर पर और न ही डाक सेवा बोर्ड के राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने वाली जनता से पारस्परिक संबंध के लिए कोई मंच है। मंडल अधीक्षक डाकघर के स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें डाकघर बचत बैंक के प्रयोगकर्त्ताओं को शामिल किया जाएगा। सलाहकार बोर्ड का गठन हो जाने से डाकघर बचत बैंक के प्रयोगकर्त्ताओं को अब सरकार, संसद सदस्यों तथा बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों के स्तर पर निर्णय लेने में एक-दूसरे के साथ बातचीत करने का सुअवसर मिलेगा जहां वे ग्राहकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को पेश कर सकते हैं और बेहतर सेवा और सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। इस मंच में डाकघर बचत बैंक की आधार संरचना की कमियों को और ग्राहकों की बेहतर संतुष्टि के लिए अन्य अपेक्षित सुधारों पर चर्चा की जा सकती है तथा सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें दी जा सकती हैं।

डाक विभाग एक एजेंसी विभाग है इसलिए इसे डाकघर बचत बैंक प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और बैंकिंग संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त है। इस सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें चल रही योजनाओं में सुधार करने तथा संशोधन करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दी जायेंगी। इस सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें वित्त मंत्रायय द्वारा तैयार की गई नई योजनाओं को शुरू करने में भी सहायक होंगी।

इस सलाहकार बोर्ड में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से, प्रचालन अड़चनों का हल ढूंढ़कर, संसाधन जुटाने के प्रयासों में पूरा सहयोग सुनिश्चित हो सकेगा। आशा है कि इस सलाहकार बोर्ड से सरकार को बहुत अधिक लाभ होगा।

इस सलाहकार बोर्ड का गठन और कार्य अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

डाकघर बचत बैंक सलाहकार बोर्ड का गठन और कार्य

अध्यक्ष	संचार राज्य मंत्री
उपाध्यक्ष	सचिव (डाक)
सह-उपाध्यक्ष	सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड
1—4.	दो संसद सदस्य लोक सभा से और दो संसद सदस्य राज्य सभा से।
5.	सचिव, बैंकिंक विभाग या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी।
6.	अध्यक्ष, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि।
7.	भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामांकित अधिकारी।
8-9.	दो राज्य सरकारों द्वारा नामांकित प्रनिनिधि।
10-11.	फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री एण्ड एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स के दो नामांकित प्रतिनिधि।

12—14. राज्यों से डाकघर बचत बैंक प्रयोगकर्ताओं के तीन सदस्य।

15. राष्ट्रीय बचत आयुक्त।

16. नेता, कर्मचारी पक्ष, संयुक्त सलाहकार तंत्र (विभाग)

17. सदस्य (सचिव) उप-महानिदेशक (बचत बैंक प्रचालन)।

डाकघर बचत बैंक के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को जैसा भी आवश्यक हो, विशेष क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित करने का अधिकार होगा। बोर्ड का दो वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा जिसके पश्चात् उनका पुनः नामांकन किया जा सकता है या उनके स्थान पर नए नामांकन किए जा सकते हैं।

इस समिति का कार्य यह होगा कि वह सरकार को, डाकघर बचत बैंक प्रचालनों, उपभोक्ता सेवाओं और समय-समय पर बोर्ड को भेजे गए अन्य मामलों पर सलाह दे। इसकी सिफारिशें विशेषतया परामर्शी होंगी और बोर्ड की साधारणतः 6 माह में एक बार नई दिल्ली में बैठक होगी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो, अध्यक्ष की विशेष मंजूरी से बैठक भारत में किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जा सकेगी।

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तृतीय संशोधन) विधेयक 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति

805. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री मतिलाल हंसदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1986 प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो यह कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1986, 29.12.1986 को प्राप्त हुआ था और 30.4.1989 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी।

बिहार में डाकघरों का खोला जाना

[हिन्दी]

806. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में जिला-वार कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) बिहार के नालन्दा जिले में नये डाकघर खोलने के बारे में कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) इन लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वार्षिक योजना 1989-90 बिहार

जिले वार लक्ष्य

जिला	प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	जिला	प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
पटना	6	मुंगेर	8
भोजपुर	6	औरंगाबाद	6
नालंदा	6	गया	6
बेगूसराय	6	नवादा	6
खगरिया	6	जहानाबाद	5
दरभंगा	6	रोहतास	6
पूर्वी चंपारण	6	भागलपुर	8
पश्चिमी चंपारण	6	हजारीबाग	8
मधुबनी	6	धनबाद	8
मुजफ्फरपुर	7	गिरिडीह	8
पूर्णिया	7	पलामू	10
कटिहार	6	सिंहभूम	8
सहरसा	7	दुमका	6
माधेपुरा	7	गोड्डा	6
समस्तीपुर	6	वैद्यनाथ देवघर	4
सारन	6	साहबगंज	5
सीतमढ़ी	7	रांची	6
सिवान	7	गुमला	6
वैशाली	5	लुहारदगा	5
गोपालगंज	6		
		कुल	250

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

807. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1989 के दौरान खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केरल में इस वर्ष और भी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का किन्ही और टेलीफोन एक्सचेंजों को एम०ए०एक्स०-II टाइप के स्वचलित एक्सचेंजों में बदलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल सर्किल में 1.1.1989 से 18.7.1989 तक 13 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए। ब्यौरे संलग्न विवरण के भाग (क) में दिए गए हैं।

(ख) जी हां, ब्यौरे संलग्न विवरण के भाग (ख) में दिए गए हैं।

(ग) उपस्कर उपलब्ध होने पर 1989-90 के दौरान 19 एक्सचेंजों को एम०ए०एक्स०-II टाइप के एक्सचेंज में बदले जाने का प्रस्ताव है। ब्यौरे संलग्न विवरण के भाग (ग) में दिए गए हैं।

विवरण

(क) 1989 के दौरान केरल सर्किल में अब तक खोले गए एक्सचेंज

1. कालीकट—वेलाइल 5000 एल०आई०सी०पी०
2. अंबालामुगल—एम०ए०एक्स-II 300 एल
3. पंथालूर—एम०ए०एक्स-III 25 एल
4. कोरोमे—एम०ए०एक्स-III 35 एल
5. ऐंगांडीयूर—एम०ए०एक्स-III 90 एल
6. वन्नापुरम—एम०ए०एक्स-III 90 एल
7. थोपड़नकुडी—एम०ए०एक्स-III 25 एल
8. थानालूर—एम०ए०एक्स-III 25 एल
9. वेराथल्ली—एम०ए०एक्स-III 90 एल
10. पंपा वैली 90 एल एम०ए०एक्स-III
11. अम्बूर—90 एल एम०ए०एक्स-III
12. एलानाउ 25 एल एम०ए०एक्स-III
13. कुमोमेट्टू 25 एल एम०ए०एक्स-III

(ख) 1989-90 की शेष अवधि के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज

1. चीरल 64 एम०आई०एल०टी०
2. पानाडुर 64 एम०आई०एल०टी०
3. बट्टायर 64 एम०आई०एल०टी०
4. बड़ैका 45 एल एम०ए०एक्स-III
5. पांग 90 एल एम०ए०एक्स-III
6. नेल्लूर 90 एल एम०ए०एक्स-III

(ग) एम०ए०एक्स-II में बदले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज

1. कट्टाकाड़ा 90—300 एल०एम०ए०एक्स-II
2. कोडा काड़ा 90—300 एल (चालू किया गया)
3. नाडापुरम 90—300 एल
4. श्रीकांतपुरम 90—300 एल
5. कुथियाथोडे 90—200
6. एकाकड 90—200 एल०एम०ए०एक्स-III
7. कोक्कैनचेरी 600 सी०बी०एम-700 एल०ए०एक्स-II
8. पातंबी 90—200 एम०ए०एक्स-II
9. एडाप्पल 90—200
10. वडाकनचेरी-मालावर 200 सी०बी०एन०एम—300 एम०ए०एक्स-II
11. एराटुपेटा 480 सी०बी०एम— 600 एम०ए०एक्स-II
12. एटुमानुर 480 सी०बी०एम—600 एम०ए०एक्स-II
13. पाठानपुरम 290 सी०बी०एन०एम—600 एम०ए०एक्स-II
14. थीरूरंगम 250 सी०बी०एन०एम—400 एम०ए०एक्स-II
15. वीथूरा 90-200 एम०ए०एक्स-II
16. चेरूकुन्नु 90-300 एम०ए०एक्स-II
17. वांडीपेरीयार 90-200 एम०ए०एक्स-II
18. चेलड 90-200 एम०ए०एक्स-II
19. पेरांवरा 90-200 एम०ए०एक्स-II

तंजौर में टेलीफोन सलाहकार समिति

808. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजौर दूरसंचार जिले के लिये बहुत समय पूर्व एक टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सलाहकार समिति की आवधिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी क्योंकि तंजबूर सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र का पुनर्गठन कर दिया गया है। संबंधित दूरसंचार प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि समिति की बैठक तत्काल बुलाएं और भविष्य में इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।

इलैक्ट्रॉनिकी आयोग को समाप्त करना

809. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रॉनिकी आयोग को समाप्त कर दिया है जैसा कि 10 मई, 1989 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर०नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान विकास तथा औद्योगिक प्रचालन की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 1.2.1971 को इलैक्ट्रॉनिकी आयोग का गठन किया गया था और उसे संपूर्ण कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थीं। आयोग की कार्यविधि से प्राप्त अनुभवों और उद्योग पर पहले ही पड़े इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारत में इलैक्ट्रॉनिकी के एकीकृत एवं समन्वित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां तैयार करने तथा संबद्ध मामलों में सलाह देने के लिए अगस्त, 1986 में आयोग का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद की घटनाओं की फिर समीक्षा की गई और यह पाया गया कि आयोग सौंपे गए कार्यों को उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब सरकार के लिए उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा इन कार्यों को करना संभव है और इसलिए आयोग को समाप्त कर दिया गया है।

बनिहाल (जम्मू और कश्मीर) के लिए सीधी डायल टेलीफोन सेवा

810. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बनिहाल के लिए सीधी डायल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां तो कब ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र में जिम्बाबवे को सहायता

811. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिम्बाबवे सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में उनके मंत्रालय की सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में जिम्बाबवे को सहायता करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जिम्बाबवे को उनके मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रशिक्षण और बहरी संयंत्र के क्षेत्र में सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव जिम्बाबवे सरकार को विचारार्थ भेजा गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार

812. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों के दौरान जून, 1989 तक, राज्यवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हत्या एवं बलात्कार संबंधी अत्याचार की अलग-अलग कुल कितनी घटनाएं हुईं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : सूचना जिस हद तक उपलब्ध है संलग्न दो विवरणों (विवरण—I अनुसूचित जातियों के लिए तथा विवरण—2 अनुसूचित जनजातियों के लिये) में दी गई है। जून, 1989 तक की सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण—1

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून, 1989 तक गैर अनुसूचित जाति द्वारा अनुसूचित जातियों पर किये गए अत्याचारों, हत्या और बलात्कार के मामलों की संख्या

क्रम० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मामलों की संख्या			तक सूचना
		कुल	हत्या	बलात्कार	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	111	5	14	मार्च
2.	असम	2	1	1	मार्च
3.	बिहार	338	23	17	अप्रैल
4.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	मई
5.	गुजरात	210	5	7	मई
6.	हरियाणा	36	शून्य	9	मई
7.	हिमाचल प्रदेश	26	शून्य	1	मई
8.	जम्मू और कश्मीर	45	1	2	अप्रैल

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	249	5	6	अप्रैल
10.	केरल	133	2	7	मार्च
11.	मध्य प्रदेश		प्राप्त नहीं		
12.	महाराष्ट्र	88	5	3	मार्च
13.	उड़ीसा	105	3	4	अप्रैल
14.	पंजाब	4	1	1	मार्च
15.	राजस्थान	365	5	22	मार्च
16.	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	अप्रैल
17.	तमिलनाडु	157	6	4	अप्रैल
18.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	जून
19.	उत्तर प्रदेश	1208	60	65	मार्च
20.	पश्चिम बंगाल	2	शून्य	2	मार्च
	केन्द्र शासित प्रदेश				
1.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	मई
2.	दिल्ली	3	शून्य	शून्य	मई
3.	दमन और द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	मई
4.	पांडिचेरी	1	1	शून्य	जून
	जोड़	3084	123	165	

नोट :—1. अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूचना शून्य है।

2. कुल योग में अन्य श्रेणियों के अपराधों के मामले भी शामिल हैं।

विवरण—2

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून, 1989 तक, गैर अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजातियों पर किये गए अत्याचारों, हत्या और बलात्कार के मामलों की कुल संख्या

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों का नाम	मामले की संख्या			तक सूचना
		कुल	हत्या	बलात्कार	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	शून्य	शून्य	अप्रैल
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	शून्य	शून्य	फरवरी

1	2	3	4	5	6
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च (जन० छोड़कर)
4.	बिहार	6	शून्य	3	फरवरी (जन० छोड़कर)
5.	गोआ	1	1	शून्य	जून
6.	गुजरात	68	3	15	मई
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
8.	कर्नाटक	63	3	11	अप्रैल
9.	केरल	30	1	शून्य	मार्च
10.	मध्य प्रदेश		प्राप्त नहीं		
11.	महाराष्ट्र	61	2	5	मार्च
12.	मणिपुर		प्राप्त नहीं		
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	फरवरी
14.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	जून
15.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	मई
16.	उड़ीसा	71	3	2	अप्रैल
17.	राजस्थान	150	1	11	मई
18.	सिक्किम	2	1	शून्य	मई
19.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	मई
21.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च (फरवरी छोड़कर)
22.	पश्चिम बंगाल	3	शून्य	1	मार्च
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	जून
24.	दादर और नगर हवेली	4	शून्य	1	मई
25.	दमन और द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य	जून
26.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	जून
	जोड़	492	15	39	

नोट :—1. अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूचना शून्य है।

2. कुल योग में अन्य श्रेणियों के अपराधों के मामले भी शामिल हैं।

माइक्रो कम्प्यूटर के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क

813. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइक्रो कम्प्यूटरों द्वारा आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए माइक्रो कम्प्यूटरों के बीच संचार व्यवस्था की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को एक समक्ष और आकर्षक समाधान माना गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को विकसित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। आंकड़ों/प्रोग्रामों के आदान-प्रदान के लिए और साथ ही साधन स्रोतों जैसे कि मुद्रकों, डिस्क स्पेस आदि का आपस में मिलजुल कर इस्तेमाल करने के लिए एक ही भवन अथवा परिसर में स्थापित कम्प्यूटरों (माइक्रो/वैयक्तिक कम्प्यूटर, सुपर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कम्प्यूटर) के बीच संचार के लिए स्थानीय क्षेत्र—नेटवर्क (एल०ए०एन०) को एक व्यवहार्य एवं आर्थिक समाधान के रूप में स्वीकार किया गया है और माइक्रो कम्प्यूटर (खास तौर पर वैयक्तिक कम्प्यूटर) के प्रचालन से स्थानीय क्षेत्र—नेटवर्क (खासकर वैयक्तिक कम्प्यूटरों के लिए स्थानीय क्षेत्र—नेटवर्क) की उपयोगिता बढ़ रही है और मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग). कई भारतीय विक्रेतागण स्थानीय क्षेत्र—नेटवर्क (एल०ए०एन०) के उत्पाद और उनके समाधान पहले से ही उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें से कई उत्पादों का विकास उनके अपने ही आंतरिक अनुसंधान तथा विकास के जरिए किया गया है। कई और संगठनों को इनके विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भी अद्यतन विकास तथा उभरते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को मद्देनजर रखते हुए कम लागत वाले और साथ ही उच्च कार्य निष्पादन-क्षमता वाले स्थानीय क्षेत्र-नेटवर्क के रूप में समाधान प्रस्तुत कर रहा है तथा उनके स्वदेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को उपलब्ध कराई गई धनराशि से प्रौद्योगिकी विकास परिषद की एक परियोजना के फलस्वरूप कम लागत वाले वैयक्तिक कम्प्यूटर स्थानीय क्षेत्र—नेटवर्क के रूप में हल सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और अब यह उद्योग को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग शिक्षण तथा अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) परियोजना भी अग्रणी शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न प्रकार के स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के रूप में समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। इन सभी उत्पाद डिजाइनों तथा संबद्ध विशेषज्ञता का अन्तरण उद्योग को तब किया जाता है जब वे पूरा होने के चरण पर पहुंच जाते हैं।

भारतीय वायु सेना वायुयानों की दुर्घटनाएं

814. **श्री मोहनभाई पटेल :**

श्री विजय एन० पाटिल :

श्री हेतराम :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में, भारतीय वायु सेना का एक जगुआर वायुयान धनपुरी-तिरूपत्तूर राजमार्ग पर, बीच आकाश में फट गया, जिससे चालक की मृत्यु हो गई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान तथा इस वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान भारतीय वायु सेना के कितने वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(घ) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि, हां, तो इनमें से प्रत्येक के निष्कर्षों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एस० बैठा) : (क) जगुआर विमान के आकाश में फटने का कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन जून, 1989 में इस क्षेत्र में जगुआर विमान की एक विध्वंसक दुर्घटना हुई।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान कई विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसी विमान दुर्घटनाएं होना असामान्य नहीं है।

(ग) इस सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) और (ङ). जी, हां। जांच अदालत के निष्कर्ष वर्गीकृत स्वरूप के होते हैं और इन्हें प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

कुदाल आयोग के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज किए गए मामले

815. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदाल आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त आयोग को कितने मामले भेजे गए थे और उनमें से कितने मामलों के बारे में इसने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) सरकार ने अनुवर्ती कार्यवाही हेतु कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे हैं;

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामलों की जांच कर ली है;

(ङ) कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप पत्र फाइल किए हैं; और

(च) उन मामलों का संक्षिप्त विवरण क्या है जिनके संबंध में आरोप-पत्र फाइल किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (च). कुदाल आयोग ने छः अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित पहली तीन अन्तरिम रिपोर्टों को लोक सभा के पटल पर पहले ही रख दिया गया है। की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित शेष तीन रिपोर्टों को शीघ्र ही दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के जिलों, मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ना

816. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ने संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध से सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पश्चिम बंगाल के 17 जिला मुख्यालयों में से 13 में पहले ही एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) सातवीं योजना का एक लक्ष्य यह है कि सभी जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० से जोड़ दिया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

आन्ध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

817. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) देश के अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है; और

(ग) आंन्ध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों की वर्ष 1980 से प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए योजना निवेशों को विभिन्न क्षेत्रकों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया है।

विवरण

चालू कीमतों पर (1980-81 से 1987-88 तक) प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद

(पुरानी शृंखला) (17.7.89 की स्थिति के अनुसार)

(रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (पी)	1984-85 (पी)	1985-86 (पी)	1986-87 (पी)	1987-88 (क्यू)
1.	आंध्र प्रदेश	1358	1661	1734	1994	2039	2205	2333	उ०न०
2.	अरुणाचल प्रदेश	1382	1647	1846	2036	2301	2834	उ०न०	उ०न०
3.	असम	1221	1307	1614	1902	2104	2159	2317	2335
4.	बिहार	943	1033	1177	1319	1513	1643	1802	1904
5.	गोवा*	2910	2964	3626	4083	4535	5038	5280	उ०न०
6.	गुजरात	1968	2383	2508	3021	3118	2985	3515	3636
7.	हरियाणा	2351	2571	2884	3032	3230	3748	3925	उ०न०
8.	हिमाचल प्रदेश	1530	1849	1959	2225	2216	2636	2908	उ०न०
9.	जम्मू व कश्मीर	1455	1568	1719	1979	2111	2270	2344	उ०न०
10.	कर्नाटक	1454	1655	1699	1970	2189	2264	2636	2802
11.	केरल	1385	1438	1626	1883	2104	2140	2371	उ०न०
12.	मध्य प्रदेश	1183	1281	1432	1746	1710	1974	2036	2404
13.	महाराष्ट्र	2244	2460	2625	2974	3178	3542	3777	4490
14.	मणिपुर	1382	1567	1637	1967	2218	2383	2508	2736

15.	मेघालय	1131	1272	1454	1648	1829	2077	2203	उ०न०
16.	मिजोरम	उ०न०	उ०न०	उ०न०	1484	1773	उ०न०	उ०न०	उ०न०
17.	नागालैंड	1351	1639	1829	2179	2535	उ०न०	उ०न०	उ०न०
18.	उड़ीसा	1181	1340	1328	1745	1686	1973	2036	1983
19.	पंजाब	2620	3051	3367	3678	4103	4536	4954	5477
20.	राजस्थान	1224	1435	1615	2011	1929	1993	2193	2326
21.	सिक्किम	1495	1637	1873	2072	2556	उ०न०	उ०न०	उ०न०
22.	तमिलनाडु	1324	1635	1653	1856	2173	2432	2656	2980
23.	त्रिपुरा	1172	1572	1689	1782	1945	2002	2084	उ०न०
24.	उत्तर प्रदेश	1272	1298	1502	1661	1784	2003	2146	उ०न०
25.	पश्चिम बंगाल	1643	1723	1860	2237	2576	2712	2864	3208

क्यू : त्वरित अनुमान पी : अनंतिम

उ०न० : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं किया गया

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय

टिप्पणी : 1. विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई आंकड़ों की प्रणाली तथा स्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण ये पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं हैं।

* गोवा के संबंध में आंकड़े तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव से संबंधित है।

बंगलौर में "इन्टिग्रेटिड डिजिटल नेटवर्क" आरम्भ करना

818. **श्री के०एस० राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर में परीक्षण के तौर पर "इन्टिग्रेटिड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क" आरम्भ करने का विचार कर रही है, जिससे भारत दूरसंचार के नये युग में प्रवेश कर सके; और

(ख) इन्टिग्रेटिड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क को दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरों में कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। बेंगलूर में परीक्षण के तौर पर "इन्टिग्रेटिड-सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क" परियोजना शुरू की गई है।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद जैसे नगरों में "इन्टिग्रेटिड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क" शुरू करने की कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

[हिन्दी]

819. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन हो गया है;

(ख) यदि नहीं तो इस समिति का गठन कब तक हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके सदस्यों की सूची का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्यकाल 30.6.89 को समाप्त हो चुका है। इसके पुनर्गठन सम्बन्धी कार्रवाई चल रही है।

गुवाहाटी जाने वाली आर्मी स्पेशल रेलगाड़ी में से बंदूक की गोलियों का गायब होना

[अनुवाद]

820. **श्री कमल नाथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून में गुवाहाटी जाने वाली आर्मी स्पेशल रेलगाड़ी में से बन्दूक की कई हजार गोलियां गायब पायी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी गोलियां इत्यादि, गायब पाई गयीं तथा इनका मूल्य कितना था; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गयी जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख). जून, 1989 में गुवाहाटी जाने वाली सेना विशेष रेल गाड़ी से करीब 18480/-रुपये की कीमत के 7.62 मि०मी० के 4800 राउंड गोला-बारूद गायब होना बताया गया था।

(ग) एक संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली है और उसने स्वीकार किया है कि उसने पांच अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उक्त अपराध किया है। इस सम्बन्ध में बिठायी गयी जांच अदालत का कार्य पूरा होने के पश्चात दोषी पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खड़गपुर में डिवीजनल कार्यालय का निर्माण

821. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन विभाग का खड़गपुर डिवीजनल कार्यालय का संचालन कलकत्ता से होता है;

(ख) क्या सरकार ने खड़गपुर में डिवीजनल कार्यालय के निर्माण हेतु जमीन खरीद ली है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यालय का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा;

(घ) क्या खड़गपुर में गलत बिलों तथा टेलीफोन के खराब होने के बारे में बार-बार शिकायतें मिलती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का खड़गपुर में टेलीफोन उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) निर्माण कार्य के एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ). गलत बिल के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें इस प्रकार हैं :

अवधि	जारी किए गए बिल	प्राप्त शिकायतें
87-88	3780	130
88-89	3840	197
अप्रैल, 89 से जून, 89	630	70

खराब टेलीफोनों के बारे में शिकायतें समय समय पर टेलीफोन सेवा पर प्राप्त होती हैं और इस तरह की शिकायतों की संख्या को असाधारण नहीं माना जाता है। इन सभी को तत्परता से अटेंड किया जाता है। 24 उपभोक्ताओं द्वारा की गई कालों की निगरानी के लिए खड़गपुर टेलीफोन एक्सचेंज में एक एम०एल०ओ०ई० उपस्कर स्थापित किया गया है। इससे किसी भी समय 24 उपभोक्ताओं पर निगरानी रखनी संभव है। मानीटरिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ और एम० एल०ओ०ई० प्राप्त किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए त्वरित कार्यक्रम

822. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण देश में अत्यधिक संख्या में छोटे गांवों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्धन लोगों की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कोई त्वरित कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ राज्यों में जमींदारों और ऊंची जाति के अन्य लोगों द्वारा उन्हें आतंकित किए जाने के विरुद्ध उनके संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना भी तैयार की गई है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों से संबंधित सभी मामले, सम्बन्ध दंड कानूनों के अन्तर्गत, दंडनीय अपराधों की तरह ही निपटाए जाते हैं। इन उपायों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए एहतियाती, संरक्षणात्मक, दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों को शामिल करते हुए राज्य सरकारों को समय-समय पर व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सम्पत्ति तथा व्यक्तियों से संबंधित अपराध भी शामिल हैं।

विवरण

केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उ० प्र०, तमिलनाडु, तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जनजातियों के 40 परिवारों (200 व्यक्तियों) अथवा अधिक वाली 10,000 अत्यंत पिछड़ी बस्तियों/मुकामों को अनेक लाभ प्रदान किए जाने हैं, जिनमें निम्न-लिखित शामिल होंगे :

(1) बस्ती अथवा ग्राम में पेयजल हेतु एक हैण्डपंप अथवा खुला कुआं।

(2) एक स्कूल भवन, यदि उस बस्ती के निकट कोई प्राथमिक स्कूल न हो। इस भवन का प्रयोग प्राथमिक स्कूल अथवा गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए किया जाएगा।

(3) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत अति निर्धन परिवारों के लिए गलियों में रोशनी सहित एकल विद्युत कनैक्शन प्रदान करना।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु तथा सीमांत कृषकों को, जिन्हें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, सिंचाई के लिए कुएं।

(5) उन बस्तियों में जहां कहीं सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई हो, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी और जहां कहीं ऐसी भूमि वास्तव में आबंटी के कब्जे में नहीं होगी तो उन्हें वापिस कब्जा दिलाया जाएगा। लाभप्राप्तकर्ताओं को जारी किए गए पट्टों में कब्जे की पुष्टि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उपर्युक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए बस्तियों की अंतिम सूची के आधार पर केन्द्रीय सरकार का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करके कम से कम 40 परिवारों वाली बस्तियों/मुकामों को निर्धारित करे।

केन्द्रीय सरकार इसी प्रकार, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आश्रय प्रदान करने के लिए संकेन्द्रित प्रयास कर रही है। संसद में हाल ही में पेश की गई राष्ट्रीय आवास नीति में यह परिकल्पना की गई है कि बेघर तथा वंचित समूहों, जिनमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां तथा मुक्त हुए बंधक मजदूर शामिल हैं, के लिए आश्रय प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार के पास पहले ही "इन्दिरा आवास योजना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। निवास एकक प्रदान करने के अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य छोटी-छोटी बस्तियों में सम्पर्क सड़कें, आंतरिक सड़कें, नालियां, जल आपूर्ति, सफाई जहां कहीं आवश्यक हो कार्यशालाएं, गलियों में रोशनी जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करना और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे सामाजिक निवेष प्रदान करके उनका विकास करना है।

प्रादेशिक सेना संबंधी सलाहकार बोर्ड

823. **श्री जी० भूपति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के लिए कोई सलाहकार बोर्ड विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके गठन की प्रक्रिया और अवधि क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) प्रादेशिक सेना के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति विद्यमान है।

(ख) वर्तमान सदस्यों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। यह एक असांविधिक समिति है; जिसका गठन सरकार भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों, सेवानिवृत्ति थलसेना/प्रादेशिक सेना के अफसरों सहित प्रादेशिक सेना में इच्छुक लोगों और नियोक्ताओं तथा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों में से करती है। गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष है।

विवरण

प्रादेशिक सेना के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

रक्षा मंत्री

उपाध्यक्ष

रक्षा राज्य मंत्री

सरकारी सदस्य

1. थल सेनाध्यक्ष
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
3. रक्षा सचिव
4. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

5. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
6. सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
7. सचिव, पर्यावरण विभाग
8. वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं)
9. पुनर्वास महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री अजय नारायण मुशरान, सदस्य, लोक सभा
2. वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, लोक सभा
3. श्री जनक राज गुप्ता, सदस्य, लोक सभा
4. श्री उत्तम राठौड़, सदस्य, लोक सभा
5. श्री इन्द्रजीत गुप्त, सदस्य, लोक सभा
6. श्री सी० जंगा रेड्डी, सदस्य, लोक सभा
7. श्री अयूब मोहम्मद खान, सदस्य, लोक सभा
8. श्री सुरेश कलमाडी, सदस्य, राज्य सभा
9. श्री जे० एस० अरोड़ा, सदस्य, राज्य सभा
10. श्री मदन भाटिया, सदस्य, राज्य सभा
11. मेजर जनरल अबान नायडू, प०वि०से०मे०, अ०वि०से०मे० (सेवानिवृत्त)
12. ऑनरेरी मेजर राजा बहादुर बी०बी० सिंह, खैरागढ़
13. ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल ए०एन० गुप्ता
14. ब्रिगेडियर पी०वी० गोले, अ०वि०से०मे० (सेवानिवृत्त)
15. अध्यक्ष, एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री
16. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री
17. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

स्थायी आमंत्रित

अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, प्रभारी, प्रादेशिक सेना

सचिव

अपर महानिदेशक, प्रादेशिक सेना।

प्रौद्योगिकी मिशन

824. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस समय कितने प्रौद्योगिकी मिशन कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन मिशनों की उपलब्धियों पर निगरानी रखने के लिये कोई तंत्र है; और

(घ) इन मिशनों की अब तक की उपलब्धि क्या रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्तमान में, ऊसर भूमि विकास पर एक और प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ख) 6 प्रौद्योगिकी मिशन चल रहे हैं :—

(1) ग्रामीण पेय जल

(2) रोधक्षमता (प्रतिरक्षा)

(3) प्रौढ़ साक्षरता

(4) तिलहन

(5) दूर संचार और

(6) डेरी विकास

(ग) मंत्रिमंडल में प्रौद्योगिकी मिशन के सलाहकार द्वारा प्रौद्योगिकी मिशनों की प्रगति की समीक्षा तथा मॉनीटरिंग समय-समय पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, सामयिक समीक्षा के लिए मिशनों में आंतरिक और अंत:विभागीय/स्टीयरिंग/कोर कमेटियां आदि होती हैं। इन प्रौद्योगिकी मिशनों को कार्यान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी के साथ मंत्रालयों/विभागों के सचिव और मंत्री स्तर पर निष्पादकता का मॉनीटरिंग/मूल्यांकन भी किया जाता है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय पेय जल मिशन

1. कुल 1.62 लाख समस्यात्मक गांवों (अंशत: पूरे कर लिये गये सहित) में से 1.18 लाख समस्यात्मक गांवों को कम से कम एक जल स्रोत से पूरा (तय) कर लिया गया है।

2. वर्ष 1985 में गिनि कृमि (नहरुआ) से प्रभावित 12840 गांवों की संख्या घटकर 3111 गांव हो गई है।

3. पथरीले क्षेत्रों में ड्रिलिंग (बेधन) की प्रगति को सुधारने और पेय जल आपूर्ति समस्या का समाधान करने के लिए सेटलाईट इमेजरीज जियोफिजीकल सर्वेक्षण, भूमि जल शक्यता मानचित्रों और भूमि जल ऐटलस को तैयार करना और कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया था।

4. समस्त 55 मिनी मिशन जिलों के लिए भूमि जल स्थितिज (पोटेंशियल) मानचित्र पूर्ण किये गये।

5. 13,165 हार्ड कोर गांवों में से 9505 गांवों में सी०जी०डब्ल्यू०बी०/एन०जी०आर०आई० द्वारा जल स्रोतों का अभिनिर्धारण किया गया।

6. 31 जिलों के 3878 गांवों में जल गुणवत्ता विश्लेषण पूर्ण किये गये।

7. सात चल आर० ओ० विलवणीकरण संयंत्र राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात को दिए गए, एक ईडी अचल (स्टेशनरी) विलवणीकरण संयंत्र कवरत्ती (लक्षदीप) में स्थापित किया गया।

8. 55 वर्षा जल संलवन (हारवेस्टिंग) ढांचे इन प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए 7 राज्यों में स्थापित किए गए।

9. रिंगों का निष्पादन और इष्टतम उपयोग उन्नत करने के लिए कम्प्यूटराईजड रिंग मॉनीटरिंग प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

रोधक्षमीकरण

गत चार वर्षों (1985-89) के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर रोधक्षमता मिशन में विभिन्न वैक्सीनों की निष्पादकता को नीचे दिया गया है। उपलब्धियों की प्रतिशत निष्पादकता भी दी गई है :

वर्ष	टी०टी० (पी०डब्ल्यू०)	डी०पी०टी०	पोलियो	बी०सी०जी०	मिजिलस
1985-86	80.6	108.1	93.9	47.3	13.8
1986-87	77.2	84.9	72.8	72.2	67.6
1987-88	85.8	85.9	80.3	94.0	89.7
1988-89	69·2	88.1	82.8	96.2	75.0

प्रौढ़ साक्षरता

निर्णय ले पाने के कार्य को और गतिशील बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पर्याप्त प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों सहित उपयुक्त संरचना का सृजन, स्वैच्छिक संगठनों के प्रति अधिक सकारात्मक रुख अपनाने, विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों को अधिकाधिक भाग दिलाने, मीडिया कवरेज बढ़ाने, विकास के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, शिक्षा के अच्छे वातावरण के लिए टेक्नोपेडागोगिक निवेश का अंतरण और अनुप्रयोग विभिन्न एजेंसियों द्वारा पश्च साक्षरता और नवागंतुक साक्षरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार सतत् शिक्षा आदि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की कुछ विशेष उपलब्धियां हैं।

तिलहन

मिशन की स्थापना से तिलहन का उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है और वर्ष 1988-89 में यह लगभग 178 लाख टन हो जाएगा अर्थात पिछले वर्ष के उत्पादन से 37 प्रतिशत अधिक होगा। युग्म नीति को पूरी तत्परता से लागू किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसा संभव है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में तिलहन में पूरी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी। कुछ अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—बीजों की 63 नई किस्में विकसित की गई, रोगाणु रोधी रैपसीड/सरसों का

विकास, शंकर बीज उत्पादन में तिगुनी वृद्धि, न्यून लागत वाले चावल भूसी स्थिरक का प्रोटोटाइप, सूर्यमुखी डिकॉरिटिकेटर विकसित किया गया, खजूर तेल निष्कर्षण के लिए लघु प्रौद्योगिकी का विकास, उन्नयित सरसों संसाधित्र प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक तेल एक्सपैलर (बहिष्कारित)।

दूरसंचार

दूरसंचार मिशन के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. एस०टी०डी० कॉल्स के कॉल सक्सैस रेट बुनियादी तौर पर उन्नत किये गये।
2. मैनुअल ट्रंक क्षमता 78.9 प्रतिशत से 80 प्रतिशत बढ़ाई गई।
3. 12 दिवस प्रकाश घंटों के अंतर्गत तार भेजने का प्रतिशत बड़े स्टेशनों के मध्य 56 प्रतिशत से 82 प्रतिशत सुधारा गया।
4. 1770 पी०सी०एम० प्रणाली, 26 आर०के०एम०एस० आप्टीकल फाईबर प्रणाली, 30 कि०मी० स्थानीय जंकशन नेटवर्क में डिजटिल माईक्रोवेव प्रणाली और 124 कि०मी० लौंग डिस्टेंस ओप्टीकल फाईबर प्रणाली वर्ष 1988-89 के दौरान लगाई गई।
5. लगभग 3.3 लाख पुराने टेलीफोन उपकरण प्रतिस्थापित किये गये।
6. 57,000 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज लाईनें इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लाईनों द्वारा प्रतिस्थापित की गई।
7. 4000 से अधिक इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर लगाये गये।
8. निदेशिका पूछताछ सेवा के लिए 17 स्टेशन स्टेन्डों को कम्प्यूटरीकृत किया गया।
9. रेडियो रिले सिस्टम पर 190 सहित 2632 लौंग डिस्टैंस पब्लिक टेलीफोन चालू किये गये।
10. 764 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज चालू किये गये।
11. 40 जिला मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की गई।

डेरी विकास

अगस्त 1988 में मिशन का प्रारम्भ होने के कारण इसकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं हैं।

इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर स्टडीज

825. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो इलेक्ट्रोनिक एंड कम्प्यूटर स्टडीज की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन का स्थानांतरण

826. **श्री एच०जी० रामुलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन के एक पार्टी से दूसरे के नाम स्थनांतरण करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियम और प्रचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण को नए टेलीफोन कनेक्शन की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी हां। केवल ओवाईटी सामान्य और गैर-ओवाईटी सामान्य श्रेणियों के अन्तर्गत प्रदान किया गया टेलीफोन कनेक्शन यदि एक साल से काम कर रहा है तो इसे तीसरी पार्टी के नाम स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है। उस केन्द्र में जमा कराई गई ओवाईटी राशि के बराबर राशि के साथ न लौटाए जाने वाली 500 रु० की रकम स्थानांतरित शुल्क के रूप में ली जाएगी। जिस तारीख से कनेक्शन स्थानांतरित किया जाता है उसी तारीख से उक्त कनेक्शन को नया ओवाईटी कनेक्शन समझा जाएगा।

(ग) और (घ). एक टेलीफोन एक्सचेंस से दूसरे एक्सचेंज को टेलीफोन शिफ्ट करने के काम को नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने से पहले प्राथमिकता दी जाती है। अन्तर एक्सचेंज शिफ्ट की अनुमति तभी दी जाती है जब यदि टेलीफोन 3 वर्ष से कार्य कर रहा हो या शिफ्ट किए जाने वाले टेलीफोन के पहले आवेदन पत्र की पंजीयन की तारीख, उस एक्सचेंज की, जिसमें टेलीफोन शिफ्ट किया जाना है, संबंधित श्रेणी में टेलीफोन जारी करने की अवधि के भीतर पड़ती हो।

स्कूलों/कालिजों में एन०सी०सी० प्रशिक्षण को अनिवार्य करना

827. **श्री के० मोहनदास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालिजों में एन०सी०सी० प्रशिक्षण अनिवार्य है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का स्कूलों और कालिजों में एन०सी०सी० प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्र: (श्री डी०एस० बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति

828. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में कितनी प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (1) नरोरा परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट ने मार्च 1989 में क्रांतिकता प्राप्त कर ली है।

(2) ट्राम्बे स्थित ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर अपने पूरे विद्युत-स्तर पर अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान करने और रेडियोआइसोटोपों का उत्पादन करने के लिए लगातार किया जा रहा है।

(3) कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर में आई समस्याओं को दूर कर दिया गया है तथा यह अब फिर से काम कर रहा है।

(4) प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र में लेसर और त्वरक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

(5) उच्च तापी अतिचालकों और शीत संलयन जैसे क्षेत्रों में उन्नत कार्य किया जा रहा है।

(6) उद्योग, कृषि और चिकित्सा में रेडियोआइसोटोपों का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग बढ़ाने के लिए विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड बनाया गया है।

(7) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित किए गए अनेक नए उत्परिवर्तियों को अलग-अलग राज्यों में कृषि के लिए चुना गया।

इस बारे में और विस्तार से बजट सत्र में संसद को प्रस्तुत किए गए परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है।

संसदीय राज भाषा समिति का विदेश दौरा

829. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय राज भाषा समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न देशों में भारत के दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों में राजभाषा के प्रयोग का अध्ययन करने हेतु विदेश जाने की एक योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बाद में यह प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). संसदीय राजभाषा समिति इस समय केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अपनी रिपोर्ट का चौथा खण्ड बना रही है। इस संदर्भ में समिति ने यह प्रस्ताव किया कि उसकी तीनों उप-समितियों के सदस्य कुछ चुने हुए बाहरी देशों में (प्रत्येक उप समिति 5 देशों में) जाएं ताकि वहां स्थित भारतीय दूतावासों और भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग का मूल्यांकन कर सकें और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में आ रही कठिनाइयां, यदि कोई हों, का मौके पर जायजा ले सकें। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और इस दौरे के लिए वर्तमान समय को उपयुक्त नहीं समझा और दौरा कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय किया गया।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर विमानों के रात्रि के समय उतरने की सुविधा

830. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम हवाई हड्डे पर विमानों को रात्रि के समय उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर क्या-क्या सुधार करने का विचार है अथवा क्या सुधार किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एस० बैठा) : (क) यह प्रस्ताव है कि निधि उपलब्ध होने पर हवाई मैदान पर प्रकाशन (लाइटिंग) पद्धति स्थापित कर दी जाए।

(ख) हवाई मैदान के लिए अन्य उपस्करों की खरीद/स्थापना के लिए करीब 3.34 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी कर दी गई है।

कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

831. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में हाल में हिंसक गतिविधियों के फैलने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कुछ पृथकतावादी/राष्ट्र-विरोधी/रूढ़िवादी तत्व, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को अभी तक भारतीय संघ के साथ विलय से सहमत नहीं हैं, उपद्रवी और विद्रोही गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

(ख) और (ग). प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ लोगों ने राज्य में अव्यवस्था तथा अराजकता फैलाने के लिए पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में शस्त्रों की आपूर्ति और प्रशिक्षण, गोला-बारूद, विस्फोटक, धन, इत्यादि प्राप्त किया है। राज्य प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तथा स्थिति की निकट से निगरानी कर रहा है। केन्द्र सरकार, आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार की मदद करती है।

कृषि क्षेत्र में विकास

[हिन्दी]

832. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में द्रुत विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में द्रुत विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यक्रमों तथा कार्यनीति का योजना दस्तावेज में उल्लेख किया जाएगा।

कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को अवकाश के एवज में नगद प्रतिपूर्ति की सुविधा

[अनुवाद]

833. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार के केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही अवकाश के एवज में नगद प्रतिपूर्ति की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को उक्त लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, नहीं। छुट्टी के नगदीकरण की सुविधा कर्नाटक सरकार के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध है।

चलती गाड़ियों में चोरी

834. **श्री हेत राम :**

श्री जगदीश अवस्थी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती गाड़ियों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में पिछले उससे पूर्व के छः महीनों की तुलना में चलती गाड़ियो में चोरी करने के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये मुआवजे में यदि कोई वृद्धि हुई है तो इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) इस अपराध में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि चलती

रेलगाड़ियों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चलती रेलगाड़ियों में चोरी के मामलों की संख्या केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संकलित नहीं की जाती हैं।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में रेल गाड़ियों की दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की मृत्यु अथवा उन्हें लगी चोट अथवा उनको हुई हानि के मामले में मुआवजा देने की व्यवस्था है। इसमें उन यात्रियों को कोई मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है जिनका सामान रेल गाड़ियों में चुरा लिया जाता है।

(घ) अपराध की रोकथाम राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारी रेल पुलिस, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है सुपर फास्ट/मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में स्थानीय स्थितियों और अपेक्षाओं के अनुसार संरक्षण प्रदान करती है। रेल सुरक्षा यूनिट भी इस कार्य में जब भी आवश्यक हो सरकारी रेल पुलिस की सहायता करती है।

दिल्ली में टेलीफोन सेवाओं में सुधार

835. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने दिल्ली में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिये हाल ही में उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को राजधानी में किस सीमा तक बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्राप्त होंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). नेटवर्क में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को स्थापित करके पुश बटन वाले टेलीफोन पी०सी०एस० उपकरण प्रदान करके बाह्य संयंत्र में जेली भरी केबिलों तथा डक्लिंग का प्रयोग करके अनेकानेक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करके तथा कस्टमर इंटरफेस के प्रति विशेष ध्यान देकर टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाया गया है।

उत्तर प्रदेश में जिलों को एस०टी०डी० द्वारा महानगरों के साथ जोड़ना

[हिन्दी]

836. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, बलिया जिलों को एस०टी०डी० सुविधा द्वारा देश के महानगरों के साथ जोड़ने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह कार्य मार्च, 1989 तक पूरा किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो उक्त एस०टी०डी० सुविधा अभी तक उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आजमगढ़, मऊ, बलिया जिलों को एस०टी०डी० सुविधा द्वारा महानगरों के साथ कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इन तीनों स्थान में आटोमेटिक एक्सचेंज प्रदान कर दिए गए हैं और आजमगढ़ तथा बलिया के लिए संचारण माध्यम प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आजमगढ़ और बलिया में एस०टी०डी० सुविधा मार्च, 1990 तक प्रदान करने की योजना है। मऊ नया जिला मुख्यालय है, अतः इसे 1990-91 के कार्यक्रम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

झारखंड विवाद

[अनुवाद]

837. **डा० कृपासिंधु भोई** :

श्री राधाकान्त डिगाल :

श्री हरिहर सोरन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड विवाद के सम्बन्ध में आदिवासी प्रतिनिधियों, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान यह वार्ता कितनी बार हुई है;

(ग) उक्त मामले पर आदिवासी प्रतिनिधियों और संबंधित राज्य सरकार द्वारा क्या रुख अपनाया गया है;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) क्या इस मामले पर निर्णय लेते समय उड़ीसा राज्य सरकार को भी विश्वास में लिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). बिहार राज्य सरकार ने "झारखण्ड आन्दोलन" के कुछ नेताओं के साथ 31-5-1989 को एक बैठक की थी। गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया था। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में "झारखण्ड आन्दोलन" के अनेक नेताओं के साथ नई दिल्ली में एक दूसरी बैठक हुई। बैठक में बिहार के मुख्य मंत्री ने भी भाग किया था।

(ग) से (ङ). झारखण्ड के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति अपना मत रखा और अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान के संरक्षण की मांग की। प्रतिनिधियों ने वार्ता जारी रखने की अपनी इच्छा भी जाहिर की। केन्द्रीय गृह मंत्री ने उनसे आग्रह किया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए, जिससे देश की एकता और अखण्डता को हानि पहुंचे और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का मान्य हल निकालना संभव होना चाहिए। इस बैठक में क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के लोगों की उन्नति के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार (बिहार) की रुचि पर जोर दिया गया।

झारखण्ड आन्दोलन के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए ज्ञापन की एक प्रति खड़ीसा राज्य सरकार को भेज दी गई है।

कृष्णा जिले में टेलीफोन सुविधा

838. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा जिले में बसे हुए कितने हैक्सागनों को अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक हैपसागन को किस तिथि तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कृष्णा जिले के तीन षटभुजाकार क्षेत्रों में अभी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन षटभुजाकार क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा आठवीं योजना अवधि के दौरान उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

अपराध की घटनाओं की दर

839. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 जून, 1989 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "क्राइम ग्राफ इन यू०पी० राइजिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अपराधों में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत संज्ञेय अपराधों का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" विषय राज्य की सूची में दिए गए हैं। अपराध का पंजीकरण करना, जांच-पड़ताल करना और पता लगाना तथा उसका निवारण करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। उन्हें मामलों को पंजीकृत करने के लिए कार्रवाही करनी पड़ती है, मामलों की जांच पड़ताल करके उन्हें न्यायालय में दायर करना पड़ता है। भारत सरकार भी देश में लोक व्यवस्था को मानीटर करती है तथा उसकी पुनरीक्षा करती है तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को उचित कार्रवाही हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में लाती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान भारतीय अपराध संहिता के अंतर्गत पूर्ण संज्ञेय अपराधिक घटनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र० सं०	संघ शासित क्षेत्र/राज्य	1986	1987	1988
1	2	3	4	4
1.	आंध्र प्रदेश	70243	76729	82390
2.	अरुणाचल प्रदेश	1280	1348	1764
3.	असम	40550	37704	36821
4.	बिहार	114432	114181	122039
5.	गोवा	——	4550	3967
6.	गुजरात	85102	85444	87760
7.	हरियाणा	20866	23226	23067
8.	हिमाचल प्रदेश	5955	6479	6521
9.	जम्मू व कश्मीर	19855	19158	19868
10.	कर्नाटक	82497	84192	89050
11.	केरल	52486	55410	62899
12.	मध्य प्रदेश	171234	171033	180630
13.	महाराष्ट्र	180065	174018	171075
14.	मणिपुर	2881	2325	2353
15.	मेघालय	1750	2436	1747
16.	मिजोरम	1255	1140	1267
17.	नागालैंड	1578	1642	1351
18.	उड़ीसा	44345	42357	42075
19.	पंजाब	13291	14872	14276
20.	राजस्थान	81118	79851	88146
21.	सिक्किम	369	350	333
22.	तमिलनाडु	106745	96907	98199
23.	त्रिपुरा	4714	4633	5520
24.	उत्तर प्रदेश	171653	164751	165493
25.	पश्चिम बंगाल	69355	64655	69175

1	2	3	4	5
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	719	686	843
27.	चंडीगढ़	1507	1621	1734
28.	दादरा और नगर हवेली	470	518	433 नवम्बर, 88 तक
29.	दमण और दीव	4649	53	120
30.	दिल्ली	29834	25846	28011
31.	लक्षद्वीप	19	31	27 अक्टूबर, 88 तक
32.	पांडिचेरी	2360	2466	2631

टिप्पणियां :—

1. 1986 और 1987 के आंकड़े तिमाही विवरणिकाओं के आधार पर हैं ।
2. मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के अतिरिक्त, वर्ष 1988 के आकड़े मासिक विवरणिकाओं के आधार पर हैं । मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के लिए आंकड़े तिमाही विवरणिकाओं के आधार पर हैं ।
3. गोवा को मई, 1987 में राज्य का दर्जा मिला तथा गोवा के लिए वर्ष 1986 के आंकड़े दमन और दीव के आंकड़ों में क्रम संख्या 29 पर दिए गए हैं ।
4. वर्ष 1987 के लिए दमण और दीव के आंकड़े 1.7.1987 से 31.12.1987 तक की अवधि के हैं तथा तुलना करने योग्य नहीं हैं ।
5. अभी आंकड़ों को अस्थाई समझा जाए ।

दिल्ली के ढांचे के बारे में समिति

[हिन्दी]

840. **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री राधाकांत डिगाल :
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में दिसम्बर, 1987 में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति को छः महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति इस अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी और उसे और समय दिया गया था;

(घ) क्या समिति ने अब सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् ।

(घ) से (च). समिति के समक्ष जटिल मामला है और इनका अंतिम हल निकालने के लिए इसकी पूरी जांच किए जाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

841. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किस राज्य ने इस कार्यक्रम को यथासंभव अधिकतम सीमा तक कार्यान्वित किया है;

(ग) क्या उन राज्यों में जहां पर इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है, लागू कराने के लिए कोई कार्रवाई की गई है तथा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रोजगार की वास्तविक स्थिति क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार की तुलनाएं संभव नहीं हैं।

(ग) प्रत्येक वर्ष, राज्य मंत्रियों की बैठक में निष्पादन की समीक्षा की जाती है तथा कमियां राज्यों के ध्यान में लाई जाती हैं।

(घ) भर्ती के संबंध में सभी मंत्रालयों द्वारा अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान दिए जाने के लिए उपाय किए जाते हैं।

चयन समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण आने वाली अड़चन को दूर करने के लिये अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की गई हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा उन काम-धंधों में जिन में वे रुचि रखते हैं, तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

कन्याकुमारी में खून की तरह के तरल पदार्थ की वर्षा

842. **डा० जी० विजय राघव राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कन्याकुमारी के एक छोटे से गांव में आकाश से खून की तरह के तरल पदार्थ की वर्षा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की वैज्ञानिक जांच एवं विश्लेषण किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, हां। जांच से पता चला है कि कन्याकुमारी क्षेत्र में इस अवधि के दौरान वर्षा नहीं हुई तथा इस घटना का वर्षा से अथवा अन्य प्राकृतिक गतविधियों से कोई संबंध नहीं है।

सेना में पदोन्नति बोर्डों की प्रणाली तथा कार्यकरण

843. **श्री एच०एम० पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के बारे में अधिकारी संवर्ग में असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या सेना में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली तथा पदोन्नति बोर्डों के कार्यकरण में विसंगतियों के कारण सैन्य अधिकारियों के भविष्य एवं व्यक्तिगत जीवन में असंतोष पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की संपूर्ण प्रणाली एवं पदोन्नति बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था है। फिर भी यदि किसी अधिकारी को किसी विशेष मूल्यांकन से या पदोन्नति के मामले में उसे अधिक्रमित किये जाने की कोई शिकायत हो तो उसे दूर करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। समय-समय पर इस प्रकार दर्ज की गई सांविधिक और असांविधिक किस्म की विशेष शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक मामले पर उसके औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) जी नहीं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली तथा पदोन्नति बोर्डों के मामले में वर्तमान प्रक्रियाएं व्यवस्थित और वस्तुपरक हैं और उनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रक्रिया वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित प्रक्रियाओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उन्हें अधिक बेहतर बनाने पर विचार किया जाता है।

जबलपुर स्थित वाहन फैक्टरी का आधुनिकीकरण

844. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** :
डा० वी० वेंकटेश :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन फैक्टरी, जबलपुर ने विदेशी सहयोग से अथवा बिना विदेशी सहयोग के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने वाहन फैक्टरी, जबलपुर में सैनिक वाहनों की निर्माण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डो०एल० बैठा) : (क) से (ग). जबलपुर स्थित वाहन निर्माणी के बारे में आयुध निर्माणी बोर्ड ने यथासंभव विदेशी सहयोग के साथ आधुनिकीकरण के कुछ कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है। इस अवस्था में किसी प्रकार के ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

अधिक राशि के बिल भेजने की शिकायतें

845. **डा० दत्ता सामन्त :**

श्री डी० बी० पाटिल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बम्बई को वर्ष 1988-89 में अधिक राशि के बिल भेजने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतें सही पाई गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 में कुल कितना राजस्व प्राप्त होना था और अधिक राशि के बिल भेजने के कारण कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई को वर्ष 1988-89 में, जारी किए गए 32,35,614 बिलों के मुकाबले अधिक बिलिंग की 29,209 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का प्रतिशत केवल 0.9% ही रहा।

(ख) 1975 मामलों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बम्बई ने छूट दी। यह छूट, गलत मीटर रीडिंग, छुटपुट खराबियों आदि के कारणों से दी गई।

(ग) वर्ष 1988-89 में 519.72 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया गया और 77.19 लाख रुपये की राशि वापस की गई।

आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान और विकास प्रणाली

846. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास प्रयासों को आवश्यकता के अनुरूप बनाने और वैज्ञानिकों को अधिकार दिये जाने के साथ-साथ उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के बारे में कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार निम्नलिखित मिशन-अभिमुखी कार्यक्रमों के द्वारा आवश्यकता पर आधारित

अनुसंधान और विकास प्रयासों को कार्यान्वित कर रही है :—

(1) अन्तरिक्ष विभाग में अन्तरिक्ष मौसम विज्ञान, संचार के लिए और वन तथा बंजरभूमि के मानचित्रण के दूर-संवेदन के लिए सुविस्तृत अन्तरिक्ष अनुप्रयोग कार्यक्रम हैं।

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग में कृषि और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए आणविक शक्ति उपार्जन, रेडियो आइसोटोपों के उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम हैं।

(3) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष रोगों से हमारी जनसंख्या के बचाव के लिए टीकों के उत्पादन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया है।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अतिचालकता, नव तन्तुओं और सम्मिश्रों, यन्त्रीकरण समानांतर संगणन, आदि में प्रमुख कार्यक्रमों को शुरू किया है जिनमें कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में हमारी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भविष्य में सम्भावनाएं हैं।

(5) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग आम आदमी के लाभ के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा जैव गैस, धुआं रहित चूल्हों के विकास हेतु आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है।

अधिकांश वैज्ञानिक विभागों के प्रमुख सुविख्यात वैज्ञानिक हैं और वे अपने-अपने विभागों के कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इनमें से अधिकांश विभागों में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की सलाहकार समितियां हैं जो निरीक्षण (पीयर्स) का कार्य करते हैं और स्कीमों तथा अलग-अलग कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं। इसके साथ-साथ प्रत्येक विभाग के कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन की योजना आयोग के द्वारा वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना की चर्चाओं के दौरान भी समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मामलों में वृद्धि

[हिन्दी]

847. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मामलों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही है;

(ख) इस समय कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) जनवरी, 1987 से 30 जून, 1989 तक दायर किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी निपटाया जाना है; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में नए मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

(ख) 30.6.89 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित मामलों, विविध याचिकाओं को छोड़कर, की कुल संख्या 29,339 है।

(ग) जनवरी, 1987 से 30.6.89 तक दायर किए गए कुल मामलों, की संख्या 47,816 है। किसी विशेष अवधि के दौरान आरम्भ किए गये जो मामले निपटान के लिए बाकी हैं, उनकी संख्या के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 30.6.89 को अधिकरण के पास 29,339 मामले, विविध याचिकाओं को छोड़कर, निपटान करने के लिए बाकी थे।

(घ) बकाया मामलो का शीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समय-समय पर जो उपाय किये जाते हैं उनमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों का भरा जाना तथा नई/अतिरिक्त न्यायपीठें स्थापित करना शामिल हैं।

अपराध सम्बन्धी जानकारी का रिकार्ड रखने के लिए कम्प्यूटर की स्थापना

[अनुवाद]

848. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, देश में अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी का रिकार्ड रखने के लिए एक कम्प्यूटर लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की स्थापना आन-लाइन आधार पर अपराध-अपराधिक डाटा रिकार्ड का केन्द्र/राज्य/जिला स्तर पर संगणकीकरण करने के लिए की गई है। इन सभी स्तरों पर कम्प्यूटर स्थापित करने का विचार है। कम्प्यूटर लगाने का कार्य चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

849. **श्री हरीश रावत** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1988-89 के दौरान जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के काफी लोग बेरोजगार हैं, और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में 1988-89 के दौरान आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत 239.03 लाख रुपये व्यय किए गए। वर्ष 1989-90 के लिए आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत 203.06 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) जी, हां। एन०आर०ई०पी० तथा आर०एल०ई०जी०पी० जैसी प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की योजनाओं के अतिरिक्त, जिन्हें अब 1.4.1989 से जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया है, राज्य सरकार, राज्य की अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्रदान करने के लिए समेकित ग्रामीण

विकास कार्यक्रम तथा कृषि, बागवानी, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत परिवारोन्मुख योजनाएं क्रियान्वित करती आ रही हैं।

आग से बचाव सम्बन्धी सुरक्षोपाय

[अनुवाद]

850. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री बहुमंजिली इमारतों में आग से बचाव सम्बन्धी सुरक्षोपाय के बारे में 8 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्धारित आग से बचाव सम्बन्धी 12 आवश्यक सुरक्षोपाय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुमंजिली इमारतों, थियेटर, हॉल, अस्पताल आदि के लिए निर्धारित आग से बचाव सम्बन्धी 12 आवश्यक सुरक्षोपायों में अग्निरोधी दरवाजे (फायर प्रोटेक्शन डोर्स) शटर्स का उपयोग भी शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का ऐसी इमारतों में अग्निरोधी दरवाजों का उपयोग आवश्यक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). उपलब्ध कराए जाने वाले 12 सुरक्षोपाय निम्नलिखित हैं—

1. 6 मीटर की दूरी के भीतर।
2. 50,000 से 2 लाख लीटर तक पानी का भण्डारण।
3. स्वचालित छिड़काव प्रणाली।
4. होस रील।
5. पोर्टेबल उपकरण।
6. कम्पार्टमेन्टेशन।
7. अग्नि का पता लगाने के लिए स्वचालित/हाथ से चलाए जाने वाले अलार्म।
8. जन सम्पर्क प्रणाली।
9. निकासी चिन्ह।
10. आपात विद्युत प्रणाली।
11. एक लिफ्ट में फायरमैन स्विच उपलब्ध कराना।
12. वेट राईसर/डाउन कमर/ड्राई राईसर।

उपाय सं० 6 अर्थात् कम्पार्टमेन्टेशन में आग न पकड़ने वाले दरवाजे/शटर शामिल हैं।

(घ) स्थानीय निकाय जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका तभी निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र देगी जब मुख्य अग्नि शमन अधिकारी यह प्रमाणित कर ले कि निर्धारित अग्नि शमन उपाय उपलब्ध करा दिए गए हैं।

मुख्य सचिवों का सम्मेलन

851. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री शान्ति लाल पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1989 में नई दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में आसूचना विभाग को अधिक कारगर बनाने पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उसमें चर्चित अन्य विषयों का ब्यौरा क्या है; और उसका क्या परिणाम निकला ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शहरी स्वायत्त शासन को सुदृढ़ बनाने के प्रस्ताव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था। इस सम्बन्ध में आम सहमति थी कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए और इन निकायों को एक ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय शासन के निर्वाचित स्तरों पर महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण पर भी बल दिया गया था।

2. देश की साम्प्रदायिक स्थिति की समीक्षा की गई थी और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की आसूचना एजेंसियों के बीच तालमेल पर बल दिया गया था।

3. जवाहर रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों को नोट किया गया और उनकी उपयुक्तता तथा प्रभावोत्पादकता का जायजा लिया गया।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की गई। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और जमाखोरों तथा अन्य कदाचारों के विरुद्ध निवारक उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

6. सम्मेलन में प्रशासन की अपेक्षतया अधिक कारगर, प्रभावी, जवाबदेह और सहभागी बनाने की दिशा में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर भी संक्षेप में विचार-विमर्श किया गया।

7. इस बात पर भी आग्रह किया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं को प्रभावी तथा निष्पक्ष ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सेवाओं के सदस्यों का मनोबल ऊपर उठाने के प्रयोजन से कतिपय विशिष्ट उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

वर्ली टेलीफोन एक्सचेंज में गलत बिलों के मामले

852. **श्री एस०जी० थोलप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के वर्ली टेलीफोन एक्सचेंज ने बहुत पहले "मिशन बेटर संचार एण्ड लार्किंग ऑफ एक्सट्रनल डिपिस" नामक योजना लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्या लाभ हैं और यह कैसे कार्य कर रही है;

(ग) क्या इसे देश के अन्य भागों में लागू किया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गलत बिलों के मामलों में किन कारणों से वृद्धि हो रही है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के परिणामस्वरूप दक्षता में वृद्धि हुई है और टेलीफोन दोषों में कमी आई है।

(ग) जी हां।

(घ) शिकायतों की संख्या में वृद्धि मुख्य रूप से काफी एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सेवा और आई०एस०डी० सेवा का विस्तार करने के कारण हुई है।

(ङ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

(1) सभी शिकायतों की जांच पहले लिपिकीय दोष के लिए और उसके बाद आंतरिक/बाह्य संयंत्रों में तकनीकी दोष के लिए की जाती है;

(2) कभी-कभी टेलीफोन लाइनों पर विशेष निगरानी भी रखी जाती है;

(3) जब कभी उपभोक्ता लाइन में दोष का पता चलता है, उसी समय जांच भी की जाती है;

(4) जहां कहीं संदर्भगत बिलों में दर्ज की गई कालों की संख्या विवादग्रस्त अवधि के तत्काल पहले 6 बिलिंग अवधियों के दौरान मीटर में दर्ज कालों की उच्चतम संख्या के 100% से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता के अनुरोध पर बिल अलग-अलग बनाए जाते हैं तथा उसे केवल उन 6 बिलिंग अवधियों के औसत जमा उसका 10% अदा करने के लिए कहा जाता है। शेष राशि तब तक आस्थगित रखी जाती है जब तक जांच कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया जाता।

(5) अधीनस्थ यूनिटों को ऐसी शिकायतों पर निर्णय देने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं; और

(6) अधिकांश ऐसी सभी शिकायतें दो महीने में निटपा ली जाती हैं।

बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या

853. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता को कम करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों के बराबर लाने हेतु केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में, विशेषकर राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों/अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) इनका जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) बिहार में लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए), जवाहर रोजगार योजना। अन्य कार्यक्रम प्रशिक्षण, भूमि सुधार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष संघटकों से संबंधित है।

(ख) वर्ष 1983-84 में बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही आदिवासियों/अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है।

	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जाति	71.1	52.5
अनुसूचित जनजाति	64.9	39.8

तुलनात्मक आधार पर गरीबी संबंधी जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आबादी के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न अन्य गरीबी उन्मूलन तथा कल्याण कार्यक्रमों के अलावा अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना कार्यान्वित की जा रही है।

गुड़गांवा को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में लाना

854. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद क्षेत्र महानगर टेलीफोन, दिल्ली के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो गुड़गांवा को इसके कार्यक्षेत्र में न रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गुड़गांवा को दिल्ली टेलीफोन के कार्यक्रम में लाने की संभाव्यता पर विचार किया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). महानगर टेलीफोन निगम, दिल्ली के कार्यक्षेत्र में केवल केन्द्र शासित क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्र आते हैं । गुड़गांवा को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह केन्द्र शासित क्षेत्र से बाहर पड़ता है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना

855. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, श्रेणी-वार तथा वर्ष-वार, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सम्बन्ध सेवाओं के कितने कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया; और

(ख) इनमें महिला अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
1985-86	230	2
1986-87	255	1
1987-88	198	2

गृह मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए तथा भेजे गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

1985-86	13
1986-87	14
1987-88	17

अन्य सेवाओं के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इनमें महिला अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :

1985-86	15
1986-87	28
1987-88	24

गोवा में डाक नेटवर्क

856. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में कितने डाकघर हैं;

(ख) गोवा में पत्रों की शोर्टिंग और वितरण तथा अन्य डाक वस्तुओं के प्रयोजन हेतु अन्य कितने केन्द्र हैं;

(ग) गोवा में डाक तंत्र तथा गोवा से आने जाने वाली डाक सेवाओं संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गोवा में डाक तंत्र का विस्तार करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गोवा में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 232 है।

(ख) यहां पर दो छंटाई डाकघर हैं, एक पणजी में दूसरा मारगाओ प्रधान डाकघर में।

(ग) देश में सभी प्रमुख डाक कार्यालय पणजी छंटाई कार्यालय हेतु समस्त गोवा राज्य के लिए प्रथम श्रेणी डाक के डाक थैले बनाते हैं। दिल्ली और बंबई से गोवा के लिए रोजाना तथा बंगलौर से गोवा के लिए सप्ताह में तीन दिन हवाई डाक सेवा उपलब्ध है। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र से हवाई डाक बंबई के रास्ते जाती है। पणजी छंटाई कार्यालय प्रत्येक राज्य की राजधानी के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए हवाई डाक थैले बनाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक (समाचार पत्र, पार्सल, निमंत्रण/बधाई कार्ड) भारत के अन्य भागों से रेल द्वारा मूसावल, पुणे और नागपुर में प्राप्त होती है। इन स्थानों पर डाक कार्यालय पणजी छंटाई कार्यालय तथा गोवा में अन्य महत्वपूर्ण डाकघरों के लिए डाक थैले बनाते हैं। बंबई और गोवा के मध्य वास्कोडी-गामा तक रेल संपर्क है तथा रोज डाक ढोने की व्यवस्था उपलब्ध है।

(घ) चालू वर्ष (1989-90) के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर शाखा डाकघर खोले गये हैं :

1. क्राम्बोलिम
2. मंडुर
3. कुण्डैल इंडस्ट्रियल इस्टेट
4. कारापुर
5. प्रताप नगर
6. अडवोई
7. पोरीम
8. सनवोरडम
9. नागरगांव
10. मोरलेम
11. भाटपल
12. उगेम
13. वलकीनी

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों के लिए शाखा डाकघर मंजूर कर दिये गए हैं तथा इनके शीघ्र ही खोले जाने की संभावना है।

1. परियोल
2. अगापुर अडपोई
3. पिलीम
4. सिगाओ

पणजी में 10.1.1989 से एक स्पीड पोस्ट केन्द्र भी स्थापित किया गया है जो भारत में 53 अन्य केन्द्रों तथा विदेश में 35 केन्द्रों से संपर्क उपलब्ध कराता है।

जाति संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने में छूट

857. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के वर्तमान निदेशों में छूट देने/संशोधन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (घ). महाराष्ट्र राज्य में प्रवासियों के मामले में वर्तमान नियमों में छूट देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने पहले ही विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं कि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन, उस व्यक्ति को जो अन्य राज्य से आता है, उसके पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए असली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं सिवाय उस स्थिति के जहां निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक हैं। तथापि ऐसे मामले में, वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में अपने मूल राज्यों से विशेष सुविधाएं और रियायतें प्राप्त करते रहेंगे न कि उस राज्य से जहां वे प्रवजन करके आये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी हुई याचिकाएं

858. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :

श्री राम समुझावन :

क्या **प्रधान मंत्री** उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी याचिकाओं के बारे में 6 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5996 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दायर की गई 12 विशेष इजाजत याचिकाओं में से कितनी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटा दी गई हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान सेवा संबंधी मामलों के बारे में दायर की गई विशेष इजाजत याचिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय उच्चतम न्यायालय में कितनी विशेष इजाजत याचिकाएं विचाराधीन हैं; और

(घ) इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) चार। ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) दस। ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) इक्कीस।

(घ) बकाया मामलों की शीघ्र निपटान करने के लिए विधि मंत्रालय तथा उच्चतम न्यायालय के साथ कार्रवाही की जा रही है।

विवरण—1

12 विशेष अनुमति याचिकाओं में से उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाई गई याचिकाओं की संख्या

1. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के संबंध में श्री अमृत लाल तथा अन्य के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पास किए गए अंतरिम आदेश के विरुद्ध 16.3.88 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।
2. पेंशन तथा उपदान में संशोधन के संबंध में श्री ई०बी० रैनबोथ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के निर्णय के विरुद्ध दिनांक 23.7.89 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।
3. सिविल सेवा परीक्षा, 1983 के परिणामों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त न किये जाने के संबंध में श्री एम०वी०एस० मूर्ति के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना के निर्णय के विरुद्ध 19.8.87 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।
4. सिविल सेवा परीक्षा, 1981 के परिणामों के आधार पर आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त न किए जाने के संबंध में श्री एन० चन्द्रशेखर लिंगम के मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 29.4.85 को दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

विवरण—2

पिछले छह मास के दौरान दायर किए गए सेवा मामलों के सम्बन्ध में विशेष अनुमति याचिकाओं के ब्यौरे

1. श्री बेघड़क बनाम भारत संघ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 4.5.89 के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। विशेष अनुमति याचिका अभी तक स्वीकार नहीं की गई है।

2. 1973 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित करने के बारे श्री जी०सी० फूकन तथा अन्य मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कीगु वाहाटी न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध मई, 1989 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

3. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधा नियमावली में 13.9.83 का यह संशोधन कि तीन मास तथा अधिक की अहर्क सेवा को एक छमाही के रूप में गिना जाए उस पेंशनभोगी पर लागू होगा जो उक्त संशोधन से पहले सेवानिवृत्त हो गया था—श्री एस०के० जैन, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त) के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के निर्णय के विरुद्ध जुलाई, 1989 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

4. 1973 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में राजस्थान पेंशनभोगी संघ के मामले में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

5. पी०सी०एस० अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति होने पर उनके वेतन को संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री जी०डी० मसीन तथा अन्य के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चण्डीगढ़ न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध जुलाई, 1989 में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

6. कुमारी रवनीत कौर के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चण्डीगढ़ न्यायपीठ के दिनांक 16.2.89 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

7. समयपूर्व प्रत्यावर्तन के संबंध में श्री आर०एन० गुप्ता, आई०ए०एस० के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 23.9.88 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

8. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने के विशेषाधिकार के दावे के सम्बन्ध में श्री बी०सी० करणा तथा एच०एस० रस्तोगी के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 4.9.88 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

9. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने के विशेषाधिकार के दावे के सम्बन्ध में डा० (श्रीमती) आनन्दिता मंडल के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 20.7.88 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

10. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने के विशेषाधिकार के दावे के संबंध में श्री बी०डी० त्रिवेदी के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 30.9.88 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई विशेष अनुमति याचिका।

दूरसंचार क्षेत्रों का पुनर्गठन

860. श्री बी०एम० बासवराजू :

श्री शान्ति लाल पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1989 के दौरान देश में दूरसंचार क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। तथापि, महाप्रबंधक (अनुरक्षण) को मुख्य महाप्रबंधक के बतौर पुनः पदनामित किया गया था।

(ख) और (ग). दूरसंचार सर्किलों के महाप्रबंधकों को मुख्य महाप्रबंधक के बतौर पुनः पदनामित किया गया था। एकरूपता लाने के लिए महाप्रबंधकों (अनुरक्षण) को भी महाप्रबंधक (अनुरक्षण) के बतौर पुनः पदनामित किया गया है।

प्रौद्योगिकी पार्क

861. **डा० बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च प्रौद्योगिकों के लिए प्रौद्योगिकी पार्क आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या होगी तथा वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) किन-किन देशों के पास उच्च प्रौद्योगिकी के लिये प्रौद्योगिकी पार्क हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित 13 स्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों की स्थापना पर स्कीम शुरू की है :—रांची (बिहार), कानपुर (उ०प्र०), बम्बई (महाराष्ट्र), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु), मैसूर (कर्नाटक), लुधियाना (पंजाब), कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल), शिमला (हिमाचल प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) तथा श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग का पुणे, भुवनेश्वर तथा बंगलौर में साफ्ट्वेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को स्थापित करने का विचार है।

(ग) अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी तथा इटली जैसे कई देशों में विज्ञान पार्कों, प्रौद्योगिकी पार्कों, अनुसंधान पार्कों, उष्मायन केन्द्रों, नवोन्मेषी केन्द्रों आदि जैसे विभिन्न नामों से प्रौद्योगिकीय पार्क कार्य कर रहे हैं।

राज्यों में नशाबन्दी

[हिन्दी]

862. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान नशाबन्दी के मामले में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य सरकारों को दी गई सहायता और उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किये गए हैं।

(ख) 1988-89 के दौरान ऐसी कोई सहायता राज्य सरकारों को नहीं दी गई। तथापि, देश के विभिन्न भागों में स्थित स्वैच्छिक संगठनों को मद्यपान के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

दुकानों और फैक्टरियों के लिए लाइसेंस शुल्क

863. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दुकानों और फैक्टरियों के लिए लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित शुल्क और पहले प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाइसेंस शुल्क बढ़ाने के क्या कारण हैं और इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क किस तारीख से वसूल किए जायेंगे और इसके बारे में औपचारिक घोषणा कब की गई थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को "जंगी इनाम"

[अनुवाद]

864. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध में सराहनीय सेवा के लिए कुछ लोगों को वर्ष 1947 में आजीवन "जंगी इनाम" मंजूर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1947 में 20 रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी और इसके पश्चात् इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन वर्षों के दौरान मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) से (ग). द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रति जो लोग निष्ठावान रहे थे, उनको भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने आजीवन जंगी इनाम मंजूर किया था। जूनियर कमीशन अफसरों एवं अन्य रैंकों के लिए स्वीकृत इनाम की राशि क्रमशः 20/- रु० और 10/- रु० प्रति माह है। जंगी इनाम के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाए जाने संबंधी प्रश्न पर हाल ही में विचार किया गया था और यह पाया गया कि इस राशि को बढ़ाए जाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह इनाम वीरता के लिए नहीं दिया जाता था बल्कि ब्रिटिश सरकार को सक्रिय रूप से सहयोग देने के लिए दिया जाता था और उनके प्रति निष्ठावान न रहने पर इसे वापस लिया जा सकता था।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

865. **श्री कमल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक्सचेंज-वार कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) क्या इस सुविधा की व्यवस्था के लिए और अधिक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु जनता द्वारा पूंजी निवेश करने को बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य के विकास के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों में 1.7.89 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). औसतन 15 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष दिल्ली में लोगों द्वारा नए टेलीफोन कनेक्शनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए जाते हैं। वित्तीय संसाधन जुटाने की कोई समस्या नहीं है। यह धन दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए उपयोग में लाया जाता है।

विवरण

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली : प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या : 1.7.89 को निपटान की स्थिति

	एक्सचेंज	ओवाइटी सामान्य श्रेणी में जारी कने. की तारीखें	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं०	ओवाइटी वि.श्रेणी में जारी कने. की तारीखें	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं०	एस०एस० श्रेणी में जारी कनेक्शनों की तारीखें	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं०	वि०श्रेणी में जारी कने. की तारीखें	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं०	सा०-श्रेणी में जारी कनेक्शनों की तारीखें	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की सं०	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31, 34, 35	जनपथ	31.3.89	22	31.3.89	30	31.3.89	—	31.3.89	10	23.3.88	661	723
61, 62, 69	जोरबाग	11.11.87	418	2.2.88	204	31.3.88	101	5.4.88	107	20.12 83	5027	5897
331, 332	किदवई भवन	20.11.86	1061	5.12.87	552	26.4.88	11	25.4.88	56	7.10.85	1858	3538
38, 378	राजपथ	17.5.82	224	12.11.86	635	30.11.87	11	11.12.82	75	24.4.80	1159	2104
36(लोदी रोड)	पी.आर.एक्स.	25.3.88	—	25.3.88	96	25.3.88	03	25.3.88	3	25.3.88	97	199
301, 379	सेना भवन	1.4.86	79	30.9.87	225	28.2.87	15	30.9.86	11	30.9.85	478	800
उत्तरी												
720	अलीपुर	30.6.88	—	30.6.89	—	30.6.89	—	30.6.89	—	31.1.89	316	316
729	बादली	30.3.88	151	16.3.89	—	16.3.89	—	16.2.85	98	13.5.82	1500	1757
23, 251, 252, 291, 292	तीसहजारी	11.5.89	80	11.5.89	5	31.5.89	2	8.6.89	6	15.10.86	7382	7475
728	नरेला	19.12.86	45	12.6.86	17	28.2.86	3	31.3.86	35	15.1.82	795	895

74, 711, 712, 721, 722	शक्ति नगर	26.5.88	1944	20.2.89	75	20.2.89	25	19.8.88	584	29.10 82	32669	35297
727	रोहिणी	10.3.89	221	10.3.89	30	21.3.89	5	21.3.89	67	21.12.84	6190	6513
पूर्वी												
26, 27	दिलशाद गार्डन	10.2.88	347	16.3.89	4	16.3.89	1	26.12.88	62	18.11.82	7915	8329
51, 52, 72, 73	ईदगाह	4.8.88	379	16.3.89	29	16.3.89	2	22.11.88	132	7.2.86	12890	13432
220, 221, 224	लक्ष्मी नगर	2.9.88	845	2.9.88	104	16.9.88	42	13.9.88	321	5.2.85	2:540	24860
228	शाहदरा	28.3.87	930	24.2.88	5	31.3.89	4	17.3.82	881	26.12.79	10245	12146
60, 67, 607	चाणक्यपुरी	18.10.86	947	31.3.86	721	29.2.88	212	21.1.85	422	31.12.83	7835	10137
65, 66, 606	हौजखास	9.12.86	1500	30.4.87	455	15.2.88	160	29.1.87	512	2.9.82	10649	13284
641, 643, 644, 646	नेहरू प्लेस	19.8.87	2419	7.12.87	512	23.2.89	50	22.11.88	266	7.1.83	10577	21774
63, 683, 684	ओखला	3.11.88	304	31.1 89	52	15.2.89	28	2.12.88	182	29.9.87	4546	5052
पश्चिमी												
39, 5452	दिल्ली कैंट	9.12.87	79	9.12 87	96	17.12.87	45	16.12.87	44	12 8.84	1190	1462
55, 549	जनकपुरी	31.12.85	1057	31.12.85	244	31.12.85	355	1.6.83	544	26 2.88	10397	12557
56, 571, 572, 573	करौल बाग	8.12.88	560	31.1.89	52	21.2.89	10	21.2.89	83	16.3.85	11500	12205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5456	नजफगढ़	23.6.88	50	30.6.88	19	30.1.89	—	30.1.89	11	29.7.85	1026	1106
547	नांगलोई	3.5.88	316	22.9.89	12	22.9.89	2	19.2.88	136	22.9.84	2922	3388
50, 53, 59, 541, 543, 545	राजौरी गार्डन	31.12.86	4136	2.1.87	576	4.12.86	252	8.12.86	1688	26.9.81	37203	43055
	कुल :		18122		4830		1339		6276		210502	249069

टिप्पणी : उपर्युक्त निपटान की तारीखें रजिस्ट्रेशन की तारीखें दर्शाती हैं ।

जहां तक कनेक्शन जारी किए गए हैं, कनेक्शन जारी करने और उन्हें लगाए जाने के बीच समय का अंतर हो सकता है ।

दिल्ली में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड

866. **श्री गंगा राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने के पूर्व उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व-वृत्तों की जांच की जाती है;

(ग) जनकपुरी और डाबड़ी पुलिस स्टेशनों में कितने विशेष पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं;

(घ) प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और

(ङ) कितने विशेष पुलिस अधिकारियों के पास पूर्व पुलिस अनुभव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) ऐसा कोई भी हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, और वह 18 साल से कम आयु का न हो, उसका चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात सही पाया गया हो, उसे दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 17 के अधीन जिला पुलिस उप-आयुक्त द्वारा स्वयं साक्षात्कार करके विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) जनकपुरी क्षेत्र में 34 विशेष पुलिस अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा पुलिस स्टेशन दाबरी क्षेत्र में 4 विशेष पुलिस अधिकारी कार्यरत हैं।

(घ) विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए 77 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, कोई औपचारिक प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ङ) शून्य।

अकनाला, जम्मू पर पुलों का निर्माण

867. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के जिला विशना की अरनिया तहसील में अकनाला नदी पर कोई पुल नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पुल का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अकनाला के ऊपर क्रमशः मोरचापुर और देवीगढ़ के नजदीक दो स्थायी पुल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अवर सचिव/उप सचिव के ग्रेड में पदोन्नति

868. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व वर्षों में के०स०से० अनुभाग अधिकारी (सीधे भर्ती) को उसी वर्ष के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तुलना में अवर-सचिव की पदोन्नति में वरीयता प्रदान की जाती थी;

(ख) क्या सरकार का विचार के०स०से० नियमों में संशोधन करने का है ताकि भविष्य में अवर-सचिव और उप-सचिव की पदोन्नति के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को के०स०से० के अधिकारियों की तुलना में वरीयता बहाल की जा सके;

(ग) क्या के०स०से० अनुभाग अधिकारी संघ ने अभ्यावेदन किया है कि उप सचिव और उससे उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए कुल स्वीकृत राजपत्रित सेवा की गणना करने के सिद्धांत को लागू किया जा सके, जैसाकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामले में लागू होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी समूह "ख" सेवा में आते हैं जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा समूह "क" सेवा है । इन दो सेवाओं की तुलना नहीं की जा सकती ।

(ख) ऊपर (क) पर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) किसी समूह "ख" पद की सेवा की किसी समूह "क" पद की सेवा के साथ तुलना नहीं की जा सकती ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा इंजिन बनाने वाले कारखानों की स्थापना

[हिन्दी]

869. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा भारत में इंजिन बनाने वाले कितने कारखाने स्थापित किए जाएंगे;

(ख) इंजिन बनाने वाले इन कारखानों को स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ग) इन कारखानों में से प्रत्येक कारखाने की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा इस वर्ष के अन्त तक किस स्थान पर इंजिन कारखाना स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एस० बैंठा) : (क) से (घ). भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मैसूर में एक डीजल इंजन संयंत्र की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लगभग 30.06 करोड़ रु० की लागत पर 1992-93 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है।

परमाणु विलयीकरण

[अनुवाद]

870. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु विलयीकरण के संबंध में कतिपय वैज्ञानिकों के दावों की जानकारी है;

(ख) क्या भारत में इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विलयीकरण के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए दावों का ब्यौरा क्या है और भारत में इस क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। भारत की अनेक प्रयोगशालाओं में इस क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है।

(ग) ये परीक्षण प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

टेलीफोन लाइनों का विस्तार

871. **श्रीमती डी०के० मध्डारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपकरणों का आयात किए बिना वर्ष 1990 में टेलीफोन लाइनों का व्यापक विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विस्तार से कुछ छोटे राज्यों के लोगों को अपनी बारी की प्रतीक्षा किये बिना ही टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). वर्ष 1989-90 के दौरान, स्विचन उपस्कर की लगभग 4.94 लाख लाइनें (नेट) जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिसमें से लगभग 15,500 लाइनें आयातित उपस्कर हैं।

(ग) टेलीफोन कनेक्शन स्विच क्षमता उपलब्ध होने और उपभोक्ता की बारी आने पर ही प्रदान किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) फिलहाल संसाधनों की कमी के कारण, मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर पाना संभव नहीं है।

स्वर्णरेखा बांध परियोजना को मंजूरी

872. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण रेखा बांध-परियोजना अन्तिम मंजूरी के लिए योजना आयोग के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को मंजूरी प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं। स्वर्ण रेखा बांध-परियोजना अन्तिम निवेश मंजूरी के लिए योजना आयोग के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

क्रेडिट फोन सर्विस योजना

873. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "क्रेडिट फोन सर्विस" नामक कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब शुरू की गई; और

(घ) इस योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए आवंटन

874. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना तथा किशोर सामाजिक कुसामंजस्य निवारण एवं नियंत्रण की योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (जून, 1989 तक) मुक्त की गई केन्द्रीय अंशदान की राशि से संबंधित राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं—

I देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना

इस केन्द्र प्रायोजित योजना का मूल उद्देश्य है अनाथ/निराश्रय बच्चों का समाज में पुनर्वास करने हेतु उनकी देखभाल तथा अनुरक्षण के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना।

II किशोर सामाजिक कुसामंजस्य निवारण एवं नियन्त्रण की योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य है अपेक्षित तथा अपचारी किशोरों की देखभाल, संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास हेतु दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करना; किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनके सर्वतोमुखी वर्धन तथा विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं और अवसर प्रदान करना।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष (जून, 1989 तक) के दौरान बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए मुक्त किए गए अनुदान

I देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1989-90 के दौरान प्रथम किस्त के रूप में मुक्त की गई धनराशि
1	2	3
1.	असम	2,14,650
2.	गुजरात	2,29,500
3.	हरियाणा	95,580
4.	हिमाचल प्रदेश	14,040
5.	कर्नाटक	6,28,875
6.	केरल	2,42,730
7.	महाराष्ट्र	8,13,529
8.	मध्य प्रदेश	1,21,500
9.	मेघालय	1,01,250
10.	बिहार	1,01,250
11.	पंजाब	24,188
12.	राजस्थान	2,37,938
13.	नागालैंड	96,188

1	2	3
14.	उड़ीसा	6,98,760
15.	सिक्किम	20,250
16.	तमिलनाडु	19,20,915
17.	त्रिपुरा	72,900
18.	पश्चिम बंगाल	8,91,000
19.	अरुणाचल प्रदेश	24,300
20.	मणिपुर	30,375
21.	मिजोरम	5,062
22.	गोवा	71,483
23.	पांडिचेरी	1,21,500
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50,500
25.	दिल्ली	91,000
		69,19,263

11 किशोर सामाजिक कुसामंजस्य निवारण एवं नियन्त्रण की योजना

इस योजना के अन्तर्गत आज की तारीख तक कोई अनुदान मुक्त नहीं किया गया है ।

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन

875. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान रेलवे और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं जैसी नई परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि के नये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) आज तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और वितरित की गई; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और वितरित की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग). रेलवे के सम्बन्ध में, वर्ष 1986-87, 87-88 के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक व्यय, वर्ष 1988-89 के लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमान और वर्ष 1989-90 के लिए अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है । औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में ब्यौरे नहीं दिए जा सकते क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किन औद्योगिक परियोजनाओं की ओर संकेत है ।

विवरण

योजना का शीर्ष-वार आवंटन—रेलवे

करोड़ रु० में

योजना शीर्ष		1986-87 अनुमोदित परिव्यय	1986-87 वास्तविक व्यय	1987-88 अनुमोदित परिव्यय	1987-88 वास्तविक व्यय	1988-89 अनुमोदित परिव्यय	संशो० अनु०	1989-90 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रोलिंग स्टॉक	875	953	1112	940	1325	1313	1503
2.	कार्यशाला : एवं शैड्स	214	153	257	182	400	283	330
3.	मशीनरी एवं : प्लांट	65	52	70	58		87	95
4.	ट्रैक नवीकरण	595	586	680	783	730	756	810
5.	पुल निर्माण कार्य	45	43	60	52	80	70	90
6.	ट्रैफिक सुविधाएं	265	233	401	360	475	429	580
7.	संकेतन एवं सुरक्षा	60	71	90	97	105	100	120
8.	कम्प्यूटरीकरण	44	41	55	50	35	52	52
9.	विद्युतीकरण	180	177	193	196	180	182	210
10.	अन्य विद्युत निर्माण कार्य	27	21	40	44	50	49	55
11.	नई लाइनें	100	127	176	188	195	236	250
12.	स्टाफ क्वार्टर	25	25	25	30		25	36
13.	कर्मचारी कल्याण	17	16	19	24		24	29
14.	उपभोक्ता सुविधाएं	9	11	12	17	90	19	25
15.	अन्य विशेष निर्माण कार्य	13	17	14	24		28	30
16.	सम्पत्ति सूची	25	36	90	216	25	25	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	एम०टी०पी०	90	84	96	100	95	100	100
18.	रेलवे अनुसंधान	1	1	10	8	15	7	15
19.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में निवेश		50		50	50	65	85
	जोड़ :	2650	2697	3400	3419	3850	3850	4450

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए विकास कार्यक्रम

876. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिए द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए भी कोई विकास-कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग/मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ, अलग-अलग, कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) द्वीप-समूह विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप दोनों ही द्वीप-समूहों की सातवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा की गई ताकि पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ विकास सुनिश्चित हो सके। विभिन्न अध्ययनों और विशेषज्ञ दलों की रिपोर्टों के आधार पर दोनों ही द्वीप-समूहों की स्कीमों को नई दिशा प्रदान की गई । सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(ख) सातवीं योजना में प्रारम्भ की गई स्कीमों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं । विशेषकर परिवहन, संचार और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में । द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से गैर-पारस्परिक ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने जहां भी आवश्यक हुआ है, द्वीप-समूहों में कई क्रियाकलापों को सहायता देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। वर्ष 1989-90 में लक्षद्वीप के लिए 21 करोड़ रु० और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह के लिए 80 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है।

मुख्य स्कीमें हैं :—

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

कृषि और डेयरी विकास, मछली पालन, वानिकी और वन्य जीवन सहित सम्बद्ध क्रिया-कलाप; ग्रामीण विकास; परिवहन (जहाजरानी, सड़क और पुल, द्वीप समूह के भीतरी भागों में परिवहन इत्यादि सहित) संचार; शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति, स्कूलों के निर्माण, मेडिकल तथा जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सफाई सहित सामाजिक सेवाएं।

लक्षद्वीप

कृषि और मछली पालन, पशु पालन तथा फसल कार्य सहित सम्बद्ध सेवाएं; समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और भूमि सुधार; समुद्र के कटाव का अवरोध करने वाली स्कीमें; विद्युत व्यवस्था और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना; जलयानों, सड़कों इत्यादि सहित परिवहन, संचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, शिक्षा, मेडिकल स्वास्थ्य सहित सामाजिक सेवाएं, जल आपूर्ति और पोषाहार। वर्ष 1989-90 में इन दोनों द्वीप समूहों के लिए उक्त स्कीमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कार्मिकों की विधवाओं को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

877. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कार्मिकों की विधवाओं को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के बारे में 31 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4614 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कार्मिकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन किया था किन्तु स्वीकृति मिलने से पूर्व जिनकी मृत्यु हो गई है, की अनेक विधवाओं को 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में उन विधवाओं के नाम क्या हैं जो अभी पेंशन पाने की कोशिश कर रही हैं किन्तु जिनके मामलों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार इन मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायेगी तथा इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ताकि इन विधवाओं को और कठिनाइयों से बचाया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उन आवेदनों को छोड़कर जिनमें स्वीकार्य साक्ष्यों की प्रतीक्षा है, निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हुए सभी आवेदनों को निपटा दिया गया है। इसमें आर्य समाज आन्दोलन जिसे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के लिए बाद में मान्यता दी गई थी, से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं।

(ख) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के आर्य समाज आन्दोलन से संबंधित केवल एक मामला जिसके लिए आवेदन स्वीकार करने की तारीख 30.6.1986 थी, लम्बित है। इस मामले के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—जिला लुधियाना (पंजाब) की श्रीमती चन्द्रावती, पत्नी स्वर्गीय दलीप सिंह।

(ग) इस मामले पर राज्य सरकार और जेल प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

आर्य समाज आन्दोलन में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

878 **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री आर्य समाज आन्दोलन में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के बारे में 4 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9539 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दावेदारों के आर्य समाज सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कोई दावे सत्यापन के लिए लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दावों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उन स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित मामलों की संख्या, जिन्होंने पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से आर्य समाज आन्दोलन में भाग लिया, क्रमश: 315 तथा 1 है ।

(ख) एक गैर सरकारी समिति इन मामलों की जांच करने तथा सिफारिशें करने के लिए गठित की गई है । समिति से अपनी सिफारिशों को शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है । यह कहना संभव नहीं है कि किस निश्चित तारीख तक मामले निपटा दिए जाएंगे ।

रोजगार सेवा संबंधी कार्य दल

879. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना तैयार करने के संदर्भ में रोजगार सेवा संबंधी एक कार्यकारी दल गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यकारी दल के निदेश पद क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां ।

(ख) सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में स्थापित किए गए इस कार्यदल में अठ्ठारह सदस्य हैं । इसके सदस्यों में 7 राज्य सरकारों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के प्रतिनिधि हैं ।

(ग) दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(1) केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा कार्यक्रमों की समीक्षा करना,

(2) अनेक नए उभरते सार्वजनिक क्षेत्रक भर्ती अभिकरणों की पृष्ठभूमि में रोजगार के क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमिका का पता लगाना तथा तत्संबंधी सिफारिश करना,

(3) रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम का गहन रूप से विश्लेषण करना तथा इसके सुधार और विस्तार के लिए सिफारिशें करना ताकि यह जिला स्तर की रोजगार आयोजना की जरूरतों को पूरा कर सकें,

(4) कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से रोजगार सेवा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करना तथा प्रक्रिया को तीव्र करने तथा इसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाना,

(5) कमजोर वर्गों को रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्यांकन करना तथा इन गतिविधियों में सुधार करने तथा इनका विस्तार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

बीस करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली चल रही केन्द्रीय परियोजनाएं

880. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के प्रारम्भ में विभिन्न मंत्रालयों के अधीन 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कुल कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं, राज्यवार चालू थीं;

(ख) मार्च, 1989 तक ऐसी कुल कितनी अतिरिक्त परियोजनाएं, राज्यवार शुरू की गई हैं;

(ग) 31 मार्च, 1989 को ऐसी कितनी परियोजनाएं राज्यवार पूर्ण हो चुकी थीं और कितनी कार्यान्वित की जा रही थीं; और

(घ) चालू योजना के आरम्भ से लेकर अब तक इन परियोजनाओं पर राज्यवार किये गये कुल व्यय का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में 31 मार्च, 1989 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 166 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, जो अप्रैल, 1985 से पहले स्वीकृत की गई थीं। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

आन्ध्र प्रदेश—12, असम—5, बिहार—21, गुजरात—4, हरियाणा—2, हिमाचल प्रदेश—1, जम्मू तथा कश्मीर—2, कर्नाटक—4, केरल—5, मध्य प्रदेश—17, महाराष्ट्र—16, नागालैण्ड—1, उड़ीसा—9, पंजाब—1, राजस्थान—1, तमिलनाडु—7, त्रिपुरा—1, उत्तर प्रदेश—9, पं० बंगाल—18, बहुराज्य-30 :—

कुल 166.

(ख) 1 अप्रैल, 1985 के बाद स्वीकृत और 31.3.89 तक की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की सं० 148 है। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

आन्ध्र प्रदेश—7, अरुणाचल प्रदेश—1, असम—2, बिहार—10, गुजरात—12, हरियाणा—3, जम्मू तथा कश्मीर—2, कर्नाटक—2, केरल—4, मध्य प्रदेश—9, महाराष्ट्र—17, उड़ीसा—3, पंजाब—5, राजस्थान—4, तमिलनाडु—8, उत्तर प्रदेश—7, पं० बंगाल—21, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह—1, दिल्ली—1, बहुराज्य—29 :

कुल—148.

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पिछले चार वर्षों के दौरान 122 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश—11, असम—4, बिहार—6, गुजरात—9, हरियाणा—1, जम्मू तथा कश्मीर—1, कर्नाटक—1, केरल—2, मध्य प्रदेश—14, महाराष्ट्र—13, उड़ीसा—8, पंजाब—1, राजस्थान—3, तमिलनाडु—7, उत्तर प्रदेश—5, पं० बंगाल—7, दिल्ली—1, बहुराज्य—28.

कुल—122.

कार्यान्वयनाधीन परियोजताओं का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश—19, अरुणाचल प्रदेश—1, असम—7, बिहार—31, गुजरात—16, हरियाणा—5, हिमाचल प्रदेश—1, जम्मू तथा कश्मीर—4, कर्नाटक—6, केरल—9, मध्य प्रदेश—26, महाराष्ट्र—33, नागालैण्ड—1, उड़ीसा—1, पंजाब—6, राजस्थान—5, तमिलनाडु—15, त्रिपुरा—1, उत्तर प्रदेश—16, प० बंगाल—39, अंडमान निकोबार द्वीप समूह—1, दिल्ली—1, बहुराज्य—59 :

कुल—314.

(घ) दिनांक 31.3.89 की स्थिति के अनुसार 314 परियोजनाओं के कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

	करोड़ रुपये
आन्ध्र प्रदेश	6167.9
अरुणाचल प्रदेश	17.4
असम	749.8
बिहार	3660.5
गुजरात	1316.4
हरियाणा	116.0
हिमाचल प्रदेश	694.6
जम्मू और कश्मीर	113.5
कर्नाटक	170.7
केरल	453.9
मध्य प्रदेश	5120.0
महाराष्ट्र	2503.5
नागालैण्ड	17.8
उड़ीसा	3450.3
पंजाब	425.0
राजस्थान	304.2
तमिलनाडु	1368.3
त्रिपुरा	39.1
उत्तर प्रदेश	2942.7
प० बंगाल	3016.7
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	5.5
दिल्ली	0 4
बहु-राज्य	8677.2
कुल	41331.6

बिहार में डाकघर खोलने के लिए धनराशि का आवंटन

881. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 को बिहार में डाकघरों की जिलावार संख्या कितनी थी और प्रत्येक डाकघर के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या और उससे सम्बन्धित क्षेत्र का ब्यौरा क्या था;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक जिले में कितने डाकघर खोले जायेंगे;

(ग) 31 मार्च 1990 तक प्रत्येक डाकघर के अन्तर्गत कितना औसत क्षेत्र और जनसंख्या होने की संभावना है; और

(घ) क्या प्रत्येक जिले के लिए अतिरिक्त डाकघर के आवंटन के समय विभिन्न जिलों के बीच असमानता को कम करने की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जिले-वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी हां।

विवरण

वार्षिक योजना 1989-90 बिहार
जिले-वार लक्ष्य

जिला	प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	जिला	प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
1	2	1	2
पटना	6	सहरसा	7
भोजपुर	6	माधेपुरा	7
नालंदा	6	समस्तीपुर	6
बेगूसराय	6	सारन	6
खगरिया	6	सीतामढ़ी	7
दरभंगा	6	सिवान	7
पूर्वी चंपारण	6	वैशाली	5
पश्चिमी चंपारण	6	गोपालगंज	6
मधुबनी	6	मुंगेर	8
मुजफ्फरपुर	7	औरंगाबाद	6
पूर्णिया	7	गया	6
कटिहार	6	नवादा	6

1	2	1	2
जहानाबाद	5	दुमका	6
रोहतास	6	गोड्डा	6
भागलपुर	8	वैधनाथ देवघर	4
हजारीबाग	8	साहबगंज	5
धनबाद	8	रांची	6
गिरिडीह	8	गुमला	6
पलामू	10	लुहारदगा	5
सिंहभूम	8		
		कुल :	250

वीसा सम्बन्धी नियमों में छूट

882. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वीसा सम्बन्धी नियमो में छूट देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो क्या निर्णय लिया गया है और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन वीसा की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है।

टी० वी० सेटों का निर्यात

883 **श्री पी०एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय फर्मों को कतिपय देशों को भारी संख्या में टी०वी० सैटों का निर्यात करने के क्रियादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और टी०वी० सैटों का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा; और

(ग) इन क्रयादेशों का पालन करने हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तथा निर्यातक कंपनियों के क्या नाम हैं और निर्यात किये जाने वाले सैट किस किस्म के होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). दूरदर्शन के कुछ विनिर्माताओं को मध्य-पूर्व के कुछ देशों, युगोस्लाविया, उत्तरी कोरिया तथा बंगला देश को रंगीन दूरदर्शन सैटों और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सैटों के निर्यात के लिये आदेश प्राप्त हुए हैं।

दूरदर्शन सैटों के कुछ विनिर्मातागण अन्य देशों को दूरदर्शन सैटों का निर्यात करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता दिया जाना

884. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को भी शिक्षा भत्ता मिलता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित दर के अनुसार कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों को भी शिक्षा भत्ता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां, संतान शैक्षिक सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सन्तान शिक्षा भत्ता, शैक्षिक शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा छात्रावास आर्थिक सहायता के रूप में शैक्षिक सहायता दिए जाने के पात्र हैं। यह सहायता 31.12.87 तक जन्मे 3 बच्चों तक तथा इसके पश्चात् जन्मे केवल 2 बच्चों तक उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

कर्नाटक के व्यापक शिक्षा विधेयक को स्वीकृति

885. **श्री वी०एस० कृष्णा अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक विधान मंडल द्वारा पारित शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किस तारीख को प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या उपर्युक्त विधेयक राष्ट्रपति को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है तथा कर्नाटक सरकार को इस स्वीकृति से अवगत करा दिया गया है; और

(घ) यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी नहीं मिली है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक शिक्षा विधेयक 1983 राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय में 16.7.1984 को प्राप्त हुआ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) विधेयक पर भारत सरकार राज्य सरकार के परामर्श से विचार कर रही है, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को अनुस्मारक भेजे गए हैं।

विदेशी विमानों की भारतीय सीमा में घुसपैठ

886. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कच्छ के निकट भारतीय सीमा में 4 विमान घुस आए थे;

(ख) यदि हां, तो ये विमान किस देश के थे; और

(ग) इस संबंध में भारतीय वायुसेना ने क्या कार्यवाही की और विमानों में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ का क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) से (ग). 16.6.1989 को अमरीका के एक फ्लाइंग क्लब के चार सिविल विमानों को अनुमोदित उड़ान मानचित्र के अनुसार दिल्ली से बहरीन की उड़ान भरने की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन विमान अनुमोदित उड़ान मार्ग से हट गया। जब राडार पर इसका पता चला तो स्वीकृत मार्ग से हटे उक्त दो विमानों को रोका गया और उन्हें भुज में उतरने के लिए बाध्य किया गया। दोषी विदेशियों से की गई पूछताछ और घटना की जांच में यह पता चला कि यह मामला अनुमोदित उड़ान मार्ग के उल्लंघन मात्र का था जोकि विमान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत एक असंज्ञेय अपराध है। इसलिए उक्त विदेशियों को 27.6.1989 को छोड़ दिया गया और उन्हें अपनी उड़ान जारी रखने की अनुमति दी गई।

रक्षा दल की अमरीका यात्रा

887. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री बी० तुलसीराम :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

डा० बी०एल० शैलेश :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने तथा उनके साथ गए अधिकारियों ने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान अपने अमरीकी समकक्षों के साथ किन मुद्दों पर बातचीत की;

(ख) इस बातचीत में क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ग) इससे दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) यात्रा के दौरान विश्व और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग के अन्य मामलों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

(ख) और (ग). ये चर्चाएं लगातार चलने वाली वार्ता का एक हिस्सा थीं और अमरीका की प्रतिक्रिया कुल मिलाकर अनुकूल थी। इस यात्रा से भारत के सुरक्षा संबंधी मामलों का यथोचित मूल्यांकन होने और दोनों देशों के बीच मेल-मिलाप में सुधार आने तथा रक्षा संबंधी मदों के विकास एवं उत्पादन में सहयोग होने की संभावना है।

सियाचिन मामले पर भारत-पाक वार्ता

888. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

चौधरी खुर्शीद अहमद :

श्री कृष्ण सिंह :

श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री हेत राम :

चौधरी अख्तर हसन :

श्री सनत कुमार मंडल :

प्रो० के०वी० थामस :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति :

डा० कृपासिंधु भोई :

श्री शरद दिघे :

डा० बत्ता सामन्त :

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री हरिहर सोरन :

डा० बी०एल० शैलेश :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के सम्बन्ध में लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने का कोई निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सियाचन मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा सचिव स्तर पर 15 से 17 जून, 1989 तक रावलपिंडी में हुई वार्ता के पांचवें दौर में संघर्ष के मौकों को कम करने के लिए सेनाओं की पुन: तैनाती करने, सेनाओं के उपयोग से बचने तथा भूमि पर भावी चौकियों के निर्धारण करने के आधार पर दोनों पक्ष मामले के समाधान करने के लिए काम करने हेतु सहमत हो गए ताकि शिमला समझौते के अनुरूप सियाचित क्षेत्र में स्थाई शांति सुनिश्चित की जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

889. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश और निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए पात्रता हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय की सीमा को बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) अब तक राज्यवार, कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्र प्रायोजित "प्रशिक्षण तथा संबद्ध योजना" के अंतर्गत पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के माता-पिता/अभिभावकों (उम्मीदवार की अपनी आय सहित यदि कोई हो) की आय सीमा 2 जून, 1989 से 18,000/- रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 24,000/- रु० प्रतिवर्ष कर दी गई है।

(ग) पूर्व-प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार अवस्थिति सभा पटल में रखे गए विवरण-1 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8068/89]

(घ) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या से संबंधित राज्यवार विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखे गए विवरण-2 में दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8068/89]

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में नए केन्द्र राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्व-विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

दूरसंचार सेवाओं का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण

890. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या दूरसंचार नेटवर्क में और इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज आरम्भ किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और 1989-90 में नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में खोले गए इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) विस्तार के ब्यौरे सभा पटल पर रखे विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 8069/89]

फ्रांस की सहायता से परमाणु ऊर्जा संयत्र की स्थापना

891. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** :

श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने हमारे देश में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). फ्रांस ने भारत में परमाणु विद्युत रिएक्टर स्थापित करने में सहकार करने की अपनी इच्छा जाहिर की है और सहकार की शर्तों के संबंध में दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऊर्जा के परम्परागत स्रोत सीमित हैं सरकार देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा को काम में लाने के लिए बाध्य है। भारत के परमाणु बिजली संबधी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता के बिजली घर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। रियेक्टरों का आयात किया जाना इस कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा।

दिल्ली में दहेज के कारण मौतें

892. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गए और कितने व्यक्तियों को सजा मिली;

(घ) दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या हैं; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) 1 जनवरी, 1989 से 30 जून, 1989 तक राजधानी में दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या 47 सूचित की गई, जबकि इसके विपरीत इससे पहले के छः महीनों (1.7.1988 से 31.12.1988 तक) के दौरान यह संख्या 60 सूचित की गई ।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है और इनके लिए अधिक सख्त दण्ड की व्यवस्था की गयी है ।

(ii) पतियों और ससुराल वालों द्वारा पत्नियों को तंग करने और उन पर अत्याचार करने के अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा जोड़कर संज्ञेय अपराध बनाया गया है ।

(iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 113-क और 113-ख नई उप-धाराएँ जोड़ी गयी हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा इस अभिमत की व्यवस्था की गयी है कि विवाहित महिला को आत्म हत्या/दहेज मृत्यु के लिए उकसाया गया है, यदि दहेज के लिए अत्याचार अथवा तंग करना साबित हो जाए ।

(iv) विपत्ति में पड़ी महिलाओं के प्रयोग के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अल्प-अवधि निवास-गृह बनाए गए हैं ।

(v) मरते समय बयान लिये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी है ।

(vi) दहेज की बुराई के विषय में जनता को जन-संपर्क माध्यमों द्वारा शिक्षित किया जाता है।

(vii) दहेज मृत्यु के मामलों में दो सर्जनों द्वारा शव-परीक्षा किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(viii) एक महिला पुलिस उप-आयुक्त के पर्यवेक्षण में महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच के लिए एक विशेष एकक गठित किया गया है।

विवरण

दहेज मौत के मामलों का निपटान

वर्ष	सूचित मामले	निरस्त	स्वीकृत	चालान	दोष-सिद्ध	दोष-मुक्त	पी०टी०	पी०आई०	लापता	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान	दोष-सिद्ध	दोष-मुक्त	पी० टी०	पी० आई०	सेवा-मुक्त
1988	103	4	99	92	—	—	92	7	—	250	237	—	—	237	13	—
1989 (30.6.89 तक)	47	—	47	12	—	—	12	35	—	80	29	—	—	29	51	—

कर्नाटक में डाकघर भवनों का निर्माण

893. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस वर्ष के दौरान इस राज्य में डाकघरों हेतु कुछ भवनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कर्नाटक में 1453 डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ). जी, हां।

कर्नाटक में 24 डाकघरों के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा है । 8 डाकघरों के लिए भवन निर्माण का कार्य इसी वर्ष के दौरान शुरू हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि इसके लिए निधियां उपलब्ध हों और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी हो जाएं ।

महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केन्द्र

894. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्री प्रतापराव जी० मोसले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नये परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की विद्यमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त एकक स्थापित करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने 10,000 मेगावाट के परमाणु बिजली सबंधी कार्यक्रम के संदर्भ में, तारापुर के अतिरिक्त, महाराष्ट्र में कई अन्य स्थानों का सर्वेक्षण किया और उनकी जांच की। सरकार ने तारापुर में 500 मेगावाट क्षमता वाले दो और यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। आशा है कि ये दोनों यूनिट नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान चालू कर दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र

895. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में, विशेष रूप से बम्बई नगर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के अनेक श्रमिकों को, जिनके माता-पिता वर्षों पूर्व अन्य राज्यों से आकर महाराष्ट्र

में बस गये थे, वर्तमान नियमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र प्रशासन से अपने जाति-प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्रजन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित नियमों को पहले ही उदार बना दिया है। नवीनतम अनुदेशों के अनुसार प्रव्रजन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे ऐसा प्रमाण पत्र उस राज्य के स्थानीय राजस्व प्राधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं जहां वे प्रव्रजन कर बसे हैं। यह प्रमाण पत्र उनके पिता को उनके मूल स्थान पर जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर होगा, सिवाए उस स्थिति के जहां निर्धारित अधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है। तथापि, ऐसे मामलों में उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विशेष सुविधाएं तथा रियायतें, अपने मूल राज्य से मिलती रहेगी तथा न कि उस राज्य से जहां वह प्रव्रजन करके आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र

896. **श्री उत्तम राठौड़** :

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आठवी योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और दृष्टिकोण पत्र में किन-किन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर बल दिया गया है; और

(ग) इस योजना में कुल कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

लारेंस रोड, दिल्ली में गैस का रिसना

[हिन्दी]

897. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1989 में दिल्ली में लारेंस रोड में एक ट्रक में भरे सिलेंडरों से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, और इसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा की अदायगी के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336/337/284 के तहत 5.5.89 को एक मामला प्र०सु०रि० सं० 155 पंजीकृत किया गया था और छः व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे ।

(ग) चूंकि गैस रिसने से प्रभावित सभी व्यक्तियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई थी, इसलिए दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

विमानशाला (हैंगर) के ढहने के बाद विमानों का उड़ान के लिए अनुपयुक्त होना

898. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर में हाल ही में विमानशाला (हैंगर) ढह जाने से कितने मिराज विमान क्षति-ग्रस्त हुए और ये विमान कितने समय तक उड़ान के लिए अनुपयुक्त रहे;

(ख) इन विमानों की मरम्मत हेतु आवश्यक कलपुर्जों का सोवियत संघ से कितने दिनों बाद आयात किया गया तथा क्या सरकार को इन कलपुर्जों के आयात के लिए कोई भुगतान करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) इस सूचना को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा ।

(ख) सोवियत संघ से कोई भी पुर्जा आयात नहीं किया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य सचिवों के सम्मेलन में साम्प्रदायिकता के संबंध में चर्चा

[अनुवाद]

899. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में साम्प्रदायिकता का मामला प्रमुख रहा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सम्मेलन में अन्य मुद्दों के साथ साम्प्रदायिकता पर भी एक मुद्दे के रूप में चर्चा की गई ।

(ख) भिन्न-भिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक स्थिति की पुनरीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि देश में पिछले दो वर्षों के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या में कमी आने के बावजूद, धार्मिक कट्टरता की ताकतों को दबाने तथा उनके अपने नापाक मन्सूबों को पूरा करने से रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए । सम्मेलन में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने

को विशेष महत्व दिया गया। चर्चा के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अनेक विचार तथा सुझाव दिए गए।

जवाहरलाल नेहरू शताब्दी समारोह पर व्यय

900. **श्री तम्पन थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या डायरियों, कैलेण्डरों और अन्य प्रचार सामग्री की छपाई के लिए अब तक कोई धनराशि दी गई है;

(घ) इस प्रकार सामग्री के वितरण की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या इसमें से कोई प्रचार सामग्री बाजार में बेची गई थी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : (क) वित्तीय वर्ष 1989-90 के समारोहों के लिए निर्धारित कुल बजट प्रावधान रु० 521.55 लाख है।

(ख) रु० 110 लाख की धनराशि (जून, 1989 तक, वर्ष 1989-90 के दौरान) खर्च हो चुकी है।

(ग) जी हां, डायरियों, नेहरू के विचारों सम्बन्धी पुस्तिकाओं, पोस्टरों, लैपेल पिनों तथा नेहरू की अन्तिम आकांक्षा और वसीयत को छपवाने में कुछ खर्च हुआ है। कोई कैलेण्डर नहीं छपवाया गया।

(घ) पोस्टरों, लैपेल पिनों तथा अन्तिम आकांक्षा और वसीयत का वितरण राज्य सरकारों, राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियों में किया गया था। लगभग 5000 डायरियों का वितरण राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्यों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों/उच्चाधिकारियों को किया गया था।

(ङ) जी नहीं।

आठवीं योजनावधि के दौरान असम में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

901. **श्री महेश्वर तांती :**

श्री अब्दुल हमीद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में असम में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे; और

(ख) आठवीं योजना अवधि में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1989-90 के दौरान असम में लगभग पन्द्रह एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है।

(ख) निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत लगभग 146 एक्सचेंज, अर्थात् नीति के अनुसार क्रमश: 5, 10, 23 और 46 कनेक्शनों को दलत मांग होने पर 10, 25, 50 और 30 लाइनों का नया एक्सचेंज खोला जा सकता है।

रिकम्बिनेन्ट डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान केन्द्र

902. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना में रिकम्बिनेन्ट डी०एन०ए० के क्षेत्र में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर०नारायणन) : (क) और (ख). जैव विज्ञानों के क्षेत्र में कार्यरत भारत के विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में रिकम्बिनेन्ट डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर अनुसंधान किया जा रहा है। आशा है कि 8वीं योजनावधि के दौरान रिकम्बिनेन्ट डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर अनुसंधान में वृद्धि होगी। जहां तक बायोटेक्नोलॉजी विभाग का सम्बन्ध है, इस समय मदुरै कामराज विश्वविद्यालय—मदुरै, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय—नई दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय—वाराणसी और भारतीय विज्ञान संस्थान—बंगलौर में चार विशेषज्ञताप्राप्त और विशिष्ट आनुवंशिक इंजीनियरी इकाईयां स्थापित की गई हैं और वे कार्य कर रही हैं। 8वीं योजनावधि में, रिकम्बिनेन्ट डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य करने के लिए पूर्णतया समर्पित अन्य कोई नया केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कम लागत की आवासीय प्रौद्योगिकी

903. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक कम लागत वाली आवासीय प्रौद्योगिकी का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख). केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, (सी०जी०आर०आई०) कलकत्ता ने कम लागत वाले इन्नोवेटिव (परिवर्तित) घटकों यथा सेनेटरी वेयरस, अनग्लेज्ड फ्लोरिंग और फैसिंग टायल, भवन खण्ड और रूफिंग प्लैंकस, निम्न स्तरीय प्लास्टिक और अर्धप्लास्टिक मृतिका, और परम्परागत सिरेमिक कच्ची सामग्री और अन्य तत्वों का कम लागत से मकान बनाने के लिए सामग्री के रूप में उत्पादन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास किया है। उपरोक्त घटकों का निर्माण करने के लिए प्रक्रम की तकनीकी जानकारी का प्रदर्शन किया जा चुका है और काउन्सिल फॉर एडवांसमैंट एण्ड पिपुल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलोजी (सी०ए०पी०ए०आर०टी०) द्वारा प्रायोजित बहुत सी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों (भाग लेने वाले व्यक्तियों) को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित की गई विभिन्न पदों का दो फार्मिा उत्पादन कर रही हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के कल्याण के लिये असम को सहायता

904. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये असम को कोई सहायता प्रदान की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) विकलांगों के कल्याण के लिए कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, सातवी योजना अवधि के दौरान 30.6.1989 तक असम राज्य के लिए निम्नलिखित अनुदान मुक्त किये गये :—

1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	—	16.48 लाख रु०
2.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता की योजना	—	5.82 लाख रु०
3.	सहायक यंत्र खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना	—	0.15 लाख रु०
4.	जोरहट में विकलांग व्यक्तियों लिए सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष सैल	—	0.09 लाख रु०

नागपुर में टेलीफोन सेवा

905. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर शहर में वर्षा के कारण जून, 1989 के मध्य से सैकड़ों टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(ख) जून, 1989 से कुल कितने टेलीफोन खराब हुए और सरकार ने उन्हें ठीक करवाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) जून, 1989 के दौरान टेलीफोन में खराबी देर तक नहीं रही। वैसे किसी एक दिन में अधिक से अधिक खराब टेलीफोनों की संख्या 76 ही। दोषों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई थी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट

906. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री राम कुमार राम :

चौधरी खुर्शीद अहमद :

श्री आर०एम० भोये :

श्री सोमनाथ रथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 12 जून, 1989 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए; और पीड़ितों और उनके परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं; और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस घटना के परिणामस्वरूप 10 व्यक्ति मारे गए और 55 घायल हुए । शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 80,000/- रु० की अनुग्रह पूर्वक अनुदान राशि दी गई है ।

(ग) और (घ). जी हां, श्रीमान् । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच-पड़ताल शुरू की गई थी तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन पर प्र०सू०रि० संख्या 488 पर एक मामला दर्ज किया गया । तीन व्यक्ति, नामत:, दिल्ली का मंजीत सिंह उर्फ कल्ला, और अमृतसर के निशान सिंह और दलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया ।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में आतंकवादियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए आतंकवादी विरोधी कक्षों का गठन किया गया है ।

(ii) संवेदनशील/सामरिक स्थानों पर सशस्त्र चौकियां स्थापित की जा रही हैं ।

(iii) पैदल/चलती फिरती सशस्त्र गहन गश्त लगाई जा रही है ।

(iv) स्टाफ को आतंकवादियों की फोटो दिखाई जाती है तथा उन्हें उचित निर्देश दिये जाते हैं ।

(v) लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करने के बारे में साहित्य वितरित किया जा रहा है । पुलिस वाहनों से दूरदर्शन/रेडियो तथा प्रेस से घोषणाएं भी की जा रही हैं ।

(vi) संवेदनशील स्थानों पर पहचानकर्त्ताओं को तैनात किया जा रहा है ।

(vii) आतंकवादियों के छुपने के स्थानों/उनके साथ सहानुभूति रखने वालों पर निगरानी रखी जा रही है ।

(viii) खास स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की नियमित जांच की जा रही है ।

(ix) सार्वजनिक स्थानों पर कुख्यात आतंकवादियों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं ।

दूरसंचार प्रणाली में सुधार

907. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार प्रणाली में और अधिक सुधार की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार देश में दूरसंचार के विकास पर उचित ध्यान दे रही है;

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष तथा आठवीं योजना के लिए कौन सी विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। देश की दूरसंचार प्रणाली के कार्य पर बराबर नजर रखी जा रही है और उसे उन्नत किया जा रहा है । कई क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है । कुछ मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं :

(एक) पुरानी घिसी पिटी इलेक्ट्रो-मेकेनिकल प्रणालियों को बदलना

(दो) पुरानी दोष प्रवण केबिलों को बदलना

(तीन) भारी ओवरहैड टेलीफोन लाइनों को बदलकर उनके स्थान पर भूमिगत केबिलें बिछाना

(चार) पुराने और घिसेपिटे टेलीफोनों को बदलकर नये टेलीफोन लगाना

(पांच) देश के विभिन्न भागों में इलेक्टॉनिक स्विचिंग प्रणालियों की स्थापना; और

(छः) विभाग के कर्मचारियों को ग्राहकोन्मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था

(ख) जी हां। दूरसंचार विभाग, टेलीफोन सेवाओं के तीव्र विकास के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है।

(ग) और (घ). चालू वर्ष की योजना से लगभग 4 लाख टेलीफोन लाइनें, 3000 टेलेक्स कनेक्शन और लगभग 3000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था शामिल है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 50 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें, राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा को उपमंडल मुख्यालयों तक बढ़ाना और ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।

इन कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य वस्तुगत और वित्तीय दोनों संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा को 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि का आवंटन

908. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए उड़ीसा की राज्य योजना के लिए वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमश: 414.70 करोड़ रु० और 433.22 करोड़ रु० की कुल राशि दी गयी।

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमश: 420.30 करोड़ रु० और 426 21 करोड़ रु० (अनन्तिम) की राशि खर्च की गई।

उड़ीसा की परियोजना को स्वीकृति

909. **श्री के० प्रधानी : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कौन-कौन सी बड़ी और लघु परियोजनाएं इस समय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(ग) ये परियोजनाएं कुल कितनी लागत की हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) इस समय योजना आयोग के पास अन्तिम निवेश स्वीकृति हेतु कोई परियोजना लम्बित नही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में बी०सी०आर०/बी०सी०पी० निर्माण एकक

910. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में बी०सी०आर०/बी०सी०पी० निर्माण एकक की स्थापना करने का है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या यह परियोजना मंजूरी हेतु लंबित पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है कि मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई०टी० एण्ड टी०) की प्रस्तावित परियोजना को भुवनेश्वर में स्थापित किया जाए। ई०टी० एण्ड टी० ने अभी स्थापना-स्थल का अध्ययन पूरा नहीं किया है।

(ग) और (घ). वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों (वी०सी०आर/वी०सी०पी०) के विनिर्माण के लिए ई०टी० एण्ड टी० का संशोधित आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

मणिपुर के मोलचाम गांव का बर्मा को अंतरण

911. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर पीपुल्स काउंसिल ने मणिपुर के मोलचाम गांव को बर्मा को अंतरित कर देने के प्रस्ताव के विरोध में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका कुल क्षेत्रफल कितना है और इससे कितने परिवार प्रभावित होंगे; और

(घ) इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). 1967 में भारत सरकार और बर्मा के बीच ब्रिटिश राज्य के दौरान निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता हुआ था । तथापि विस्तृत ब्यौरे में कुछ गलती के कारण इस सीमा के लगभग 20 किलोमीटर टुकड़े का अभी निर्धारण करना बाकी है और मणिपुर राज्य सरकार और बर्मा सरकार के भिन्न भिन्न मत के कारण इस कार्य को रोक दिया गया ।

दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रयोजनार्थ वाहन किराए पर लिया जाना

912. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की कानून और व्यवस्था के प्रबंध और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा विदेशी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वाहन किराए पर लेने पर परिहार्य करने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

टेलीग्राम मैसेंजरों के वेतनमान में संशोधन

[हिन्दी]

913. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राम मैसेंजरों के वेतनमान में संशोधन का मामला श्रम न्यायालय में विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो टेलीग्राम मैसेंजरो की मांगो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं । वैसे एक मामला क्षेत्रीय श्रमायुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में पुनर्विचार के लिए लंबित पड़ा है ।

(ख) भारतीय तार परियात कर्मचारी यूनियन ग्रेड "घ" की ओर से तार मैसेंजरों के बारे में की गई मांग में मानकों शैक्षिक योग्यता, उत्तरदायित्व वेतनमान और भत्ते तथा तार मैसेंजरों के लिए पदोन्नति के अवसरों को पोस्टमैनों के समतुल्य करना शामिल है ।

(ग) तार मैसेंजरों के वेतनमान वही हैं जिनकी सिफारिश चौथे वेतन आयोग ने की थी । इनके वेतनमान में आगे संशोधन का औचित्य नहीं बनता ।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

914. **श्री राम कुंवर राय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को विभिन्न परियोजनाएं पूरी करने के लिए वर्ष 1988-89 के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या गत वर्ष प्रदत्त की गई धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग). वार्षिक योजना 1989-90 के लिए उत्तर प्रदेश को 1483 24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है । यह सहायता संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर, समग्र रूप से राज्य-योजना के लिए दी जाती है । जहां तक वार्षिक योजना 1988-89 का सम्बन्ध है, योजना आयोग द्वारा राज्य के प्रत्याशित उपयोग के आधार पर 1221.85 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सहित 2234.79 करोड़ रुपए की संशोधित योजना परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

नौसेना के चेतक हैलीकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

[अनुवाद]

915. **चौधरी खुर्शीद अहमद** :

श्री हेत राम :

श्री जी०एस० वासवराजु :

श्रीमती वसुधराजेश्वरी :

श्री शान्ति लाल पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के चेतक हैलीकाप्टर हाल ही में रामेश्वरम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें भारतीय नौसेना के कुछ अधिकारी तथा नाविक मारे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हैलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां ।

(ख) 31 मई, 1989 को, तमिलनाडु में मण्डपम् के नजदीक नौसेना का एक चेतक हैलीकाप्टर नेमी गश्ती उड़ान के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया । उक्त हैलीकाप्टर में बैठे नौसेना के सभी

पांच कार्मिक मारे गए। एक जांच बोर्ड इसकी जांच कर रहा है। जांच बोर्ड के निष्कर्ष वर्गीकृत स्वरूप के समझे जाते हैं और इन्हें प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट

916. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने केन्द्रीय सरकार को अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लगभग 70 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं; यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ग) आयुक्त ने रोजगार के अवसरों तथा अन्य सुविधाओं के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर के संदर्भ में अन्य क्या मुख्य टिप्पणियां और सुझाव दिये हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ग). इस जानकारी के लिए कृपया अद्यतन रिपोर्ट अर्थात् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 28वी रिपोर्ट, जो 9 मई, 1989 को संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है, देखें।

(ख) जी, नहीं। इस रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि 70% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसमें, 1977-78 में उस स्थिति का उल्लेख किया गया है। तब से आय सृजन के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे जनसंख्या वर्गों तक पहुंचने के लिए विविध उपाय किये गये हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता, जो राज्य योजनाओं के अतिरिक्त है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य निगमों, द्वारा शुरू की गई योजनाएं, गरीबी कम करने के कार्यक्रमों में न्यूनतम हिस्सा अर्थात्, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन कार्यक्रम और अब जवाहर रोजगार योजना तथा ट्राइफेड का संचालन जैसे सभी उपाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ही थे।

मोगा में वारदात

917. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :**

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री एस०बी० सिदनाल :

श्रीमती वसवराजेश्वरी :

श्री राम प्यारे पनिका :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मोगा में आतंकवादियों द्वारा 20 से भी अधिक व्यक्तियों की हत्या की उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) पंजाब सरकार के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान गोलीकाण्ड करने के लिए जिम्मेदार समूह की पहचान कर ली गई है। इस सम्बन्ध में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है परन्तु 15-7-1989 को हुई मुठभेड़ में उनमें से एक अभियुक्त मारा गया।

(ग) सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में बड़े नेताओं/राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और शाखाओं के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करें।

राजधानी में बम विस्फोट

918. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राजधानी में बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) कितने मामलों को हल कर लिया गया है और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जुलाई, 1986 से जून, 1989 तक राजधानी में बम विस्फोट की 10 घटनाएं हुई।

(ख) दस घटनाओं में से तीन घटनाओं में लोग मारे गए। उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 463 पुलिस स्टेशन शाहदरा—2

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 34 पुलिस स्टेशन केशवपुरम—3

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 888 पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली—10

। दिल्ली रेलवे स्टेशन

(ग) हल किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
4	13

बिहार में विदेशी नागरिकों का पकड़ा जाना

919. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, बिहार के पूर्णिया, कटिहार, संथाल परगना जिलों में, जिला-वार, अधिकारियों द्वारा कितने कथित विदेशी नागरिक पकड़े गये;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया तथा मुकदमा चलाया गया;

(ग) कितने व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा विदेशी नागरिक माना गया;

(घ) कितने व्यक्तियों को उनके मूल देश वापस भेजा गया;

(ङ) 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार, कितने व्यक्ति जेल में सजा भुगत रहे हैं; और

(च) 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति अनुसार गिरफ्तार किये गये कितने व्यक्तियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल की जा रही है अथवा मुकदमा चलाया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नवम्बर, 1984 के दंगों में दोषी पाये गये लोग

920. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1984 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में हुए दंगों के सम्बन्ध में कुछ लोगों को दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(घ) कितने मामलों में निर्णय ले लिए गये हैं;

(ङ) कितने मामलों में दोष सिद्ध हो गया है;

(च) 1 अप्रैल, 1989 को कितने मामले विचाराधीन थे;

(छ) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है उन्हें कर्फ्यू आदेशों के उल्लंघन जैसे छोटे अपराधों में ही दोषी ठहराया गया है;

(ज) क्या यह सच है कि केवल एक मामले में छः व्यक्तियों को हत्या करने का दोषी पाया गया है; और

(झ) विचाराधीन मामलों में कितने व्यक्तियों पर अपराध करने का मामला है और उनके खिलाफ आरोपों के स्वरूप के अनुसार श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (झ). दिल्ली में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के सम्बन्ध में 80 व्यक्तियों को दोषी पाया गया। कुल मिलाकर 225 मामले थे, जिनमें से 11 मामलों, जिनमें दोष सिद्ध पाया गया, समेत 98 मामले निपटा दिए गए। 1.4.89 को 129 मामले लम्बित थे। यह कहना ठीक नहीं है कि जिन व्यक्तियों को दोषी पाया गया, उन पर कर्फ्यू आदेशों की अवहेलना करने जैसे मामूली अपराधों के आरोप थे। हत्या के आरोप के लिए 6 व्यक्तियों को दोषी पाया गया। लम्बित मामलों में 1.6.1989 को 1817 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे। 56 मामले हत्या/मौत से सम्बन्धित हैं, जिनमें 997 अभियुक्त अन्तर्ग्रस्त हैं। 71 मामले दंगा, आगजनी, लूटपाट, चोरी इत्यादि जैसे आरोपों से सम्बन्धित हैं, जिनमें 820 अभियुक्त अन्तर्ग्रस्त हैं।

जैन बनर्जी समिति

921. **श्री एच०एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1984 के दंगों की जांच करने के लिए गठित की गई जैन बनर्जी समिति ने कोई सुझाव तथा सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक उठाये गये कदमों के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) समिति ने अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवादी गतिविधियां

922. **श्री विजय कुमार यादव** :
श्री दिनेश गोस्वामी :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री कमल चौधरी :
डा० चन्द्र शेखर वर्मा :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री डी०बी० पाटिल :
डा० जी० विजय रामाराव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में आतंकवादियों ने हाल ही के महीनों में, विशेषकर मई और जून, 1989 में, अपनी हत्या करने की गतिविधियों को तेज कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में प्रतिमाह आतंकवादी गतिविधियों के कारण पंजाब में और चंडीगढ़ व दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों की जाने गईं और कितने व्यक्ति घायल हुए, तथा अनुमानतः कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई;

(ग) इन दुर्घटनाओं के बारे में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) इन दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों और उनके परिवारों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसी अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कितने आतंकवादी मारे गये हैं तथा गिरफ्तार किये गये हैं;

(च) आतंकवादियों से जब्त किये गये हथियारों और गोला बारूद का ब्यौरा क्या है;

(छ) लूट की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ज) हाल ही में बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु कौन से नये उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 जून, 1989 को समाप्त छः महीनों के दौरान उग्रवादी गतिविधियों के कारण मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	माह	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
पंजाब	जनवरी, 1989	105	55
	फरवरी, 1989	86	32
	मार्च, 1989	95	60
	अप्रैल, 1989	76	19
	मई, 1989	109	45
	जून, 1989	93	69
		जोड़ : 564	276

चंडीगढ़

पिछले छः महीनों के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण किसी भी व्यक्ति के मारे जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

दिल्ली

इस बारे में सूचना की प्रतीक्षा है ।

क्षतिग्रस्त/लुप्त हुई सम्पत्ति

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) संबंधित अभिकरणों ने मामले दर्ज किए हैं ।

(घ) इस बारे में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं ।

(ङ) संदर्भाधीन अवधि के दौरान पंजाब में गिरफ्तार किए गए/मारे गए आतंकवादियो की संख्या इस प्रकार है :

माह	गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या	मारे गए आतंकवादियों की संख्या
जनवरी, 1989	292	46
फरवरी, 1989	283	34
मार्च, 1989	223	53
अप्रैल, 1989	252	56
मई, 1989	293	85
जून, 1989	250	62
	जोड़ : 1593	336

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 538 पिस्तौलें, 138 रिवाल्वरें, 148 ए०के०-47 राईफलें, 58 अन्य राईफलें, 163 बंदूकें 9 स्टेनगनें, 5 कारबाइन्स, 4 एल०एम०जी०/एस०एम०जी०/एम०जी० 82 रोकेट, 16 राकेट लांचर, 145 हथगोले, 39 बम, 13 मौजर्स तथा 29,834 कारतूस बरामद किए गए।

इस बारे में संघ शासित क्षेत्र प्रशासन दिल्ली और चंडीगढ़ से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(छ) सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे पंजाब सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन दिल्ली और चंडीगढ़ से एकत्र किया जा रहा है।

(ज) सुरक्षा बल सतर्क हैं और आतंकवादियों द्वारा दी जाने वाली धमकी से निपटने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

इन्सैट-1 डी० को क्षति

923. **श्री कृष्ण सिंह :**

श्री राधाकान्त डिगाल :

प्रो० के०वी० थामस :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-1 डी० क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या इससे हमारे "वायस एण्ड कम्यूनिकेशन डाटा सिस्टम" पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ङ) इन्सैट-1 डी० को छोड़ने के सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यक्रम है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) कैनेडी अन्तरिक्ष केन्द्र, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमरीका में प्रमोचक राकेट के ठेकेदार द्वारा डेल्टा 4925 प्रमोचक राकेट के साथ मिलाते समय इन्सैट-1 डी० उपग्रह प्रमोचन-पैड पर क्षति-ग्रस्त हो गया। वर्तमान अनुमान यह है कि यह क्षति सी० बैण्ड परावर्तक, पूर्वी पैनल और कुछ अन्य भागों तक सीमित है। अन्तरिक्ष यान को हुई क्षति की पूरी मात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ). उपग्रह सेवाओं को इन्सैट-1 बी० और इन्सैट-1 सी० उपग्रहों की सहायता से चालू रखा जायेगा। इन्सैट प्रणाली की क्षमता में अतिरिक्त पूरक क्षमता प्रदान करने के लिए संचार प्रेषानुकरों को लीज पर लेने के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र में अन्य उपग्रह आपरेटरों के साथ विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

(ङ) क्षति के मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के बाद तथा अन्तरिक्ष यान के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण जांच योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही नई प्रमोचन तिथि निर्धारित की जायेगी।

किशोर न्याय अधिनियम का कार्यान्वयन

924. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकांश राज्यों ने किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक नियमों और विनियमों को अभी तक नहीं बनाया है; यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में जो बाल गृह और सुधार स्कूल स्थापित किए जाने थे, अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं; और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें इन्हें स्थापित नहीं किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) अधिकांश राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। केवल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, और सिक्किम राज्यों ने अभी नियमों को अधिसूचित करना है।

(ख) अधिकांश राज्यों में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित संस्थान स्थापित हो चुके हैं। ऐसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां ये संस्थान स्थापित नहीं हुए हैं वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप।

भारतीय शांति सेना के सैनिकों के सम्बन्धियों को मुआवजा

[हिन्दी]

925. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका में लड़ाई में मारे गए भारतीय शांति सेना के जवानों, अधिकारियों के संबंधियों को मुआवजे की निर्धारित धनराशि दे दी है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1989 के अंत तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) से (ग). श्रीलंका में युद्ध में मारे गए भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 30.6.89 तक अदा किए गए पेंशनरी एवं अन्य लाभों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

युद्ध में मारे गए भारतीय शांति सेना के कार्मिकों को 30.6.1989 तक 10,45,06,200.00 रुपये की राशि निम्न ब्यौरों के अनुसार दी गई :—

(क) पेंशनरी लाभ—	2,33,00,000.00 रुपये
(ख) थल सेना बीमा लाभ	7,97,77,100.00 रुपये
(ग) थल सेना अफसरों की पत्नियों की कल्याणकारी एशोसिएसन से लाभ	8,49,400.00 रुपये
(घ) थल सेना कल्याण निधि के लाभ	5,79,700.00 रुपये
	10,45,06,200.00 रुपये

कर्नाटक में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामलों की जांच

[अनुवाद]

926. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य में किसी मामले की जांच करने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी गई अनुमति को समाप्त कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब इस राज्य में किसी मामले की जांच करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुमति देने का कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) कर्नाटक सरकार ने 12 फरवरी, 1981 को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 सहित 28 अधिनियमों के अधीन आने वाले अपराधों की जांच किए जाने के बारे में अपनी सहमति दे दी थी। 23 मई, 1989 को कर्नाटक सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपराधों की जांच किए जाने के बारे में अपनी सहमति दे दी है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

बंगलौर में रक्षा पेंशन अदालत

927. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में रक्षा पेंशन अदालत आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने मामले प्राप्त हुए और कितने मामले निपटाए गए;

(ग) क्या अदालत कुछ मामलों को नहीं निपटा सकी क्योंकि इसे बड़े निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बंगलौर में रक्षा पेंशन अदालत को अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां। 6.5.1989 से 11.5.1989 तक एक रक्षा पेंशन अदालत आयोजित की गई।

(ख) अदालत के पास 243 मामले आए थे जिनमें से 208 मामले अदालत की बैठक पूरा होने तक निपटा लिए गए थे और 17 मामलों को बाद में निपटाया गया।

(ग) अदालत ने उक्त मामलों पर निर्णय विद्यमान नियमों/विनियमों के अन्तर्गत लिया और जिन मामलों के सुसंगत दस्तावेज अदालत को उपलब्ध नहीं कराए गए, उन मामलों को अदालत निपटा नहीं सकी।

(घ) जी, नहीं।

नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरी

928. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी टेलीफोन जिलों के लिए नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरी कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : देश के सभी टेलीफोन जिलों की टेलीफोन डाइरेक्टरी का प्रकाशन मार्च, 1990 तक हो जाने की संभावना है।

अमरीकी कम्प्यूटर निर्माताओं द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर सुविधाओं की स्थापना

929. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अमरीकी कम्प्यूटर निर्माता भारत में कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए उत्पादन सुविधाओं का गठन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या वे भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं; और

(ग) क्या अमरीकी हार्डवेयर निर्माता भारतीय साझीदारों को समूची प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर रहे हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की डिजीटल इक्विपमेंट कारपोरेशन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिसिस, ने क्रमश: बम्बई स्थित मैसर्स हिन्दी ट्रॉन कम्प्यूटर्स तथा "टाटाज" के साथ कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण के लिए भारत में उत्पादन सुविधाओं की पहले ही स्थापना संयुक्त उद्यम के रूप में कर ली है। बंबई स्थित मैसर्स हिन्दुस्तान (वेलमैन) तथा कलकत्ता स्थित एस०टी०पी० लि० को क्रमश: संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स एन०सी०आर० कारपोरेशन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स अट्टारी कारपोरेशन के साथ कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए भी संयुक्त उद्यम के रूप में आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हां। भारतीय भागीदार कम्पनियों को प्रौद्योगिकी की जानकारी मिल रही है, जो उत्पादन करने, प्रतिष्ठापना करने, चालू करने तथा प्रणालियों के रख-रखाव के साथ-साथ मूलभूत डिजाइन ड्राइंग तैयार करने के लिए अनिवार्य है।

कलपाक्कम में परमाणु रिएक्टरों की मरम्मत करना अथवा उन्हें बेकार घोषित किया जाना

930. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास परमाणु बिजली केन्द्र के अन्तर्गत कलपाक्कम में दो परमाणु रिएक्टरों की मरम्मत करने अथवा इन्हें बेकार घोषित करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये केन्द्र लम्बे समय से क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या मद्रास संयंत्र के घटकों में जो दोष पाये गए हैं, उनके अन्य परमाणु बिजली संयंत्रों में भी उत्पन्न होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). कलपाक्कम के दो परमाणु विद्युत रिएक्टरों को बेकार घोषित करने की कोई योजना नहीं है। दोनों यूनिट इस समय 100-100 मेगावाट क्षमता के विद्युत स्तर पर काम कर रहे हैं। सन 1989 के अन्त तक दोनों यूनिटों के सामान्य विद्युत प्रचालन को फिर से कायम करने की दृष्टि से इन यूनिटों की स्थायी रूप से मरम्मत करने सम्बन्धी कार्य अगले कुछ महीनों में शुरू किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

सीमा पर बाड़ लगाने और पहचान-पत्र जारी करने की कार्यवाही का आतंकवादी और तस्करी की गतिविधियों पर पड़ा प्रभाव

931. **डा० ए० के० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) सीमा पर बाड़ लगाने से जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में आतंकवादी और तस्करी की गतिविधियों पर कितना प्रभाव पड़ा है और सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य कब पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्या बहुउद्देशीय पहचान-पत्र जारी करने से भी सहायता मिली है; और यदि हां, तो कितनी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में भारत-पाकिस्तान सीमा की लम्बाई इस प्रकार है :—

(i) जम्मू (केवल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा)	—	210 कि०मी०
(ii) पंजाब	—	554 कि०मी०
(iii) राजस्थान	—	1035 कि०मी०
(iv) गुजरात	—	512 कि०मी०

(तटवर्ती सीमा के 104 कि०मी० समेत)

(ख) पंजाब तथा राजस्थान क्षेत्रों में सीमा के चुने हुए भागों में बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। के०लो०नि० विभाग, जो इस कार्य का निष्पादन कर रहा है, के अनुसार, इन दो क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम 31 जुलाई, 1989 तक पूरा कर लिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाड़ से उग्रवादियों तथा तस्करों की घुसपैठ पर रोक लगाने में मदद मिली है।

(ग) इससे घुसपैठियों/उग्रवादियों और तस्करों को पहचानने में सहायता मिली है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार राजस्थान क्षेत्र में, जहां ऐसे पत्र जारी किए गए हैं, 1989 के पहले छः महीनों के दौरान 603 घुसपैठियों को पकड़ा गया है और अन्य 38 मारे गये।

संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान स्वीकार किया जाना

932. **डा० ए० के० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों/व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कोई विदेशी अंशदान स्वीकार करना निषिद्ध ठहराया गया है और साथ ही उन संगठनों/व्यक्तियों के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कोई विदेशी अंशदान स्वीकार किए जाने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है; और

(ख) क्या उक्त अधिनियम के उपबन्धों को कठोर बनाने के लिए कोई संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है; और यदि हां, तो किस प्रकार का संशोधन किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उन संगठनों/व्यक्तियों के नाम पते जिन्हें विदेशी अभिदाय

(विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 (क) के अधीन निषेध ठहराया गया है। सभा पटल पर रखे विवरण—1 में दिए जाते हैं। [प्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०8070/89] उन संगठनों/व्यक्तियों के नाम तथा पते जिन्हें धारा 5(1), 6(1) तथा 10 (ख) के अधीन कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, सभा पटल पर रखे विवरण—2 में दिए जाते हैं। [प्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 8070/89]

(ख) जी हां, श्रीमान। इसका उद्देश्य विदेशी अभिदाय को विनियमित करना और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को और भी कारगर बनाना है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी

933. **डा० ए०के० पटेल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 42वें और 43वें दौर (राउंड) के लिए घरेलू उपभोक्ता खर्च से संबंधित आंकड़े अब एकत्र और प्रस्तुत किए गए; हैं;

(ख) इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए हैं;

(ग) 1983-84 के सर्वेक्षण के अनुसार तत्संबंधी प्रतिशत क्या है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी रेखा निर्धारित करते समय किस परिभाषा का प्रयोग किया गया है और यह इससे पहले की परिभाषाओं से किस प्रकार भिन्न है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) 42वें दौर के लिए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित आंकड़े जुलाई 1976 से जून, 1987 तक की अवधि के लिए एकत्र किए गए थे। 43वें चक्र के लिए आंकड़े जुलाई, 1987 से जून, 1988 तक की अवधि के लिए एकत्र किए गए थे। 42वें चक्र के परिणामों की ड्राफ्ट रिपोर्ट दिसंबर, 1988 में तैयार की गई। 43वें चक्र के आंकड़ों को अभी संसाधित किया जा रहा है।

(ख) और (ग). वर्ष 1983-84 में, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत अनुपात क्रमशः 40.4 तथा 28.1 था। 42वें चक्र पर आधारित गरीबी के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) योजना आयोग द्वारा गठित (1979) न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी खपत-मांग से संबंधित कृतिक बल द्वारा गरीबी की रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं के अनुरूप 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। गरीबी की रेखा को इस संकल्पना का प्रयोग वर्ष 1972-73, 1977-78 तथा 1983-84 में गरीबी संबंधी अनुमान लगाने के लिए किया गया था।

डाक वितरण में देरी

934. **डा० ए०के० पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 राज्यों की राजधानियों से प्राप्त जांच रिपोर्टों से पता चला है कि डाक विभाग

द्वारा परीक्षण के तौर पर भेजे गये 50 प्रतिशत पत्रों को 17 राजधानियों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वितरित नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 13 राज्यों की राजधानियों की जांच रिपोर्ट से यह पता चला है कि विभाग द्वारा डाक में डाले गए जांच पत्रों में से 50 प्रतिशत से अधिक पत्र मानदण्डों के अनुसार वितरित नहीं किए गए ।

(ख) 1988 में किए गए जांच पत्र विश्लेषण से पता चला है कि 26 प्रतिशत पत्रों में एक दिन का, 20 प्रतिशत पत्रों में दो दिन का और 13 प्रतिशत पत्रों में तीन दिन और उससे अधिक का विलंब हुआ जबकि 41 प्रतिशत पत्र मानदंडों के अनुसार वितरित किए गए। विलंब के लिए मुख्य कारणों में से—डाक ले जा रही उड़ानें/रेलगाड़ियों का देरी से पहुंचना एक प्रमुख कारण है । डाक विभाग में जांच पत्रों द्वारा डाक मॉनीटर करने, सक्रिय डाक सर्वेक्षण और सेवा जाँचों की गुणवत्ता की एक प्रणाली है । यदि निरंतर विलंब होने का पता चलता है तो डाक व्यवस्था नेटवर्क की पुनरीक्षा की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

"हिन्द समाचार ग्रुप ऑफ न्यूज पेपर्स" को धमकी

935. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आतंकवादियों ने "हिन्द समाचार ग्रुप ऑफ न्यूज पेपर्स" के समाचार पत्रों के मुद्रण, प्रकाशन, इनके परिवहन और वितरण से संबंधित व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन धमकियों के परिणामस्वरूप इस ग्रुप के समाचार पत्रों के वितरण में वास्तव में कमी आई है, क्योंकि अखबार बेचने वालों ने समाचार-पत्रों के अपने आर्डरों को रद्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता को इस खतरे की धमकी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, प्रैस, उनके मालिकों तथा संवाददाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, समाचार पत्र ले जाने वाले ट्रकों की सुरक्षा तथा राज्य के विभिन्न कस्बों और शहरों में समाचार पत्र वितरित करने वालों इत्यादि की सुरक्षा के उपाय किए गये हैं ।

"सेलूलर और मोलेकूलर बाइयोलोजी" केन्द्र में "डियोक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड" परीक्षण

936. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय में बच्चे के माता-पिता की पहचान के लिए "असंदिग्ध गवाह" के रूप में "सेन्टर ऑफ सेलूलर एण्ड मोलेकूलर बाइयोलोजी" ने "डियोक्सरिबो न्यूक्लिक एसिड" (डी०ए० ए०) टेस्ट (जांच) की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या भारत में डियोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जांच सफल हुई है और यदि हां, तो कहां तक ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कोशकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र (सी० सी० एम० बी०) में प्रस्तुत किए गये डी० एन० ए० परीक्षणों के परिणाम बच्चे के माता-पिता की पहचान करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये जा सके थे क्योंकि ये परिणाम न्याय दिये जाने के पश्चात उपलब्ध थे।

(ख) प्रयोगशाला स्तर पर बहुत से डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग (उंगली चिह्न) परीक्षण सफलतापूर्वक किये गये हैं।

अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में डिवीजनल इंजीनियर, टेलीफोन के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या

[हिन्दी]

937. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में डिवीजनल इंजीनियर, टेलीफोन के कार्यालय को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीखेत को एस०टी०डी० सुविधा से देश के अन्य शहरों से जोड़ना

938. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान रानीखेत (उत्तर प्रदेश) को एस०टी०डी० सुविधा से देश के अन्य शहरों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

939. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के कुछ जिलों और उपमंडलीय मुख्यालयों को 1989-90 तक एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में संचार सुविधा की व्यवस्था कराने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) काशीपुर में 896 (एस०सी०आर०) किच्छा में 320 (एम०सी०आर०), पिथोरागढ़ में 400 लाइनों (एन०ई०एम०एस), नैनीताल में 896 लाइनों (एम०सी०आर०), रामनगर नैनीताल में 384 लाइनों (एम०सी०आर०), रुद्रपुर में 640 (एस०सी०आर०), पौड़ी में 400 (एन०ई०ए०एक्स०) और अल्मोड़ा में 384 (एम०सी०आर०) जैसे स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोले गए हैं । वर्ष 89-90 के दौरान पिथौरागढ़ जिले के लोहाघाट और धारचूला में सी-डाट एक्सचेंज चालू करने का भी प्रस्ताव है और उपस्कर उपलब्ध होने पर नए टिहरी जिले ई०एम०ए०एक्स० एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है । आठवीं योजना के अन्तर्गत विभाग ने पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए (i) मांग पर टेलीफोन प्रदान करना (ii) उप-मंडलीय मुख्यालय स्तर तक एस०टी०डी० सुविधाएं प्रदान करना (iii) सभी मैनुअल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना (iv) ऊपरी संरेखण के स्थान पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन जैसे संचारण माध्यमों की व्यवस्था करना और (v) संभावित सीमा तक आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने जैसे बृहत उद्देश्यों को शामिल किया है ।

(ख) और (ग). 8 जिला मुख्यालयों में से 4 अर्थात् अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून में एस०टी०डी० सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है । 1989-90 के दौरान चमोली और उत्तरकाशी जिला मुख्यालयों में भी एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान हरिद्वार के प्रमुख नगरों को भी एस०टी०डी० सुविधा से जोड़ने की योजना है । शेष दो जिला मुख्यालयों में आठवीं योजना के दौरान यह सुविधा प्रदान की जाएगी । जहां तक उपरोक्त उप मण्डलीय मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का सम्बंध है इसे विभाग की आठवीं योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आठवीं योजना का प्रारूप

940. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है;

(ख) चूंकि इन क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है, इसलिए क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचार प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति संबंधी कार्य तथा परामर्श चल रहा है ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में उत्तर-पश्चिमी हिमालय के विकास संबंधी समस्याओं तथा संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा जिला बोर्डों के अध्यक्षों तथा विशेषज्ञों की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 89 को योजना आयोग में आयोजित की गई

थी। ऐसा इन क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना कार्यनीति तैयार करने में उपयोग के लिए विषय से संबंधित अनुभव तथा विचार एकत्रित करने के लिए किया गया था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विलम्ब से चल रही केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा किया जाना

[अनुवाद]

941. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981-82 या वर्ष 1982-83 (छठी योजना) या उससे पहले 20 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ की गई रेलवे (नई लाइनें और परिवर्तन), उद्योग, इस्पात और खान, जल भूतल परिवहन (राष्ट्रीय राजमार्ग) और सिंचाई (जल संसाधन) से संबंधित परियोजनाओं में से कोई परियोजना 31 मार्च, 1989 तक भी पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और अत्यन्त धीमी गति से कार्यान्वयन के क्या कारण हैं और बजटों (नियमित और पूरक) में शामिल करते समय अनुमानित व्यय और वर्तमान व्यय क्या है और लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या इनके शीघ्र कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और प्रत्येक मामले में निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ग). जी, हां।

(ख) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1982-83 अथवा उससे पूर्व अनुमोदित परन्तु पूरी नहीं की गई परियोजनायें

	मूल	संशोधित	प्रत्याशित	लागत (करोड़ रु०) मूल संशोधित की % लागत वृद्धि	पूरी नहीं होने के संक्षिप्त मुख्य कारण
	1	2	3	4	5
रेलवे					
नई लाइन					
1. धर्मानगर कुमारघाट	9.67	29.59 37.10	41.24	326 (11)	संसाधनों का अभाव और भूमि अधिग्रहण में देरी

	1	2	3	4	5
2. ऐर्नाकुलम ऐलेप्पी	14.71	38.62	60.92	314 (57)	वही
3. जम्मू तवी उधमपुर	50.00	68.68	112.27	124 (63)	वही
4. करूर—डिंडीगुल तूतीकोरिन	42.86	106.63	138.25	222 (30)	वही
5. कोरापुट— रायजादा	112.10	265.00	322.00	87 (21)	वही
6. कोटा चित्तौड़गढ़ नीमच	41.09	93.96	135.00	228 (44)	वही
7. लाल बाजार वैराबई	10.76	27.17 32.85	—	236 (10)	वही
8. नंगल डेम-तलवार	37.68	80.00	80.00	112 (0)	वही
9. रामपुर न्यू हल्द्वानी	12.98	23.50	38.52	196 (63)	वही
10. सिलचर-जरीवम	12.13	25.31 34.48	39.57	226 (15)	वही
11. ऐलेप्पी कयानकुलम	11 10	34.92	34.92	214 (0)	वही
12. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	16.92	32.54	32.54	92 (0)	वही
13. भागा-चिटौनी	6.74	23.59	40.00	493 (69)	वही
14. हावड़ा-अमटा/ चंपादंगा	10.72	31.43	31.43	193 (0)	वही
लाइन परिवर्तन					
1. गुंटूर-मचेरला	8.24	30.84	66.38	(115)	वही
2. मंमद-पार्ली वैजनाथ	28.00	99.00	140.00	400 (41)	वही

	1	2	3	4	5
3. मैसूर-बंगलौर	14.00	45.00	58.76	319 (30)	वही
4. वाराणसी-भटनी	13.91	53.73	70.75	408 (31)	वही
इस्पात					
1. विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (आर०आई० एन०एल०)	2256.00	6849.70	6849.70	203 (0)	प्रारम्भ में अपर्याप्त निधियां और उपस्करों की पूर्ति में विलम्ब
2. बोकारो इस्पात संयंत्र 4 मिलियन टन विस्तार (रेल)	947.24	1637.55	2198.40	132 (34)	क्षेत्र परिवर्तन और उपस्कर पूर्ति में विलंब
3. बोकारो इस्पात संयंत्र (सी०पी०पी०)	75.94	120.29	154.15	102 (28)	परियोजना अभी अप्रैल, 1989 में चालू की गई
4. भिलाई इस्पात संयंत्र 4 मिलियन टन विस्तार	937.7	1600.50 (2145.50)	2268.63	144 (6)	क्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन और उपस्करों की पूर्ति में विलम्ब
खान					
1. गंधमर्दन बैक्साइट खान परियोजना (बाल्को)	31.20	—	62.70	100	पर्यावरणीय क्षति के अन्तर्गत तथा स्थानीय आन्दोलन
2. राष्ट्रीय एल्यूमी-नियम कम्पनी लि०	1242.40	2408.14	2476.9	99 (2)	उपस्करों की पूर्ति में विलंब और प्रौद्योगिकी समावेशन
उद्योग (डी०पी०ई०)					
1. दामोदर सीमेंट (डी०सी०एस०एल०)	21.99	35.00	36.75	67 (5)	स्थान आबंटन में विलम्ब और निवेश लागत संबंधी विकास

टिप्पणी : (i) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के अनुसार 1982-83 में अथवा उससे पूर्व अनुमोदित कोई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अधूरी नहीं रही ।

(ii) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रबोधन प्रणाली में सिंचाई परियोजनाएं शामिल नहीं हैं ।

कलकत्ता से टेलीफोन लाइन

942. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंसकुरा, दासपुर, केशपुर, पिंगला, सबंग, नारायणगढ़ और तामलुक पुलिस स्टेशनों के टेलीफोन कलकत्ता से बहुत मुश्किल से मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार से क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पिंगला और सबंग को जोड़कर अब इन सभी स्थानों के टेलीफोन लाइनें कलकत्ता से मिल जाती हैं।

(ख) मई, 1989 के अन्तिम सप्ताह में भयंकर आंधी तूफान तथा समूचे मिदनापुर जिले पर कम दबाव के कारण इन स्थानों की टेलीफोन लाइनों में व्यवधान उत्पन्न हो गया था। इन सभी स्थानों पर टेलीफोन चालू करने का काम पिंगला और सबंग को छोड़कर पूरा कर लिया गया है और इन दोनों स्थानों की टेलीफोन सेवाएं 31-7-1989 तक पुनः चालू कर दिए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में नये डाक घर खोलना

943. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पंसकुरा एक, और दो, दासपुर एक और दो, केशपुर, पिंगला, सबंग और डेबरा ब्लाकों में कितने नये डाकघर अथवा उप-डाकघर खोले गये हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने डाक घर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :

खोले गये डाकघरों की संख्या

क्षेत्र	1986-87	1987-88	1988-89
पंसकुरा-I	—	1	—
पंसकुरा-II	—	1	—
दासपुर I और II	—	—	—
केशपुर	—	1	—
पिंगला	—	—	—
सबंग	—	1	—
देबरा	—	—	—

(ख) चालू वर्ष (1989-90) के दौरान पन्सकुरा I और पिंगला क्षेत्रों में प्रत्येक में एक-एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

बम्बई टेलीफोन निगम में मयंदर, न्यू बांबे और कल्याण कांप्लेक्स को शामिल करना

944. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंयदर, न्यू बांबे और कल्याण कांप्लेक्स को बम्बई टेलीफोन निगम में शामिल करने की जोरदार मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मंयदर और अन्य क्षेत्रों को बम्बई टेलीफोन निगम में शामिल करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). जी, हां। एक समय में बम्बई टेलीफोन का एक भाग होने के ऐतिहासिक कारणों से एक विशेष मामले के रूप में मंयदर को महानगर टेलीफोन निगम की बम्बई यूनिट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, नवीन बम्बई और कल्याण कम्पलेक्स के क्षेत्रों को बम्बई टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि वे बम्बई अथवा थाणे नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी का प्रयोग

945. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे, डाक और दूर-संचार विभाग जैसे विभागों/मंत्रालयों में जिनका जनता से सीधा संबंध है, हिन्दी के प्रयोग का मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या जनता के साथ उनके दिन-प्रति-दिन के पत्र-व्यवहार आदि में हिन्दी के प्रयोग संबंधी नीति का कार्यान्वयन सरकार की नीति के अनुरूप हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की नीति की पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) जी, हां। ये विभाग/मंत्रालय जनता के साथ अपने रोजमर्रा के पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सरकार की नीति को कार्यान्वित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

केरल के जिलों में दूरसंचार व्यवस्था

946. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के प्रथम छः महीनों के दौरान केरल के कण्णानोर, कालीकट तथा वाईनाड जिलों में क्या दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष के दौरान इन जिलों में अतिरिक्त दूर-संचार सेवाएं उपलब्ध करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) (एक) कालीकट जिले में एक नया एक्सचेंज खोला गया और पांच मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया गया।

(दो) कण्णानोर जिले में एक नया एक्सचेंज खोला गया और 13 मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया गया।

(तीन) वाईनाड जिले में एक नया एक्सचेंज खोला गया और 2 मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) (एक) कालीकट जिले में 4 एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है;

(दो) कण्णानोर जिले में 4 एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है।

(तीन) वाईनाड जिले में एक नया एक्सचेंज खोलने और 6 मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार का प्रस्ताव है।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

947. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो स्वयंसेवी संगठनों को यह धनराशि किस आधार पर दी जाती है और इन अनुदानों के उपयोग पर किस प्रकार निगरानी रखी जाती है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) और (ख). युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी निधि में से कोई सहायता अनुदान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन नई दिल्ली स्थित "वार विडोज एसोसिएशन" को युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास से सम्बन्धित कार्यों में सहायता देने के लिए विशेष प्रयोजनों हेतु केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित कल्याण निधि में से कुछ तदर्थ अनुदान किया गया है। एक उच्च स्तरीय प्रबन्धक समिति निधि की निगरानी रखती है।

आदिवासियों/आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

948. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासियों के उत्थान और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि जारी करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 में मुक्त राशि	1986-87 में मुक्त राशि	1987-88 में मुक्त राशि	1988-89 में मुक्त राशि	1989-90 में मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	740.00	850.38	1063.23	1165.12	1116.00
असम	632.40	710.63	705.83	786.86	849.00
बिहार	1964.41	2066.05	2178.10	2472.15	2530.00
गुजरात	1126.66	1246.96	1347.58	1330.59	1474.00
हिमाचल प्रदेश	205.36	241.48	237.19	287.32	250.00
कर्नाटक	148.13	116.26	127.47	134.82	148.00
केरल	70.01	77.76	83.74	115.78	105.00
मध्य प्रदेश	3969.98	4399.72	4518.48	4934.15	5385.00
महाराष्ट्र	950.69	1072.00	1284.51	1266.41	1438.00
मणिपुर	252.85	280.91	281.76	282.89	306.00
उड़ीसा	1915.00	2174.48	2263.82	2388.66	2527.00
राजस्थान	910.08	1019.90	1138.15	1234.03	1323.00
सिक्किम	38.99	38.96	39.57	49.22	48.00
तमिलनाडु	154.93	162.09	178.54	194.95	222.00
त्रिपुरा	250.17	263.67	273.23	305.65	305.00
उत्तर प्रदेश	27.87	31.10	35.23	105.11	46.00
पश्चिम बंगाल	616.27	701.29	836.57	876.29	928.00

1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00
गोवा, दमन और द्वीव	5.00	6.00	7.00	10.00	9 00
जोड़ :	14000.00	15500.00	16650.00	18000.00	19069.00

ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम

949. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख). आठवीं योजना के सम्बन्ध में गठित किए गए विभिन्न संचालन दल/कार्य दल महिला कार्यक्रमों सहित विभिन्न विकास क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में लगे हुए हैं। जब योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, तभी ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

मारगाव, गोवा में डाक विभाग के भवन का निर्माण

950. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मारगाव, गोवा में डाक विभाग के लिए किसी भवन का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो भवन पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) निर्माण कार्य वास्तविक रूप में कब शुरू हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। मारगाव में प्रधान डाकघर के लिए दो चरणों में एक भवन तथा 16 स्टाफ क्वाटरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). ये परियोजनाएं अभी प्राथमिक नक्शे तैयार करने के आरंभिक दौर में ही है अत: अभी इनकी अनुमानित लागत और इन्हें शुरू करने का समय बताना सम्भव नहीं है।

गोवा में मपुक्का एक्सचेंज से एस०टी०डी० सुविधा

951. **श्री शांताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में मपुक्का एक्सचेंज से एस०टी०डी० सुविधाएं उपलब्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोक्ताओं को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी;

(ग) समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम क्या है; और

(घ) क्या कार्यक्रम में कभी संशोधन किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च 1990 तक।

(ग) और (घ). पहले वाला लक्ष्य 1988-89 का था। पारेक्षण माध्यम न मिल पाने के कारण संशोधित लक्ष्य 1989-90 रखा गया।

महाराष्ट्र के सतारा जिले में 128 लाइन वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया जाना

952. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में लोनन्द, शिरवल, खण्डाला और भांडे में 128 लाइन वाले नये इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए मंत्रालय को कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) सतारा (महाराष्ट्र) जिले के खण्डाला और भांडे को 128 सीडॉट आर०ए० एक्सचेंज अलाट करने के लिए नोट कर लिया गया है क्योंकि ये दोनों स्थान इस एक्सचेंज की संस्थापना की शर्तें पूरी करते हैं और उपस्कर उपलब्ध होने पर इन स्थानों पर उक्त एक्सचेंज संस्थापित कर दिए जायेंगे। लोलन्द और शिरवाल 128 पोर्ट सी डॉट ए एक्स एक्सचेंज की संस्थापना करने संबंधी शर्तें पूरी नहीं करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपर कम्प्यूटरों का देश में निर्माण

953. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुपर कम्प्यूटरों का देश में निर्माण करने में आत्म-निर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो यह विशेष रूप से विदेशों की तुलना में किस सीमा तक आत्मनिर्भर है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, नहीं। किन्तु पुणे में इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्थापित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र

(सी०डैक) को तीन वर्ष की अवधि में समानांतर अभिकलन प्रणाली विकसित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसकी अधिकतम क्षमता 1000 मेगा फ्लैप्स होगी। इन समानांतर अभिकलन प्रणालियों की कार्य-क्षमता का रेंज सुपर कम्प्यूटरों जैसा ही है।

महानगरों में स्वचालित डाक प्रणाली का शुरू किया जाना

954. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री शांति लाल पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा महानगरों में स्वचालित डाक प्रणाली को प्रारम्भ करने के प्रथम चरण में बम्बई का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस स्वचालित डाक-प्रणाली को अन्य महानगरों में कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई के लिए प्रस्तावित प्रणाली में मैनुअल प्रचालन और मशीन द्वारा छंटाई का मिला-जुला रूप होगा। बम्बई में डाली गई डाक और बम्बई में वितरण के लिए प्राप्त डाक, डाक संसाधन केन्द्रों पर क्षेत्रों में प्राप्त की जाएगी तथा मैनुअल फेसिंग और पत्रों की छंटाई के बाद पिन कोड को प्रतिदीप्त बार कोड में परिवर्तन के लिए इन्हें कोडिंग मशीनों में डाला जाएगा।

कोडिंग प्रचालन के बाद पत्रों को कम्प्यूटरी कृत पत्र छंटाई मशीनों में डाला जाएगा जो कि प्रतिदीप्त बार कोड का पता लगाने और 100 से 200 के बीच चयन की बड़ी संख्या में उनके गंतव्य के अनुसार पत्रों की छंटाई करने में समक्ष है। पत्र मशीनों की गति प्रति घंटा 30,000 होगी। छंटाई के बाद पत्रों पर लेबल लगाए जायेंगे और थैलों में डालकर गंतव्य के लिए प्रेषित किया जाएगा ! दक्षिण बम्बई के लिए पहली प्रायोगिक परियोजना में निपटान की जाने वाली डाक की मात्रा लगभग 10 लाख प्रतिदिन होगी।

(ग) अन्य महानगरों में ऐसी योजनाएं प्रारम्भ करना बम्बई में परियोजना की सफलता और निधि उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी कोई विशेष समय सीमा के बारे में नहीं बताया जा सकता है।

तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए नीति

955. **श्री जी० एस० वासवराजु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असन्तुलित क्षेत्रीय विकास की समस्या से निपटने के लिए योजना आयोग ने ऐसे क्षेत्रों की तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए एक नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां तो इस नई नीति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख). योजना आयोग पिछड़े राज्यों, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्य क्रम, संवृद्धि केन्द्र विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम) आदि के पक्ष में संसाधन अन्तरण के विषय में उच्चतर अधिभार जैसे उपायों के जरिए से क्षेत्रीय असन्तुलनों में कमी लाने की दिशा में हमेशा प्रयत्नशील रहा है। विकेन्द्रित आयोजन, कृषि जलवायु सम्बन्धी कटिबन्धों के माध्यम से कृषि विकास, नई रोजगार स्कीम अर्थात जवाहर रोजगार योजना पर दिए जा रहे बल से भी सभी क्षेत्रों में विकास होने की संभावना है।

दूरसंचार क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण और स्वदेशीकरण किया जाना

956. **श्री जी० एस० बासवराजु** :

श्री शांतिलाल पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने दूर-संचार क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण तथा स्वदेशीकरण करने के लिए अनेक उपायों की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो दूर-संचार आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इनसे किस सीमा तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दूरसंचार के कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को निवेश करने की पहले ही छूट दी हुई है। दूरसंचार आयोग ने, देश में दूरसंचार उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के विनि-र्माताओं की समस्याओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से उत्पादन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) और (ग). दूर-संचार आयोग, स्वदेशी उत्पादन और आत्म निर्भरता पर मुख्य बल देगा। कई स्थानीय विनिर्माताओं को प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया जाएगा और अच्छे किस्म के और विश्वसनीय उपस्करों के उत्पादन के लिए भी कदम उठाये जाएंगे। कुल मिलाकर, आने वाले तीन वर्षों में उत्पादन 1100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से 3300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ जाने की आशा है।

मसाले के उत्पादन को बढ़ावा

957. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अध्ययन से यह उजागर हुआ है कि भारत के मसाले का एक प्रमुख आयातक देश बनने की भारी आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि मसाले के लिए मंत्रालय में एक अलग "सेल" बनाया जाए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(घ) मसाले के उत्पादन में इससे किस सीमा तक वृद्धि हो सकेगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सामान्य श्रेणियों में रिक्त-स्थानों को भरा जाना

958. **श्री नारायण चौबे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सामान्य श्रेणियों के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की इन पदों को भरने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब और कैसे भरा जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ). यह अलग-अलग सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने कार्यालयों की रिक्तियों को भरें। इसे केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं किया जाता है।

सेवा संघों के खातों की लेखा परीक्षा

959. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :

श्री राम समुझावन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा संघों द्वारा अपने खातों का लेखा परीक्षा विवरण प्रशासन को देना एक सांविधिक अनिवार्यता है;

(ख) यदि हां, तो सेवा संघों द्वारा अपने खातों के लेखा परीक्षा विवरण कब तक प्रस्तुत करने होते हैं;

(ग) क्या कार्मिक मंत्रालय के अधीन सभी सेवा संघों ने गत वित्त वर्ष के अपने खातों के लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत कर दिये हैं और यदि नहीं, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई है, जिससे इन्हें प्रस्तुत कर दिया जाये;

(घ) उक्त संघों में से प्रत्येक संघ को गत तीन वर्षों के दौरान लेखा परीक्षाओं की जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) खातों में पाई गयी अनियमितताओं का ब्योरा क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ). केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगठन की मान्यता) नियमावली

1959, जो कि सेवा संगठनों को नए सिरे से मान्यता देने के प्रयोजन से निष्क्रिय है, की धारा 5(ग) में यह व्यवस्था है कि सेवा संगठनों के खातों के लेखा परीक्षित विवरण प्रत्येक वर्ष सरकार को इस प्रकार भेजे जाएंगे कि ये सरकार के पास प्रत्येक वर्ष जुलाई की पहली तारीख से पहले ही पहुंच जाएं। गत वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में खातों का विवरण किसी भी संगठन ने प्रस्तुत नहीं किया है।

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

[हिन्दी]

960. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या है;

(ख) क्या इन सभी एक्सचेंजों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उन एक्सचेंजों के नाम क्या है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). आठवीं योजना के दौरान सभी मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉनिक/आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

विवरण

30.6.89 की स्थिति के अनुसार बिहार में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

1. औरांगाबाद
2. बक्सर
3. घूमरान
4. बांका
5. कोलगांव
6. नौगाछिया
7. सुलतानगंज
8. बरौनी
9. निरसा
10. बरहारवा
11. जमतारा
12. मधुपुर
13. अरेराज
14. बाराचकिया
15. रक्सौल
16. गुमला
17. गोपालगंज
18. हथवा
19. बेमो
20. इशरीबाजार
21. सूर्या
22. गोड्डा
23. गोमयां
24. खेसारी

25. पटरातू
26. रामगढ़
27. जहानाबाद
28. खगरिया
29. लोहारडागा
30. कंटी
31. जूमई
32. झाजहा
33. लक्सी तराई
34. शेखपुरा
35. बिहारीगंज
36. मधेपुरा
37. जैननगर
38. झांजरपुर
39. सकारी
40. गर्वा
41. एररिया कोर्ट
42. बम्मांकी
43. बिहता
44. फटवा
45. मोकामेह
46. बाढ़
47. बिकरमगंज
48. बाराजामदा
49. चकरधरपुर
50. चांडील
51. घाटशिला
52. मनोहरपुरा
53. दलसिंगसराई
54. सितामढ़ी
55. पाकुर
56. साहेबगंज
57. बिरपुर
58. सहरसा
59. सुपौल
60. बगहा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

[अनुवाद]

961. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले केन्द्रीय सरकार ने अपने वादे के अनुरूप महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का हल ढूंढ़ निकालने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने की व्यवस्था की थी;

(ख) यदि हां, तो कब और बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि बैठक नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). इस मामले में गृह मंत्री महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों से अलग-अलग सम्पर्क बनाए हुए थे। दोनों राज्यों के मुख्य-मंत्रियों के मध्य संयुक्त बैठक कराने से पहले उनके साथ पृथक विचार-विमर्श करना उचित समझा गया । तदनुसार गृह मंत्री ने 17.4.1989 को पहले कर्नाटक के तत्कालीन मुख्य मंत्री को विचार विमर्श के लिए बुलाया । कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने इस बैठक के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की और 28.4.1989 और 6.5.1989 के बीच किसी तारीख को निर्धारित करने के लिए कहा । गृह

मंत्री ने बैठक के 3 मई, 1989 की तारीख निर्धारित की । तथापि कर्नाटक राज्य में 21 अप्रैल, 1989 से राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह बैठक नहीं कराई जा सकी ।

गृह मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

962. **श्री डी०बी०पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पदों के लिए भर्ती की जानी है; और

(ख) मई और जून, 1989 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रत्येक वर्ग में कितने पद भरे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देब) : (क) गृह मंत्रालय (मुख्य) के "क" और "ख" समूह (राजपत्रित) के पदों पर सीधी भर्ती केन्द्रीय आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है तथा संवर्गवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

"ख" (गैर-राजपत्रित) "ग" और "घ" समूह की रिक्तियों का पिछला बकाया इस प्रकार है :—

	अनु०जाति०	अ०ज०जाति०
"ख" समूह (गैर-राजपत्रित)	6	7
"ग" समूह	17	17
"घ" समूह	4	17

(ख) उपरोक्त श्रेणियों में किसी भी पद पर मई और जून, 1989 में कोई भर्ती नहीं की गई है ।

पंडी भूयां समुदाय के लोगों के लिए कल्याण योजनाएं

963. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा से ढेंकेनाल जिले के पाललहरा सब-डिविजन में रहने वाले पंडी भूयां समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उड़ीसा में पाललहरा सब-डिविजन के सुदूर स्थान में रहने वाले इन पिछड़े आदिवासी लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). जिला ढेंकेनाल के पाललहरा सब डिविजन के 27 गांवों में पंडी भूयां आदिवासियों के लिए, उड़ीसा सरकार द्वारा 1978-79 में एक माइक्रो परियोजना शुरू की गई है ।

पंडी भूयां आदिवासियों के आर्थिक विकास और उनके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था की योजनाएं शत-प्रतिशत सहायक अनुदान के आधार पर कार्यान्वित की जाती है।

(ग) और (घ). खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस माइक्रो परियोजना क्षेत्र में इस समय छः उचित दर दुकानें काम कर रही हैं।

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट

964. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) के प्रक्षेपण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट के विकास में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट कब तक छोड़ा जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) पी०एस०एल०वी० परियोजना अर्हता चरण में पहुंच गई है। कई उप-प्रणालियों के प्रोटो हार्डवेयर प्राप्त किए गए, इनके कार्यकरण की जांच की गई और ये अर्हता जांचों के अन्तर्गत थे। पी०एस०एल०वी० एक चार खण्ड वाला राकेट है। प्रथम खण्ड, जो एक वृहत 125 टन ठोस प्रणोदक बूस्टर का प्रयोग करता है, को जांच और अर्हता के लिए तैयार किया जा रहा है। द्वितीय खण्ड, जो 60 टन प्रणोद वाला "विकास" द्रव इंजिन है, पर सहता जांच सफलतापूर्वक की गई है। तृतीय खण्ड के ठोस बूस्टर पर अर्हता जांचें की जा रही हैं। पी०एस०एल०वी० की चतुर्थ खण्ड की प्रथम दीर्घावधि जांच सफलतापूर्वक की गई। पी०एस०एल०वी० के सम्बन्ध में हुई प्रगति का पूरा ब्यौरा विभाग की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 1989-90 के निष्पादन बजट में दिया गया है।

(ग) पी०एस०एल०वी० की प्रथम विकासात्मक उड़ान के प्रमोचन के 1990 अन्त/1991 के प्रारम्भ में होने की संभावना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग

965. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग किया है;

ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत-फ्रांस की कोई संयुक्त बैठक जून, 1989 के माह में दिल्ली में आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत-फ्रांस संयुक्त पैनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां, हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्रांस के साथ सहयोग के लिए सुस्थापित प्रबन्ध किया है।

(ख) और (ग). जून, 1989 में नयी दिल्ली में उन्नत अनुसंधान के सम्बर्द्धन के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र के शासी निकाय की बैठक हुई। इस बैठक में शासी निकाय ने भारतीय और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग के लिए अनेक संयुक्त परियोजनाओं की सिफारिश की।

बिहार में इलैक्ट्रॉनिकी उद्योगों को लाइसेंस

[हिन्दी]

967. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना के लिए गत दो वर्षों में जारी किए गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें उत्पादन शुरू हो गया है;

(ग) क्या सहरसा जिले में भी ऐसा उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). दो तरफा (ट्र-वे) रेडियो संचार तथा सम्बद्ध उपस्करों के विनिर्माण के लिए दिनांक 1.6.1987 को बिहार राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). सहरसा जिले में यूनिट की स्थापना के लिए किसी भी इकाई को लाइसेंस अथवा आशय-पत्र जारी नहीं किया गया है।

बिहार के डाकघरों में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की भर्ती

968. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में डाकघरों में अनेक वर्षों से श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं की गई है; और यदि हां, तो कब से;

(ख) बिहार में इन दोनों श्रेणियों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन पदों पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1984 और 1985 को छोड़कर नियमित रूप से भर्तियां की गई हैं।

(ख) समूह "ग" और समूह "घ" में रिक्तियों की संख्या क्रमशः 74 और 5 है।

(ग) पदों को भरने पर लगे प्रतिबन्ध और कुछ मामलों में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाने के कारण इन पदों पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

"हेक्सागनों" को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

969. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **संचार** मंत्री हेक्सागनों को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के बारे में 2 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7754 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अभी तक किन-किन स्थानों में दूर-संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) इन स्थानों पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल सर्किल में ऐसे 5 बसे हुए षटभुजाकार क्षेत्र हैं, जहां 31.3.89 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सुविधा सुलभ नहीं है। ऐसे स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

	ग्राम	जिला
1.	कन्थालूर	इडुक्की
2.	कीझ र	इडुक्की
3.	कीटकम्बूर	इडुक्की
4.	पट्टाबड़ा	इडुक्की
5.	टुप्पादिथारा	वाइनाड

(ख) इन पांच स्थानों/षटभुजाकार क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार सुविधा सुलभ कराने की संभावना है।

केरल में फाईबर ओप्टिक केबल बिछाना

970. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन केबल्स को बदलकर फाईवर आप्टिक केबल्स बिछाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फाइबर ओप्टिक केबल्स केरल में पालघाट और त्रिवेन्द्रम के बीच बिछाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है और यह कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ङ) फाइबर ओप्टिक केबल्स केरल में अन्य क्षेत्रों में बिछाए भी जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। टेलीफोन जिलों में इंटर-एक्सचेंज जंकशनों के लिए प्रयुक्त टेलीफोन केबिलों के स्थान पर धीरे-धीरे फाइबर आप्टिक केबिल प्रणालियां शुरू करने के लिए कार्रवाही की जा रही है। कुछ मामलों में ये आप्टिकल फाइबर प्रणालियां मौजूदा ''पेयर्ड टेलीफोन के बिलों'' को सहायता करेंगी।

(ख) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(i) एर्नाकुलम टेलीफोन जिले के लिए 8 कि०मी० तक फाइबर आप्टिक केबिल के पहले ही आर्डर दिए जा चुके हैं और इसके चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ii) त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिले के लिए 15 कि०मी० तक की दूरी के लिए फाइबर आप्टिक केबल 1990-91 तक प्राप्त हो जाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) इस कार्य के वर्ष 1989-90 के दौरान शुरू होने और 1990 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान केरल के जिन अन्य सेक्टरों में फाइबर आप्टिक केबिल प्रदान की जाएंगी उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) कोट्टायम—कांजिरापल्ली

(2) क्यूलोन—कुन्दरा—कोट्टारक्कारा

(3) पुथनमथिट्टा—कोर्म्मचेरी—कुम्बनाद—तिरूवेल्ला

(4) अलेप्पी—अम्बालापुझा—हरिपद

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ और आप्टिकल फाइबर रूट भी, जिसमें छोटे कस्बे आ जाएंगे, आठवीं योजना के दौरान शामिल किए जाएंगे। यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सुपर कन्डक्टर के निर्माण के लिए अमरीका द्वारा वित्तीय सहायता

971. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका भारत को सुपर कन्डक्टर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो सुपर कन्डक्टर के निर्माण के लिए अमरीका द्वारा दी गई अथवा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ही सुपर कन्डक्टर का निर्माण करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते। भारत सरकार राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत अतिचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रयास किये जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन

972. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2000 तक इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग).

सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रोत्साहनात्मक उपायों की सहायता से पिछले चार वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन में 35% की दर से वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उसी के एक भाग के रूप में न केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि का आकलन किया जाता है अपितु अपेक्षाकृत और अधिक लम्बे समय के लिए पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। सन् 1995 तक चलने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों का एक ऐसा ही मसौदा तैयार किया गया है।

प्रणोदक कारखानों के लिए स्थान का चयन

[हिन्दी]

973. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितने प्रणोदक कारखानें स्थापित करने का प्रस्ताव है; क्या स्थान चयन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) एक प्रणोदक (प्रोपलैंट) निर्माणी की स्थापना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थानों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

(ख) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

सागर में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

974. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर (मध्य प्रदेश) में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने का समय निर्धारित किया गया है और इसके कब तक आरम्भ करने की संभावना है; और

(ख) इस एक्सचेंज के निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भवन का निर्माण कार्य अप्रैल, 1988 में पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। एक्सचेंज को 1992-93 में चालू किये जाने की संभावना है।

(ख) इस एक्सचेंज की निर्माण लागत लगभग 7.40 करोड़ रु० है।

"सुपर कन्डक्टिविटी" के क्षेत्र में अनुसंधान

[अनुवाद]

975. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "सुपर कन्डक्टिविटी" के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय अनुसंधान कार्य किस चरण में है; और

(ग) इस क्षेत्र में भावी सम्भावनायें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम को भारत में विभिन्न अग्रणी संस्थानों और संगठनों में कार्यान्वित किया जा रहा है। मूल अनुसंधान में भारतीय प्रयास लगभग समसामयिक है। प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में भारतीय विशेषज्ञता को विकसित किया जा रहा है।

परमाणु विद्युत उत्पादन का प्रतिशत

976. **प्रो०पी०जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या परमाणु विद्युत की मात्रा में वृद्धि करने के लिए नए परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्रों को कहां-कहां स्थापित किया जाएगा और अन्य तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान, देश में बिजली का कुल जितना उत्पादन हुआ उसमें से 2.6 प्रतिशत बिजली परमाणु बिजली घरों से पैदा की गई।

(ख) जी, हां।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने नीचे दिए गए और परमाणु बिजलीघर लगाने का निर्णय लिया है :

1. कैंगा, कर्नाटक में 235 मेगावाट क्षमता वाले 4 बिजलीघर।
2. तारापुर, महाराष्ट्र में 500 मेगावाट क्षमता वाले 2 बिजलीघर।
3. रावतभाटा, राजस्थान में 500 मेगावाट क्षमता वाले 4 बिजलीघर।
4. कुडनकुलम, तमिलनाडु में 1000 मेगावाट क्षमता वाले 2 बिजलीघर।

सहायकों के लिए विभागीय परीक्षा का अतिरिक्त माध्यम

977. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेड "सी" श्रेणी के आशुलिपिकों को अनुभाग अधिकारी तथा व्यक्तिगत सहायक ग्रेड "बी" की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या मंत्रालयों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों को केवल अनुभाग अधिकारी की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में ही बैठने की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का इस विसंगति को दूर करने के लिए आशुलिपिक ग्रेड "सी" की तरह सहायकों के लिए विभागीय परीक्षा के अतिरिक्त माध्यम की व्यवस्था कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जी, नहीं। कोई विसंगति नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ग्रेड "बी" (अब मिश्रित ग्रेड "क" तथा "ख") के पदों पर नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद के लिए आशुलिपि की जो अनिवार्य तकनीकी निपुणता जरूरी है— वह नहीं होती।

टेलीफोन प्रणाली में सुधार

978. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले महानगरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गंगटोक नगर में ऐसे सुधार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन प्रणाली में सुधार के लिए उपाय पहले से ही किए गए हैं।

(एक) पुराने एक्सचेंज, पुरानी केबिल और पुराने उपकरणों को बदलना;

(दो) जेली भरी केबिलें बिछाना;

(तीन) भूमिगत केबिलों का गैस द्वारा दाबीकरण;

(चार) केबिलों को डक्ट में बिछाना; और

(पांच) दोष बताने वाली प्रणाली और टेलीफोन डाइरेक्ट्रियों का कम्प्यूटरीकरण।

(ग) जी, हां।

(घ) (एक) दीर्घकाल में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर 1992-93 तक 2000 लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करना

(दो) अल्पकालिक उपाय :

(क) पुराने उपकरण बदलना

(ख) ओवरहैड लाइनों में कमी करना; और

(ग) पुरानी घिसीपिटी ड्राप वायरों को बदलना

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या

979. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कितने सैनिक स्कूल हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं और इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कूलों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश में और अधिक सैनिक स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) आंध्र प्रदेश में केवल एक सैनिक स्कूल है। यह विजयनगरम जिले में कोरुकोंडा नामक स्थान में स्थित है। 31 अक्तूबर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार उस स्कूल में 539 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। 1989-90 के वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कूल पर कुल अनुमानित व्यय लगभग 49.41 लाख रुपए है।

(ख) और (ग). सैनिक स्कूल किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विशेष अनुरोध पर खोला जाता है क्योंकि स्कूल के समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का अधिकांश भाग उन्हीं को वहन करना होता है। 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल खोलने के लिए वहां की सरकार से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है।

कामरेड मुजफ्फर अहमद की याद में स्मारक डाक टिकट जारी करना

980. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी कामरेड मुजफ्फर की याद में, जो उनकी जन्म शताब्दी है, एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). मामले पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए गठित निगमों के लिए त्रिपुरा को धनराशि का आवंटन

981. **श्री बाबू बन रियान** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक लाभ तथा उत्थान के लिए गठित निगम के लिए धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या यह राशि त्रिपुरा के इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग). 1988-89 के दौरान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम को 57.66 लाख रु० तथा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम को 94.20 लाख रु० की धनराशि मुक्त की गई थी। वर्ष 1989-90 के लिए, त्रिपुरा के अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम के मामले में राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष 1989-90 के दौरान, भारत सरकार द्वारा मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता में से 95 लाख रु० की धनराशि आवंटित की गई है। निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निधियां मुक्त की जाती हैं।

हैदराबाद टेलीफोन विभाग का कार्य-संचालन

982. **श्री जी० भूपति :**

श्री मानिक रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के अपने प्रतिवेदन में हैदराबाद टेलीफोन विभाग के कार्य संचालन और इसकी क्षमता के कम उपयोग के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है जिसके फलस्वरूप टेलीफोन विभाग के राजस्व को बहुत घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी त्रुटियां न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस मामले पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

मानसिक रूप से अविकसित लोगों के लिए योजना

983. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मानसिक रूप से अविकसित लोगों की सहायता करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में कन्नानौर के मानसिक रूप से अविकसित लोगों के अभिभावक संघ से सहायता के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). जी, हां। विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत यह मंत्रालय उन स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान देता है जो मानसिक विकलांग व्यक्तियों सहित, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में कार्यरत हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अभ्यावेदन केरल सरकार को उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार अवसर

984. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में युवा सहकारिताओं के गठन और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं पर विचार कर रही है, जिससे युवाओं में स्व-रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश में मात्र युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से कोई विशेष योजना नहीं है। यथापि, कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियों की सहायतार्थ एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका युवा वर्ग भी लाभ उठा सकता है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। जहां तक देश के ग्रामीण श्रेत्रों में युवाओं में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने का सम्बन्ध है, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रदान करने की स्कीम को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, युवा वर्ग एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे अन्य कार्यक्रमों से भी लाभ उठा सकता है।

पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनायें

985. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कोई इलेक्ट्रॉनिकी परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उसमें पश्चिम बंगाल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम, इलेक्ट्रॉनिक-चिकित्सकीय उपकरण केन्द्र के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम के रूप में कलकत्ता में इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, पूर्व में परीक्षण की सुविधाओं का संवर्द्धन शामिल है।

त्रिवेन्द्रम में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची

986. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) प्रत्येक एक्सचेंज में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ग) प्रत्येक एक्सचेंज में कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) प्रत्येक एक्सचेंज में कितने आवेदन-पत्र तीन वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ङ) गत वर्ष के दौरान आवेदकों को कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जायेगा और प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 33 है।

(ख) से (ङ). उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) 1989-90 के दौरान त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिले में 7 एक्सचेंजों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन सातवीं योजना की शेष अवधि एवं आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से प्रदान किये जायेंगे। ऐसा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार एवं उपस्कर उपलब्ध होने पर जहां व्यवहार्य हो नए एक्सचेंज खोलकर किया जायेगा।

विवरण

त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिला

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	3 वर्ष से अधिक पुराने नाम हो	1988-89 के दौरान प्रदान किये गये कनेक्शन
		(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1.	अरयान्द	82	61	1	4
2.	अन्टिंगल	563	317	73	156
3.	बालारामापुरम	376	98	—	128
4.	चिरायींकिल	90	214	82	—
5.	कल्लाम्हलम	88	155	34	2
6.	कल्लारा	62	40	—	12

		(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
7.	कनियापुरम	295	274	65	7
8.	कन्जिरांकुलन	89	33	—	1
9.	कन्याकुलनगारा	89	115	10	—
10.	कराकोनान	60	14	—	16
11.	कट्टाकडा	89	171	93	—
12.	किलनानूर	196	114	27	4
13.	मदनविलापथुरा	70	42	—	24
14.	मदाबुरपल्लिकल	88	114	17	—
15.	मलयान्किल	90	64	—	4
16.	नेदुननागड	295	237	35	—
17.	नैयातिंकारा	478	136	—	96
18.	ओट्टासेकनानांगल	33	5	—	4
19.	पच्छा-पलोदे	61	45	1	16
20.	परसाला	90	84	15	1
21.	पेरिंगनाला	36	15	—	3
22.	पूवार	89	12	—	8
23.	त्रिवेन्द्रम कैथनुक्कू	9533	4866	1646	76
24.	त्रिवेन्द्रम-श्रीकरियान	1470	1409	542	16
25.	त्रिवेन्द्रम-त्रिवेन्द्रम	9567	3744	1003	119
26.	वक्कन	90	107	50	1
27.	वाचला	839	377	—	517
28.	वेल्लारादे	81	26	4	2
29.	वेंजारानोडू	90	105	2	—
30.	विथुर	88	112	96	—
31.	विझिंजम	290	117	11	63
32.	अंबूरी	58	25	—	52
33.	वेल्लानद	60	52	—	60

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 की संवीक्षा

987. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : (क) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की संवीक्षा की है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत दूसरे देशों से प्राप्त सहायता में गरीब लोगों के कल्याण और अन्य विकास गतिविधियों में संलग्न स्वयंसेवी संघों/संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो बातचीत का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई नए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया जाएगा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, अधिनियम में संशोधन होते ही उसके तहत नियमों को भी संशोधित किया जायेगा।

दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शन न देने की स्थिति वाले टेलीफोन एक्सचेंज

988. **श्री एच०जी० रामुलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में उन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं जो नये टेलीफोन कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं हैं और यह स्थिति प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में कब से विद्यमान है;

(ख) क्या ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आपातकालीन मामलों में भी नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने/पुराने टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों में से प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में स्थिति में कब तक सुधार होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (घ). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). ऐसे एक्सचेंजों को टेलीफोन शिफ्ट करने और नये टेलीफोन देने की अनुमति अपवाद के मामलों में ही दी जाती है ।

विवरण

20.7.89 को पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहे एक्सचेंजों की सूची

क्र०सं०	एक्सचेंज	क्षमता पूर्ण होने की तारीख	प्रत्याशित रिलीफ
1.	किदवई भवन	9.6.88	जनवरी-मार्च, 90
2.	जोरबाग	7.6.89	मार्च, 1991
3.	शाहदरा	31.3.88	
4.	लक्ष्मी नगर	24.9.88	
5.	शक्तिनगर	30.6.89	
6.	रोहिणी	30.6.89	
7.	बादली	7.7.89	दिसम्बर, 89
8.	नेहरू प्लेस	30.6.89	मार्च, 1990
9.	हौजखास	31.12.87	फरवरी, 90
10.	चाणक्यपुरी	30.9.88	फरवरी, 90
11.	नांगलोई	31.12.88	दिसम्बर, 1989
12.	राजौरी गार्डन	31.12.87	मार्च, 1990
13.	जनकपुरी	30.6.87	मार्च, 1990

आन्ध्र प्रदेश में अनुसन्धान केन्द्र/प्रयोगशाला

989. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आंध्र प्रदेश में कोई नई प्रयोगशाला अथवा अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आंध्र प्रदेश में नई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि वहां 3 बड़ी प्रयोगशालाएं और कुछ क्षेत्रीय केन्द्र पहले से ही हैं। वर्तमान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में ग्रामों को टेलीफोन सेवा में जोड़ना

990. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की अवधि के बाद आंध्र प्रदेश में हाल ही में टेलीफोन सेवा से जोड़े गये गांवों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 64 ग्रामों में टेलीफोन सेवायें प्रदान किये जाने की संभावना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

31.12.88 के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश में 40 ग्रामों में टेलीफोन प्रदान किये गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	ग्राम का नाम	जिला/एस०एस०ए०
1	2	3
1.	मयलकल	संगारेड्डी
2.	मुनीयारपल्ली	वही
3.	मोर्गी	वही
4.	तुनेकी	वही
5.	त्रविण	महबूब नगर
6.	यणिरेड्डी पल्ली	वही
7.	गोपनापल्ली	वारंगल
8.	लेपार्थी	वही
9.	डोंगाडुर्थी	करिमनगर
10.	थकेलियापल्ली	वही
11.	वलचेल	नलगोंडा

1	2	3
12.	वीएम वन्जारा	खम्माम
13.	श्रीरामपुरम	अदीलाबाद
14.	सिद्धेश्वरस्वामी कोंडा	तिरुपति
15.	मुडालामुदड्डी	वही
16.	पाथीकोंडा	वही
17.	चोड़ासामुद्रम	वही
18.	पालकोले	कुरनूल
19.	रामापुरम	वही
20.	गड्डीगिरेउल्ला	वही
21.	गोल्पम	वही
22.	प्रपल्ली	वही
23.	मोट्टूकूर	कूड्डापाह
24.	नल्लीचेरू	वही
25.	रचाडपेटा	वही
26.	गट्टूवीराईअस्त्रम	वही
27.	कृष्णापुरम	नेल्लोर
28.	गांडीपालेम	वही
29.	कोकांटी	वही
30.	बांदामिड़ाकोमपल्ली	अनन्तपुर
31.	चिकातीमनीपल्ली	वही
32.	बूग्गा	वही
33.	पबलबारीगुडेम	ईलरू
34.	काकीरापर्डे	वही
35.	कोंडलारावपल्लम	वही
36.	विपाणमपल्ली	महबूबनगर
37.	ब्राह्मणपल्ली	नेल्लोर

1	2	3
38.	पोथेगल	कुरूनूल
39.	बंकलापुरम	नेल्लोर
40.	टड़काल	संगारेड्डी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का स्थानांतरण

991. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को मसूरी से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या नए स्थान के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या नए स्थान पर भवन और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय अभी लिया नहीं गया है कि अकादमी को किस स्थान पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

(ग) से (ङ). यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र

992. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र कब से कार्य कर रहा है;

(ख) उपर्युक्त केन्द्र को गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ग) वहां पर कौन-से विशेष सुदूर संवेदन कार्य आरम्भ किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (ऑरसेक) अप्रैल, 1984 से कार्य कर रहा है।

(ख) इस केन्द्र को गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने निम्न धनराशि आवंटित की है :

राज्य सरकार के साधनों से

1985-86	5.72 लाख रुपये
1986-87	37.13 लाख रुपये
1987-88	26.08 लाख रुपये

केन्द्रीय सरकार के माध्यम से

1985-86	2.60 लाख रुपये
1986-87	2.00 लाख रुपये
1987-88	35.36 लाख रुपये

(ग) उड़ीसा सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र जल, वानिकी, कृषि, मृदा इत्यादि जैसे विविध प्राकृतिक संसाधनों को आवृत्त करते हुए सुदूर संवेदन उपयोग संबंधी अनेक अध्ययन कर रहा है। ऑरसेक ने निम्न विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य किया है :

— पुरी और कटक जिलों में मृदा मानचित्रण,

— चावल के एकड़बार आंकलन के लिये फसल उत्पादन पूर्वानुमान,

— क्षेत्रीय भूविज्ञानीय मानचित्रण,

— परती भूमि की पहचान और उसका वर्गीकरण,

— पूर्वी घाटों का अपरदन संबंधी आंकलन,

— तटीय और महासागर संबंधी उपयोग,

— महानदी डेल्टा में मृदा मानचित्रण,

— कृषि जलवायवी क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग मानचित्रण,

— सुकीण्डा क्रोमाइट बेल्ट में खनन के पर्यावरणीय प्रभाव,

— केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थल के लिए जन्कीया, महीसापत सारंगा और खुतुंनी के आस-पास के स्थलों और तलचर तथा इब कोयला क्षेत्रों में भूमि उपयोग अध्ययन,

— प्रस्तावित बांसापनी—दैतारी रेलवे लिंक के साथ वन वर्गीकरण तथा बांसापनी—क्योंझर भाग का पुनर्सरेखण,

— एल०पी०जी० वाटलिंग प्लांट के लिए भूमिजल का मानचित्रण,

— गंधमर्दन क्षेत्र का मानचित्रण और हिल टॉप रोड का पुनर्सरेखण,

— नयागढ़ शुगर फैक्टरी आबादी में भूमिजल अध्ययन,

— 14 क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण,

— भुवनेश्वर के शहरी विस्तार का अध्ययन,

— काशीपुर क्षेत्र का जल विभाजक अध्ययन,

— सुनेई जलग्रहण क्षेत्र में जलविभाजक प्राथमिकताएं,

— भीतार—कणिका क्षेत्र में मैनग्रोव वनस्पति का निरूपण,

— उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण अध्ययन,

— बाढ़ों का मानचित्रण,

— उड़ीसा में तटीय अपरदन की गतिकियां,

— शिमलीपाल पहाड़ियों में पारिस्थितिक अध्ययन,

— चिलका झील और इसके पारिस्थितिक तंत्र के पर्यावरणीय अध्ययन,

— सूखा मानीटरन तथा भूमिजल की खोज,

— हीराकुण्ड जलाशय में अवसादी अध्ययन,

— इब घाटी का पर्यावरणीय मानचित्रण,

— चुने हुए जिलों में सूखे की पहचान, वर्गीकरण और मानीटरन,

— ताल क्षेत्र के खनन पर्यावरण और सुपर ताप का प्रभाव,

— खनन बॉक्साइट के पर्यावरणीय प्रभाव,

— पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत भूमिजल के संभाव्य क्षेत्र का मानचित्रण।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जवानों की भर्ती

993. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की भर्ती की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या गुजरात में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जवानों की भर्ती के लिए पेपरों में हेर-फेर करने के काण्ड का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने व्यक्ति धोखाधड़ी से भर्ती किये गये;

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(च) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों में कांस्टेबलों की भर्ती, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेष भर्ती दलों द्वारा समाचार पत्रों, रेडियों और टेलीविजन के जरिये व्यापक प्रचार किये जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में खुली भर्ती रैलियां आयोजित करके, की जाती हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए देश की कुल आबादी के मुकाबले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आबादी के अनुपात को ध्यान में रखकर रिक्तियां आबंटित की जाती हैं। जो उम्मीदवार शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें चयन सूची में रखा जाता है। यह चयन पूर्ववृत्तों और भर्ती के समय उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरणों के सत्यापन, जिसे सिविल पुलिस द्वारा किया जाता है, पर निर्भर करता है।

(ख) से (च). केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को प्राप्त एक शिकायत के आधार पर यह ध्यान में आया है कि कुछ उम्मीदवारों ने नकली शैक्षिक तथा अधिवास प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करके गुजरात से अपने नामों को चयन सूची में शामिल करवाया। अभी तक ऐसे 98 मामलों का पता लगाया गया है। ऐसे उम्मीदवारों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच-पड़ताल का कोई कार्य नहीं सौंपा है। परन्तु ग्रुप कमांडिंग अधिकारी, गांधी नगर द्वारा जाली प्रमाण-पत्र बेचने के अन्तर्गत गिरोह के विरुद्ध जांच-पड़ताल करने के लिए पुलिस आयुक्त अहमदाबाद के पास एक शिकायत दर्ज की गई है।

महिलाओं के प्रति अपराध

994. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावनि :**

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) वर्ष 1989 के प्रथम छः महीनों में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध की घटनाओं का एक ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) 1989 के प्रथम छः महीनों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों के राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्रवार उपलब्ध आंकड़ों का एक ब्यौरा विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

(ग) अपराधों के पंजीकरण, छानबीन, खोज और निवारण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। मामलों को दर्ज करने, उनकी छानबीन करने और उनको न्यायालयों में दायर करने की कार्रवाई भी उन्हीं को करनी होती है। इस श्रेणी के अपराधों को रोकने का कार्य भी उनके क्षेत्राधिकार में ही आता है।

विवरण-1

क्र० सं०	अपराध शीर्ष	1986	1987	1988
1	2	3	4	5
1.	बलात्कार	7,321	7,755	8,342
2.	अभद्र व्यवहार	16,393	16,074	16,631

1	2	3	4	5
3.	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	8,906	8,858	9,424
4.	महिलाओं के साथ छेड़छाड़	5,064	7,103	10,003
5.	दहेज के कारण मृत्युएं	1,319	1,811	2,152

1. आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अस्थायी समझा जाए।
2. इसमें मध्य प्रदेश के संबंध में सितम्बर, 1988 तक, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और दादरा तथा नगर हवेली दोनों के सम्बन्ध में नवम्बर, 1988 तक तथा लक्षद्वीप के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1988 तक के आंकड़े शामिल हैं।
3. तिमाही विवरणियों के आधार पर बलात्कार के आंकड़ों को छोड़कर जो कि 1987 के लिए 124 हैं, 1987 के हरियाणा आंकड़े मार्च, 1987 तक उपलब्ध हैं।

विवरण-2

क्र० सं०	राज्य/सं०शा० क्षेत्र	बलात्कार	अभद्र व्यवहार	अपहरण और भगाकर लेजाना	महिलाओं के साथ छेड़छाड़	दहेज के कारण मौतें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	केवल जनवरी, 1989 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	9	9	—	—	मई, 1989 तक
3.	असम	उ०न०					
4.	बिहार	उ०न०					
5.	गोआ	7	5	4	1	—	मई, 1989 तक
6.	गुजरात	उ०न०					
7.	हरियाणा	उ०न०					
8.	हिमाचल प्रदेश	16	65	31	—	6	मई, 1989 तक
9.	जम्मू एवं कश्मीर	50	302	135	83	—	अप्रैल, 1989 तक
10.	कर्नाटक	64	330	46	40	57	अप्रैल, 1989 तक
11.	केरल	64	189	43	—	—	अप्रैल, 1989 तक
12.	मध्य प्रदेश	उ०न०					
13.	महाराष्ट्र	365	1139	417	310	219	मई, 1989 तक
14.	मणिपुर	5	19	55	—	—	मई, 1989 तक

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	3	—	—	—	—	फरवरी, 1989 तक
16.	मिजोरम	17	10	1	—	—	अप्रैल, 1989 तक
17.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	फरवरी, 1989 तक
18.	उड़ीसा	64	209	61	17	15	अप्रल, 1989 तक
17.	पंजाब	15	9	22	3	18	अप्रैल, 1989 तक
20.	राजस्थान	उ०न०					
21.	सिक्किम	—	2	—	—	—	मई, 1989 तक
22.	तमिलनाडु	71	251	102	267	47	अप्रैल, 1989 तक
23.	त्रिपुरा	26	33	29	—	5	मई, 1989 तक
24.	उत्तर प्रदेश	उ०न०					
25.	पश्चिम बंगाल	उ०न०					
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उ०न०					
27.	चंडीगढ़	3	3	6	11	—	मई, 1989 तक
28.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	मई, 1989 तक
29.	दादर और नगर हवेली	2	—	—	—	—	मई, 1989 तक
30.	दिल्ली	26	36	145	650	6	मार्च, 1989 तक
31.	लक्षद्वीप	उ०न०					
32.	पाण्डिचेरी	1	7	11	104	2	मई, 1989 तक

टिप्पणी : उ०न० का अर्थ उपलब्ध नहीं है। 2. हाइफन का अर्थ शून्य है।

गोवा में टेलीफोन एक्सचेंज बदलना और इसका विस्तार करना

995. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने अथवा इसका विस्तार करने का विचार है;

(ख) इनके बदलने अथवा इनके विस्तार संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कार्य सूची क्या है;

(ग) क्या गत समय में भी ऐसे कार्यों के संबंध में कार्य सूची का पालन किया जाता था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिनके बारे में कार्य की समय सूची का पालन किया जाता था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	गोवा में संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम	किस्म	विस्तार/पुर्नस्थापन योजना (89-90)	चालू किए जाने की तारीख
1	2	3	4	
1.	पणजी	एम०ए०एक्स०-I	350 लाइनों का विस्तार (4200-4550) 250 लाइनों का विस्तार (4550-4800)	4.4.1989 को चालू किया गया सितम्बर, 1989
2.	विकोलिम	एम०ए०एक्स-II	200 लाइनों के एक्सचेंज के स्थान पर 512 पोर्ट आई०एल०टी० लगाया जाना	दिसम्बर, 89
3.	कालंगूटे	एस०ए०एक्स	90 लाइनों के एक्सचेंज के स्थान पर 200 लाइनों का एम० ए० एक्स-II लगाना	दिसम्बर, 89
4.	पोम्बूरपा	एस०ए०एक्स	25 लाइनों के एक्सचेंज के स्थान पर 64 पोर्ट आई०एल०टी० लगाना	1989-90

1	2	3	4	
5.	हांडा	एस०ए०एक्स	25 लाइनों के एक्सचेंज के स्थान पर 64 पोर्ट आई०एल०टी० लगाना	1989-90
6 से 23.	एस० ए० एक्स अलडोना, अस्सोवारा, चोराओ, क्रोल्लेम, कोर्टालिम, मंडरेम, मरोल, नेरूल, पाले, परनेम, पिलार, क्वेपेम, सेंगूएम, सिओलिम, शिरोडे, टिस्का, वालपोई और वार्सा		25-45 लाइनों के इन एक्सचेंजों के स्थान पर 128 पोर्ट सी० डॉट लगाए जाएंगे, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।	1989-90

राज्यवार निर्धनता के अनुपात का आकलन करने की प्रक्रिया

997. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा राज्यवार निर्धनता के अनुपात के आकलन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या यह पूरे देश और राज्य के लिए निर्धारित एकल गरीबी रेखा पर आधारित है—इसके लिए विशिष्ट गरीबी रेखाएं निर्धारित और प्रयुक्त नहीं की गई हैं;

(ग) यह अनुपात किस तारीख तक अद्यतन किया गया है; और

(घ) क्या योजना आयोग को इस सम्बन्ध में राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित (1979) न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावी खपत मांग से संबंधित कुलिक बल द्वारा गरीबी की रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं के अनुरूप वर्ष 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रूप तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) निर्धनता के अनुपात को वर्ष 1983-84 के लिए अद्यतन बनाया गया है।

(घ) योजना आयोग को राज्यों (केरल, त्रिपुरा, असम तथा हिमाचल प्रदेश) से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनमें गरीबों की संख्या या प्रक्रिया के पहलुओं केबा रे में प्रश्न उठाए गए हैं।

समुद्री तट से खनिज निकालने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की प्रौद्योगिकी

998. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका समुद्री तट से खनिजों के विकास और खोज के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु राजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्र तट से खनिजों के विकास और खोज से भारत की अर्थव्यवस्था में कहां तक सुधार आयेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। समुद्री संस्तर के विकास तथा खोज हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात से स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के लिए आवेदन पत्र

999. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के लिए 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1989 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस समय कितने मामलों में मंजूरी दी गई, कितने रद्द किए गए और कितने विचाराधीन लम्बित पड़े हैं;

(ग) 30 जून, 1989 को कितने व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहे थे;

(घ) मामलों के रद्द करने और लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी पेंशने रद्द तथा समाप्त कर दी गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). जनवरी, 1985 से 30 जून, 1989 तक की अवधि के दौरान गुजरात से 91 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस अवधि के दौरान पारिवारिक पेंशन के हस्तांतरण के मामलों और इस अवधि से पहले प्राप्त हुए मामलों, सहित 121 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। इन मामलों में से 23 मामले देर से प्राप्त आवेदनों से सम्बन्धित हैं, अर्थात्, जो 31.3.1982 के बाद प्राप्त हुए। इसी अवधि के दौरान (1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1989 तक) 35 मामलों को अस्वीकार किया गया तथा 33 लम्बित पड़े मामले प्रक्रिया की विभिन्न स्थिति में हैं।

(ग) इस योजना के आरम्भ होने से 30 जून, 1989 तक गुजरात राज्य के बारे में स्वीकृत की गई केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के मामलों की कुल संख्या 3,489 है।

(घ) 31 मार्च, 1982 के बाद प्राप्त "विलम्बित" आवेदन पर विलम्ब रद्द करने और पेंशन स्वीकृत करने पर विचार किया जाता है यदि आवेदक द्वारा भोगी गई यातनाओं की सरकारी रिकार्ड से पुष्टि होती हो। यदि इन शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है तो आवेदन को अस्वीकार किया जाता है। सरकारी रिकार्डों के उपलब्ध न होने पर ऑल इण्डिया एमीनेन्स के स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं। आसीन/भूतपूर्व सांसदों और विधायकों के मामले में उनके निजी प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं।

(ङ) 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1989 तक की अवधि के दौरान किसी भी पेंशन को निलम्बित अथवा रद्द नहीं किया गया है।

बंगलादेश में घुसपैठ

1000. **श्री कृष्ण सिंह :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बंगलादेश से असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान और 1989 के पहले छः महीनों में बंगलादेश से हुई घुसपैठ के बारे में सरकारी अनुमान क्या है; और

(ग) घुसपैठ में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकार को जानकारी है कि बंगलादेश से भारत में घुसपैठ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से होती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा की भारत-बंगलादेश सीमा पर 1988 और 1989 के पहले छः महीनों में पकड़े गए घुसपैठियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बंगलादेश से नहीं लगती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में अवैध बंगलादेशी राष्ट्रिकों को पकड़ने और उन्हें वापस बंगलादेश खदेड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल को सौंपने के स्थाई अनुदेश है।

विवरण

वर्ष 1988 और 1989 (जून, तक) के दौरान असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा क्षेत्रों की भारत-बंगला देश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या

सीमा का क्षेत्र	वर्ष	सीमा पर पकड़े गए व्यक्ति	वापस भेजे गए	आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस को सौंपे गए
1	2	3	4	5
असम	1988	102	15	87
	1989 (जून तक)	60	3	57

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	1988	23188	21370	1818
	1989 (जून तक)	14620	12927	1693
त्रिपुरा	1988	1193	790	403
	1989 (जून तक)	346	26	320

राजस्थान क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर तार लगाना

1001. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर लगे राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में 58.8 किलोमीटर लम्बी तार लगाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तार लगाने का कार्य कब प्रारम्भ किया गया; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). के०लो०नि०वि०, जो इस कार्य को कर रहा है, द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बाड़ लगाने का कार्य दिसम्बर, 1988 में शुरू किया गया था और 15 जुलाई, 1989 को 51.50 कि०मी० काम पूरा किया जा चुका है।

अनुसंधान क्षमता में वृद्धि

1002. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने अनुसंधान-पोत सामुद्रिकी अनुक्रिया और गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र की अनुसंधान क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ

1003. **श्री कमल चौधरी** :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 के समाप्त हुई गत दो वर्षों के दौरान कितने घुसपैठिए मारे गए अथवा गिरफ्तार किए गए वे किस देश के थे और वे किन राज्यों से घुस कर आए थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बंगलादेश और पाकिस्तान से कितने व्यक्ति भारत में घुसकर आए; और

(ग) इस प्रकार की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और उसके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुए पिछले दो वर्षों के दौरान भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर पकड़े गए/अथवा मारे गए घुसपैठियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल, जो भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं की रक्षा कर रहा है, को सुदृढ़ किया गया है। व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिक बाह्य चौकियों का निर्माण किया गया है तथा गहन गश्त के लिए बल को अत्याधुनिक उपकरणों और वाहनों से सुसज्जित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1987 और 1988 के दौरान भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर पकड़े गए तथा मारे गए घुसपैठियों की संख्या

सीमा का क्षेत्र	वर्ष	पकड़े गए	वापस खदेड़े गए	आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस को सौंपे गए	मारे गए
1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	1987	67	3	64	11
	1988	119	48	71	49
पंजाब	1987	2418	2004	414	174
	1988	2329	1934	195	201
राजस्थान	1987	1434	1098	336	38
	1988	1027	1027	180	179
गुजरात	1987	20	2	18	—
	1988	21	—	21	2
असम	1987	177	188	59	1
	1988	102	15	87	1
मेघालय	1987	98	58	40	7
	1988	168	117	51	2

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	1987	3104	2742	362	4
	1988	1193	790	403	5
पश्चिम बंगाल	1987	25104	24123	981	2
	1988	23188	21370	1818	4
मिजोरम	1987	28	—	28	—
	1988	1	1	—	—

टिप्पणी : यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे मारे गए व्यक्तियों तथा पुलिस प्राधिकारियों को सौंपे गए घुसपैठियों की राष्ट्रीयता का निर्धारण करें।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के मामले

1004. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 तक कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है;

(ख) 30 जून, 1989 को कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही थी;

(ग) 30 जून, 1989 को स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने संबंधी कितने आवेदन विचाराधीन थे; और

(घ) 30 जून, 1989 को ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन विचाराधीन थे जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे अधिक है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 30 जून, 1989 तक 1,49,741 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गयी।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) समय पर प्राप्त 754 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(घ) प्रभाग में आयु-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन

1005 **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिक में अब तक कितने स्थायी स्टेशन स्थापित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1982 में इसके प्रथम अभियान के समय से उस द्वीप में अनुसंधान, अभियान तथा स्थायी स्टेशनों की स्थापना इत्यादि पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) निकट भविष्य में अंटार्कटिक में किये जाने वाले प्रस्तावित वैज्ञानिक अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) अंटार्कटिक में अब तक दो स्थायी भारतीय केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ख) पहले अभियान से लेकर आठ अनुसंधान अभियानों पर 42.96 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च किया गया है जिसमें प्रत्येक अभियान के लिए जहाज किराए पर लेने और दो स्थाथी केन्द्रों के निर्माण की लागत शामिल है।

(ग) अंटार्कटिक में भूविज्ञान, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूचुम्बकत्व और वायुमण्डलीय भौतिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययनों में भविष्य में तेजी लाए जाने की आशा है।

चकमा शरणार्थी

1006. **श्री बाजू बन रियान** :

श्री हरिहर सोरन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के शरणार्थी शिविर में कितने चकमा शरणार्थी हैं;

(ख) क्या उनके आवास, चिकित्सा, पेय जल के और उनके बच्चों की शिक्षा-सुविधा के लिये राहत उपाय किये गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है;

(घ) क्या शरणार्थियों की संख्या के दबाव से स्थानीय लोगो के लिये आर्थिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं; और

(ङ) जून, 1989 तक महीने-वार कितने शरणार्थी वापस भेजे गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बंगलादेश से आये शरणार्थियों के लिये त्रिपुरा में लगाये गये शिविरों में दिनांक 13.7.1989 को 66407 शरणार्थी थे।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ). वर्ष 1988-89 के दौरान इन शरणार्थियों के भरणपोषण के लिये भारत सरकार ने 462.686 लाख रुपये त्रिपुरा सरकार को जारी किये थे।

(ङ) बंगलादेश से आये उन शरणार्थियों को, जो अप्रैल, 1986 और उसके बाद से त्रिपुरा में आये थे तथा जिनको राज्य के सहायता शिविरों में रखा गया था, को स्वदेश लौटाने का कार्य अभी होना है।

आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के लिए योजनायें

1007. **श्री जी० भूपति** :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजनायें तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और आदिवासियों के कल्याण के लिए बेहतर एवं कारगर ढंग से कार्य करने हेतु ऐसे वैज्ञानिकों को क्या सहायता/प्रोत्साहन दिया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के "ग्रामीण विकास के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग" कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये वैज्ञानिकों के क्रोड दल को विकसित करने में लिए स्वैच्छिक संगठनों को दीर्घावधि सहायता प्रदान की जाती है। आदिवासियों/महिलाओं/कमजोर वर्गों के विकास के लिए विशेष समयबद्ध परियोजनाओं को अपनाने के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में वैज्ञानिकों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वैज्ञानिकों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यकारी समूहों से परामर्श की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जा रहा है।

अतिविशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों में चोरियां एवं लूटमार

1008. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाबा खड़कसिंह मार्ग आदि जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों में दिन में लूटमार और चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) स्थानीय पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट में जनवरी से जून, 1989 तक इन क्षेत्रों से कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और कितने मामलों में चोरी हुई वस्तुएं बरामद की गईं; और

(ग) इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सूचित किए गए मामले—8

हल किये गये मामले— 4

(ग) पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 14.4.89 को चोरों का एक गिरोह गिरफ्तार किया गया था। इस क्षेत्र में विशेष चौकी मोबाइल गश्ती दलों की नियमित रूप से व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली में कालोनियों के निवासियों की सुरक्षा के लिए नई योजना

1009. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कालोनियों के निवासियों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस ने एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी कालोनियों को सम्मिलित किया गया है;

(घ) इस योजना में कितनी कालोनियों को सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ङ) इन कालोनियों को कब तक इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) "नेबरहुड वाच स्कीम" के अन्तर्गत, पुलिस अपराध रोकने के लिए नागरिकों को अपने पड़ोस में नजर रखने के लिए प्रेरित करती है । यह कुछ क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई है और धीरे-धीरे सभी अपराध के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शामिल कर लिये जायेंगे । निवासियों को इस योजना में शामिल करने के लिये क्षेत्र में अपराध स्थिति को स्पष्ट करने तथा नागरिकों द्वारा किये गये अच्छे कार्य प्रदर्शित करने के लिए एक मासिक समाचार-पत्र प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है । इस योजना में, समन्वयक, निवासियों तथा पुलिस की भूमिका परिभाषित की गई है । इस योजना के लगभग समस्त खर्चों को पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ). अपराध के प्रति संवेदनशील 22 रिहायशी कालोनियां शामिल की गई हैं । शेष चरणबद्ध तरीके से शामिल कर ली जायेंगी ।

दूरसंचार सलाहकार समिति, पश्चिम बंगाल

1010. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :**

श्री मतिलाल हंसदा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा इस वर्ष के लिये दूरसंचार सलाहकार समिति, पश्चिम बंगाल का गठन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "सरकारी कामगार श्रेणी" में व्यक्तियों को किस आधार पर शामिल किया जाता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के लिये दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है और इसमें 30 सदस्य हैं । इस समिति का कार्यकाल 31.8.1989 तक है ।

(ग) सम्बन्धित मुख्य महा प्रबन्धकों एवं मुख्यालय में सीधे प्राप्त सिफारिशों के आधार पर समिति के लिये नामांकन स्वयं संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

शराब की दुकानें खोलना

1011. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने के लिये क्या मानदंड और शर्तें निर्धारित हैं;

(ख) क्या किसी क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने के लिए स्थानीय नगर निगम पार्षद से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस शर्त से ऐसा परिहार्य प्रतिबन्ध लग गया है जिससे अधिकृत शराब की दुकान न होने के कारण मिलावटी शराब की बिक्री हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन किया है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन के अनुसार, आबकारी विभाग भारत में निर्मित विदेशी शराब/बीयर के बिक्री केन्द्रों को चलाने के लिये सरकार द्वारा नियन्त्रित निगमों को एल-2 (भारत में निर्मित विदेशी शराब/बीयर का फुटकर बिक्री) लाईसेंस देता है। शराब की दुकान खोलने के लिये सम्बन्धित निगम से सिफारिश और महानगर पार्षद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्थान चयन समिति द्वारा प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया जाता है। उससे बाद प्रस्तावित स्थान पर बिक्री केन्द्र (फुटकर दुकान) खोलने के लिए उप-राज्यपाल की अनुमति प्राप्त की जाती है।

क्षेत्र के पार्षद से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने की शर्त किसी प्रकार से उन स्थानों पर नई शराब की दुकानों को खोलने में बाधक नहीं है, जहां पर इस प्रकार की दुकानों को खोलने की वास्तविक आवश्यकता है।

केरल में ज्वारीय तरंग केन्द्र

1012. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विजिजम बन्दरगाह में तरंग ऊर्जा पर आधारित एक बिजली घर का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्य करने लगेगा;

(ग) इस संयन्त्र की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का मुक्त रूप से प्राप्य ज्वारीय ऊर्जा के विदोहन हेतु ऐसे और बिजली घर स्थापित करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक प्रयोगात्मक तरंग ऊर्जा संयन्त्र को केरल में विझिजम में लगाया जा रहा है।

(ख) इस संयन्त्र का निर्माण 1990 में पूरा किये जाने की आशा है और उसके बाद उसे परीक्षण के तौर पर चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस संयन्त्र की अधिष्ठापित क्षमता 150 किलोवाट है।

(घ) ज्वार-भाटा से विद्युत उत्पादन के सिद्धांत तरंगों से विद्युत उत्पादन के सिद्धांतों से भिन्न हैं। ज्वार ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता की भारत में केवल गुजरात में कच्छ की खाड़ी में विस्तारपूर्वक जांच की गई है और वहां पर 900 मे०वा० का ज्वार-विद्युत

संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव है। इस समय देश में कोई ज्वार या तरंग विद्युत उत्पादन संयन्त्र स्थापित करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

गूंगे व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

1013. **श्री आर०एम० भोये** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गूंगे व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बीमारी की रोकथाम के लिए किये गये अनुसन्धान का ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या उपलब्धि रही ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख). विवरण— 1, विवरण—2, विवरण—3 और विवरण—4 संलग्न हैं।

(ग) गूंगापन कोई रोग नहीं है। यह एक गौण विकलांगता है जो मुख्यत: श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाने पर होती है। जन्म से ही श्रवण शक्ति के ह्रास जिसके कारण गूंगापन होता है का मुख्य कारण है, आयोडीन की कमी जिसके लिये आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति के कार्यक्रम शुरू कर दिए गये हैं।

विवरण-1

1981 की जनगणना के सम्बन्ध में संचालित गृह सूचीकरण अभियान में 2,76,691 व्यक्तियों के पूरी तरह से गूंगे होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पूरी तरह से गूंगी जनसंख्या के बारे में राज्यवार अलग-अलग सूचना संलग्न विवरण—2 में दी गई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वाणी और श्रवण विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण—3 और विवरण—4 में दिया गया है।

विवरण-2

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्णरूपेण मूक जनसंख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्णरूपेण मूक संख्या		
		ग्रामीण	शहर	कुल
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27,419	3,161	30,580
2.	बिहार	22,457	1,327	23,784
3.	गुजरात	9,943	2,628	12,571
4.	हरियाणा	2,900	459	3,359

1		2	3	4
5.	हिमाचल प्रदेश	3,971	124	4,095
6.	जम्मू और कश्मीर	4,360	525	4,885
7.	कर्नाटक	14,970	2,643	17,613
8.	केरल	8,995	1,824	10,819
9.	मध्य प्रदेश	12,690	1,504	14,194
10.	महाराष्ट्र	15,578	3,485	19,063
11.	मणिपुर	720	124	844
12.	मेघालय	759	51	810
13.	नागालैंड	1,672	29	1,701
14.	उड़ीसा	12,851	911	13,762
15.	पंजाब	3,277	615	3,892
16.	राजस्थान	10,544	1,517	12,061
17.	सिक्किम	1,875	66	1,941
18.	तमिलनाडु	22,013	6,115	28,128
19.	त्रिपुरा	1,018	110	1,128
20.	उत्तर प्रदेश	26,601	2,835	29,436
21.	पश्चिम बंगाल	32,892	4,779	37,671
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68	11	79
23.	अरुणाचल प्रदेश	1,476	11	1,487
24.	चंडीगढ़	8	75	83
25.	दादर और नगर हवेली	68	4	72
26.	दिल्ली	99	938	1,037
27.	गोवा, दमन और दीव	407	118	525
28.	लक्षद्वीप	22	23	45
29.	मिजोरम	652	99	751
30.	पांडिचेरी	149	126	275

*असम, जहां जनगणना नहीं की जा सकी, इसमें शामिल नहीं है।

विवरण-3

प्रत्येक 1,00,000 में 5 वर्ष की आयु (ऊपर) वाले बाधी विकलांगों की अनुमानित संख्या)

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	443	373
असम	244	213
बिहार	334	258
गुजरात	169	164
हरियाणा	269	625
हिमाचल प्रदेश	379	127
जम्मू और कश्मीर	523	298
कर्नाटक	343	291
केरल	418	470
मध्य प्रदेश	174	161
महाराष्ट्र	194	199
मणिपुर	131	116
मेघालय	513	11
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	31
उड़ीसा	303	214
पंजाब	270	291
राजस्थान	250	272
तमिलनाडु	372	353
त्रिपुरा	319	329
उत्तर प्रदेश	307	342
पश्चिम बंगाल	341	168
चंडीगढ़	355	419
दादर और नगर हवेली	213	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	522	319
गोवा, दमन और दीव	249	841

1	2	3
मिजोरम	640	359
पांडिचेरी	568	379
संपूर्ण भारत	304	279

विवरण—4

प्रत्येक 1,00,000 में 5 वर्ष की आयु (ऊपर) वाले श्रवण विकलांगों की अनुमानित संख्या

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	749	510
असम	381	354
बिहार	495	366
गुजरात	338	274
हरियाणा	662	538
हिमाचल प्रदेश	612	207
जम्मू और कश्मीर	598	262
कर्नाटक	599	405
केरल	489	413
मध्य प्रदेश	314	205
महाराष्ट्र	484	275
मणिपुर	333	187
मेघालय	635	146
उड़ीसा	842	382
पंजाब	592	384
राजस्थान	505	426
तमिलनाडु	829	728
त्रिपुरा	584	447
उत्तर प्रदेश	490	337

1	2	3
पश्चिम बंगाल	656	350
चण्डीगढ़	680	359
दादर और नागर हवेली	407	शहरी क्षेत्र नहीं
दिल्ली	480	195
गोवा, दमन और दीव	224	106
मिजोरम	896	494
पांडिचेरी	1292	1307
नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	87
सम्पूर्ण भारत	553	390

12.00 मध्याह्न

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मुझे अभी एक घोषणा करनी है। मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के त्याग-पत्र प्राप्त हुए हैं :—

1. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन
2. श्री सोमनाथ चटर्जी
3. श्री बी०वी० रमैया
4. श्री सी० माधव रेड्डी
5. प्रो० मधु दण्डवते
6. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
7. श्री दिनेश गोस्वामी
8. श्री इन्द्रजीत गुप्त
9. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
10. श्री एन०वी०एन० सोमू
11. श्री अरुण नेहरू

12. श्री सी० सम्बु
13. श्री आरिफ मोहम्मद खां
14. श्री राज कुमार राय
15. श्री सुरेश कुरुप
16. श्री मानवेन्द्र सिंह
17. श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी
18. श्री सैफुद्दीन चौधरी
19. श्री अमल दत्ता
20. श्री बसुदेव आचार्य
21. श्री एम० रघुमा रेड्डी
22. श्री मानिक रेड्डी
23. श्री अमर रायप्रधान
24. श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव
25. श्री श्रीहरि राव
26. श्री अजित कुमार साहा
27. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
28. श्रीमती गीता मुखर्जी
29. श्री अजय विश्वास
30. श्री वी० तुलसी राम
31. श्री हन्नान मोल्लाह
32. श्री एच०ए० डोरा
33. श्री ई० अय्यपू रेड्डी
34. श्री एस० जयपाल रेड्डी
35. श्री एम० सुब्बा रेड्डी
36. श्री अनिल बसु
37. श्री गोपाल कृष्ण थोटा
38. डा० जी० विजय रामा राव
39. श्री बाजू बन रियान
40. श्री विजय कुमार राजू
41. श्री जायनल अबेदिन

42. श्री अताउर्रहमान
43. श्री सत्यगोपाल मिश्र
44. श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी
45. श्री डी० बी० पाटिल
46. श्री पीयूष तिरकी
47. डा० सुधीर राय
48. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
49. श्री रेणुपद दास
50. श्री मानिक सान्याल
51. श्री राम पूजन पटेल
52. श्री पल्लस बर्मन
53. श्री डी०एन० रेड्डी
54. श्री डी० नारायण स्वामी
55. श्री मुही राम सैकिया
56. श्री चित्त महाता
57. श्री सैयद मसूदल हुसैन
58. डा०ए०के० पटेल
59. श्री मोहम्मद महफूज अली खां
60. श्रीमती विमा घोष गोस्वामी
61. श्री सनत कुमार मंडल
62. श्री हेत राम
63. श्री खुर्शीद अहमद चौधरी
64. डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी
65. श्रीमती एन०पी० झाँसी लक्ष्मी
66. डा० ए० कलानिधि
67. श्री विजय कुमार मिश्र, तथा
68. श्री बी०एन० रेड्डी

मैं त्यागपत्रों को स्वीकार···

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप घोषणा करने से पूर्व कृपया हमारी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे अपना काम करना है, आप अपना काम कीजिए। मैं इन त्यागपत्रों को स्वीकार करता हूं जो तुरन्त प्रभावी हो गये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में, महोदय, कोई तर्क नहीं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया गया है, राजकुमार राय जी बाहर कह रहे थे कि मुझसे जबरदस्ती लिखवा लिया है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : हमें तो चिंता हो रही है कि जैसे ये योग यहां से भागे है वैसे ही चुनाव लड़ने से भी न भाग जाएं।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : महोदय, त्यागपत्रों की कुल संख्या कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : अड़सठ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कह रहा हूं। एक-आध कतरा नकली खून का अपनी एक उंगली पर लगाकर हमारे विरोधी मित्र शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानते हैं कि लोक सभा का चुनाव दूर नहीं है, यह आखिरी सेशन है लोक सभा का और सिर्फ 12-15 दिन बचे हैं। मैं उनको बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी फिर प्रधान मंत्री बनकर आ जाएंगे।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : कम से कम इस त्यागपत्र ने भगत जी को कवि बना दिया, इसके लिए अपोजीशन का बहुत बहुत धन्यवाद। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दुआएं उनको दो कि भगत जी को कातिल बना दिया।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा का वरिष्ठतम और सबसे पुराना सदस्य होने के नाते, जो कांटे का चुनाव लड़ने के बाद इस आयु में इस सभा में वापिस आया है, मैंने आज सुबह एक अत्यधिक दुःखद और असंसदीय दृश्य देखा है कि अनेक विपक्षी सदस्य नाटकीय ढंग से सभा से त्यागपत्र देकर अपने निर्वाचकों की ओर से हमारे प्रजातन्त्र में लक्ष्यों, भावनाओं और विचारों का समर्थन करने के लिए सांसदों के रूप में अपने उन कर्त्तव्यों का पालन करने से इन्कार और पलायन कर रहे हैं जिनकी उन्होंने शपथ ली थी। वे जानते है कि राष्ट्रपति महोदय ने हम सब पर सांसदों के रूप में यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि हमें अनेक विधानों विशेषकर संसदीय पंचायती राज विधेयक और नगरपालिका विधेयक जो प्रजातन्त्र की आधारशिला हैं, पर विचार करें तथा उन्हें पारित करें और संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांत पूरे करें। वे जनता

[प्रो० एन० जी० रंगा]

और संसद को पंचायती राज विधेयक के मूल सिद्धान्तों के साथ अपनी हार्दिक सहमति सम्बन्धी आश्वासन दिलाने में अब तक विफल रहे हैं और आज इस संसद सत्र से, जो, विशेषतया इसी प्रयोजन के लिए बुलाया गया है, भागने की कार्यवाही से उन्होंने इन विधेयकों पर विचार करने और पारित करने में संसद की सहायता करने से इन्कार कर किया है जिनसे निचले स्तर पर चुने हुए नेताओं और जनसमुदाय को अपने लोकतंत्र में गतिशील और निश्चित भागीदारी का अधिकार और सौभाग्य मिल सके।

यह दुःख की बात है कि ये चुने हुए सांसद, जनता के कार्यों को सम्पन्न करने के अपने कर्त्तव्य और विशेषाधिकारों से भाग रहे हैं जब कि विश्व में, विशेषकर कम्यूनिस्ट यूरोप में, यूरोपीय एशियाई सोवियत संघ और चीन की जनता तानाशाही के अंधकारमय एवं मूक जीवन से निकलकर संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली अपनाने का प्रयास कर रही है।

महोदय, जब हम इस देश में करोड़ों युवकों को मताधिकार प्रदान कर रहे हैं, तो क्या ये मित्र उन्हें यह सन्देश देना चाहते है कि वे सांसद के रूप में अपने मूल कर्त्तव्य का पालन करने से भागने के उद्देश्य से इस संसद में आए हैं ?

यह बड़े दुख की बात है कि इन मित्रों ने हमारे करोड़ों युवा मतदाताओं को तानाशाही राज्य का समर्थन करने के लिए यह दुखद सन्देश दिया है।

महोदय, मुझे विगत में हुए ऐसे बॉयकाट का अनुभव रहा है। लेकिन उस समय हम साम्राज्यवाद और विदेशी राज्य का विरोध कर रहे थे। तब भी इस बॉयकाट के समिति प्रयोग का कारण था और हम समित शक्तियों के साथ उस विधान मंडल में पुनः चले जाते थे। यह बहुत पहले की बात है। हमारे देश में मतदाताओं की संख्या बहुत ही अधिक है। चालीस वर्षों से स्वतन्त्र लोक तान्त्रिक संसद हमारे देश में है। इस समय भी हम 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले युवकों को मतदान का अधिकार प्रदान करके विस्तृत आधार पर अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस प्रकार की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मुख्य नाटककार के नेतृत्व में इस तरीके से जो आज यह नाटक खेला गया यह प्रतिक्रियावादी चेष्टा है। यह हमारे करोड़ों युवा मतदाताओं के लिए अमांगलिक है।

आज संपूर्ण विश्व नोबल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक श्री सखारोव के रूसी संसद में आगमन का और पोलेंड संसद में सोलीडैरिटी नेता के आगमन का स्वागत कर रहा है। इन परिस्थितियों और पेरेस्त्रोइका के हालात में, ये मित्र नाजी तरीके, फासिस्ट तरीके और तानाशाह के तरीकों पर अधिनियम बना रहे हैं। मैं अपने साथियों के इस व्यवहार पर खेद व्यक्त करता हूं और मैं इतना अप्रसन्न हूं कि इस सभा के अध्यक्ष पद पर 9½ वर्षों के आपके इस कार्यकाल और मेरे अपने संसदीय जीवन के 55 वर्षों के दौरान यह बात घटित हुई। मुझे इसका खेद है।

श्री जी०एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, ये त्यागपत्र सस्ते और खोखले चुनावी हथकंडे हैं। यह हथकंडे दो बातों से स्पष्ट होते हैं, अर्थात : चुनाव पहले से ही निकट हैं और कि इन दलों के सदस्यों ने दूसरे सदन से त्यागपत्र नहीं दिया है। ये सस्ते और खोखले चुनावी हथकंडे हमारे मतदाताओं की समझदारी का स्पष्ट अपमान है। उन्होंने मतदाताओं की समझदारी का अपमान किया और मुझे विश्वास है कि उन्हें इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम उनके इस कृत्य की निन्दा करते हैं और वास्तव में समझते हैं कि बाहरी और आन्तरिक मोरचे पर, संकट

की इस विशेष घड़ी में ये त्यागपत्र उनके द्वारा कर्त्तव्य से विमुख होने का द्योतक हैं । महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि प्रधान मंत्री को संसद के चुनाव की तैयारी करने की सलाह दें, जो कि पहले से ही निकट हैं । इन सभी संसदीय क्षेत्रों के उपचुनाव शीघ्र ही कराये जाने चाहिये ताकि मतदाताओं, जिनका विशेष रूप से अपमान हुआ है, को अपना निर्णय घोषित करने में विलम्ब न होने पाये । ये उप चुनाव अविलम्ब कराये जायें ।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालम) : महोदय, त्यागपत्र देने का नाटक वास्तव में एक चुनावी चालबाजी है । जिस तरह से*

आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं, उसी तरह विपक्ष के लोग संसद में अभिनय कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी के नाम का उल्लेख न करें ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : उन्हें लोगों द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए । किन्तु उनकी नीतियां जन विरोधी हैं और वे लोकतन्त्र विरोधी हैं । इसीलिए उन्होंने यह चाल चली जबकि उन्हें इस समय चुनावों का सामना करना है । वास्तव में यह एक चुनावी चालबाजी है ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बातें भगत साहब से लेकर कुलनदईवेलू तक की सुनी हैं । मेरे दोस्तों तक यह बात पहुंचे जो मैं सिर्फ दो पंक्तियों में कहना चाहता हूं :

"रूठकर महफिल से जालिम इस तरह जाते नहीं,
जो इस तरह जाते हैं वापिस लौटकर आते नहीं ।"

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, मै महसूस करता हूं कि मुझे इस मामले में बोलने का विशेष अधिकार है । मैं वर्ष 1942 से केन्द्रीय विधायिका का और संविधान सभा का एक निर्वाचित सदस्य रहा हूं । इससे भी अधिक, मैं संचालन समिति का सदस्य था, जिसने कि हमारे संविधान की रूपरेखा, इसके एकात्मक स्वरूप को तैयार किया । इसके बाद दो वर्षों को छोड़कर मैं लगातार संसद सदस्य रहा हूं ।

मैं हमेशा अत्यधिक मजबूत केन्द्र का पक्का समर्थक रहा हूं । यह मेरा सौभाग्य था कि मैं सरदार पटेल के साथ मित्रवत रहा हूं, यद्यपि वे मुझसे 25 अथवा 30 वर्ष बड़े थे । वे भारत की एकता के शिल्पी थे और वे 500 से अधिक राज्यों को भारत के एकात्मक ढांचे में लाये । इससे भी अधिक, उन्होंने मुझसे अनेक बार कहा था कि जब तक 50 से 70 वर्षों तक हमारा केन्द्र मजबूत नहीं हो जाता, विखंडन जो कि कुछ ही समय पूर्व हुआ है, पुनर्जीवित हो जायेगा । संविधान निर्माताओं ने जानबूझ कर सभी अवशिष्ट शक्तियों को केन्द्र के पास रखकर हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान किया और जैसा कि मंत्री महोदय ने एक दिन कहा था कि इसके लिए हमारे पास अनुच्छेद 368 है, मैं जानता हूं कि मैं एक मनोनीत सदस्य के रूप में बोल रहा हूं । किन्तु मैं किसी की दया से मनोनीत नहीं हुआ हूं । मैं इसलिए मनोनीत हुआ हूं क्योंकि मुझे केवल

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

राष्ट्रीय संस्था, जो एक छोटी किन्तु उच्च सम्मान प्राप्त समुदाय का निर्वाचित नेता होने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

अक्तूबर, 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे शताब्दी समारोह में कहा था :—

"दो समुदाय, आंग्ल-भारतीय और पारसियों ने अपने आकार के सारे अनुपात से देश की मजबूती और प्रगति के लिए योगदान दिया है।"

सरदार पटेल ने मेरे समुदाय के लिए संविधान में विशेष गारंटी प्राप्त करने हेतु मेरी सहायता की, जो कि अन्य समुदायों को प्राप्त नहीं है। हम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतरे हैं। आप में से कुछ को कश्मीर अभियान की याद होगी। आदिवासी श्रीनगर से कुछ ही मील दूर थे। भारतीय वायुसेना ने उन्हें दृढ़तापूर्वक निकाला था। बहादुरी के लिए आधे से अधिक पुरस्कार आंग्ल भारतीय लड़ाकू पायलटों को दिये गये थे। वर्ष 1965 में अनेक आंग्ल-भारतीयों को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिये गये थे। अजेय समझे जाने वाले आग बरसाने वाले नैट विमान को मार गिराने वाला पहला पायलट एक आंग्ल-भारतीय ही था।

संसद में केवल मैंने ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनः बंटवारे का विरोध किया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि हमने ऐसा किया, तो हम क्षेत्रीय राष्ट्रीयतावाद जो कि कुछ समय पहले की बात है, को पुनर्जीवित करेंगे। दुर्भाग्य से मेरे पूर्वानुमान और चेतावनियां सच निकली हैं। क्या हुआ है ? जहां कहीं भी राज्य में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, दिखावटी लोकतन्त्र और धर्म-निरपेक्षतावाद के बावजूद, तथ्य यह है कि उनकी मूल मनोवृत्ति क्षेत्रीय राष्ट्रीयतावाद है। असम में क्या हुआ है ? असम ने तीन राज्यों को अपनी धारा बहा लिया चौथे राज्य को बहाने की प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटक में अपनी भाषा की प्रधानता थोपने के लिए क्षेत्रीय राष्ट्रीयतावाद की मनोवृत्ति पनपी है, तेलगू भाषियों और मुस्लिमों के साथ उन्होंने दंगे किये थे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे श्रीमती इन्दिरा गांधी का बचाव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जनता सरकार के राजनैतिक और कानूनी रूप से उन्हें तबाह करने के सारे प्रयासों के बावजूद वह उन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने में सफल रही थी। वह सत्ता में वापस आयीं और देश में नष्ट हो रही एकता को बहाल करने में सफल हुई। आज हम देखते हैं कि हतास तत्व बिना किन्हीं आदर्शों और नीतियों के विभिन्न अवर्णनीय असंगत तरीकों से देश के टुकड़े करने के प्रयास कर रहे हैं। यह निराश अल्पसंख्यक विपक्ष अब पूर्ण बहुमत वाली सरकार से त्याग पत्र की मांग कर रहा है।

महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूं ? मैंने केन्द्र में संसदीय इतिहास का प्रत्येक क्षण अपनी आंखों के सामने से देखा है। कभी-कभी मैंने थोड़ी-बहुत भूमिका भी अदा की है। किन्तु मैंने संसदीय इतिहास में ऐसा कलुषित दृश्य कभी भी नहीं देखा, जैसा कि पिछले सप्ताह हुआ। उन्होंने संसद को मजाक की वस्तु बना दिया है। उन्होंने संसद में मनमाने ढंग से व्यवहार किया। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशों की भी परवाह नहीं की, जो लोग अपने चिन्ह के सम्बन्ध में, अपने नामों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से परस्पर विरोधी हैं। उन्होंने हताशा की स्थिति में कुछ रिपोर्टों से लाभ उठाया है। मैं उस रिपोर्ट की वित्तीय बारीकियों में नहीं जा रहा हूं। उस समय एक वित्त मंत्री था। मैं समझता हूं कि इस श्रीमती के पिटारे के वही तथाकथित नेता है। किन्तु उन्होंने स्पष्टतः उन वित्तीय बारीकियों को मंजूरी दी थी। किन्तु नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का

उसकी तथाकथित पवित्रता के बावजूद उसका सर्वाधिक असुरक्षित पहलू है और वह है एक महा-लेखापरीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तोप की गुणवत्ता के बारे में राय देना, जिसके बारे में थल सेना अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय सेना द्वारा अब तक प्राप्त की गई तोपों में यह सर्वोत्तम तोप है।

महोदय, गत दो दिनों में जो कुछ हुआ वह शर्मनाक प्रदर्शन था। कुछ लोगों ने 106 सदस्यों के अलग रहने का उल्लेख किया। कुछ लोगों ने यह घटना होने से पहले मुझसे पूछा था "आप इस बारे में क्या सोचते हैं ?" मैंने कहा, श्री मावलंकर के साथ मेरी घनिष्ठ मित्रता थी। वह लोक सभा के एक महान अध्यक्ष थे। अध्यक्षपीठ को पूरा सम्मान देते हुए क्या मैं यह कह सकता हूं कि यदि वे सभा में होते, तो वे सभी 106 सदस्यों को निलम्बित कर देते। किन्तु आपने उन्हें निलम्बित न करके अथवा उन्हें सभा से न हटाकर यह अप्रिय बात न होने दी।

महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का कभी भी सदस्य नहीं रहा। परन्तु भगवान का शुक्र है कि कम से कम देश में एक राष्ट्रीय पार्टी तो है। इसकी सभी खामियों के बावजूद, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने वाला केवल यही दल है। मैंने, एक वरिष्ठ वकील के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार अल्पसंख्यकों की ओर से अनेक मामलों में सफलतापूर्वक तर्क-वितर्क किये हैं। बार-बार उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कांग्रेस की आवश्यकता हुई। हो सकता है कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या इतनी अधिक हो कि वे अपने व्यक्ति राजनीति में ले आयें किन्तु अन्तिम विश्लेषण में, जब आप अपने मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से, हमारे पास आज एक ऐसा केन्द्रीय सरकार है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता ने स्वरूप प्रदान किया है। मुझे आज अल्पसंख्यकों से यही कहना है।

हाल ही में दो न्यायधीशों द्वारा निर्णय दिये जाने तक, उच्चतम न्यायालय हमेशा ही अनुच्छेद 30 का अर्थ तथा संदर्भ देता रहा है। अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान संस्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का यह हमारा मूल्यवान मौलिक अधिकार है। इन दो न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 30 (1) की उपेक्षा करने की चेष्टा की है। मैं यह बात अत्यधिक आदर के साथ कह रहा हूं। ईश्वर को धन्यवाद है, चूंकि दो और भी सूचिकायें निर्णयाधीन थी और चूंकि केन्द्र प्रथम प्रतिवादी था तथा इससे हमें सहायता मिल रही थी, अतः तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्याय मूर्ति श्री पाठक ने इस मामले को पांच न्यायाधीशों वाली पीठ को सौंप दिया जिससे कि दो न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय बैंध न रह जाये। क्या इस टिप्पणी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं ? महोदय यह प्रमाणित बात है कि दक्षिण एशिया में भारत एक प्रमुख राष्ट्र है और अभी कुछ ही दिन पहले सोवियत संघ के नेता श्री गोर्बाचेव ने कहा था कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभरने की राह में अग्रसर है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, मैं एक मिनट इस दफा से हटकर कुछ कहना चाहता हूं। मुझे कहना अच्छा तो मालूम नहीं होता लेकिन इस वक्त मेरी कांस्टी-टुएंसी में मेरे शहर हैदराबाद में जो बारिश हुई है, वैसी पिछले 100 बरस में नहीं हुई है। हजारों मकानात गिर चुके हैं, इस वजह से इन ताल्लुक बाद में कहूंगा पहलें मैं यह कहूंगा कि फौरी सैंट्रल हुकूमत इमदाद करे क्योंकि रियायती हुकूमत इमदाद नहीं कर रही है। हजारों आदमी इस वक्त फाका कर रहे हैं, हजारों मकानात गिर चुके हैं और लोग चल-फिर नहीं सकते हैं और पानी पूरा भरा

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

हुआ है। मैं चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फौरी इस मामले में इकदाम करे ताकि वहां के आवाम के लिए सहूलियत का बायस बने।

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد) : اسپیکر صاحب۔ میں ایک منٹ اس دفعہ سے ہٹ کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنا اچھا تو معلوم نہیں ہوتا لیکن اسوقت میری کانسٹی ٹیونسی میں میرے نہیں حیدر آباد میں جو بارش ہوئی ہے ویسی پچھلے سو سال میں نہیں ہوئی ہے۔ ہزاروں مکانات گر چکے ہیں۔ اس تعلق سے میں بعد میں کہوں گا۔ پہلے میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پر سینٹرل حکومت امداد کرے کیونکہ ریاستی حکومت امداد نہیں کر رہی ہے۔ ہزاروں آدمی اسوقت فاقہ کر رہے ہیں ہزاروں مکانات گر چکے ہیں اور لوگ چل پھر نہیں سکتے ہیں اور پانی پورا بھرا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ سینٹرل گورنمنٹ ضروری طور پر اس معاملے میں اقدام کرے تاکہ وہاں کے عوام کیلئے سہولت کا باعث بنے۔

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपाल गंज) : अध्यक्ष जी, बनातवाला साहब की जो भावनाएं इस सदन में आईं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं। बैरागी जी ने कहा, भगत जी ने आज भी शेरो-शायरी से अपनी बात शुरू की, एक शायर ने कहा है कि—

वह वीर नहीं, वह कायर है, जो डरकर रण से हट जाये,
वह मर्द नहीं, नामर्द है, जो कहकर बात से हट जाये ।।
आगे बढ़कर पीछे हटना वीरों का दस्तूर नहीं,
मर जाना है मंजूर, मगर पीछे हटना मंजूर नहीं ।

मैं जब गया-नया मेम्बर बनकर इस सदन में आया था तो मैंने सोचा था कि इस सदन में कुछ सीखने को मिलेगा, जो बड़े-बड़े नुमाइन्दे इस सदन में चुनकर आये हैं उनसे, और हम अपनी कांस्टीटुएंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे ताज्जुब इस बात से हुआ, कल जब मैं बाहर से आया तो मुझे भी कुछ लोगों ने रैजिग्नेशन के बारे में कहा। मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि आप अपोजिशन बैंच पर बैठकर मुझे यह बतायें कि भविष्य में अगर चुनाव होते हैं और फिर राजीव गांधी प्रधान मंत्री बनकर इस सदन में आते हैं तो क्या आप फिर दोबारा इस सदन से त्याग-पत्र देंगे ?

आप मानें या मानें क्योंकि मैं चन्द रोज के लिए कांग्रेस में भी था बिहार विधान सभा में, और वहां कुछ लोगों के कुचक्र का शिकार हुआ और कांग्रेस से निकाला गया, बाहर किया गया। लेकिन मैं उस मर्द की तरह नहीं हूं, जिन लोगों ने इस सदन में नियम 193 के अन्तर्गत श्री मधु दण्डवते और श्री जयपाल रेड्डी ने चर्चा की मांग रखी, आपने उसे स्वीकृति प्रदान की, उस पर

चर्चा होनी चाहिए थी। बहस होती, लेखा महा-नियंत्रक की रिपोर्ट पर गौर करते लेकिन यह सिर्फ उन्होंने कायरता की। आप मानें या न मानें लेकिन इस देश में जब भी चुनाव होंगे तो श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री के रूप में जीत कर इस सदन में आयेंगे। मैं यह भी बता देना चाहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं किसी स्वार्थ की भावना के वशीभूत नहीं हूं, लेकिन प्रजातन्त्र में दिये गए मौलिक अधिकारों के मुताबिक 1977 में देश में चुनाव हुए, हर जन प्रतिनिधि को पांच सालों के लिए चुनकर जनता ने इस सदन में भेजा लेकिन ढाई साल भी नहीं हुए, अंजाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान के अवाम ने पुन: श्रीमती इन्दिरा गांधी को अजेय बहुमत से चुनकर इस सदन में फिर भेजा।

उनका रैजिग्नेशन सिर्फ यह दिखावा है। जवाहर रोजगार योजना के तहत, हर गांव में गरीबों की जो 75 प्रतिशत आबादी रहती है, वह अपनी मांग के लिए नारा नहीं लगा सकती थी, पैसों के अभाव में किसी नेता के पास फरियाद नहीं कर सकती थी, आज हरेक की जबान पर श्री राजीव गांधी का नाम है। अध्यक्ष जी आज उसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक बार नहीं हजार बार इस तरह का नाटक करें, पूर्व से ही ये नाटक करते आ रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान का अवाम 1977 के बाद जान चुका है, कि एक होने का सिर्फ मतलब कुर्सी पाना है। हिन्दुस्तान की अवाम इतनी मूर्ख नहीं है जो कि इनकी बातों में आ जायेगी। हमारे प्रधान मंत्री जी तो चाहते हैं कि हमारे गरीब लोगों का विकास हो और बिचौलिए जो कि बीच में से पैसा खा जाते हैं वे वह पैसा खा नहीं सकें। जवाहर रोजगार योजना के चलाए जाने से राजीव गांधी जी की हर गांव और हर पंचायत में जयजयकार हो रही है। इसी से घबरा कर विरोधी पक्ष ने इस्तीफे का नाटक किया। मैं तो इतना तक कहना चाहता हूं कि जब अगले चुनाव होंगे तो राजीव गांधी जी ही प्रधान मंत्री के रूप में आयेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह चतुर्वेदी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संसद के इतिहास में आज जो कुछ अपोजिशन ने किया है, मैं समझता हूं कि वह संसदीय डेमोक्रेसी के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अपोजिशन के नेता राष्ट्र के किसी मामले के लिए तो दिखाई नहीं पड़े, दिखाई पड़े तो जो हमारे तपस्वी नेताओं ने एक महत्तम तंत्र देश को दिया था, उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। अगर वह नहीं हैं तो हम तो काम करेंगे ही। अभी हमारे आदरणीय साथियों ने कहा भी और किसी ने सुझाव भी दिया कि इलेक्शन को कुछ और टाल दिया जाये ताकि महीने, दो महीने का चक्कर समझ कर जो वह जल्दी चले गये हैं, अगर वह साल, 6 महीने टल गये तो दिन काटने उनके लिए मुश्किल पड़ जायेंगे। मैं इस चीज को बहुत गम्भीरता से लेना चाहता हूं। हमारा तो डेमोक्रेसी में विश्वास है और कांग्रेस ने देश की जनता का हमेशा नेतृत्व किया है। आज राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत में बैठी है। अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया हो जिस पर उनको आपत्ति हो तो वह हम उनसे सुनना चाहते हैं। संवाद की स्थिति अगर डेमोक्रेसी में नहीं होगी तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे ? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं जो कि किसी शायर ने कही है :

"जो तुम ही न होगे तो क्या रंगे महफिल,
किसे देख कर आप शरमाइएगा"

अपने कर्मों के बारे में अगर आपको शर्म से देखना होगा तो किसको देखोगे। अगर तुम होते और हम बोलते तो तुम को मालूम पड़ता कि तुम कहां हो और हम कहां हैं ?

[श्री नरेन्द्रसिंह चतुर्वेदी]

इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : स्पीकर सर, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। इन्होंने कहा कि एक मैम्बर ने कहा कि इलेक्शन टाल दिया जाये । अगर इनका इशारा मेरी तरफ है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि

[अनुवाद]

आम चुनाव निर्धारित समय से पूर्व कराए जाएं न कि उसके पश्चात और उप-चुनाव तत्काल कराये जाने चाहिए। मैंने जो कहा था, वह यह है।

جناب جی ایم بنات والا : اسپیکر سر میں ایک بات کلیریفائی کردوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ممبر نے کہا ہے کہ الیکشن ٹال دیا جائے ۔ اگر انکا اشارہ میری طرف ہے تو میں انکو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ :

'General Elections be preponed, not postponed, and by-elections should be held immediately. That was what I said']

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई ह० पटेल (बलसार) : अध्यक्ष महोदय, रामायण में कहा गया है कि—

"रघुकुल रीत सदा चलि आई,
प्राण जाये पर वचन न जाई।"

ऐसे ही चाहे कोई भी आंधी या तूफान आये, हमारे राजीव गांधी जी ने प्रजा को जो वचन दिया है, उसको पूरा करके रहेंगे और भविष्य में हमारे देश की प्रजा फिर उनको प्रधान मंत्री बना कर यहां भेजेगी।

[अनुवाद]

डा० जी०एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा इस प्रकार सभा छोड़कर चले जाने की आशा नहीं थी। इस सत्र के आरम्भ होने के समय से ही उन्होंने हमें इस दुविधा में रखा कि वे क्या करने वाले हैं। किन्तु आज मुझे बहुत दुःख हुआ है। इस सभा का एक पुराना सदस्य होने तथा कई वर्षों तक पंजाब का पीठासीन अधिकारी होने तथा दो लोक सभाओं का दो बार अध्यक्ष रहने के नाते, मैं यह महसूस करता हूं कि मुझे इन त्यागपत्रों के तकनीकी पक्ष या आप कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक पक्ष के बारे में सभा को अवगत करा देना चाहिए।

अपने संसदीय कार्यकाल में और विशेषकर इस सभा के पीठासीन अधिकारी के पद पर रहने के समय के दौरान मैंने ऐसी घटना कदापि नहीं देखी कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सरकार से या प्रधान मंत्री से अथवा किसी अन्य मंत्री से त्यागपत्र देने की मांग की गई हो। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में भिन्न-भिन्न विभागों पर चर्चा होती रही है और प्रशासन के कार्य-निष्पादन की आलोचना भी की जाती रही है। इसके बाद अर्थात् उन रिपोर्टों को सभा में

प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् आमतौर पर उन्हें लोक लेखा समिति को भेज दिया जाता है। **(व्यवधान)**। लोक लेखा समिति में उन पर बारीकी से चर्चा की जाती है। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक टिप्पणी को लोक लेखा समिति ने शायद ही कभी स्वीकार किया हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट के सभा पटल पर रखे जाने के बाद उसे लोक लेखा समिति को भेजना स्वीकार नहीं किया गया है। वे उन विशेष मदों को लोक लेखा समिति को आसानी से भेज सकते थे और तत्पश्चात यहां चर्चा करा सकते थे। उस समय के अन्तराल में इस पर वांछनीय नहीं है। सरकार के गत कार्य निष्पादन पर, सरकार की नीतियों पर, अथवा सरकार के विरुद्ध कही गई किसी भी बात पर कोई आलोचना किए बिना ही, वे सब लोग नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के मामले पर एक जुट हो गए हैं। यह बात वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया के विरुद्ध है। यही बात मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मुझे केवल इस बात का भय है कि कहीं नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की भावी रिपोर्टें, भावी विरोधी दल और भावी सरकार के लिए आज की घटना एक नजीर न बन जाये। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार है, जहां किसी भी दल की सरकार बन सकती है और टूट सकती है किन्तु केवल नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सरकार से त्याग पत्र मांगने की बात कभी सुनी नहीं गई। वह यह कर सकते थे कि सरकार की नीति के बारे में कुछ प्रश्न उठा सकते थे अथवा उसकी कुछ गलतियों या भयंकर भूलों को सभा में रख सकते थे। किन्तु उनका ऐसा कुछ न करना बड़े आश्चर्य की बात है। मैं आशा करता हूं कि यह घटना भविष्य में एक नजीर नहीं बनेगी।

एक माननीय सदस्य : कुछ महिला सदस्य बोलना चाहती हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : उन्होंने आज जो कुछ भी किया है, उससे एक अच्छी बात उभर कर आई है। वह यह है, अध्यक्ष महोदय, कि अब आपका समय शांति में गुजरेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या हम ऊबेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : कभी-कभी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं विरोधी दल में हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे अपने समय की याद आती है। उन दिनों, प्रतिपक्ष में कुछ जबरदस्त सदस्य थे। जब मैं अध्यक्ष था उस समय आचार्य कृपलानी, श्री मसानी, डा० लोहिया, प्रो० हिरेन मुखर्जी और कुछ ऐसे सदस्य थे। **(व्यवधान)**। वे लोग भी कुछ हद तक बढ़ गए थे किन्तु वे त्यागपत्र देने की हद तक नहीं बढ़े थे।

कुछ माननीय सदस्य : कभी नहीं, कभी नहीं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे सहानुभूति है और जब उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन थे, तब मुझे उनसे सहानुभूति थी। किन्तु मैंने अपनी राय और अपनी व्यवस्था को कभी जबरदस्ती नहीं लादा क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का भय लगा रहता था कि कहीं वे लोग मेरी ही व्यवस्था कभी मुझ पर ही न लागू कर दें।

अतः, इस समय जो कुछ भी हुआ है, वह दुःख पूर्ण और खेद पूर्ण है। कोई भी दल सत्तारूढ़ हो सकता है। मैं श्री राजीव गांधी का पक्ष नहीं लेता हूं किन्तु उनके पास कोई विकल्प है। हमारे लोगों ने, अर्थात हमारी सरकार ने भयंकर भूल की है। रिपोर्ट को गत सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसका प्रभाव समाप्त हो गया होता।

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

अब, जबकि चुनाव आ रहे हैं उन्होंने यह बात उठायी है। उनमें दूरदर्शिता की कितनी कमी है। इन व्यक्तियों को क्या खोना पड़ेगा ? केवल दो या तीन महीने का वेतन और कुछ नहीं। मुझे उन पर दया आती है। महोदय, आपने उन्हें थोड़ा भी समय नहीं दिया। आपको उनका त्याग पत्र दिन के समाप्त होने पर अथवा इस सप्ताह के अन्त में स्वीकार करना चाहिये था। उनमें से अनेक सदस्यों को फिर से विचार करने का अवसर मिल जाता। किन्तु अब आपकी घोषणा के बाद, उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वे बाहर रो रहे हैं।

डा० श्री एस० ढिल्लों : मैं इसकी दाद देता हूं। मैंने इस बारे में विचार किया है कि आपने यह कार्य तत्काल क्यों कर दिया। कम से कम एक दिन तक तो यह सरदर्द टाला जा सकता था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पिछले बजट सत्र में ही प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी। मैं स्पष्ट रूप से यहां कहना चाहती हूं कि पिछली बार भी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया था। उस समय यह रिपोर्ट प्राप्त ही हुई थी और इस पर सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी शेष थी, अर्थात् राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् ही इसे सभा में प्रस्तुत किया जाना था। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए, इसे सभा पटल पर रख दिया गया था। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को सभा पटल पर न रखे जाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गये थे।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं प्रो० रंगा और श्री एन्थनी के बराबर इस सभा का पुराना सदस्य नहीं हूं तथापि मैं 1950 से अंतरिम संसद के समय से इस सभा का सदस्य हूं, और पिछले सारे चुनाव एक ही चुनाव क्षेत्र से लड़ता आया हूं। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। अतः लगभग पिछले चार दशकों से मैं इस सभा का सदस्य हूं और डा० ढिल्लों से कुछ वर्ष कम इस सभा का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं यह सारी भूमिका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इस सभा की विभिन्न परम्पराओं और उच्च संसदीय परम्पराओं में ही विकसित हुआ हूं। पांचवें और छठे दशक में हम ब्रिटेन के 'हाऊस ऑफ कामन्स' की परम्पराओं का ही अनुकरण किया करते थे परन्तु अन्त-संसदीय संघ के विभिन्न राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों के पश्चात् यह मान लिया गया कि इस सभा द्वारा स्थापित परम्पराएं सारे विश्व की संसदों के लिए आदर्श हैं। आज का दिन एक दुखान्त दिवस है, क्योंकि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने का रास्ता अपनाया है। इससे इस संसद की लोकतांत्रिक परम्पराओं को भारी धक्का पहुंचा है। विश्व के लोग और ससदविद यह मानेंगे कि उनके द्वारा उठाया गया यह एक गलत कदम है। इससे भी अधिक बात यह है कि उन्होंने अपने पद की जो शपथ ली थी वे उससे भाग गए हैं। प्रत्येक सदस्य, जो इस सभा का सदस्य बनता है, वह शपथ लेता है कि वह संविधान के प्रति वफादार रहेगा, संसदीय परम्पराओं को सुदृढ़ करेगा और देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखेगा। वह सत्यनिष्ठा से शपथ लेता है। इस प्रकार भाग जाने से, उन्होंने इन सबको भारी धक्का पहुंचाया है।

दूसरे, यह ड्रामा इसलिए भी किया गया है, क्योंकि विपक्ष के कुछ सदस्य फिल्मों और नाटकों के अच्छे जानकार हैं। कल मैं अपने चुनाव क्षेत्र में था। मैं सीधे वहां से ही आ रहा हूं।

वहां एक विशाल सभा की गई थी। कल जब सभा आयोजित की गई थी, तो मैं वहां मौजूद था। हम लोगों की भावनाओं को जानते हैं। उन्हें मतदाता अवसरवादी कह कर हरा देंगे। यह अवसरवादिता है। देश के सामने जो मुख्य मुद्दे हैं, वे उनसे भागना चाहते हैं। यह सत्र पंचायती राज विधेयक, स्थानीय निकायों संबंधी विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए बुलाया गया था। कुछ लोग इनसे भ्रमित हैं। एक अन्य क्रान्ति आने वाली है। संघवाद ही अपने आप में एकमात्र बेजोड़ व्यवस्था है। हमारे यहां दो-चरणों वाली व्यवस्था है, नये उपायों के फल-स्वरूप हम पंचायतों में निम्न स्तर पर तीन-चरणों वाली व्यवस्था आरम्भ करने जा रहे हैं। लोगों को अपने जीवन को बदलने की सीधी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को देखा है। मैं सीधा इन लोगों से मिल कर आ रहा हूं। इस व्यवस्था वे प्रति उनमें अति उत्साह है। हमारे मित्र अपने कर्त्तव्यों से भाग गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे और जब चुनाव होंगे तो उन्हें इन्हीं लोगों का सामना करना पड़ेगा। चुनाव नजदीक ही हैं। श्री ढिल्लों ने कहा है कि वे लोग भाग गए हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को मुख्य मुद्दा बनाकर, उन्होंने त्यागपत्र दिए हैं। इस रिपोर्ट की मूल प्रक्रिया है उन्होंने इस पर जोर दिया है। हालांकि मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, मैं शीलाजी से इस बात से सहमत हूं कि प्रक्रिया संबंधी कारणों की वजह से ही इस रिपोर्ट को पिछले सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाना था। राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात्, इस रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत किया जाना था। सरकार इस सिद्धान्त पर कायम रही। क्योंकि सरकार ने पिछले सत्र में वायदा किया था कि वह आगामी सत्र के पहले दिन इसे सभा पटल पर रखेगी। इसलिए उसने अपना वादा कायम रखा। सामान्यतः इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के पास भेजा जाना चाहिए। वे इस पर सहमत नहीं हुए। अगर यह रिपोर्ट उस समिति के पास नहीं भेजी जाती और एक बार यह इस सभा के कार्यवाही-वृत्तांत का अंग बन जाती है, तब कोई भी सदस्य इस पर चर्चा कर सकता है। इस बारे में कोई मुश्किल नहीं है, वास्तव में, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन उनकी कोई निर्धारित नीति या कार्यक्रम नहीं है। उनका एक ही कार्यक्रम है, इस सरकार को गिराना। इसे गैर-लोकतांत्रिक या फासिस्टवादी कहा जा सकता है। संसद में, विपक्षी या सत्ता दल या देश में प्रशासन के प्रभारी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की प्रशासन चलाने में बराबर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इससे लोगों का भविष्य, एकता, अखंडता और विकास जुड़ा हुआ होता है। इन लोगों ने इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति में भेजने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। हर रोज उनसे अपील की जाती थी कि इस पर चर्चा, विचार विमर्श किया जाए। लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे जानते थे कि नियन्त्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अलग किस्म की रिपोर्ट है। यह पैसा खर्च करने की वित्तीय अनियमितताओं तक ही सीमित होती है। इसमें नीतियों पर विचार नहीं किया जाता है। वे एक आम राय बनाना चाहते थे कि संयुक्त संसदीय समिति या प्रधान मंत्री या रक्षा मंत्री ने पहले जो बयान दिए हैं ये भी उसी प्रकार की रिपोर्ट है। इसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। इसके पीछे कोई संसदीय परम्परा भी नहीं है और वे जानते हैं कि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। यदि यह मामला लोक लेखा समिति के पास जाता अथवा इस पर यहीं चर्चा होती तो इन सबका पर्दाफाश हो जाता। इसीलिए वे इसका सामना नहीं कर सके और भाग गए, प्रस्ताव रखने के बाद वे जनता को यह बताने चले गए कि वे उच्च संसदीय परम्पराओं के हिमायती हैं। मैं समझता हूं कि इस देश के लोग काफी परिपक्व और विवेकशील हैं। उन्होंने लोकतन्त्र का इस तरह निर्वाह किया है कि यह

[श्री बी० आर० भगत]

इस देश का गौरव बन गया है जिसका हर जगह सम्मान होता है। ये लोग ही हैं जो इस संसदीय लोकतन्त्र के पीछे हैं और वे इस चाल को समझ जाएंगे और उन्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पार्टियों के सामूहिक इस्तीफे के संदर्भ में शेक्सपीयर के दुखान्त ड्रामा का जो सबसे बड़ा विलेन इआगो था, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इआगो जब अपने प्रतिद्वन्द्वी के मुकाबले में अच्छे रचनात्मक कार्यों में पराजित हो जाता था तो वह कहता था :

[अनुवाद]

"उनके जीवन का अनवरत सौन्दर्य मेरी छवि को मलिन करता है"

[हिन्दी]

उनके जीवन के प्रतिदिन की सुन्दरता हमारे चेहरे को मलान करती जा रही है बदसूरत बनाती जा रही है। भारतीय लोकतन्त्र की परम्परा में इस तरह का पलायनवाद केवल हिन्दुस्तान में दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से इआगो का मुकाबला नहीं हो सकता है, उसी तरह से लोकतंत्र की परम्परा में विरोधी पार्टी के लोगों ने जो भूमिका निभाई है, उसका भी मुकाबला नहीं दिखाई पड़ेगा। आज सारा सदन जानता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी के रचनात्मक कार्य जिसमें उन्होंने हरिजन और आदिवासियों के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है, उनके जीवन में चतुर्दिक विकास की सम्भावनायें विकसित की हैं, उन रचनात्मक कार्यों में मुकाबला नहीं हो सकता। इसी सन्दर्भ में मैं लांगफैलो की कुछ पंक्तियां प्रधान मंत्री जी के प्रति समर्पित करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"राष्ट्र का पोत बढ़ता रहे,

संघ सुदृढ़ और महान बढ़ता रहे।"

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के समक्ष विनम्रता-पूर्वक कुछ कहना चाहता हूं। मैं इन प्रतिष्ठित और वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के बीच जो अपना भाषण दे चुके है, स्वयं को तुच्छ समझता हूं क्योंकि मैं केवल दूसरी बार ही चुनकर लोक सभा में आया हूं। लेकिन अगली संसद में युवा पीढ़ी के लोग होंगे क्योंकि 18-20 वर्ष की आयु के लोग मतदान में भाग लेंगे। कतिपय आदर्शों और निश्चित विचारों के साथ युवा पीढ़ी आएगी और मेरी तरह आई भी है और हम अपने अग्रजों से कुछ सीखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस्तीफा देने वाले अग्रज हमारे वे वरिष्ठ नेता हैं, जो उसी चुनाव क्षेत्र से दुबारा कभी चुनाव नहीं लड़ सकते।

यदि वे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे उसी चुनाव क्षेत्र से खड़े हों। वे उसी दल से चुनाव लड़ें।

वर्ष 1975 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को मजबूरन आपात स्थिति लगानी पड़ी थी तो इन्हीं लोगों ने आपात स्थिति का जोरदार विरोध किया था। कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि वे इसे जन आन्दोलन बनायेंगे। श्री संजय गांधी जैसे कांग्रेस (आई) के युवा नेताओं ने जन आंदोलन

चलाया और भारत की जनता ने हमें बहुमत के साथ 1980 में पुन: संसद में भेज दिया। इस देश की उस नेता—श्रीमती इन्दिरा गांधी का क्या हश्र हुआ ? उनकी हत्या कर दी गई।

मैं इन नेताओं का—तथाकथित नेताओं का आह्वान करता हूं क्योंकि उनके लिए भारत की जनता अथवा इस सम्माननीय सभा के बजाय नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दिया गया एक पैराग्राफ ही सर्वोपरि है।

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भारत सरकार के एक भूतपूर्व गृह सचिव की रिपोर्ट है जिसमें रक्षा प्रणालियों की शस्त्र रचना का ब्यौरा दिया गया है। मुझे मंत्रालय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन मैंने गोपनीयता की शपथ से बंधे होने के कारण कभी अपनी जुबान नहीं खोली।

एक अन्य नेता मेरे से थोड़े कम समय तक रक्षा मंत्रालय में रहे हैं लेकिन वह उन विषयों के बारे में हर स्थान से पूरा विवरण देते रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा सदस्य होने पर गर्व है जिसने अपनी जबान नहीं खोली। मुझे एक ऐसे दल का सदस्य होने पर अत्यन्त गर्व है जिसके नेता ने अपनी जबान बन्द रखी क्योंकि वे लोग जो पूर्णतया उसके सलाहकार थे, जो सरकार चलाने का प्रयास कर रहे थे, जो गृह मंत्रालय को चला रहे थे। आज नेता बनने का प्रयास करते हैं और ये नेता जब मतदान के समय जनता के समक्ष जायेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि भारत की जनता, भारत का युवा वर्ग इतना मूर्ख नहीं है कि उसे वे अपनी नाटकबाजी से पथभ्रष्ट कर सकें।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, इस देश के विपक्ष के लोगों ने जो आचरण किया है गत सप्ताह और आज, उसकी जितनी निन्दा की जाये, वह कम है। विपक्ष ने जो भी आचरण किया है उसने इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। विपक्ष के लोगों ने इस देश के अधिकार जो प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी देना चाहते थे, जो उन्होंने पंचायत राज की स्थापना के लिए ग्रामीण जनता और नगरीय जनता को अधिकार प्रदान करने के लिए वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उसका विरोध करने के लिए, उसको कार्यान्वित होने से रोकने के लिए विपक्ष ने सारा ड्रामा किया है, सारा नाटक किया है, लोकतन्त्र विरोधी आचरण किया है, उसकी निन्दा की जानी चाहिए। इस देश की जनता समझदार है, जागरूक है, वह जानती है कि केवल श्री राजीव गांधी इस देश की आम जनता की भलाई का काम कर सकते हैं, इस देश की एकता और अखंडता बनाये रख सकते हैं और इस देश की खुशहाली और विकास के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए निराश होकर, हताश होकर और मायूस होकर विपक्ष ने जो यह कदम उठाया है उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि विपक्ष के आचरण की निन्दा करने के लिए अधिक से अधिक समय दिया जाये। देश की जनता प्रसन्न है और देश की जनता खुशहाल है। देश की जनता प्रधान मंत्रीजी के आचरण से प्रसन्न है और आगामी चुनाव में फिर कांग्रेस जीतेगी और राजीव गांधी फिर प्रधान मंत्री होंगे।

[अनुवाद]

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, जब वर्ष 1967 में मैं यहां आया तो वरिष्ठ नेता मुझे इस सभा का बच्चा कहा करते थे, क्योंकि मैं उस समय केवल 25 वर्ष और कुछ महीने का

[श्री पी०एम० सईद]

था। अब मैं इस सभा में लगभग 23 वर्ष से हूं और मैंने डा० ढिल्लों, श्री बी०आर० भगत आदि जैसे कई अध्यक्ष देखे हैं लेकिन जैसा नाटक आज विपक्ष ने इस सभा में किया है वैसा मैंने कभी नहीं देखा। इस परिस्थिति में, जब देश की बाहरी और आंतरिक एकता खतरे में है, इस लोकतांत्रिक संस्था को, इस सम्माननीय सभा को देश की एकता को सुदृढ़ बनाना चाहिए था, परन्तु ऐसे समय में विपक्षी सदस्यों ने नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को लेकर संसद से इस्तीफा देना बेहतर समझा है। डा० ढिल्लों ने उचित ही उस प्रक्रिया का उल्लेख किया है जिसे उन्हें अपनाना चाहिए था।

1.00 म०प०

यहां तक सरकार ने भी उनके प्रति बड़ा उदार रवैया अपनाया था। रिपोर्ट के यहां आने से पहले, इसे लोक लेखा समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सूचना दे दी थी। आपने वह सूचना स्वीकार कर ली। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने लगातार तीन दिन तक न केवल इस देश के सामने अपितु समूचे विश्व के समक्ष बहुत घटिया उदाहरण पेश किया कि लोकतन्त्र को कैसे विफल किया जाय। अब उन्होंने नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की आड़ में संसद से इस्तीफे दे दिए हैं। महोदय आपने उन्हें इस बारे में सोचने का अवसर न देकर तुरन्त उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। यह बहुत अच्छा है कि आपने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। समाचार यह था कि 106 सदस्य इस्तीफा देंगे परन्तु आपने अभी कहा कि केवल 68 सदस्यों ने ही इस्तीफा दिया है। वे केवल नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं। वास्तव में उन्हें बहस शुरू करने के लिए कहा गया था।

..... **..... ....

अध्यक्ष महोदय : दूसरी सभा के बारे में यहां कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए।

श्री पी०एम० सईद :... **

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक ने खुले आम यह कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की संसद और भारत की जनता इस रिपोर्ट के बारे में निर्णय देगी। उनका यही कहना ही काफी है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

इस समय हमारे यहां केवल द्विस्तरीय प्रणाली है। हम इसका और विस्तार कर रहे हैं। सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहती है। इसका केवल 20 प्रतिशत ही निचले स्तर तक जाता है। पंचायती राज और नगर पालिका विधेयक अधिनियमित किए जाने हैं। त्याग पत्र देकर इन माननीय सदस्यों ने इनका बॉयकाट किया है। राजनीतिक पंडितों ने इसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी की है। वर्ष 1977 में उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी लेकिन परिणाम इसके विपरीत निकले थे। वर्ष 1980 में उन्होंने एक बात की भविष्यवाणी की थी लेकिन परिणाम दूसरा था। वर्ष 1984 में भी, यह दूसरा था। वे जनता के समक्ष नियन्त्रक-महा-

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हाथ में लेकर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जनता, यद्यपि वह अनपढ़ है यह जानती है कि किसका चयन करना है और इस महान सभा में भेजना है। ये माननीय सदस्य वापिस नहीं आएंगे। जनता उनका तिरस्कार करेगी जिसके वे पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बीच श्री राम नारायण सिंह से भी त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। मैं इसे स्वीकार करता हूं जो तुरन्त प्रभावी हो गया है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1989 आदि

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 15 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 358 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[पंचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-8049/89]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को अस्वीकार किए जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं, श्री पी० चिदम्बरम की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कान्सटेबल (तलकार) भर्ती नियम, 1989, जो 25 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 189 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (शिक्षा, विकास तथा पुनर्वास काडर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989, जो 1 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 230 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1989, जो 8 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 244 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री संतोष मोहन देव]

(चार) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक अनुसचिवीय काडर) भर्ती नियम, 1989, जो 25 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 192 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद 1 की (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-8050/89]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पांचवां संशोधन) नियम, 1988, जो 8 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 785 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (छठा संशोधन) नियम 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 993 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1989, जो 11 फरवरी, 1989 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 74 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 25 मार्च, 1989 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 190 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-8051/89]

(4) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1987-88 का अड़तीसवां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को अस्वीकार किये जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०-8052/89]

दिल्ली पुलिस अधिनियम के अधीन अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) भी सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति तथा पुष्टिकरण) (संशोधन) नियम, 1986, जो 4 सितम्बर, 1986 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/7/85-गृह (का०)/स्थापन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (दंड तथा अपील) (संशोधन) नियम, 1986, जो 4 सितम्बर, 1986 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/81/85-गृह (का०)/स्थापन में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियम, 1986, जो 15 दिसम्बर, 1986 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/58/86-गृह (का०)/स्थापन में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०-8053/89]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब हम मध्याह्न भोजन करने के बाद 2.05 म० प० पर कार्यवाही पुनः आरम्भ करेंगे।

1.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.10 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.10 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले पर चर्चा करेगी। श्री जनकराज गुप्त।

(एक) जम्मू और कश्मीर में कतिपय स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की मांग

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) : पुंछ में सुवांकोट तहसील, राजौरी जिले में थाना मंडी और दरहाल तहसील के लोगों को उपर्युक्त स्थानों पर दूरदर्शन ट्रान्समीटर न होने से अपने टेलीविजन सैटों पर दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने में भारी कठिनाई हो रही है। उनके टेलीविजन सैट बेकार हो गये हैं। वे केवल लाहौर से ही कार्यक्रमों को देख सकते हैं। मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त स्थानों पर दूरदर्शन ट्रान्समीटर स्थापित करने के लिए आदेश जारी करें ताकि लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकें।

(दो) वैशाली (बिहार) से आने और वहां जाने के लिए संचार तथा परिवहन सुविधाओं में सुधार किए जाने की मांग

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : यह सर्वविदित है कि मेरा संसदीय क्षेत्र, वैशाली एक ऐतिहासिक और पर्यटन केन्द्र है, जहां अनेक देशों से पर्यटक आते है। तथापि, यह दुख की बात है कि वैशाली को रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा देश के शेष भागों से नहीं जोड़ा गया है। यह इस क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। यहां तक कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र उत्तरी सीमाओं को छूता है, यहां संचार और परिवहन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर से रक्सौल तक एक बड़ी रेल लाइन और नेपाल की सीमा के लिए दूसरी बड़ी रेल लाइन, इस क्षेत्र की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। देश के अन्य भागों से वैशाली के लिए सीधे सड़क सम्पर्क स्थापित करने हेतु इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करने की आवश्यकता है। सुझाई गई बड़ी रेल लाइनों से दानपुर और गोरखपुर छावनियों से माल ढुलाई में वर्तमान में होने वाले तीन दिनों के विलम्ब को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। नेपाल सीमा तक सड़कों पर पुलियाओं और पुलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(तीन) लौह अयस्क का लदान और उसकी उतराई मद्रास पत्तन की बजाय किसी अन्य पत्तन से किए जाने की मांग

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मद्रास पत्तन के रोयापुरम और निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पांच लाख से भी अधिक लोग लौह अयस्क, जो कि मद्रास पत्तन से अन्य देशों को निर्यात किया जाता है, के लदान और उसकी उतराई के कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में शिकायत करते रहे हैं। इसके अलावा, लाखों लोग विभिन्न स्थानों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए पत्तन क्षेत्र में आते हैं। मद्रास पत्तन की विशेषता यह है कि लाखों लोग मद्रास पत्तन के निकटवर्ती भागों में रहते हैं। मालवाही जहाजों में लदान के लिए स्थाई रूप से खुली जगह पर रखे गये लौह अयस्क के बड़े-बड़ ढेरों में से चूर्ण लौह-कणों को शुष्क हवा भू-भाग की ओर उड़ाकर ले जाती है, जिसे न केवल स्थानीय लोग सांस द्वारा ग्रहण करते है बल्कि इन कणों से पेय जल और खाद्य पदार्थ भी संदूषित होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा है।

अनेक कल्याण संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने, अनेक बार इस खतरे का उल्लेख किया है तथा प्राधिकारियों से लौह अयस्क के लदान और उसकी उतराई का कार्य किसी अन्य निकटवर्ती पत्तन पर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया था। अतः यह अनुरोध है कि सरकार को लौह अयस्क के लदान और उतराई का काम मद्रास पत्तन से गुड्डौर जैसे कुछ अन्य पत्तनों पर स्थानान्तरित करने पर तत्काल विचार करना चाहिये, जो कि खनिज धातुओं और अन्य कच्चे माल के लदान और उतराई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है।

(चार) दिल्ली में गर्मियों के दौरान जल आपूर्ति में होने वाली कमी को दूर किए जाने के लिए उपाय किए जाने की मांग

श्री विजय एन० पाटिल (इन्दोल) : गर्मियों में दिल्ली में कड़ाके की गर्मी पड़ती है किन्तु पानी की कमी रहती है। पानी के नलों पर और उन कालोनियों में, जहां कि कई दिनों से पानी

नहीं होता है, भेजे गये पानी के टैंकरों के सामने लोगों की लम्बी कतारें देखी जा सकती हैं। पानी की इतनी कमी है कि प्लास्टिक टैंक और बूस्टर पम्प आवश्यक हो गये हैं। गर्मियों के दौरान दिल्ली के नागरिकों को प्रति व्यक्ति 30 गैलन से अधिक पानी प्राप्त नहीं होता है, जो कि बिल्कुल अपर्याप्त है। प्रति वर्ष गर्मियों में पानी की मांग 20 प्रतिशत बढ़ जाती है। सारे प्रयासों के बावजूद, दिल्ली जल प्रदाय संस्थान पानी की मांग पूरी नहीं कर पाया है। अतः मैं माननीय शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गर्मियों के दौरान दिल्ली के नागरिकों को पानी की सप्लाई की समस्या की जांच की जाये।

(पांच) दिल्ली क्षेत्र की सभी पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना सारे भारत में लागू की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत गांव की हर छोटी-बड़ी समस्या पंचायतों द्वारा हल की जा सकेगी। इस हेतु दिल्ली के अलीपुर, कंझावला, नजफगढ़, महरौली ब्लाकों को धनराशि की पहली किश्त पंचायतों के प्रधानों को आबादी के हिसाब से पहुंचा दी गई है तथा वहां के लोग प्रधान मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। परन्तु जो गांव शहरीकृत नहीं हैं, उन गांवों की पंचायतों को अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है। चार ब्लाकों में इस तरह की करीब बीस पंचायतें हैं जिनको चैक नहीं दिये गये हैं।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस प्रकार की सभी पंचायतों को धनराशि के चैक तुरन्त दिलवाने के आदेश दें जिससे कि उन गांवों में भी ग्राम सुधार तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो काम किये जाने हैं, वे वहां हो सकें।

(छः) कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्टरी के कार्यालय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से बांदा स्थानान्तरित किए जाने की मांग

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, जून माह के अंतिम सप्ताह में माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास फैक्टरी का शिलान्यास कर पिछड़े क्षेत्र में विकास की किरण दौड़ाई है।

यह फैक्टरी बांदा जनपद में है परन्तु इसके सभी कार्यालय इलाहाबाद में स्थित हैं। यदि सही रूप से इसका लाभ बांदा जनपद के पिछड़े क्षेत्र को देना है तो इस फैक्टरी के सारे कार्यालय अविलम्ब बांदा जनपद में ही स्थापित किये जायें ताकि यहां के लोगों को सीधी जानकारी हो सके। साथ ही साथ सरकार को बांदा के उद्योग विभाग एवं सूचना विभाग को भी आदेश देना चाहिये कि इस फैक्टरी में नौकरी पाने हेतु विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिये मार्गदर्शन करें।

2.18 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत के नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2) संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 और 12

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 11 और 12 पर नियम 193 के अधीन चर्चा करेगी, जैसा कि कार्य सूची में शामिल किया गया है।

चर्चा आरम्भ करने से पहले, मैं कुछ कहना चाहता हूं और सदस्यों से आशा करता हूं कि वे वाद-विवाद में भाग लेते समय उन्हें ध्यान में रखेंगे।

जैसा कि आपको मालूम ही है, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को स्वतः निर्दिष्ट मान ली जाती है और उस पर सभा में चर्चा नहीं होती है। वस्तुतः, वे समिति द्वारा की जाने वाली जांच का आधार बनती हैं। समिति, तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। तथापि, सभा के सभी वर्गों की मांग को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक बहुत विशेष मामले के रूप में कुछ अभूतपूर्व निर्णय लिया है—यद्यपि इसमें नियमों की कोई बाधा नहीं है—और नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की वर्ष 1987-88 के लिए रक्षा सेवाओं सम्बन्धी रिपोर्ट के पैरा 11 और 12 पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हेतु नोटिस स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय का इस विषय पर चर्चा की स्वीकृति देने का विचार मात्र लोक हित के किसी मामले पर चर्चा करने सम्बन्धी इस सभा के अधिकारों को बनाये रखने के कारण था। कार्य मंत्रणा समिति ने सुझाव दिया है कि इस पर आज ही चर्चा की जाय और इसके लिए तीन घण्टे का समय आवंटित किया गया है।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक एक स्वतन्त्र संवैधानिक प्राधिकारी है। संविधान के अन्तर्गत, वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं जो उन्हें सभा पटल पर रखवाते हैं। ये रिपोर्टें लोक लेखा समिति द्वारा प्रशासन की छान-बीन का आधार बनती है और वह समिति उन पर अपनी रिपोर्टें देती हैं। चूंकि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक भी संसद का सहायक होता है, क्योंकि वह लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्ग निर्देशक के रूप में कार्य करता है। संविधान और कानून द्वारा नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही दर्जा दिया गया है।

उनके आचरण के बारे में केवल उसी समय चर्चा की जा सकती है जबकि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तरीके से समुचित प्रस्ताव रखा जाये। इसलिये, ऐसी स्थिति में जबकि सभा को नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यथा उल्लिखित लेखा परीक्षक के निष्कर्ष पर चर्चा करने का अधिकार है, किन्तु चर्चा के दौरान नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के आचरण के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिये, मेरी सदस्यों को यह सलाह है कि वे ऐसी बातों के कहने से बचने की चेष्टा जिससे नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के आचरण पर कोई आक्षेप आता हो और अपने भाषण को रिपोर्ट के पैरा तक ही सीमित रखें।

कुमारी ममता बनर्जी चर्चा आरम्भ करेंगी।

श्री जी० एम० बनातवाला (जोन्नागी) : मेरा स्पष्टीकरण का एक मुद्दा है । आपने सभी बातों पर बहुत ही उपयुक्त टिप्पणी की है । समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कुछ पत्र अध्यक्ष महोदय को भेजे है। मैं इस बात को जानता हूं कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक एक ऐसा अधिकारी है जो संसद के अधीन नहीं है, अपितु वह भारत के राष्ट्रपति के अधीन एक ऐसा अधिकारी है जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें तैयार करता है । किन्तु आपने अभी-अभी टिप्पणी की है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक तत्वज्ञ भी हैं और इस संसद के मार्गदर्शक भी । इसलिये, यदि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने अध्यक्ष को कोई पत्र भेजा है, तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कदापि नहीं कहा कि वह इस संसद के तत्वज्ञ और मार्गदर्शक हैं । मैंने जो कुछ कहा है, वह यह है कि वह लोक लेखा समिति के लिये तत्वज्ञ और मार्गदर्शक हैं ।

श्री जी०एम० बनातवाला : लोक लेखा समिति भी संसद के अधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक बात है ।

श्री जी०एम० बनातवाला : लोक लेखा समिति भी संसद के अधीन है । यह एक संसदीय संस्था है । यह संसद भी उन कानूनों को निर्धारित करती है जो शक्तियां, उत्तरदायित्व और कार्य इसने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को सौंपे हैं । इसलिये यदि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने अध्यक्ष महोदय को कोई पत्र भेजा है तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये जिससे कि हमें समुचित मार्गदर्शन मिल सके । इस मामले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी कोई बात है; तो मैं उसे देखूंगा ।

श्री जी०एम० बनातवाला : आप उस प्रश्न पर विचार करेंगे । किन्तु इसके बारे में जोरों पर चर्चा होने से पहले विचार करें..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक और अध्यक्ष महोदय के बीच यदि कोई पत्राचार होता है तो उसे सभा पटल पर कभी भी नहीं रखा जाता है । तथापि, हम लोग आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे पर विचार करेंगे ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मार्च, 1960 में ऐसा अवसर आया था । लोक सभा वाद-विवाद 14 मार्च, 1960, कालम 5701 में इसका संदर्भ मिलता है । उस समय विशेष में, एक मामले विशेष से संबद्ध पत्र को सभा पटल पर रखने को कहा गया था किन्तु अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि उस पत्र पर "गोपनीय" अंकित है और उसे सभा पटल पर रखना संभव नहीं है । यदि इस पर भी ऐसा कुछ अंकित है; तो मुझे कुछ और नहीं कहना है । किन्तु यदि वर्तमान पत्र पर "गोपनीय" शब्द अंकित नहीं है तो हमारे वास्तविक मार्ग-निर्देश के लिये उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । महोदय, आपने कहा है कि यहां जैसी चर्चा हो रही है, वैसी चर्चा पहले कभी नहीं हुई है, इसलिये, हमारे मार्ग निर्देश के लिये सभी उपलब्ध सामग्री उपलब्ध कराई जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपके मुद्दे पर विचार करेंगे ।

श्री जी०एम० बनातवाला : जोरों पर चर्चा किये जाने से पूर्व इस पर विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब चर्चा आरम्भ कर रहे हैं । हम कल भी चर्चा जारी रखेंगे ।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, क्या मुझे आपके निर्णय के बारे में पता चल सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से पता करेंगे कि क्या इसे सभा पटल रखा जा सकता है अथवा नहीं। इसके बाद हो हम आपको बता पायेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि समाचार पत्र कभी-कभी न जाने किस आधार पर कुछ समाचार प्रकाशित कर देते हैं किन्तु हम उसे यहां नहीं ले सकते हैं। जैसा कि सुझाव दिया गया है, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखूंगा।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : क्या आप इस कार्य को दस या पन्द्रह मिनट में कर लेंगे; क्योंकि आपने केवल तीन घण्टे आवंटित किये हैं ?.....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहेंगे तो हम समय और भी बढ़ा देंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, श्री बनातवाला ने बहुत ही वैध मुद्दा उठाया है क्योंकि नियन्त्रण-महालेखा परीक्षक ने जो पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखा था, वह समाचार पत्रों को दिया जा चुका है। इसलिये जो दस्तावेज इस सम्माननीय सभा के माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित किया गया है, उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया जाना चाहिये .....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने इसकी एक प्रति रक्षा मंत्रालय को भी भेजी है। यदि सभी माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं कि यह आवश्यक है; तो हम रक्षा मंत्री से उसे सभा पटल पर रखने का अनुरोध करेंगे।

श्रीमती शीला दीक्षित : चूंकि अब आपने उनका मुद्दा स्पष्ट कर दिया है, अत: श्री बनातवाला अब संतुष्ट होंगे। यह दस्तावेज, ऐसा है जिसकी, यद्यपि यहां कोई भी औपचारिकता नहीं रह गई है, क्योंकि यह देश भर के समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुका है। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक इस दस्तावेज को स्वयं समाचार पत्रों को भेज चुके हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : हमने आपकी टिप्पणी सुनी है और इस संबंध में हमें कोई सन्देह नहीं है। किन्तु मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहूंगा। भारतीय लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता एक बार नहीं अपितु अनेकों बार प्रतिष्ठापित की जा चुकी है और उन सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों ने भी, जिन्होंने आज त्यागपत्र दिये है, सहमत अथवा असहमत होने के बावजूद संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्य आप की टिप्पणियों का पालन करेंगे। किन्तु एक बात है। जनता द्वारा निर्वाचित किसी भी सदस्य को इस बात का पता लगाने का अधिकार है कि सांविधिक प्राधिकारियों का कार्य उन्हें स्वीकृत किये गये कार्य की सीमा से आगे तो नहीं बढ़ गया है। यदि सदस्यों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया, तो संसद सदस्य की हैसियत से हमारा सांविधिक

अस्तित्व ही निरस्त हो जायगा। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं किसी कार्य विशेष की देख भाल कर रहा हूं और मुझे उस कार्य को करने की अनुमति नहीं है । किन्तु यदि मैं वह कार्य करता हूं, तो निश्चित रूप से मुझसे उस कार्य के बारे में पूछे जाने पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप कृपा करके इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी ने जो मुद्दा उठाया है, यदि आप उस विषय पर कोई चर्चा चाहते हैं; तो आप तत्संबधी प्रस्ताव रख सकते है। उसके आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मंत्री महोदय ने बहुत ही संगत बात कही है। यहां हम भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के आचरण या उनसे व्यक्तिगत रूप से संबद्ध किसी बात के बारे में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। यहां रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, रिपोर्ट के आधार पर हमें कुछ टिप्पणियां करनी पड़ेगी क्योंकि प्रथम दृष्टि मे यह लगता है कि संविधान के अन्तर्गत तकनीकी दृष्टि से भी यह बिल्कुल सही नहीं है। यहां यह बताने की चेष्टा की गई है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संसद से भी ऊपर है। समाचार पत्रों में यह दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य छपा है कि इस मामले में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं और उन्होंने उन्हें कुछ मुद्दों के बारे में अवगत कराया है। अत: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उनके व्यक्तिगत आचरण पर प्रश्न न करके इस रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में विचार विमर्श करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम केवल पैरा 11 और 12 पर चर्चा कर रहे हैं और आप इन पर चर्चा कर सकते हैं। आप रिपोर्ट की भी आलोचना कर सकते हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : उनका व्यक्तिगत आचरण या उनका आचरण मुद्दा नहीं है। प्रश्न यह है कि रिपोर्ट क्षेत्राधिकार से बाहर है·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने समाचार पत्रों को साक्षात्कार दिया है और उसमें उन्होंने संसद सदस्यों की आलोचना की है। संसद सदस्य उनकी आलोचना क्यों नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव लाकर किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं माननीय अध्यक्षपीठ का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे नियम 193 के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की है।

मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रस्ताव मेरे विद्वान मित्रों, श्री मधु दण्डवते और श्री जयपाल रेड्डी ने भी प्रस्तुत किया था। मुझे बहुत दुःख है कि उन्होंने इस विषय पर इस प्रतिष्ठित सदन में चर्चा न करके, इससे हटने का निश्चय किया है। चर्चा से पीछे हटने के लिए

[कुमारी ममता बनर्जी]

उन्होंने सदन की सदस्यता से ही त्यागपत्र देने का निश्चय किया है, क्योंकि वे जानते थे कि यदि सदन में चर्चा की जाती है तो सारी बातें, सामने आ जाएंगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है।

यह दुःख की बात है कि उन्होंने चर्चा में भाग न लेने का निश्चय किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने बोफोर्स सौदे की सिफारिश की थी और इसे मंजूरी के लिए प्रधान मंत्री के पास भेजा था।

जब प्रो० मधु दण्डवते ने माननीय अध्यक्ष से इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति मांगी, तब अध्यक्ष ने उन्हें स्वयं ऐसा करने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि प्रो० दण्डवते विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य हैं और इस सदन के विद्वान सदस्य हैं। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही, प्रो० मधु दण्डवते को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, वास्तव में 8 मई 1989 को लोक सभा में प्रो० मधु दण्डवते ने कहा था कि बोफोर्स होविज्जर सौदे में विशिष्ट विपरीत आरोप पाये गए हैं जोकि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से उलट हैं। हमें डर है कि इस सौदे के बारे में इस रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल सिफारिशों की वजह से ही, शायद रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं की जा रही है, प्रो० मधु दण्डवते जैसे विद्वान संसदविद मात्र कल्पना पर अटकलों के आधार पर अपना मामला प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें इस रिपोर्ट की जानकारी थी। और जब अध्यक्ष महोदय ने उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की तो उन्होंने सभा से त्यागपत्र दे दिया। वे ही नहीं, उसके अन्य साथियों ने भी सभा से त्याग पत्र दे दिया जिससे वह इस विषय पर चर्चा नहीं करें। लेकिन हम महसूस करते हैं कि संसद सदस्य के रूप में यह हमारा प्रथक कर्त्तव्य है कि हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को स्पष्ट करें और इस रिपोर्ट पर चर्चा करें, हमें जानना है कि रिपोर्ट में तथ्य क्या हैं।

मेरे मन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रति अपार श्रद्धा है। हम जानते हैं कि यह एक सांविधानिक प्राधिकारी हैं, इसलिए उनके आचरण के बारे में चर्चा करना हमारा कार्य नहीं है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है कि प्रधान मंत्री बोफोर्स सौदे में किसी भी प्रकार से अंतर्ग्रस्त हैं। अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने भारतीय एजेंटों के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया है। अपने प्रतिवेदन में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने कमीशन के बारे में भी कोई बात नहीं कही है। तब विपक्षी दल क्यों इसकी आलोचना कर रहे है ? वे शोर क्यों मचा रहे हैं, यह केवल एक प्रकार से राजनैतिक पैंतरेबाजी है। जनता से इनका विश्वास उठ रहा है इसीलिए वह शोर मचा रहे हैं। उनके राजनीतिक दिवालियेपन के कारण, उन्होंने इस सभा में शोर किया और जब हमने इस सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तब उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। मुझे इसका दुःख है। एक नए सदस्य के रूप में, हम विपक्ष से अनेक बातों की अपेक्षा रखते थे। लेकिन इन चार वर्षों के दौरान, हमने देखा है कि बोफोर्स मामले पर शोर मचाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। जब हमारी सरकार ने इस सभा में अनेक उपयोगी विधेयक पारित किए, जब हमारी सरकार ने जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की, जब हमारी सरकार ने 18 वर्ष की आयु वाले युवाओं और छात्रों को मतदान का अधिकार प्रदान किया, जब हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया और जब हमारी सरकार इस सभा में पंचायत राज विधेयक और जवाहर रोजगार योजना विधेयक और नगर पालिका विधेयक पारित करने वाली थी, तब उन्होंने त्याग-पत्र दे दिए। क्योंकि वे जानते

थे कि वे लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते और वे लोगों का ध्यान वास्तविकता से हटाना चाहते थे। लेकिन अब लोगों ने जान लिया है कि कौन क्या है और भविष्य की पीढ़ी जान पायेगी कि हम ही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च संस्था है। संसद सदस्य आते-जाते रहेंगे लेकिन हमारे देश में यह संसद जब तक कायम रहेगी जब तक यहां लोकतन्त्र विद्यमान हैं। श्रीमान्, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए। वे यहां पर लोगों के मतों से आए हैं। लोगों ने उन्हें पांच वर्षों के लिए चुना है। पहले वे शोर मचा रहे थे और मांग कर रहे थे कि प्रधान मंत्री को मध्यावधि चुनाव कराने चाहिए। बाद में जब उन्होंने महसूस किया कि बोफोर्स मामले में उनकी सारी साख समाप्त हो गई है, तब उन्होंने नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर शोर मचाना आरम्भ कर दिया। अगर रिपोर्ट में कुछ विपरीत है, तो वे इस बारे में सदन में चर्चा क्यों नहीं करते। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामला है। वे इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि हम संसद में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं, महोदय ? संसद सर्वोपरि है, संसद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भी बहस कर सकती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अन्तिम निर्णायक प्राधिकारी नहीं हैं। उनका दस्तावेज अन्तिम निर्णय नहीं है। इसे लोक लेखा समिति के माध्यम से आना चाहिए। इस मामले की लोक लेखा समिति में जांच व चर्चा होनी चाहिए तब ही हमें मालूम होगा कि इसमें उनकी क्या त्रुटियां हैं और क्या नहीं है।

महोदय, उन्होंने कहा है कि वह पहली बार इस सम्मानीय सभा में संवैधानिक प्रभुसत्ता की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं आज इस्तीफा देने वाले सदस्यों से पूछ सकती हूं। भोपाल गैसत्रासदी पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की किसने आलोचना की थी ? इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की किसने आलोचना की थी ? वे कई बार चुनाव आयुक्त की आलोचना कर चुके हैं; वे बाहर भी ऐसी आलोचना कर चुके हैं; मैं आपको वह समाचारपत्र दिखा सकती हूं। मेरे विद्वान मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य दिया है कि लोक लेखा समिति अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में वे ऐसा कैसे कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वे सदस्य नहीं हैं। आप चिन्ता न कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : अब वे सदस्य न हों लेकिन जब उन्होंने उक्त वक्तव्य दिया था तब वे लोक सभा के सदस्य थे। महोदय, इसलिए मैं यह सवाल उठा रही हूं। हमें वास्तविकता का पता है। मुझे इस बात का दुःख है कि मेरे सभी मित्र, तथाकथित वामपंथी दक्षिणपंथी, जातिवादी, साम्प्रदायिकतावादी और साम्यवादी, केवल देश को अस्थिर करने के लिए ही एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने देश के अन्दर देश की छवि को धूमिल कर दिया है, उन्होंने देश के बाहर देश की छवि को विकृत कर दिया है क्योंकि वे समझते है कि यह उनका राजनैतिक खेल है और यह खेल हमारे माननीय मुख्य मंत्री से शुरू हुआ है। मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहती एक मुख्य मंत्री····· *·····*···अब विपक्ष*·· *···*शतरंज का फादा बन गया है। इसीलिए वे···*···* में शामिल हो गए हैं। वे इसमें शामिल क्यों हुए हैं ?

एक माननीय सदस्य : विश्वामित्र।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं विश्वामित्र नहीं कहती। विश्वामित्र महाभारत का शकुनी बन गया है। अब सारा विपक्ष श्री रामाराव के स्टुडियो से जुड़ गया है जो · *···*···की भूमिका निभा रहे हैं और अब वे विपक्ष के नेता बन गये हैं क्योंकि मैंने सुना है कि किसी ज्योतिषी ने श्री रामाराव को बताया है कि एक दिन वे प्रधान मन्त्री बनेंगे। किसी दूसरे ज्योतिषी ने श्री देवीलाल को बताया है कि "आप प्रयास करें आप प्रधान मंत्री बन सकते हैं।" इसके बाद एक अन्य ज्योतिषी श्री बाजपेयी के पास आया और उन्हें बताया कि "अगले प्रधान मंत्री आप बन सकते हैं।" इसी प्रकार किसी अन्य ज्योतिषी ने ज्योति बसु को बताया है कि "आप प्रधान मंत्री बन सकते हैं।" महोदय, मैं नहीं जानती कि उस पक्ष से प्रधान मंत्री कौन बनेगा क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक ज्योतिषी इन लोगों को गुमराह कर रहा है।

उन्होंने कहा, 'हम संसद से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को गम्भीरता से लिया है'। महोदय, वे यदि इस रिपोर्ट को गम्भीरता से ले रहे हैं तो क्या मैं राज्य सभा के मित्रों से एक सवाल कर सकती हूं क्योंकि वे अपने सदस्यों पर इसका विरोध करने हेतु दबाव डाल रहे हैं। यदि वे इस मामले पर इतने गम्भीर हैं तो वे राज्य सभा से इस्तीफा क्यों नहीं देते ? यदि उनमें साहस है। यदि उनका कोई नैतिक दायित्व है और यदि वे इसे गम्भीरता से लेते हैं तो उन्हें राज्य सभा से भी इस्तीफा देना चाहिए। यदि उनमें थोड़ा साहस है तो वे दोहरे मानदंडों को नहीं अपना सकते—एक लोक सभा से और दूसरा राज्य सभा से। वे प्रधान मंत्री जी से इस्तीफा चाहते थे, लेकिन अब इसके विपरीत हो गया है; उन्होंने स्वयं ही लोक सभा से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि वे जानते थे कि जब हम इस मामले पर बहस करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, श्री वी०पी० सिंह उनके नेता हैं जिन्होंने बोफोर्स सौदे को मंजूरी दी थी उस समय वे वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही इस सौदे की प्रधान मंत्री के हस्ताक्षर के लिए सिफारिश की थी। यदि इसमें कोई गलती हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है ? इसके जिम्मेवार प्रधान मंत्री राजीव गांधी नहीं हैं। प्रधान मंत्री राजीव गांधी क्यों इस्तीफा दें ? प्रधान मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि वे किसी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो वे भारत की जनता के प्रति करेंगे न कि विपक्ष के नेताओं के प्रति। प्रधान मंत्री की निष्ठा जनता के प्रति है। हम प्रजातन्त्र में—जनता की सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए—में विश्वास रखते हैं। प्रजातन्त्र का मतलब यह नहीं है कि प्रजातन्त्र केवल विपक्ष के लोगों के लिए ही है। इसमें कोई ऐसा एकाधिकार नहीं है कि वे जैसा चाहें वैसा करें। कुछ संसदीय प्रक्रियाएं है, कुछ नियम हैं। यदि वे इस मामले पर इतने गम्भीर हैं तो संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार वे अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते ? वे राज्य सभा से इस्तीफा क्यों नहीं देते ? लोक सभा चुनावों के केवल तीन-चार महीने ही हैं। इसी कारण उन्होंने लोक सभा से इस्तीफा दिया है। राज्य सभा चुनाव के पांच-या छः साल शेष हैं। इसलिए वे अपना दैनिक भत्ता, अपना पैसा, अपना प्रचार और कई अन्य चीजों को कैसे छोड़ेंगे ? यही कारण है कि वे राज्य सभा से इस्तीफा नहीं देंगे। मेरा अपने विपक्षी मित्रों से अनुरोध है कि यदि उनमें थोड़ा भी साहस है तो वे कल ही राज्य सभा से इस्तीफा दे दें और जनता को दिखाए कि वे इस मामले पर कितने गम्भीर हैं। मैं जानती हूं कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। महोदय, मैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूं। हम नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का काफी सम्मान करते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रधान मंत्री के शामिल होने का

* · * ·· कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उल्लेख नहीं किया है। इसमें भारतीय एजेन्टों को रिश्वत देने का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने केवल कुछ बातों पर ही प्रकाश डाला है। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक तो हमेशा ही सरकार की आलोचना करते हैं। यदि आप स्वाधीनता के बाद से नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने कई अवसरों पर कई सरकारों की आलोचना की है। मैं अपने राज्य के बारे में बता सकती हूं कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने लोक निर्माण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में तीन-चार वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। लेकिन इस विपक्ष ने श्री ज्योति बसु की सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई ? तब उनका नैतिक साहस कहां था ? जब नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने श्री रामाराव सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट दी और जब उच्च न्यायालय ने रामाराव सरकार के विरुद्ध अपना निर्णय दिया तब इस विपक्ष ने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा ? इस विपक्ष ने उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई जिस समय श्री देवीलाल के लड़के की पुत्रवधु नृशंस हत्या कर दी गई ? इस विपक्ष ने उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई जिस समय असम के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कर्नाटक के भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध और कई जनता दल नेताओं के विरुद्ध बड़े-बड़े घोटाले सामने आए ? उन्होंने श्री राम जेठमलानी द्वारा हमारे देश की विदेशों में निन्दा करने संबंधी गतिविधियों की भर्त्सना क्यों नहीं की ? ऐसे समय में वे अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते ? वे अपने दल के मुख्य मन्त्रियों का बचाव कर रहे हैं। उनका केवल एक ही मुद्दा है। जबकि हमारे पास जनता के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम है। हमारे पास जनता के लिए जवाहर रोजगार योजना है, हमारे पास जनता के लिए पंचायती राज है और उनके पास बोफोर्स के सिवाय कुछ नहीं है। हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम गरीब जनता के उत्थान के लिए है। और उनका वह अकेला मुद्दा केवल सरकार की तथा प्रधान मंत्री की आलोचना करना है। मैं जानती हूं कि "थोथा चना बाजे घना"। जनता उन्हें शीघ्र ही अस्वीकार कर देगी। यह वर्षा कालीन सत्र है और मैं एक बात बताना चाहती हूं कि इसी सत्र में ही वे संसद से बाहर हो जायेंगे। इसके बाद वे संसद में कभी नहीं आएंगे जिसके लिए वे जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने बोफोर्स और प्रक्रिया सम्बन्धी स्वामियों का केवल उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक सांविधिक प्राधिकारी हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 149 में स्पष्टतः यह प्रबन्ध है कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। अतः परम्परागत रूप से लेखा परीक्षक और विधान मंडल को सहयोगी माना जाता है।

भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की संवैधानिक भूमिका की समीक्षा करना आवश्यक है। संविधान के भाग-पांच में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित चार अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 148 में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय बनाने के बारे में प्रावधान है। तथापि, इसमें कार्यों के बारे में व्याख्या नहीं है। अनुच्छेद 149 में संसद द्वारा निर्धारित अथवा बनाए गए किसी अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार के खातों के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्य निष्पादित करेगा जो संसद द्वारा किसी विधान के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 150 में यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के लेखाओं के रख-रखाव की प्रक्रिया नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। अन्त में, अनुच्छेद 151 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय

[कुमारी ममता बनर्जी]

सरकार के लेखाओं संबंधी रिपोर्टें नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी और वह इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा।

ये रिपोर्टें स्वत: संयुक्त संसदीय लोक लेखा समिति को सौंप दी जाती हैं। इससे लोक लेखा समिति को जांच का आधार मिलता है जो इन पर अपनी रिपोर्टें संसद को प्रस्तुत करती है। अत: संविधान में यह आवश्यक है संसद के लाभार्थ लेखाओं संबंधी रिपोर्टें नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की जाएगी और सामान्यतया, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अन्य कार्यों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अधिनियम की धारा 13 से नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से भारत की संचित निधि से किए गए खर्चे के बारे में.....

सामान्यतया, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में बजट संबंधी अनुदान में अधिकता, व्यय के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में असफलता, नियमों और विनियमों का पालन न करने के मामले, अनुचित और फिजूल खर्ची तथा दुरुपयोग एवं घोटाले के मामले जैसे अति महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं पर प्रकाश डाला जाता है।

यह नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य क्षेत्र है। इसे सांविधिक प्राधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने दो मामलों पर प्रकाश डाला है। पहला तोप प्रणाली के बारे में है। वे तकनीकी तौर पर कुछ भी मूल्यांकन नहीं करते हैं लेकिन उन्होंने अभी कहा था—प्रथम तोप प्रणाली और द्वितीय बोफोर्स तोप अच्छी है अथवा सोफमा तोप अच्छी हैं।

उन्होंने कहा है कि लेखा परीक्षण में 155 मि० मी० फील्ड हॉविट्जर तोपों की चयन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कारणों से आलोचना की गई है :—

तोप प्रणाली के विभिन्न गुणों को पारस्परिक महत्व प्रदान करते हुए कोई भी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वाअरमेंट तैयार नहीं किया गया।

तोप निर्माताओं द्वारा किए गए सभी दावों का भारत में किए गए परीक्षणों में पूर्णतया पुष्टि नहीं की कई और ये परीक्षण भी अपर्याप्त थे।

लेकिन दस्तावेजों का परीक्षण और सेवारत तथा सेवानिवृत उच्च सेना तथा सिविल अधिकारियों के साक्ष्यों को रिकार्ड करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने अवलोकन किया :— बोफोर्स समिति के बारे में विपक्ष ने पहले संयुक्त समिति के लिए कहा था और उनकी मांग के अनुरूप सरकार ने इस संयुक्त समिति का गठन किया था। इस समय संयुक्त संसदीय समिति ने महालेखा परीक्षक और नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से सहायता करने के लिए कहा है। महालेखा परीक्षक ने अपना कार्य कर दिया है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने नहीं किया—संयुक्त संसदीय समिति ने क्या अवलोकन किया है।

जहां तक समझौता वार्ता समिति को जी०एस०क्यू०आर० उपलब्ध कराने का संबंध है, रक्षा सचिव ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है कि विदेश से प्राप्त किये जाने वाले किसी उपकरण के संबंध में

किसी जी०एस०क्यू०आर० की आवश्यकता नहीं थी। जी०एस०क्यू०आर० की तब आवश्यकता होती है जब हथियार प्रणाली का देश के अन्दर ही उत्पादन किए जाने का विचार हो। यद्यपि समझौता वार्ता समिति के लाभ के लिए एक तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की गई और समिति के सभी सदस्यों को एक पत्र जिसमें न्यूनतम स्वीकार्य मानदण्ड दिए गए थे परिचालित कर दिया गया—"ताकि वे विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकें। अपने साक्ष्य के दौरान तत्कालीन सचिव (व्यय) ने स्वीकार किया कि न्यूनतम स्वीकार्य मानदण्ड सारगर्भित था जिन पर समझौता वार्ता समिति को ध्यान देना था।"

आगे बताया गया कि :

"पिछले पैरे को देखते हुए समिति को इस बात में बिल्कुल सन्देह नहीं है कि परीक्षण रिपोर्टों और जी०एस०क्यू०आर० के उपलब्ध न होने के कारण समझौता वार्ता समिति के कार्य में बिल्कुल ही बाधा नहीं पड़ी।"

लेखा परीक्षण की इस बारे में आलोचना भारत में किए गए परीक्षण अपर्याप्त थे और परीक्षणों में सभी दावों की पुष्टि नहीं की गई, के बारे में संयुक्त संसदीय समिति ने टिप्पणी की :

"समिति ने देखा कि समझौता वार्ता समिति की एक बैठक में एक सुझाव दिया गया कि भारत में 1982 में जिस तोप प्रणाली का परीक्षण मूल्यांकन किया गया था, उसमें स्वयं विनिर्माताओं ने प्रौद्योगिकी में हो रहे निरन्तर उन्नयन के परिणामस्वरूप अनेक सुधार किये है। इनमें से कुछ सुधारों को सम्बद्ध अवधि में विदेश जाने वाले अनेक रक्षा शिष्टमंडलों ने देखा है और उनकी पुष्टि की है। किन्तु इन सभी सुधारों का भारतीय स्थितियों में संतोषजनक ढंग से न तो कभी कोई निश्चित परीक्षण किया गया और न ही उनकी पुष्टि हुई है। अत: यह सुझाव दिया गया कि सोफमा और बोफोर्स तोप जैसी दो प्रणालियों के चयन के समय कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम से कम सीमित आधार पर फिर से परीक्षण किये जाने चाहिए।"

आगे यह भी बताया गया है :

तत्कालीन सचिव (व्यय) ने स्पष्ट किया कि यद्यपि नया मूल्यांकन करना अच्छा रहता किन्तु इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता। परीक्षणों में ही कम से कम एक वर्ष का समय लग जाता और उसके पश्चात्, नये प्रस्ताव आमंत्रित करना आवश्यक हो जाता और इसमें दो अथवा तीन वर्ष का और समय लग जाता। सेना इतना समय गंवाना नहीं चाहती थी। अत: समझौता वार्ता समिति ने इस मामले में सेना मुख्यालय पर निर्णय पर निर्भर करने का निर्णय लिया। समिति के समक्ष थल सेनाध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की कि भारत में परीक्षणों के दौरान देखे गये दोषों, जिन्हें सप्लायरों को बता दिया गया था, करार करने के पहले ही दूर कर दिये गए थे। उनमें सुधार कर दिया गया था।

सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि :

"संक्षेप में, समिति का विचार है कि यह सिद्ध हो गया है कि थल सेना मुख्यालय/रक्षा मन्त्रालय द्वारा बोफोर्स तोपों की खरीद में शस्त्र प्रणाली प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी।"

[कुमारी ममता बनर्जी]

पुन: यह बताया गया :

"समिति इससे पूर्णतया संतुष्ट है कि बोफोर्स तोप प्रणाली के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सही और उद्देश्यपूर्ण थी और विभिन्न तोप प्रणालियों का तकनीकी मूल्यांकन पूर्णतया, त्रुटिरहित और अति सावधानी के साथ किया गया था ।"

महोदय, बात यह है कि हम सेना विशेषज्ञ नहीं हैं । हमें इस संबंध में कोई अनुभव नहीं है । सेना विशेषज्ञ कौन हैं ? सेना विशेषज्ञ सेना के लोग और रक्षा मन्त्रालय हैं । मैं बताना चाहूंगी कि जनरल सुरन्दर जी ने अपने भाषण में क्या कहा था । मैं कुछ मुद्दे बताना चाहता हूं । लेकिन, इससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहती हूं । यह दूसरी टिप्पणी है । मैं श्री गणपति के कथन पर टिप्पणी करना चाहती हूं । वह तत्कालीन सचिव (व्यय) थे और समझौता वार्ता समिति के सदस्य भी थे । उन्होंने शस्त्र प्रणाली के बारे में क्या कहा था ? यह कहा गया :

"यह कहना पर्याप्त होना चाहिए कि तत्कालीन सचिव (व्यय) श्री गणपति, समझौता वार्ता समिति के सदस्य और सबसे उत्तम वित्तीय शर्तें सुनिश्चित करने के बारे में सबसे अधिक चिन्तित थे—और जो संयोग से स्वयं लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के विद्वान सदस्य हैं—(संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष उनके साक्ष्य के अनुसार) वह इस बात से सहमत थे कि आप तकनीकी अथवा वित्तीय तथ्यों के उद्देश्य से किसी भी दृष्टिकोण से देखें—बोफोर्स की पेशकश सोफमा पेशकश के मुकाबले विशिष्ट रूप से लाभप्रद थी··· ··"

दूसरे मुद्दे पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति को बताया : "देश की सम्पूर्ण सुरक्षा के हित में, हम महसूस करते हैं कि इस त्रुटिहीन प्रणाली को अपनाना उचित नहीं होगा और जनता के फैसले पर विश्वास करने का निर्णय लिया था, जो सब बातें जानते है, और जो इन मामलों पर निर्णय देने में अच्छी जानकारी रखते हैं और सक्षम हैं ।" वे ही विशेषज्ञ हैं । उन्होंने यह कहा है । श्री सुन्दरजी ने क्या कहा ? श्री सुन्दरजी थल सेनाध्यक्ष थे । उन्होंने जो कहा है उसे मैं उद्धृत करती हूं :

"थल सेनाध्यक्ष के साक्ष्य के दौरान समिति ने बताया कि सेना मुख्यालय द्वारा समय समय पर पहले किए गए मूल्यांकन में फ्रांस की तोप प्रणाली को पहले प्राथमिकता दी गई । तथापि फरवरी, 1986 में अंतिम मूल्यांकन के समय फ्रांस की तोप और स्वीडन की तोप की पारस्परिक प्राथमिकता बदली गई और स्वीडन की बोफोर्स गन को पहले नम्बर की प्राथमिकता दी गई । समिति ने दो तोप प्रणाली की पारस्परिक प्राथमिकता को बदलने के कारणों के बारे में पूछा ।"

मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करना चाहती हूं, क्योंकि यह टिप्पणी थल सेनाध्यक्ष श्री सुन्दरजी ने की थी । वे एक अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्ति हैं । हम विशेषज्ञ नहीं हैं । इसलिए, हम उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कि यह पूर्ण रूप से एक तकनीकी विषय है । उन्होंने दूसरी बात का जो उल्लेख किया है वह है, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को क्यों बदला जबकि पहले सोफमा तोप चुनी गयी थी । श्री सुन्दरजी ने कहा :

"एक निर्णय यह लिया गया था कि हम टैंक सहित, जिस पर इसे रखा जाएगा, इस समूची प्रणाली को नहीं खरीदेंगे । हम केवल तोप प्रणाली को ही खरीदेंगे । 1982 और जुलाई

1985 के बीच हमारे अनुसंधान तथा विकास और फ्रेंच फर्म ने विजयंत टैंक में इस तरह के बुर्ज को रखने की व्यवहार्यता का पता लगाया । हम आशावान थे कि यह प्रारंभिक चरण में पूरा होगा । परन्तु तीन साल के काम के पश्चात वापस आये और उन्होंने रिपोर्ट दी कि यह व्यवहार्य नहीं है । अनेक तकनीकी कारणों से विजयंत टैंक में फ्रेंच जी०सी०टी० बुर्ज नहीं लग सका । जुलाई 1985 में इसे छोड़ दिया गया । इसलिए दूसरा मुद्दा, जो मैंने पहले सेल्फ प्रोपेल्ड तोप पर तोप प्रणाली और 1982 में टोड प्रणाली के बीच समानता के लाभों के बारे में उठाया था, फरवरी 1986 में किए गए विश्लेषण में पूरी तरह से नहीं रहा क्योंकि फ्रेंच एस०पी० गन नहीं आ रही थी और हम अन्य गनों की खोज में थे । तथ्य यह है कि विजयन्त टैंक पर लगाए जाने वाले फ्रेंच जी०सी०टी०-बुर्ज का विचार जुलाई 1985 में अव्यवहार्य प्रस्ताव होने के कारण छोड़ दिया गया था । फरवरी 1986 में किए गए विश्लेषण में इस तथ्य को भी शामिल किया गया था ।"

और उसके बाद तब फरवरी, 1986 में, जब उन्होंने थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, दो बड़ी घटनाएं घटित हुईं । यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । उन्होंने इस बोफोर्स तोप को खरीदने के लिए अपने निर्णय को क्यों बदला ? उन्होंने कहा :

"सबसे पहले अमरीका ने फायर फाइंडर राडार ए०एन०टी०पी०एस०-37 सफलता पूर्वक विकसित किया और उस पैकेज में इस राडार को भी शामिल किया जो कि वे.....को सहायता के रूप में दे रहे थे ।

अब इसने हमारी भेद्यता, जिसका हमें आने वाले दशक में सामना करना पड़ सकता है, में काफी परिवर्तन ला दिया । अब मुझे ऐसे खतरे की आशंका थी जो 1997 के आसपास आयेगा, परन्तु यह दुर्भाग्य से, जो हमने सोचा था, आशंका की थी, उससे बहुत पहले आ गया । फायर फाइंडर राडार की क्षमता, जो ऐसा राडार है जो अभी भी विद्यमान है, यह है कि जब पहला राउन्ड फायर किया जाता है, तब यह बहुत जल्दी ही ऊपर गोले का पता लगा लेता है और अंतरिक्ष में कुछ क्रमिक रीडिंग करने के बाद कम्प्यूटरीकृत गणना होने लगती है और वह जब तोप का गोला छोड़ा जाता है, उस समय से 45 से 50 सैकण्ड के अन्दर वह तोप की सही जगह का पता लगा लेता है ।"

अतएव 1986 में शूट और स्कूट का काफी महत्व हो गया और इसको यह सोच कर नकारा नहीं जा सकता था कि ऐसा 2000 ईसवी में भी नहीं होगा ।

3.00 म०प०

यहां उन्होंने एक और महत्वपूर्ण पैरा जोड़ा :—

"इन बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में मैंने परस्पर प्लेसमेंट का पुनर्मूल्यांकन किया और यह निर्णय किया कि परिस्थितियों में बोफोर्स तोप का लाभ फ्रेंच तोप से अधिक है यद्यपि मूल रूप से दोनों तोप सेना को स्वीकार्य हैं, यह परिस्थिति है और मैं शपथ लेकर उसे दोहराना चाहूंगी कि यही बात मैंने माननीय सदस्यों को तब बतायी थी, जब मैंने उन्हें कुछ महीने पूर्व सेना मुख्यालय में जानकारी दी थी ।"

[कुमारी ममता बनर्जी]

अन्ततः, देश और सेना के उपकरणों के लिए जनरल सुन्दरजी बोफोर्स तोप खरीदने के लिए सहमत हुए थे। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है। किन्तु उन्हें वास्तविक स्थिति का सामना करना चाहिये कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं।

संयुक्त संसदीय समिति ने नियमानुसार नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक तथा महा लेखा परीक्षक दोनों को बुलाया था। आप जानते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति की सहायता हेतु संसद में एक संकल्प भी पारित किया था। लेखापरीक्षक ने इस समिति के साथ सहयोग किया, किन्तु नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक ने नहीं किया। नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक ने यह दलील दी है कि संयुक्त संसदीय समिति के पास उपलब्ध सामग्री पर्याप्त नहीं थी। यदि संयुक्त संसदीय समिति के पास पर्याप्त सामग्री नही थी, तो उन्होंने क्या पर्याप्त सामग्री जुटाई थी और तब उनके आंकड़ों की वास्तविकता कहां है ? हम यहां भी यही प्रश्न पूछना और उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, संयुक्त संसदीय समिति के पास सामग्री उपलब्ध नहीं थी। हमारे रक्षा मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि उन्हें रक्षा मंत्रालय अथवा संयुक्त संसदीय समिति से जो भी आवश्यकता होगी, समस्त आंकड़े, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

3.02 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, यद्यपि निसन्देह एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, किन्तु सेना के विशेषज्ञ नहीं हैं। वे हथियारों की प्रणाली के बारे में और तोप प्रणाली के तकनीकी मूल्यांकन के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

मैंने पहले भी यह कहा था कि मैं नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की आलोचना नहीं करना चाहती हूं क्योंकि वे एक सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। किन्तु उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के बारे में जानना चाहिये और उन्हें यह जानना चाहिये कि क्या वे अपनी सीमा से बाहर गये हैं अथवा नहीं। तोप अच्छी है अथवा नहीं अथवा शस्त्र प्रणाली अच्छी है अथवा नहीं, इस बात की जांच नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं करनी चाहिये; इसकी जांच रक्षा मंत्रालय अथवा थल सेना मुख्यालय द्वारा की जानी चाहिये। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए और उन्हें इस रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिये।

विपक्ष ने नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के सम्बन्ध में काफी आलोचना की है। मेरे विद्वान, वरिष्ठ और अनुभवी नेता श्री जगन्नाथ कौशल यहां हैं; वे बोलेंगे तथा अन्य मित्र भी बोलेंगे; मैं सभी मुद्दों का उल्लेख नहीं कर रही हूं। किन्तु मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने प्रधान मंत्री के शामिल होने के बारे में कुछ नही कहा है, उन्होंने रिश्वत लेने के बारे में कुछ नही कहा है, उन्होंने प्रक्रिया के संबंध में—प्रक्रिया सम्बन्धी कमियों और चूकों के बारे में कहा है। किन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी चूकों की जांच रक्षा मंत्रालय, सेना के विशेषज्ञों, सौदा समिति द्वारा की जानी चाहिये, क्योंकि वे ही विशेषज्ञ हैं। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक इन मामलों में विशेषज्ञ नहीं हैं। केवल इसी मुद्दे पर मैं अपने

विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूं कि यह कोई नया नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कोई आलोचना नहीं की है ताकि आप त्यागपत्र दें और संसद में कोलाहल करें। हम जानते हैं कि विपक्ष को आलोचना करने और सरकार का विरोध करने का अधिकार है; किन्तु उन्हें इस संस्था, संसद को नष्ट करने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं जो मैंने कवर करना है उसको कवर करने की मैंने कोशिश की। मैंने सुन्दर जी की रिपोर्ट को कवर किया और मधु दंडवते जी ने सी० ए० जी० की रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहा, उसको भी कवर किया। जब सी० ए० जी० की रिपोर्ट पर डिसक्शन करने का मौका आया तो विरोधी दल के लोग यहां से भाग गये। इनके पास इस बारे में जनता से बोलने के लिये कुछ भी नहीं है। वनातवाला साहब ने सुबह इनके बारे में जो कुछ कहा वह ठीक ही हुआ कि वह इसका पालिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। यह जो सी०ए०जी०-सी०ए०जी० लेकर चिल्लाये हैं मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि सी०ए०जी० इज़ नॉट ए फाइनल एथॉरिटी। पहले इसकी रिपोर्ट पी० ए० सी० में जायेगी और वहां इस पर डिसक्शन होने के बाद पता लग पायेगा कि सी०ए०जी० की रिपोर्ट में क्या है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह बोफोर्स गन बहुत अच्छी हैं। आज अमेरिका पाकिस्तान को जो राडार दे रहा है क्या उसको देखते हुए बोफोर्स गन खरीदनी जरूरी नहीं हो जाता है ? देश की रक्षा करने का काम कांग्रेस का है और यह अपोजिशन का काम नहीं है। हमारे अपोजिशन ने सी०ए०जी० की रिपोर्ट को लेकर जैसा एटीच्यूड किया है मैं उसकी आलोचना करती हूं।

मुझे इस बात की खुशी है कि शाहबुद्दीन जी हाऊस में आ गये हैं और उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। मैं एक बात अपने अपोजिशन दोस्तों से कहना चाहती हूं कि :

"नहीं है जिनको भरोसा खुद अपने शानों पर,
वही खुदा के सहारों की बात करते हैं।"

मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि पी०ए०सी० में सी०ए०जी० की रिपोर्ट पर डिसक्शन होने के बाद ही असलियत जानी जा सकती हैं। अंत में मैं एक और शेर सुनाना चाहूंगी—

"खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले,
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है"

कांग्रेस की एचीवमेंट्स को देश की जनता एप्रूव करेगी। इससे उनका रैजिग्नेशन बादल में छुप जायेगा।

[अनुवाद]

***श्री पी० सेलवेन्द्रन** (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदया, मुझे बोफोर्स के मामले पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा में भाग लेने पर बड़ी प्रसन्नता है। बोफोर्स मामले पर यह चर्चा कोई नई बात नहीं है। गत दो वर्षों से इस सम्माननीय सभा में इस मामले पर अनेक बार चर्चा हुई है। उन चर्चाओं के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में स्पष्टी-

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

करण दे दिया गया था और विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों का खण्डन कर दिया गया था और इसी प्रकार के अनेक स्पष्टीकरण भी सरकार द्वारा विपक्षी सदस्यों को दे दिए गए थे। ऐसी स्थिति में जबकि इस मामले को अत्यधिक महत्व दिया गया है, मैं इस सम्माननीय सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि विपक्षी सदस्यों ने ही एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच करने की मांग की थी। जिन विपक्षी सदस्यों ने इस मामले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग की थी, समिति के गठन हो जाने के बाद उन्होंने ही उसका बहिष्कार किया है और इस प्रकार उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह न करने का गंभीर संवैधानिक अपराध किया है। यदि पूरे मामले की सच्चाई जानने में उनकी रुचि थी तो उन्हें इस समिति का सदस्य बन जाना चाहिए था। समिति में रहकर उस पर विचार-विमर्श तथा पूरे मामले से संबद्ध पूर्ण ब्यौरे की सूचना सबसे पहले प्राप्त करनी चाहिए थी और इस प्रकार सच्चाई को जानना चाहिए था। जिन सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग की थी, उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में शामिल न होकर इस तथ्य की पुष्टि की है कि उनकी सच्चाई और न्याय में कोई गम्भीर रुचि नहीं थी। वे सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका एक-मात्र उद्देश्य किसी न किसी बात पर सरकार को बदनाम करने का था। उनका रवैया एकदम पक्षपातपूर्ण था। संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में विस्तृत ब्यौरा है। इससे सरकार पर लगाए गए सारे संदेह निर्मूल हो जाते हैं।

तत्पश्चात् नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विरोधी दलों ने मांग की थी कि इसे गत सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाना चाहिए था। सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जैसे ही रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने के लिए तैयार हो जाएगी, उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। तदनुसार इस महीने की 18 तारीख को नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई। मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि विरोधी दल के एक सदस्य प्रो० मधु दंडवते, जिन्होंने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने इस सभा की सदस्यता से आज ही त्याग-पत्र दिया है। जिन सदस्यों ने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग रखी थी वही लोग अब यह राय दे रहे हैं कि यह रिपोर्ट चर्चा किए जाने योग्य नहीं है। उनका कहना है कि प्रधान मंत्री को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें चर्चा में विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि वे लोग विचारों का आदान-प्रदान करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट का एकमात्र समाधान यही है कि प्रधान मंत्री त्याग-पत्र दे दें। वे लोग चर्चा करने से कतराते हैं। वे लोग इस रिपोर्ट पर चर्चा करने से किसी-न-किसी प्रकार बचना चाहते थे। वे इस चर्चा से इस प्रकार बच निकले हैं जैसे कि कोई फिसलने वाली ईल मछली हाथों से फिसल जाती है। इस प्रकार उन्होंने अपने उन दायित्वों से, जिनके लिए उन्होंने शपथ ली थी, को न निभाने का गंभीर संवैधानिक अपराध किया है।

जो प्रक्रिया प्रचलित है, उसके अनुसार नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल पहले लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा इस रिपोर्ट की परीक्षा किए जाने तथा उसे संसद को लौटाए जाने से पूर्व ही विपक्षी सदस्यों ने प्रधान मंत्री के

त्याग-पत्र की मांग की है। इससे विरोधी सदस्यों का निहित राजनैतिक उद्देश्य परिलक्षित होता है।

अब वे लोग प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान मंत्री ने संसद के समक्ष झूठ बोल कर संसद को गुमराह किया है और वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि क्या ऐसे प्रधान मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वे अपना आत्मविश्लेषण करें। जहां वे सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, वहीं शेष लोग उन पर आक्षेप कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी सदस्य इस सच्चाई को भूल गए हैं। आज द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के दो सदस्यों ने प्रधान मंत्री से त्याग-पत्र की मांग की और बाद में उन्होंने लोक सभा से त्याग-पत्र दे दिए और बाहर चले गए। द्रविड़ मुनेत्र कड़घम राज्य में दूसरी बार सत्ता में आया है। जब वे लोग पिछली बार सत्ता में थे तब द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के अध्यक्ष और वर्तमान मुख्य मंत्री ··········**············· ही तत्कालीन मुख्य मंत्री थे। इतिहास में यह पहली घटना थी जबकि पहली बार कोई सरकार भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के आरोपों पर बर्खास्त की गई थी और जबकि तमिलनाडु में···**···पिछली बार मुख्य मंत्री थे। आज उन्हीं के दल के सदस्यों ने प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र की मांग करते हुए लोक सभा से अपना त्याग-पत्र दे दिया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तत्कालीन द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। तत्कालीन द्रविड़ मुनेत्र कड़घम की सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। इन आरोपों के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया था और द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के मुख्य मंत्री की ओर से श्री शांति भूषण न्यायालय में उपस्थित हुए थे तथा उन्होंने यह वकालत की थी कि ·······**··········सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया था। ख्याति-प्राप्त वकील श्री शांति भूषण ने उनकी वकालत की थी ······**······ और उन्हें उन आरोपों से बरी कराने की चेष्टा की थी। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब श्री शांति भूषण को केन्द्र में विधि मंत्री बनाया गया था। श्री शांति भूषण ने, जिन्होंने न्यायालय में यह तर्क दिया था कि····· **······ भ्रष्ट नहीं है, उन्हीं ने संसद में ऐसा करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने ······**······ के विरुद्ध चलाए जा रहे मुकदमों को वापिस लेने से इंकार कर दिया था और जब श्री शांति भूषण ने उनके विरुद्ध चलाए जा रहे मुकदमों को वापिस लेने से इनकार कर दिया था तब मुझे आपसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि······**·······उस पर किस प्रकार फूट-फूट कर रोये थे। उन्होंने इसी तर्क के आधार पर अपील की थी कि जब केन्द्रीय सरकार बादल के विरुद्ध चलाए जा रहे मुकदमें वापिस ले सकती है; तो उन जैसे निरीह अपराधी पर चलाए जा रहे मुकदमे क्यों वापिस नहीं लिए जा सकते हैं।

यदि स्थिति यही है तो उनके दल के इस सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्यों से मैं यह पूछना चाहूंगा कि उन्हें प्रधान मंत्री से त्याग-पत्र मांगने का क्या नैतिक अधिकार है?

आज आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? महाकाव्यों में, हमने सुना है कि ऋषि विश्वामित्र ने गंगा को अपने कमण्डल में भर लिया था—क्या केवल इसलिए कि······ **·· ··· पर्दे पर विश्वामित्र की भूमिका अदा कर रहे हैं, वह सोचते हैं कि वह पूरे भारत को अपने अधिकार में कर लेंगे।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० सेलवेन्द्रन]

समाचार-पत्रों में उनके पुत्रों और उनके दामादों की काली करतूतें प्रकाशित होती रही हैं। मुख्य मंत्री के विरुद्ध जो 100 या 100 से अधिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे उनमें से उनके विरुद्ध लगाए गए 10 या 10 से अधिक ऐसे आरोपों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उचित मानते हुए याचिका स्वीकार की है। ऐसे लोगों को प्रधान मंत्री, राजीव गांधी से त्याग-पत्र मांगने का क्या अधिकार है।

मैं यहां माननीय मंत्रियों, सदस्यों और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये व्यक्ति इस देश की राजनैतिक स्थिरता, स्वतन्त्रता और अखण्डता को खतरे में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था, देश में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने इस निर्णय का दुरुपयोग किया और देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा कर दी। उन्होंने विपक्षी खतरे का दृढ़तापूर्वक सामना किया और इस देश को तोड़ने के उनके विनाशकारी मंसूबों को समाप्त किया। इस तरह, उन्होंने इस देश को विनाश से बचाया। वे व्यक्ति, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिर्णय को देश को अस्थिर करने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, आज नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को हथियार के रूप में प्रयोग करके उसी तरह का कार्य कर रहे हैं जिस तरह वर्ष 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को बचाया था, माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी, को भी देश को अस्थिरता और विघटन से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। देश को बचाने तथा विपक्ष की चुनौती का सामना करने के लिए उनके प्रयासों में हमारा दल तथा इसके सदस्य अपना सच्चा और मजबूत समर्थन देने में एक हैं।

यह वर्ष चुनाव वर्ष है। विपक्ष सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बोफोर्स तोप को अपने हाथ में लेना चाहता है। किन्तु मैं कहता हूं, बोफोर्स तोप सरकार के पास है विपक्ष के पास नहीं। विपक्ष के पास तो कागजी तलवार है। चुनावी युद्ध में यह उनके काम नहीं आएगी।

यदि आज प्रधान मंत्री त्याग-पत्र दे देते हैं, तो उनसे पद भार कौन सम्भालेगा ? क्या जनता दल में से कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए सहमत है ? यह बिल्कुल असम्भव है, वे प्रधान मंत्री के विरुद्ध नारे लगा सकते हैं। वे प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र की मांग के नारे लगा सकते हैं। वे लोक सभा से अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकते हैं किन्तु वे एक स्थिर सरकार नहीं दे सकते। केवल कांग्रेस और इसका नेता श्री राजीव गांधी ही स्थिर सरकार दे सकते हैं। आज राजीव गांधी प्रधान मंत्री हैं। कल भी वे ही प्रधान मंत्री होंगे। यह निर्णय लोगों की अदालत द्वारा दिया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री सेलवेन्द्रन के भाषण में जहां-कहीं भी श्री श्री एन० टी० रामाराव और श्री करुणानिधि के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और न्यायालय ने उन्हें पहले ही दोषी बताया हो तब भी क्या हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं ?

सभापति महोदय : वे अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं हैं। इसीलिए हम उनका नाम लेने की कोशिश नहीं करते। हमें नामों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नियम यह है कि नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा किंतु स्थिति का उल्लेख हो सकता है।

सभापति महोदय : स्थिति का उल्लेख हो सकता है किन्तु केवल नाम हटाने हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोविचेट्टिपालयम) : इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया है। जब ऐसा मामला है, तो हम नाम का उल्लेख क्यों नहीं कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : हमें नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए किन्तु फिर भी मैं रिकार्ड देखूंगी।

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : महोदया, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने से पहले, मैं इस मामले की पृष्ठभूमि और इतिहास पर प्रकाश डालना चाहता हूं, चर्चा आरम्भ होने से पहले अध्यक्ष महोदय ने कुछ टिप्पणियां की थीं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक अधिकारी है और वह किसी के अधीन नहीं है। किन्तु यह भी सच है कि उसके कर्त्तव्य 1971 के अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं और यह अधिनियम संसद ने पारित किया था। संविधान में यह कहा गया है कि भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां संसद द्वारा अथवा संसद द्वारा बनाये गए कानूनों द्वारा निर्धारित की जायेंगी। सभी ने यह भी स्वीकार किया है कि केन्द्र और राज्यों दोनों के खातों की लेखा परीक्षा करने के बाद वह रिपोर्ट देता है। तब, वह उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेजता है। तब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए लोक सभा को देता है तथा लोक सभा प्रायः सभी मामलों में उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपती है और लोक लेखा समिति द्वारा पूरे मामले पर गहराई से विचार करने के उपरांत वह मामला पुनः सभा में आता है और यह सभा पर निर्भर है कि वह उस पर चर्चा और वाद-विवाद करे। इस मामले में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। जब बोफोर्स मामला उठाया गया था, संसद ने निर्णय लिया था कि वह इस मामले की जांच करेगी क्योंकि यह काफी लोक महत्व का मामला है। जांच की विधि क्या अपनाई गई ? उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया और कहा कि समिति मामले के सारे पहलुओं की जांच करेगी। समिति नियुक्त की गई और जब समिति के निर्देशपद निर्धारित किए जा रहे थे, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि इस समिति की भारत के महान्यायवादी, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक तथा जांच एजेन्सियों द्वारा सहायता की जानी चाहिए। संकल्प में विशेष रूप से यह कहा गया था कि ये तीनों विभाग संयुक्त संसदीय समिति की सहायता करेंगे और यह संसद का आदेश था। मैं इन सभी बातों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं ? मैं कह रहा हूं कि यह संसद का आदेश था, यहां तक कि संसद का यह फैसला नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के लिए भी था कि संयुक्त संसदीय समिति की सहायता की जाए क्योंकि हम सच जानना चाहते हैं। क्या हुआ ? नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को तब संयुक्त संसदीय समिति की सहायता करने के लिए सूचना दी गई थी। इसी तरह, केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों ने भी मामले की जांच की। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की। नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने इस दलील पर

[श्री जगन्नाथ कौशल]

सहायता नहीं की कि संयुक्त संसदीय समिति के पास उपलब्ध रिकॉर्ड व्यावसायिक लेखापरीक्षा के लिए अपर्याप्त होगी। यह अतर्कसंगत और अप्रव्यापक दलील थी। वे यह भूल गए कि रक्षा मंत्री ने, बहस में भाग लेते समय संसद को विश्वास दिलाया था कि संवेदनशील मामलों सहित, सारे मामले संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखे जायेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने संयुक्त संसदीय समिति को अपनी सहायता नहीं दी। उनके लिए बेहतर यही होता कि वे बैठकों में हिस्सा लेते। यदि उन्हें दस्तावेज चाहिए थे तो वे इसके लिए सरकार से कहते। यदि सरकार दस्तावेज पेश न करती तो समिति प्रतिकूल टिप्पणी कर सकती थी। उन्होंने व्यावसायिक लेखापरीक्षा की दृष्टि से ऐसा करने से इंकार कर दिया। उन्हें पता था कि उनका दायित्व भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए लेखा की लेखापरीक्षा करना था। इसलिए इन बैठकों में भाग न लेकर वे स्वयं को पूर्णतः विवश अथवा पूर्वाग्रहग्रस्त महसूस कर रहे थे। बहरहाल मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। संयुक्त संसदीय समिति ने पूरे मामले की जांच की, पता नहीं उन्होंने कितनी बैठकें कीं और कितने लोगों का साक्ष्य किया। जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की है वह खानापूरी वाली नहीं बल्कि सुविचारित दस्तावेज है। रिपोर्ट आने पर दोनों सभाओं ने कई दिन तक उस पर चर्चा की और वाद-विवाद किया और अन्ततः संसद ने उसे स्वीकार कर लिया।

अब मैं एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा उठा रहा हूं। जब किसी मामले पर संसद विचार कर चुकी हो, उसके विषय में जांच कर चुकी हो, संसद समिति की नियुक्ति कर चुकी हो और समिति की रिपोर्ट इस सभा में स्वीकार की जा चुकी हो तो क्या कोई भी संवैधानिक अथवा अन्य प्राधिकरण उस पर फिर से विचार कर सकता है और संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतन्त्र है ?

जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह अभूतपूर्व स्थिति है, सभी संवैधानिक विशेषज्ञों, संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें ऐसा करने की छूट है ? मैं सभा में यही कहना चाहता हूं। जब संसद एक मामले पर विचार कर चुकी है, संसद अपना निर्णय दे चुकी है, कोई भी व्यक्ति उस पर फिर से विचार नहीं कर सकता है विशेष रूप से वे मुद्दे जो संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जा चुके हैं, पुनः विचार नहीं किया जा सकता है।

अब, क्या यह रिपोर्ट इतनी पवित्र है कि हम उसे छू नहीं सकते, क्या यह रिपोर्ट संसद जो कि सर्वोच्च है उससे भी ऊपर है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और सभा में मेरा नम्र निवेदन है कि इस रिपोर्ट में दुर्भाग्य से सिवाए संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचारित मुद्दों के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे किसी भी दस्तावेज का जिक्र नहीं है जो संयुक्त संसदीय समिति के पास उपलब्ध न हो, और फिर भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गए हैं। किस पर ? उन मामलों पर जो संवैधानिक सत्ता के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

हम सब जानते हैं कि बिना क्षेत्राधिकार के कोई भी कार्य निरर्थक है। यह तो निर्विवाद है कि यदि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ता है, तो उसके निष्कर्ष की चाहे वे कुछ भी हों, कोई न्यायिक वैधता नहीं होती है। अतः सभा से मेरा निवेदन है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष ने वस्तुस्थिति से मुंह क्यों मोड़ा है। संसद ने जब संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की थी तो भी विपक्ष भाग खड़ा हुआ। ऐसा क्यों ? उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की थी,

और सरकार ने संसद में यह ठीक ही कहा था कि हालांकि यह पूर्णत: अभूतपूर्व स्थिति है, संसद ने जांच एजेंसी की भूमिका कभी नहीं निभाई,प रन्तु चूंकि इस मामले से समस्या उत्पन्न हो गई है, सरकार के उद्देश्यों के प्रति उन्हें शंका है, तो चाहे ससद इसकी जांच कर ले। इसमें छिपाने वाली बात कोई नहीं है। सरकार का पहले ही दिन से यही रुख था—हमें कुछ भी नहीं छिपाना है, कृपया इसकी जांच करें और यदि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें तो हम उसका अनुपालन करेंगे। वस्तुत: विपक्ष ने यह सोचा कि वे ही जाल में फंस गए हैं इसलिए इससे भाग निकले। यही स्थिति अब पैदा हुई है। आप स्मरण करेंगे कि वे सभा को तब तक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दे रहे थे जब तक कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सभा पटल पर न रख दी जाये। इसके सभा पटल पर रखते ही उन्होंने नियम 193 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा और जब अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दी तो वे फिर मुकर गए। क्यों ? आखिर उनकी मति पूर्णत: भ्रष्ट नहीं हुई है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की आलोचना के जोश में उनमें सनक सवार हो गई है उनमें गुण-दोष की पहचान, विवेक और स्थिति का विवेचन करने की शक्ति जाती रही है। अब, ऐसा रुख अपनाने और सभा को एक सप्ताह तक कार्यवाही न चलने देने से वे कहते हैं कि अब और कोई उपाय नहीं है, यदि उन्होंने गलतियां की हैं तो वे यह कह कर गलती पर गलती किए जा रहे हैं कि "हम शेष अवधि के लिए संसद के कार्यचालन में कोई सहायता नहीं देंगे।" यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और ऐसा अन्यंत्र कहीं नहीं हुआ है। किसी भी संसद में संसद सदस्यों ने अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद की सहायता से इंकार नहीं किया है। अत: मैं यह बात दोहराता हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव चाहे इसे हमारे द्वारा रखा गया हो अथवा विपक्ष के द्वारा, पर चर्चा ही गलत है। हमें शांतिपूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिए। जो मामला संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को दोनों सभाओं द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद निपटा दिया गया हो, क्या हमें उस मामले पर फिर विचार करना चाहिए ? मेरा सादर निवेदन है कि संसद को भी तब तक इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है जब तक कि संसद में नए सिरे से कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किये जायें।

अब अगर मामला यह नहीं है और ऐसा नहीं है तो मेरा पुन: यही निवेदन है, हालांकि मैं काफी अर्से से संसद सदस्य हूं, लेकिन फिर भी सभी को सारे नियमों का ज्ञान नहीं होता, कि जो सदस्य लोकतांत्रिक संस्थान और संसद की सर्वोच्चता का अध्ययन करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें इस मुद्दे पर भी गम्भीरता से जांच करनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से हम ऐसी बात करने जा रहे हैं, जिसका पहले से कोई उदाहरण नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सारे बोफोर्स सौदे के मामले से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे पूर्वोदाहरण पैदा हुए हैं, जिनका पहले कोई पूर्वोदाहरण नहीं है, हम खुद गलती पर हैं। अत: कृपया ऐसे पूर्वोदाहरण न पैदा करें जिससे हमारी भावी पीढ़ी को उलझन का सामना न करना पड़े।

इस प्रश्न के बारे में सभी एकमत हैं कि संसद सर्वोच्च है। क्षेत्राधिकार के इस जटिल प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त कर देने के पश्चात् मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें कुछ विचार करना ही है तो हमें रिपोर्ट पर एक नजर डालनी होगी। मैंने कई बार रिपोर्ट का अध्ययन किया है। 12 पृष्ठों में मात्र दो पहरा हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने इस मामले पर घंटों, हफ्ते और महीने लगाए हैं और सेना के सभी उच्च अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के सभी उच्च अधिकारियों से पूछताछ की है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, सेनाध्यक्ष, जनरल सुन्दरजी का था।

[श्री जगन्नाथ कौशल]

3.34 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य श्री गणपति का था। वह सचिव (व्यय) थे। मुझे खेद है कि मैंने कहा हमने साक्ष्य लिया। वास्तव में संयुक्त संसदीय समिति ने उनका साक्ष्य लिया था और मैं भी उस समिति का एक सदस्य था। मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी मुद्दों पर विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं था। हम जैसे लोग जो वकील हैं, उन्हें मालूम है कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सत्र न्यायलयों में कितनी मुश्किल से समस्याओं को सुलझाया जाता है। साक्षी के हावभाव का भी पीठासीन अधिकारी पर गहरा असर पड़ता है। संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य होने के नाते मैं कह सकता हूं कि अगर किसी ने जनरल सुन्दरजी को साक्ष्य कक्ष में देखा है तो वह एकदम कहेगा कि वह देश के सबसे सर्वोत्तम सैनिकों में से हैं। आप उनके हौंसले को देखें। उन्होने पांच बार लिए गए निर्णय को भी बदल दिया। पहले के निर्णयों में, जिनमें वे खुद भी शामिल थे, उन्होंने परिस्थितियों में परिवर्तन आने के कारण बदल दिया। बहुत कम लोगों का ऐसा हौसला होता है। तब उन्होंने कहा था, "कि मैं शपथपूर्वक कहता हूं। मैं अपने द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर कायम रहूंगा। अगर मैंने यह निर्णय नहीं बदला होता, तो मैं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने कर्त्तव्य में असफल रहता।" हमने उनसे पूछा कि परिस्थितियों में कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जनरल सुन्दरजी का आलोचक था। मैं उनसे बार-बार प्रश्न पूछता रहा। मैंने कहा कि, "जनरल, प्रत्येक यही महसूस करेगा कि यह पलट जाने जैसा कार्य है।" पहले पांच बार निर्णय लिए जा चुके हैं और छठी दफा आपने 'न' कह दिया है, आपने कहा है कि क्षमा करना, "सोफमा" नहीं, "बोफोर्स"। मैं पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता।" उन्होंने कहा, "तब मैं आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा।" मैंने कहा, "आप कहते रहें।" उन्होंने कहा, "जब हम इस प्रकार की तोप खरीदने का विचार करते हैं, तब हम जानते हैं कि इस तोप में यही खतरा है कि, अगर कुछ सैकण्ड में इस तोप का पता लगाने वाले रॉडार का आविष्कार हो जाता है, तो ऐसे मामले में हमारे लिए "सोफमा" और "बोफोर्स", दोनों ही बेकार हैं।" लेकिन राय यही है कि ऐसा रॉडार विकसित करने में 10 या 15 वर्ष लग जायेंगे। उन्होंने कहा, "श्रीमान्, फरवरी, 1986 में अमरीका ने ऐसा रॉडार बनाने में कामयाबी हासिल की और इसे पाकिस्तान को भी सप्लाई किया। जैसे ही इसने इसे पाकिस्तान को सप्लाई किया, तो उस सौदे के बारे में उन्होंने कहा कि इसके पक्ष में 'शूट एण्ड स्कूट' क्षमता को ही ध्यान में रखना था। जिसे हम कभी भी समझ नही पाए।" उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। मैं सदन में इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, "मेनूवरेबिल्टी" का अर्थ यह है। जब हमारी तोप गोला फैंकती है तो रॉडार 30 सैकण्ड के अन्दर, तोप की सही स्थिति का पता लगा लेगा और शत्रु 40 से 50 सैकण्ड के अंदर हमारी तोप को जवाबी हमले में नष्ट कर सकता है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। "हमें ऐसी तोप दरकार थी, जो फायर करने के बाद तुरन्त अपनी स्थिति बदल ले। केवल बोफोर्स तोप में ही यह गुण विद्यमान था।" मैं सभा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सेना का कोई भी प्रमुख ऐसी तोप खरीदने का खतरा मोल ले सकता था, जो अपनी स्थिति तुरन्त न बदल सके; क्योंकि मात्र 40 से 50 सैकण्ड के अन्दर ही जवाबी हमला हो सकता है? उन्होंने गोला दागे जाने, "शूट और स्कूट" क्षमता आदि को स्पष्ट करने में काफी समय लगाया और इन्हें विस्तार से बताया।

हमें तोपों की मारक क्षमता के प्रदर्शन स्थल पर ले जाया गया उन्होंने इस दृश्य को एक युद्ध क्षेत्र की भांति लिया। उन्होंने कई प्रदर्शन किए। मुझे इस बात का दुःख है कि इस रिपोर्ट में तोप की गुणवत्ता की भी आलोचना की गई जिस पर प्रतिपक्ष ने कभी सन्देह नहीं किया। जब कभी हमने यह बताने का प्रयास किया कि हमें सबसे बढ़िया तोपें मिली हैं तो प्रतिपक्ष ने यही कहा, "इसके बारे में किसने सवाल उठाया है। हमारा तो केवल यही सवाल है कि इस सौदे में कुछ बिचौलिए थे जिन्होंने वह पैसा हड़प लिया।" अब हम पुनः यही बहस कर रहे हैं कि यह तोप बढ़िया थी अथवा घटिया। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रक्षा मंत्री जी ने सभा में कई बार कहा है कि : "कृपया इस नाजुक मामले की आलोचना मत कीजिए।" सेना ने सदा निष्पक्षता से यही कहा है कि उन्हें दोनों तोपें स्वीकार्य थीं। "·····दोनों तोपें अच्छी हैं। प्रत्येक तोप की थोड़ी सी अलग विशेषता है तो दूसरी तोप में थोड़ी सी दूसरी विशेषता है जो पहली में नहीं है। इस प्रकार दोनों तोपों में थोड़ी सी अच्छाई है और थोड़ी सी कमी होने से दोनों का महत्व बराबर हो जाता है। एक स्तर पर हमने सोचा कि सोफमा तोपें थोड़ी बढ़िया होंगी।" और जब हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण में बदलाव आया तो जनरल सुन्दरजी ने कहा : "यदि मैं इस निर्णय को नहीं बदलता तो मैं सेना-प्रमुख के रूप में असफल हो जाता।" अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक आदमी के मन में जो कुछ भी आए, कह सकता है ? उसका ऐसा करना बड़ा गैर-जिम्मेदाराना रवैया होगा; हमें इन मामलों पर बड़ी जिम्मेदारी से बहस करनी चाहिए।

माननीय महोदय, जरा सोचिये; मुझे खेद है कि मैं इस तरह से सम्बोधन करने का आदी हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : महोदय, हमने अति प्रतिष्ठित न्यायाधीशों द्वारा अत्यन्त जटिल समस्याओं की जांच होते हुए देखी है·····।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब तो गालियां सहने की आदत हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो माइनॉरिटी की बात करते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : फार्चुनेटली, वे तो उनके हिस्से में आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं, लोगों ने आदत डाल दी है।

श्री जगन्नाथ कौशल : गालियां देना तो मेरे हिस्से में आएगा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इतनी गिरावट आ गई है·····

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं तो कह रहा था कि हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के कार्यरत 13 न्यायाधीशों की खण्ड पीठ द्वारा महीनों तक किसी मामले पर विचार विमर्श करते देखा है; और कभी-कभी आप देखते हैं कि क्या होता है। सात न्यायाधीश एक तरफ होते हैं। और छः न्यायाधीश दूसरी तरफ। कौन जानता है कि 6 न्यायाधीश सही हैं अथवा दूसरे पक्ष के 7 न्यायाधीश सही हैं ? लेकिन एक बात हम जानते हैं और जब हम इस व्यवसाय में आए तो यह बात हमें बड़े-बड़े न्यायाधीशों ने बताई थी। ऐसा कहा गया

[श्री जगन्नाथ कौशल]

है·····निर्णय सही होने की कोई गारन्टी नहीं है। लेकिन इसे सही माना जाता है, क्योंकि यह सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय होता है। इसलिए, इसी प्रकार, संसद ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। संयुक्त संसदीय समिति गलत निर्णय ले सकती है, लेकिन मामले को कहीं तो समाप्त होना है। और हम जितना भी समय यहां लगाते हैं, इसका भार राजकोष पर ही पड़ता है। एक बार लोक सभा द्वारा इसके आंकड़े दिए गए थे, जो कि चौंकाने वाले है। और हम बार-बार इस विषय पर बहस करते आ रहे हैं। किसलिए ? केवल एक ही प्रयोजन के लिए। हमें कहते रहना चाहिए : 'यह सरकार भ्रष्ट है, यह भ्रष्ट है, यह भ्रष्ट है; कीचड़ उछालते जाइए, किसी पर तो गिरेगी ही। लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए इस रिपोर्ट में भी संयुक्त संसदीय समिति के इस निष्कर्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है क्योंकि उन्होंने केवल यही उद्धृत किया है कि संयुक्त संसदीय समिति ने इसे स्वीकार कर लिया है : "अमुक धनराशि तीन विदेशी कम्पनियों को दी गई थी। लेकिन वे कहते हैं 'कारबार समेटने संबंधी प्रभार' और हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वह रिश्वत थी।' जब आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है तो निश्चितरूप से सर्व विदित पुनः एक स्वीकृत सिद्धान्त सामने आता है; 'सन्देह, चाहे कितना ही सुदृढ़ हो, सच्चाई का स्थान नहीं ले सकता।' यदि ऐसा नहीं होता तो कानून का शासन ही समाप्त हो जाता। तब केवल एक ही कानून होगा; 'किसी की बुराई करो, और उसे फांसी पर चढ़ा दो।' इसकी हम अनुमति नहीं दे सकते। यहां तक कि इन्दिरा गान्धी के हत्यारों पर भी मुकदमा चलाया गया था; और हम सब जानते हैं कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने में चार वर्ष लग गए। क्यों ? हम पाकिस्तान की स्थिति जानते हैं कि वहां क्या हुआ था। व्यक्ति की हत्या की गई और हत्यारे का भी तत्काल नामोनिशान मिटा दिया गया। हम ऐसी स्थिति में विश्वास नहीं करते। हम तो कानून का शासन कायम करके चलते हैं।

मुझे एक मामले की याद है; सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या की गई। मैं उनके हत्यारे की वापसी के लिए महाधिवक्ता के रूप में नेपाल गया। नेपाल सरकार इस मामले पर टालमटोल कर रही थी। तत्पश्चात मुझे न्यायालय में पेश होना पड़ा। मैंने कहा : 'हम मित्र देश से किस बात के लिए कह रहे हैं ? हम केवल यही कह रहे हैं कि कृपया आप इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए इसे हमारे सुपुर्द कर दें; और हमें गर्व है कि हमारी न्यायपालिका पूर्णतः स्वतन्त्र है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। ऐसा नहीं कि दोषी व्यक्ति को फौरन फांसी पर लटका देंगे। हम पहले उस पर मुकदमा चलाएंगे और मुकदमे के बाद यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मुझे कहना पड़ता है कि न्यायाधीश इस बात से सहमत हो गए। उन्होंने कहा; 'हां, मैं सहमत हूं; आपकी एक स्वतन्त्र न्यायपालिका है।' और जब हमने 'स्वतन्त्र संस्थाएं स्थापित की हैं तो हमें कानून का शासन मानन पड़ेगा। और कानून का शासन इस प्रकार है; आप दोष सिद्धि संबंधी निर्णय तब तक नहीं दे सकते, जब तक इसके अकाट्य परिणाम न हों।'

अब मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पृष्ठ 24 के अंतिम पैरे को पढ़ना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

> "यद्यपि मंत्रालय ने मई, 1985 में यह निर्णय लिया था कि आयातित हथियारों तथा उपकरणों की खरीद निर्माताओं से सीधे की जाएगी और बीच में कोई एजेंट नहीं होंगे। किन्तु बोफोर्स से एजेंट रखने के बारे में कोई निश्चित लिखित आश्वासन नहीं लिया

गया। संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों के अनुसार, बोफोर्स ने तीन विदेशी कम्पनियों को 319.4 मिलियन स्वीडिश क्रोनरों का भुगतान किया। करार में एजेंटों की नियुक्ति न करने के किसी उपयुक्त उपबंध के अभाव में, मंत्रालय बोफोर्स के एजेंटों को की गयी अदायगी के बराबर की रकम कम नहीं करवा सका "।

दरअसल, यही सारा झगड़ा है, आइए, अब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट देखें। हमने इस बात की छानबीन की और संयुक्त संसदीय समिति ने हमें इस उपबंध को करार में न लिए जाने के प्रभावों को समझाने के लिए महान्यायवादी को बुलाया। मैं उनके साक्ष्य की केवल कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा जो इस रिपोर्ट के पृष्ठ 179 से ली गई हैं। इनमें कहा गया है :

"महान्यायवादी ने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर रखा था कि वे बोफोर्स से सीधे खरीद करेंगे और इस बात पर जोर दिया था कि खरीद में कोई बिचौलिया नहीं होगा, तो यह करार की एक पूर्व शर्त है।"

महान्यायवादी का यह कथन है। इसी पृष्ठ पर आगे उन्होंने कहा है कि :

"इसलिए बोफोर्स यह शर्त पूरी करने के लिए बाध्य था।"

उन्होंने आगे कहा : खरीद की यह पूर्व शर्त कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, को न्यायालय में साबित किया जा सकता है हालांकि खरीद की शर्तों में यह बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रश्न आया था। उच्चतम न्यायालय का एक विनिर्णय भी है।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह आवश्यक नहीं था कि इस आशय का उपबंध करार में निश्चितरूप से शामिल किया जाता, महान्यायवादी ने उत्तर दिया :

"नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा कि इसे शामिल करना बहुत आवश्यक था क्योंकि शर्तें दो पार्टियों के बीच में है, पूर्व शर्तें मौखिक भी हो सकती है। यह आदेश नहीं दिया जा सकता है कि इसका लिखित रूप में होना आवश्यक है।"

दुर्भाग्य से वे महान्यायवादी की राय सुनने से वंचित रह गए हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि वे यह कहेंगे कि आपने इसे करार में शामिल क्यों नहीं किया था। चूंकि आपने इसे करार में शामिल नहीं किया है, इसलिए आप उन तीन विदेशी राष्ट्रों को किए गए भुगतान को वापस लेने की स्थिति में नहीं हैं, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमने घृणाजनक स्थिति तक इस पर चर्चा की है। बोफोर्स का मत यह है कि यह भुगतान समापन प्रभारों के रूप में किया गया है। हम उन सभी करारों को कारबार की गोपनीयता के आधार पर रोक सकते थे; किन्तु इसकी अनुपस्थिति में हमारे पास यह कहने के लिए कुछ सामग्री नहीं है कि उन्हें रिश्वत दी गई थी; वास्तव में रिश्वत नहीं दी गई थी; जिसका कारण यह था कि वे तीनों करार, जो समाप्त किए गए थे, इस करार से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे करार बोफोर्स के विश्वव्यापी व्यापार से सम्बन्धित हैं लेकिन, चूंकि श्री राजीव गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि हम बीच में कोई बिचौलिया नहीं रखेंगे तो वे घबरा गए; उन्होंने उन एजेंटों से सम्पर्क किया; उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए, यदि आप हमारा करार समाप्त करना चाहते हैं तो आप उतनी अदायगी कीजिए जितनी कि उचित समझते हैं। बोफोर्स कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य के दौरान हमें बताया कि हमारे सामने केवल तीन मार्ग थे; हमें या तो माध्यस्थम की शरण लेनी होती या हम न्यायालय जाते अथवा हम उनके साथ यह समझौता कर लेते। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि अगर हमने कोई अन्य तरीका अपनाया

[श्री जगन्नाथ कौशल]

होता तो उससे कठिनाई पैदा होगी इसलिए क्यों न उनके साथ समझौता कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने करार समाप्त करने के लिए आपके साथ और उनके साथ यह समझौता किया। स्वीडन के वकील ने एक निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष यह है कि चूंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बोफर्स का धन गलत था। संयुक्त संसदीय समिति ने इन मामलों की न्यायाधीशों की तरह जांच की। आज मैं इस रिपोर्ट के विरुद्ध कोई कड़ी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि आपने हमें चर्चा शुरू करने से पहले चेता दिया था। आपने हमें संयुक्त संसदीय समिति के आचरण पर टिप्पणी करने से मना किया था। किन्तु हम निश्चय ही संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों की आलोचना करेंगे। यह निष्कर्ष पूर्णरूप से अस्वीकार्य है। अब हमें अगले मामले पर विचार करना चाहिये।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति को समझाने की कोशिश की है कि खरीदी गयी तोप तकनीकी दृष्टि से बेहतर नहीं है। बहरहाल, मैं यह पुनः कहता हूं कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह किसी भी तरह से उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह सेना और रक्षा मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। उनका अधिकार क्षेत्र केवल यह है कि क्या लेखा-जोखा उचित रूप से तैयार किया गया है, क्या भारत की संचित निधि से निकाले गये धन को उचित रूप से व्यय किया गया है। क्या इस धनराशि को एक उचित अधिकारी ने व्यय किया है; यह नहीं कि उन्होंने यह अथवा वह तोप खरीदी। तब तो भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक निश्चित रूप से सेनाध्यक्ष से भी ऊपर होंगे, जो कोई भी नहीं हो सकता।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : किन्तु विपक्ष तो ऐसा कहता है। विपक्ष की यही धारणा है।

श्री जगन्नाथ कौशल : कोई भी नहीं हो सकता। और, क्या मैं विनम्रता पूर्वक यह पूछ सकता हूं कि, क्या कोई भी सरकार अपने सेनाध्यक्ष पर अविश्वास करके कार्य कर सकती है? क्या कोई सरकार कार्य कर सकती है? और इससे भी अधिक, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है, क्योंकि एक बार जनरल सुन्दरजी मेरे पास आए थे और मैंने पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि वे विश्व के बिरले जनरलों में से एक हैं। यही लोग कह रहे हैं। इस समय हम उनकी ही ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। यदि हम अपने में से सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ईमानदारी पर सन्देह करते रहेंगे तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। और हमें यह सीखना चाहिये कि प्रजातन्त्र में इस तरह से कार्य नहीं होता है। प्रजातन्त्र का मतलब है कानून का शासन। जब तक आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता, कृपया किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई निन्दात्मक बात न कहें। किसी व्यक्ति का चरित्र बनाने में वर्षों लग जाते हैं और किसी व्यक्ति का चरित्र एक क्षण में नष्ट हो सकता है।

अतः मैं यह कहता हूं। दुर्भाग्यवश इस समय हम विपक्ष की अनुपस्थित में यह वाद-विवाद कर रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है, वे यहां होते तो मैं कुछ ज्यादा बोलता। सौभाग्य से एक सदस्य आये हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। **(व्यवधान)**

श्री बी० सोमानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इसी मुद्दे पर, जिस पर चर्चा हो रही है, अर्थात् नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। वे अभी भी इस सभा के सदस्य हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : यदि वे व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। किन्तु एक माननीय सदस्य इस समय बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए समय दूंगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, क्या आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति दूंगा। मैं आपको इसका उत्तर देने का भी समय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके जवाब देने से तो बात नहीं बनेगी।

[अनुवाद]

जो कुछ भी है, मुझे ही करना है। मुझे इसका संचालन करने दीजिये। वही सबसे बेहतर है। पहले, मुझे यह निश्चित करना है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्योंकि लोक सभा के इतिहास में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर इस सभा में पहले कभी भी चर्चा नहीं हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया। इसे रद्द कर दिया गया है। मैं नियमों से बाहर कार्य नहीं करता हूं। यह हो सकता है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहली बात तो यह है कि किसी की निन्दा करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों कर रहे हैं, मि० चार्ल्स ?

[अनुवाद]

मैं स्थिति से निपट सकता हूं। सीधा प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य की आपत्ति को इसलिये रद्द किया जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हमें चर्चा करने से मना करे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दीजिए। यह सभा सर्वोच्च है और इस सभा ने सर्वसम्मति से इसकी मांग की थी। और अपनी टिप्पणी में मैं कह चुका हूं कि मैं बिना किसी पूर्वोदाहरण के ऐसा कर रहा हूं, यह एक विशेष मामला है तथा भविष्य में भी इसको कोई पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाएगा। मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं और मेरे विचार से यह इस सभा की वैध मांग है। चूंकि यह एक असामान्य बात थी, इसीलिए मैंने इसकी अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं होगा। वह जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री जगन्नाथ कौशल : अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं इस सभा का ध्यान अन्तिम मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसे पहले भी उठाया जा चुका है और वह मुद्दा यह है कि क्या फ्रांस के लोगों के साथ व्यापार करने की अपेक्षा स्वीडन के साथ व्यापार करने में देश को आर्थिक रूप से लाभ हुआ है। वे यही बात कहना चाह रहे थे। मैं पुनः यह बात कहना चाहूंगा कि व्यय सचिव से पूछताछ करने और समझौता समिति के अन्य संबद्ध साक्ष्यों से पूछताछ करने के पश्चात् संयुक्त संसदीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इससे देश को 193 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। उन्होंने इसकी कोई आलोचना नहीं की है। उनका तो बस इतना ही कहना है कि यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ ? मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति ने इन सब बातों की जांच की है। दुर्भाग्यवश उनमें से यहां कोई भी नहीं है। अन्यथा, मैं उनसे कहता कि वे कोई भी ऐसा मुद्दा बतायें जिसके बारे में संयुक्त संसदीय समिति ने जांच-पड़ताल न की हो। संयुक्त संसदीय समिति ने न्यायाधीशों की भांति सारे मामले की जांच-पड़ताल की है। इस समिति में तीस सांसद थे। यदि ये तीस सांसद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे और उनका यह निष्कर्ष संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो इस मामले का अंतिम निर्णय तो यही है। किंतु वे लोग इस मामले को जीवित रखना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश वे इसको राजनैतिक पुट देकर नाजियों के प्रचार निदेशक, गोबेल्स की तरह, इस आशा से इस झूठ को बार-बार दोहराये जा रहे हैं कि शायद किसी समय जनता इस बात को स्वीकार कर ले। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। हमने इस मामले की छानबीन की है। संसद में इस मामले पर चर्चा की जा चुकी है। संसद ने अपना निर्णय दे दिया है और संसद की सर्वोच्चता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह चर्चा आरम्भ की गई थी, उस समय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि नियन्त्रक-

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महालेखा परीक्षक से अध्यक्ष महोदय को जो भी पत्र प्राप्त हुआ है, उसे सभा पटल पर रखा जाये। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मामले को आपके समक्ष रखा जाएगा। इस समय आप अध्यक्ष पीठ पर सुशोभित हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी जेब में हाथ डालिए, वह पत्र बाहर निकाल कर उसे सभा पटल पर रखिये जिससे हमारा उससे और मार्गदर्शन हो सके।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य श्री बनातवाला को ज्ञात होगा कि इसी पत्र की प्रति रक्षा मंत्रालय में भी प्राप्त हुई है और रक्षा मंत्रालय, सरकार की ओर से, उसे सभा पटल पर रखने के लिए स्वतन्त्र है। मैं उन्हें ऐसा करने से रोकूंगा नहीं।

श्री जी०एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं क्योंकि आपने इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान कर दी है यद्यपि इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं मिलता है। मुझे विश्वास है कि यह चर्चा भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होगी क्योंकि इससे संसद की सर्वोच्चता अत्यधिक स्पष्ट रूप से और बिना किसी दोष के सिद्ध हो जाती है।

4.00 म०प०

इसके साथ ही, मुझे भय है कि इससे विरोधी पक्ष के अनेक दलों का, हालांकि पूर्ण विपक्ष नहीं अपितु विरोधी पक्ष के अनेक दलों का इतिवृत्त अक्षम्य माना जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले इस पर चर्चा की मांग की और फिर बाद में अपने कथन से मुकर जाने का अक्षम्य रवैया अपनाकर संसदीय लोकतंत्र को छिन्न-भिन्न करने का क्षमा न किए जाने योग्य अपराध किया है।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमारे समक्ष है। इस रिपोर्ट में बोफोर्स से सम्बन्धित सम्पूर्ण मामले के कतिपय पहलुओं, जैसे कि लोप प्रणाली का मूल्यांकन, ठेकों से संबद्ध आर्थिक दृष्टिकोण, और लाइसेंसशुदा उत्पादन सहित ठेके से संबद्ध कार्य-निष्पादन के बारे में स्वतः ही संपुष्टि कर दी गई है। इस रिपोर्ट में अनेक प्रश्न उठाये गए हैं और अनेक संदेह भी व्यक्त किए गए हैं। अब ये प्रश्न और संदेह सम्भवतः नए नहीं रह गए हैं। संभवतः हमारी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इन प्रश्नों और संदेहों से जुड़े उन सभी पहलुओं की जांच की गई है। किन्तु संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बावजूद नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने इस रिपोर्ट विशेष में इन्हीं विशिष्ट प्रश्नों और संदेहों को उठाना उपयुक्त समझा।

सर्वप्रथम, उन्होंने यह शिकायत की है कि फाइलों को उन्हें उपलब्ध कराये जाने में असाधारण देरी की गई। उन्होंने फाइलें जुलाई, 1986 में मांगी थी और वे फाइलें उन्हें जून, 1988 और उसके बाद से उपलब्ध कराई गईं। सरकार द्वारा ये स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि ये फाइलें ठेके से संबंधित बाद के मामलों तथा संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों से संबद्ध मामलों और संसद में चल रहे वाद-विवाद के सिलसिले में मांगी गई थीं। ये स्पष्टीकरण हमारे समक्ष हैं। फिर भी, कोई यह महसूस करता है कि शायद ये फाइलें और अधिक शीघ्रता के साथ नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक को उपलब्ध कराई जा सकती थीं। तथापि, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कुछ और प्रश्न भी उठाये गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने तथा इन संदेहों का निवारण करने के लिए सरकार के समक्ष स्थिति के बारे में पुनः स्पष्टीकरण देने का यह उपयुक्त समय है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जुलाई, 1987 में स्वीडेन में भारतीय शिष्टमंडल ने यह सुझाव दिया था कि संभवतः

[श्री जी०एम० बनातवाला]

बोफोर्स के सौदे से संबद्ध सभी कागजों को लेखा परीक्षक के लिये भारतीय लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को सौंपे जाने की आवश्यकता पड़े । एक सुझाव और दिया गया था—संभवत: यह सुझाव सीधे बोफोर्स द्वारा नहीं दिया गया था अपितु हमें यह सुझाव स्वीडेन में हमारे शिष्टमंडल द्वारा दिया गया और रिपोर्ट में इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि यह सुझाव स्वीकार क्यों नहीं किया गया था । इस समय सरकार के समक्ष यह उपयुक्त समय है कि वह यह स्पष्ट करे कि भारत सरकार ने उस विशेष सुझाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया । अति शीघ्र इस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिए हम आपके आभारी हैं जिससे कि इन मामलों पर स्पष्टीकरण दिया जा सके और यहां तक कि दिए गए अपने स्पष्टीकरणों को पुन: दोहराया जा सके ।

हमें यह बताया गया है कि उसके मूल्यांकन में अनेक तकनीकी खराबियां थीं । मैं उन सभी खराबियों के बारे में चर्चा करूंगा । उन सबका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है और माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ कौशल ने विस्तारपूर्वक उनकी चर्चा कर दी है । हमें यह बताया गया था कि हालांकि, बन्दूक के बारे में सेना मुख्यालय ने अपनी राय बदल दी थी । इस मामले पर चर्चा की जा चुकी है । किन्तु मैं सभा का ध्यान उस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वाक्य, एक वक्तव्य, एक दावे, एक संदेह अथवा एक विवाद की ओर दिलाना चाहूंगा जिसे नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने यह कहकर पैदा किया है कि "फरवरी, 1986 के पुनर्मूल्यांकन की न तो कोई आवश्यकता थी न ही इसका कारण ही स्पष्ट है ।" जहां तक तोपों के बारे में राय बदलने का प्रश्न है, राय सेना मुख्यालय द्वारा स्वयं ही बदली गई थी । अत: सेना मुख्यालय पर लगाये गए इस गम्भीर आक्षेप से और दुर्भाग्यवश इस विशिष्ट वाक्य से सेना मुख्यालय के ऊपर राष्ट्र के विश्वास को आघात पहुंचा है । यह बहुत ही गम्भीर बात है । मुझे आश्चर्य तो इस बात पर है कि विरोधी पक्ष ने प्रधान मंत्री से त्याग-पत्र देने की मांग की है, उन्होंने पूरे सेना मुख्यालय से त्याग-पत्र देने की मांग क्यों नहीं की । यद्यपि यह आक्षेप लगाकर कि सेना मुख्यालय ने छठी बार अपनी राय क्यों बदली थी, उन्होंने सेना मुख्यालय के ऊपर पूरे राष्ट्र के विश्वास पर आघात पहुंचाने की चेष्टा की है । सेना मुख्यालय ने पांच बार सोफना के पक्ष में राय व्यक्त की थी और छठी बार बोफोर्स के पक्ष में । यह बहुत ही गम्भीर आक्षेप है । मुझे विश्वास है कि सरकार अत्यधिक महत्व के इस दृष्टिकोण का खण्डन करने की चेष्टा करेगी जिससे कि सेना मुख्यालय के बारे में इस प्रकार के संदेह न पैदा किए जा सकें ।

इस रिपोर्ट में केवल प्रश्नों के रूप में और कुछ निराधार संदेहों के रूप में अनेक मुद्दे उठाए गए हैं । हमें यह भी बताया गया है कि 'समझौता समिति' के विचार-विमर्श के समय कुछ व्यवधान भी डाले गए थे । जिन व्यवधानों का उल्लेख किया गया है वे यह हैं कि उन्हें जी०एस०क्यू०आर० की प्रतियां नहीं दी गईं और उन्हें न्यूनतम स्वीकार्य सीमित साधनों पर ही विश्वास करना पड़ा था । समिति द्वारा मांग किए जाने पर भी उन्हें कोई सामग्री नहीं उपलब्ध कराई गई, और 1986 में 'समझौता समिति' ने यह महसूस किया था कि वर्ष 1980 से 1982 के दौरान किए गए परीक्षण मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेना ठीक नहीं होगा और फिर से परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता है किन्तु इसके बावजूद न तो फिर से कोई परीक्षण कराया गया और न ही कोई नया परीक्षण किया गया, और यह कि बोफोर्स द्वारा सुधार किए जाने के संबंध में किए गए दावे के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया । ये गम्भीर आरोप भी हैं जिससे अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है । सरकार का राष्ट्र के प्रति यह दायित्व हो जाता है कि रिपोर्ट में

उल्लिखित इन सभी मुद्दों से जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उनका निवारण करे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 'समझौता समिति' द्वारा की गई सिफारिश मूल्यांकन के आधार पर न होकर फरवरी, 1986 में सेना मुख्यालय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर है। इससे एक बार पुनः हमारे सेना मुख्यालय पर आक्षेप लगाया गया है। इस मामले में सरकार को क्या कहना है।

रिपोर्ट में एक और भी महत्वपूर्ण बात कही गई है जिससे हमें पता चलता है कि बोफोर्स तोप प्रणाली के बारे में 24 मार्च, 1986 को प्रधान मंत्री कार्यालय से स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु 24 मार्च, को जब स्वीकृति की सूचना दी जा रही थी, प्रधान मंत्री कार्यालय से यह कहा गया कि मूल्यांकन की प्रणाली संबंधी निर्देशों का पालन किया जाएगा। महोदय, उसी दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था, जब मूल्यांकन प्रणाली संबंधी निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रधान मंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिल गई थी। ये निर्देश उसके ठीक दूसरे दिन प्राप्त हुए थे। अतः प्रत्येक यह जानना चाहता है कि इस जल्दी का क्या कारण था। उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय से मूल्यांकन-प्रणाली संबंधी दिए गए निर्देश प्राप्त करने के लिए एक दिन की भी प्रतीक्षा नहीं की। महोदय, ये और अनेक प्रश्न हैं, जिन्हें निःसंदेह स्पष्ट करना और उत्तर देना होगा।

एजेंटों की नियुक्ति के बारे में हमसे कहा गया कि मई, 1985 में कम्पनियों को सूचना दी गई थी कि भारतीय एजेंटों की सेवायें नहीं ली जानी चाहिए। यह निर्देश था कि 'भारतीय एजेन्टों' को सेवाओं से अलग रखा जाएगा। रिपोर्ट मेंयह प्रश्न उठाया गया है कि : इन विदेशी एजेंटों को क्यों अलग नहीं रखा गया ? इस तरह की शर्तें क्यों लगाई गयीं जो कि केवल भारतीय एजेंटों पर ही लागू हों, कि भारतीय एजेंटों को सेवाओं से अलग रखा गया और विदेशी एजेंटों को नहीं ? यही मुद्दा सरकार को स्पष्ट करना है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : उस स्थिति में रक्षा मंत्री ने कहा था कि वर्ष 1980 में रक्षा एजेंटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। श्री अरुण सिंह ने सभा पटल पर कहा था कि रक्षा एजेंटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह भारतीय या विदेशी का प्रश्न नहीं है।

श्री जी०एम० बनातवाला : मुझे मालूम नहीं था कि वे पहले ही सरकार में थे।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : नहीं, मैंने सरकार की बात को उद्धृत किया था ..... **(व्यवधान)**।

श्री जी०एम० बनातवाला : यह प्रतिवेदन हम सभी को सम्बोधित नहीं है। **(व्यवधान)**। मैं यह प्रश्न सरकार को सम्बोधित कर रहा हूं कि ये अनेकों प्रश्न हैं। सरकार चाहे कितनी भी कमजोर महसूस करे, ये प्रश्न संसद में उठाए गए हैं, जब तक सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट नहीं करती कि इस विशेष प्रश्न पर सभी संदेह दूर कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया है कि अनुबंध में ऐसा कोई औपचारिक उपबन्ध नहीं था जिससे एजेंटों की सेवाएं अलग की जातीं। माननीय सदस्य, श्री जगन्नाथ कौशल ने इस मुद्दे पर अच्छी तरह से चर्चा की है। उन्होंने महान्यायवादी के विचारों का उल्लेख किया और संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में यह भी शामिल किया गया था कि महान्यायवादी का विचार था कि यद्यपि औपचारिक अनुबंध में इस विशेष मुद्दे को शामिल करना आवश्यक नहीं था, तथापि अनुबंध की पूर्व निर्धारित शर्तें प्रमाणिक होती है। यद्यपि अनुबंध की पूर्ववर्ती शर्तें प्रमाणिक हो सकती है, किन्तु पूर्ण सावधानी के रूप में यह बात औपचारिक अनुबंध में शामिल की जानी चाहिए और प्रश्न उठता है कि यह

[श्री जी०एम० बनातवाला]

पूर्ण सावधानी क्यों नहीं बरती गई तथा क्या भविष्य में ऐसी पूर्ण सावधानी बरती जाएगी। महोदय, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "·····यह स्वाभाविक और अपरिहार्य निष्कर्ष है कि अधिवास के लिहाज से, भारतीय अथवा विदेशी ऐजेंटों को अलग रखने के अनुबंध में उपयुक्त उपबंध न होने के कारण, ऐजेंटों को किये गये भुगतान से लागत में कमी नहीं हुई, जिसे मंत्रालय द्वारा बोफोर्स से पूछा जा सकता था।"

अब, लेखा परीक्षा, में यह निष्कर्ष, टिप्पणियां की गई हैं। यह आवश्यक है कि हमारी संयुक्त संसदीय समिति को पूरे प्रश्न पर जाना चाहिये। इस विशेष सभा से मेरी अपील है कि मात्र नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कोई अन्तिम निर्णय लेने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिये। ये अन्तिम शब्द नहीं हैं। वह अन्तिम प्राधिकारी नहीं हैं और ये अन्तिम शब्द नहीं है। यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास जाना है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काफी धैर्य रखना है कि हमारी लोक लेखा समिति इस प्रतिवेदन की गहराई से जांच करेगी और हमें लोक लेखा समिति की रिपोर्ट उपलब्ध होने से पहले ही कोई अंतिम विचार व्यक्त करने से दूर रहना चाहिये। इसमें अनेक मुद्दे हैं। जैसा कि मैंने कहा, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने हथियार देते समय जो समय सीमा तय की थी, वह बोफोर्स के पहले के प्रस्तावों से कम लाभदायक थी। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्न का अच्छी तरह से उत्तर दिया जाये। हमसे कहा गया था कि मंत्रालय द्वारा अनुबंध संबंधी कुछ भुगतान करने में विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप दंड के रूप में भारी ब्याज का भुगतान करना पड़ा। अनुबंध सम्बन्धी भुगतान में ये विलम्ब क्यों हुए ? यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है कि पूरी प्रणाली सुचारु रूप से चले। भारतीय एजेंटों को कमीशन के भुगतान के सम्बन्ध में, हमसे कहा गया था कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ मानदंड निर्धारित किये थे। किन्तु ये मानदंड पूर्ति महानिदेशक के माध्यम से खरीदे गये रक्षा उपकरणों के लिए लागू नहीं हैं। अतः, बढ़े हुए कमीशन का भुगतान किया गया है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित इन मानदंडों को आपूर्ति महानिदेशक के माध्यम से खरीदने हेतु लागू क्यों नहीं बनाया गया था, जिसकी परिणति अधिक दरों पर कमीशन का भुगतान करने की इस घटना के रूप में हुई।

महोदय, रक्षा मामलों सम्बन्धी समिति ने जहां तक सम्भव हो ऐजेंटों की सेवाओं को अलग रखने की सिफारिश की थी। यह सुनिश्चित करने हेतु क्या किया गया है कि आपूर्ति महानिदेशक से विभिन्न आपूर्तियां प्राप्त करने के मामलों में यह विशेष सिफारिश कार्यान्वित की जाए ? तथापि, जैसा कि मैंने कहा, यह पूरा प्रतिवेदन उठाये गये कुछ प्रश्नों तथा कुछ संदेहों के सिवाय कुछ नहीं है। इसका उत्तर संयुक्त संसदीय समिति को देना है। फिर भी, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बावजूद, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने इसे पुनः उठाने के लिए सही माना है। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि केवल भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के इस प्रतिवेदन के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालें और न ही अपने विचार ही व्यक्त करें।

महोदय, मैं श्री कौल और श्री शकधर द्वारा लिखी गयी **'संसदीय प्रक्रिया और कार्य व्यवहार'** नामक ग्रन्थ के पृष्ठ 22 से उद्धृत करता हूं :

खंड एक : "नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट स्वत: ही लोक लेखा समिति को सौंपे जाने के लिए होती है। यह समिति द्वारा जांच करने का आधार होता है, जिसे बाद में संसद को भेजा जाता है।"

संसदीय लोकतंत्र के परामर्शदाता संसदीय प्रक्रिया के लिए सहनशील थे । हमें भी वैसी ही सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिये । जैसे विपक्ष पूरी तरह से गलत और असहिष्णु होकर इस प्रतिवेदन के आधार पर अपनी मांग कर रहा है, उसी तरह से हमें भी इस प्रतिवेदन लोक लेखा समिति द्वारा जांच किये बिना ही, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करने के लिए, असहिष्णु होने का दोषी माना जायेगा । यह संसदीय प्रक्रिया है । इस संस्था को बचाने के लिए, हमें इस प्रक्रिया के साथ सहिष्णुता बरतने की आवश्यकता है ।

इस प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति को लेना चाहिये तथा इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये, उसे इसकी पूरी जांच करके नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के 11 और 12 पैराग्राफ की रिपोर्ट संसद को देनी चाहिये । यह सत्र संसद का अन्तिम सत्र हो सकता है, किन्तु यदि आवश्यकता हुई, तो एक अथवा दो दिन के लिए हमें बुलाया जा सकता है ताकि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाये और हमारे पास सभी प्रतिवेदन हों । हमारी राष्ट्र के प्रति यह जिम्मेदारी है कि इस प्रक्रिया का भली भांति अनुसरण किया जाए और पूरी प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना अन्तिम निर्णय न लिया जाए ।

हमें यह भी ज्ञात है कि "दि हिन्दू" नामक समाचारपत्र में प्रकाशित कुछ दस्तावेजों के सम्बन्ध में कुछ मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो कुछ जांच कर रहा है । आपने हमें बताया है कि आपको सरकार से ज्ञात हुआ है कि जांच अभी भी चल रही है । यह जांच जितनी शीघ्र सम्भव हो सके पूरी हो जानी चाहिये । यहां तक कि मैंने पहले भी, जब मैं संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर बोल रहा था, सरकार से अपील की थी कि यह सरकार और हमारे देश के प्रजातन्त्र, तथा इस पूरी संसदीय संस्था के हित में है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक सन्देह को दूर किया जाना चाहिये । कुछ प्रक्रियाओं की अभी भी जांच हो रही है और, अत: मैं एक बार इस सभा से फिर अपील करता हूं कि अभी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें । इस प्रतिवेदन को स्वत: ही लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाय । मुझे विश्वास है कि लोक लेखा समिति इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए रात-दिन बैठेगी और इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 11 और 12 में शामिल किये गये प्रत्येक वाक्य की रिपोर्ट इस सभा को देगी । कुछ गम्भीर शंकाएं हैं जिन्हें दूर करना है । सेना के उच्च अधिकारियों पर भी कुछ गंभीर शंकाएं की गयी हैं । इस मामले को हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है । अत: हमें यह प्रतिवेदन जितनी शीघ्र हो सके लोक लेखा समिति को सौंप देना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, सभा के दोनों पक्ष तथा सभी संस्थाएं इस बात पर सहमत हैं कि नियम 193 के अन्तर्गत यह चर्चा वस्तुत: असाधारण है । जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, उन्होंने चर्चा आरम्भ करने से ठीक पहले स्पष्ट रूप से एक वक्तव्य

[श्री पी०आर० कुमारमंगलम]

दिया था कि सभा पटल पर रखा गया नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, स्वत: ही लोक लेखा समिति को सौंपने के लिए होता है और लोक लेखा समिति के विश्लेषण के बाद, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा होती है तत्पश्चात लोक लेखा समिति पर चर्चा के माध्यम से हम नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हैं । किन्तु दुर्भाग्य से इस चर्चा का आरम्भ सत्ता पक्ष की ओर से न होकर, विपक्ष की ओर से हुआ है । पहला प्रस्ताव प्रो० मधु दंडवते ने स्वयं रखा था ।

वास्तव में माननीय अध्यक्ष महोदय और कार्य मंत्रणा समिति के अन्य सदस्यों को ज्ञात है कि कार्य मंत्रणा समिति की पहली बैठक के बाद भी न तो तत्कालीन संसद सदस्य प्रो० मधु दंडवते और न ही मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने ही अध्यक्ष महोदय और संसद कार्यालय को सूचित किया था कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं अथवा नियम 193 के अन्तर्गत उनका प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं है । वास्तव में, कार्य मंत्रणा समिति ने सदन में हो रहे शोरगुल और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विपक्ष, प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने के बावजूद सरकार और प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहा है, एक अपवाद के रूप में यह स्पष्ट किया था, और बल्कि इस सभा में अशोभनीय दृश्य देखने को मिले । मुझे आशा है कि सभा में ऐसे दृश्य फिर नहीं दिखाई देंगे । मैंने—पिछले दो पीढ़ियों से—एक बच्चे के रूप में दर्शक दीर्घा से—इस सभा की कार्यवाही देखी है । मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं इस सभा का सदस्य बनूंगा तब इस सभा का स्तर इतना गिर चुका होगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा हुआ और परिस्थितियों पर विचार करते हुए आपने विवेक से निर्णय लिया कि सन्देह दूर करने के लिए यह आवश्यक है और चर्चा आरम्भ की। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से कोई अन्तिम निर्णय नहीं निकलता क्योंकि इससे मामला रुक जायेगा । लोक लेखा समिति इस मामले की जांच करेगी । अपने कर्त्तव्य की सामान्य प्रक्रिया की तरह यह समिति इस कार्य को करेगी । मुझे विश्वास है कि यह सभा भी भविष्य में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को देखेगी ।

महोदय, मैंने उन भूतपूर्व माननीय सदस्यों का उदाहरणात्मक व्यवहार देखा है, जिन्होंने आज प्रात: त्यागपत्र दिया है; यदि मैं व्यंग्यप्रिय हो सकता हूं । उनके त्यागपत्र के कारण के संबंध में, किसी को भी आश्चर्य होता है कि क्या वे वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है । कोई संसद से सामान्य रूप से त्यागपत्र देता है जब उसका विचार होता है कि संसदीय संस्था का अपने आप विघटन हो गया है और इस संस्था को अनुपयोगी जानकर विरोध स्वरूप वह त्यागपत्र देता है । क्या इस संस्था ने किसी तरीके से उनका गला घोंटा है ? क्या किसी तरह उनकी वाक् स्वतन्त्रता प्रभावित हुई है । इसके विपरीत, चर्चा में स्वतन्त्र और स्पष्ट रूप से भाग लेने के लिए उनसे अक्षरश: याचना की जा रही थी । किन्तु उनकी इच्छा नहीं थी । वे सच का पता लगाना नहीं चाहते । वे वास्तविकता का पता लगाना नहीं चाहते हैं । बल्कि वे नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को ब्लैक-बॉक्स के रूप में उपयोग करना चाहते हैं और कहते हैं "यह तो प्रधान मंत्री पर अभियोग है । अत: उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये ।" मैं एक बात कहना चाहता हूं—मान लीजिये यह प्रमाणित हो जाए कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रधान मंत्री पर अभियोग न होकर विपक्ष के नये नेता, भूतपूर्व सांसद पर हो । मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं । हम सभी जानते हैं कि एक बार वे वित्त मंत्री थे । यदि उन पर अभियोग होता, तो तब नैतिकता के आधार पर

उनके त्यागपत्र देने का यह औचित्य समझ में आता है कि "चूंकि हमारे नेता पर आरोप लगाया गया है, अतः हम उनके द्वारा की गयी गलतियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हुए त्यागपत्र देते हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिवेदन के अनुच्छेद 11 और 12 के विषम विषय पर बोलने से पहले, मेरे विचार में हम सभी के लिए यह समझना आवश्यक है संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक कौन है और नियम के अन्तर्गत उसे क्या जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4.29 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत, यह स्पष्ट है कि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक संघ और राज्यों आदि के लेखे-जोखे के सम्बन्ध में किस तरह के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा और किस तरह की शक्तियों का प्रयोग करेगा। अतः संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत स्पष्ट और विशिष्ट रूप से नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (1971 का 56) की धारा 13 के अन्तर्गत उपबन्ध (क) में स्पष्ट और विशेष रूप से कहा गया है :

> "भारत की संचित निधि से और विधान सभा वाले प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के व्यय की लेखा परीक्षा करना और यह पता लगाना कि क्या लेखाओं में दिखाया गया व्यय कानूनी रूप से उस सेवा या प्रयोजन के लिए प्रयुक्त अथवा व्यय किया गया है जिसके लिए यह उपभोज्य था तथा क्या व्यय अपेक्षित प्राधिकार के अनुरूप किया गया है।"

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का क्षेत्राधिकार पूर्णतः वित्तीय है।

अब प्रतिवेदन के पैरा 11 और 12 पर आते हुए, नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक ने व्याख्या और पैराग्राफ जिस तरह से बनाये हैं उसे कोई भी देखेगा कि, पैरा 11 में पहले उन्होंने तकनीकी मूल्यांकन किया है, उसके बाद गोला-बारूद का मूल्यांकन किया है, उसके बाद वित्तीय मूल्यांकन और अन्त में अनुबन्धों और कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है। तत्पश्चात् पैरा 12 में भारतीय ऐजेंटों को कमीशन के भुगतान पर विचार किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें, उनकी संस्था को इस बात की जानकारी है कि उन्होंने न केवल लेखा-जोखा देखा है, न केवल वित्तीय मूल्यांकन ही किया है, बल्कि स्पष्ट रूप से तकनीकी मूल्यांकन किया है, ससम्मान, मैं नहीं समझता कि उनके कार्यालय उनकी संस्था के पास इस तरह की कोई वांछित विशेषज्ञता है, वांछित क्यों, विशेषज्ञता यह जांच करने के लिए कि क्या एक विशेष तोप अथवा एक विशेष गोला बारूद अथवा सशस्त्र सेनाओं के लिए जरूरी है अथवा नहीं और क्या मूल्यांकन सही था अथवा नहीं। मैं इसके (क) तकनीकी योग्यता, और (ख) अधिकार क्षेत्र और मौलिकता पर वास्तविक रूप से यह सन्देह करता हूं कि क्या इसमें संचालन संबंधी नियन्त्रण विद्यमान है। महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री जी का जो उल्लेख नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है, और किया जा सकता है, वह वास्तव में, प्रतिष्ठात्मक है, अप्रतिष्ठात्मक नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष इसमें एक होकर और·····मुझे खेद है, मैं सुधार करता हूं··· ···यह रवैया कुछ देशभक्त, ईमानदार,

[श्री पी०आर० कुमारमंगलम]

वचनबद्ध सांसदों के लिए त्याग पत्र की मांग करना है बिना यह जाने कि वे क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि रिपोर्ट में माननीय प्रधान मंत्री जी पर आरोप लगाया गया है। इसके विपरीत, इस रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि वे महसूस करते हैं कि प्रधान मन्त्री द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों का पालन नहीं किया गया है और इसी बात पर उँगली उठाई गई है। इसके विपरीत, वित्तीय मूल्यांकन की पद्धति पर, उन्होंने विभाग की डांट-डपट की है। सभापति महोदय, उस समय वित्त मन्त्री कौन थे, मैं स्वयं यह पूछता हूं ? क्या वे श्री राजीव गांधी थे ? अथवा वे पूर्व सांसद थे ?

एक माननीय सदस्य : वित्त मन्त्री कौन थे ?

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : इलाहाबाद से चुने गए एक माननीय सांसद, जिन्होंने आज ही त्याग पत्र दिया है, श्री वी०पी० सिंह थे। उनके अतिरिक्त उस समय वित्त मन्त्री कौन थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को स्वीकृति दी थी ? आखिरकार, यह सर्वविदित तथ्य है कि तत्कालीन व्यय सचिव 'वार्ता समिति' के सदस्य थे। यह सर्वविदित तथ्य है कि वित्त मन्त्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक पुनरीक्षा बैठक की रिपोर्ट में, यह प्रकाशित होता था कि वार्ता किस स्तर पर और किस प्रकार हो रही है। क्या वह इस बात से इंकार कर सकते हैं ? वास्तव में, यही कारण है कि वे चर्चा कभी नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि यह रिपोर्ट वह नहीं है जिसमें प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी पर आरोप लगाया गया हो बल्कि इसमें श्री वी०पी० सिंह पर आरोप लगाया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट में तकनीकी मूल्यांकन के बारे में भी कहा गया है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने भूतपूर्व सेनाध्यक्ष के पुनर्मूल्यांकन के बारे में कहा था, प्रश्न उठाता है। कम से कम कहने के लिए, यह बात दुःखद है। यह उनके फैसला करने, उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया—पर प्रश्न उठाती है जो अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है—यह बात अच्छी तरह जानते हुए जनरल सुन्दर जी ने इसे विस्तार में न्यायोचित ठहराया था जिसकी श्री कौशल ने हमारे सम्मुख स्पष्ट व्याख्या की थी कि सोफम और बोफोर्स के बीच लिए गए निर्णय में परिवर्तन क्यों किया गया था और प्रयोग किए जाने वाली इसी फायर फाईंडिंग राडार के साथ सुरक्षा वातावरण में कैसे परिवर्तन हुआ।

संयुक्त राज्य अमरीका ने हमें उच्च प्रौद्योगिकी के नाम पर 'चिप' माल देने से इंकार कर दिया परंतु अत्यधिक आधुनिक राडारों में से एक राडार रातों-रात पाकिस्तान को दे दिया। क्या यह बात हमारे जनरलों की ओर से कहना गलत होगी कि नहीं, हमें एक ऐसी तोप अवश्य चाहिए जो स्वयं रक्षा कर सकती हो और जो इस स्थान से दागी और छोड़ी जा सके ? इस पर कोई भी कैसे प्रश्न कर सकता है जब तक निस्संदेह कोई प्रश्न न करना चाहता हो।

जिस तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परिचित प्रवृत्तियों से बाहर जाकर प्रणाली सम्बन्धी प्रश्न उठाए गए हैं, मैं इन सबके बारे में कह सकता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चाहे यह सही है अथवा गलत इसका निर्णय लोक लेखा समिति और सरकार को तथा अन्ततः संसद में हमें करना है। लेकिन आज की स्थिति में, क्या तकनीकी मूल्यांकन का प्रश्न उठाना स्वयं नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है ? मुझे गहरा सन्देह है।

मैं इससे आगे कुछ कहना चाहूंगा। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक 'जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्कअरमेंट' का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि यह विद्यमान नहीं है। रिपोर्ट में वह यह

भी स्वीकार करते हैं कि आर्डर दिसम्बर 1961 और फरवरी 1983 के हैं—श्री राजीव गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए जाने से बहुत पहले के—जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विदेशी उपकरण, उत्पादन डिजाइन, जिसे रक्षा विभाग द्वारा उपयुक्त पाया गया, के लिए निश्चित रूप से जी०एस०क्यू०आर० की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि लेखा परीक्षकों द्वारा इसका भी उल्लेख और अभिस्वीकार किया गया है फिर भी वे कहते हैं कि इसमें कमी है । मैं निष्कर्ष निकालना, निन्दा करना अथवा आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। मैं मुद्दे को केवल खुला छोड़ना चाहता हूं। मैं तथ्यों को सम्मुख रखना चाहूंगा और इस देश के लोगों पर, वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में निर्णय करने की छूट देना चाहूंगा ।

यदि कोई यह मुद्दा उठाता है कि प्रधान मन्त्री इसमें वास्तव में शामिल हैं अथवा नहीं, यह कहना प्रासांगिक होगा कि रिपोर्ट के 11.5.07 पैरा में स्पष्ट रूप से प्रधान मन्त्री कार्यालय के निदेश जारी किए गए हैं, जहां प्रधान मन्त्री के कार्यालय ने अनुभव किया था कि उपकरण मूल्यांकन के लिए अन्ततः बेहतर प्रणाली अथवा प्रणाली-विज्ञान का चयन अवश्य किया जाना चाहिए । यह तो विचार और नीति का मामला है। इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रधान मन्त्री कितने सावधान रहे हैं, उन्होंने प्रत्येक विस्तार की जांच कैसे की है, उन्होंने कैसे काफी एहतियात बरता है और इससे सन्तुष्ट नहीं थे, यद्यपि, निस्सदेह वह सेनाध्यक्ष को चुनौती नहीं दे रहे, अथवा उनसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अब वह महसूस करते है कि कम से कम भविष्य के लिए कोई प्रक्रिया अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए, कोई प्रणाली अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए । इसमें क्या हानि है ? इससे मनुष्य की उद्देश्य के प्रति ईमानदारी का पता चलता है । यदि इसे एक अभियोग माना जाता है तो मैं केवल यह कह सकता हूं कि मेरे मित्र, जो कुछ समय पूर्व तक दूसरी ओर थे, प्रशंसा का अर्थ नहीं जानते हैं ।

आखिरकार, यदि ऐसा कोई तरीका है जिसमें नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक सरकार में विद्यमान कतिपय व्यक्तियों के बारे में अपना अनुमोदन दे सके तो वह रिपोर्टों के माध्यम से ही है। उसने स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति अभिव्यक्त कर दी है और यह कहना कि यह वह रिपोर्ट है जिसका प्रयोग प्रधान मन्त्री से त्याग पत्र देने के बारे में कहने के लिए किया जाना चाहिए, कम से कम यह कहना हास्यास्पद है।

हमें वित्तीय मूल्यांकन की ओर भी देखना चाहिए कि क्या ये सही हैं अथवा गलत हैं—मैं प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि इसमें वास्तव में कोई गलत चीज नजर नहीं आती है। हां, एक मामला है—विनिमय दर में वृद्धि का मामला ।

14 करोड़ रुपये का अन्तर दिखाई देता है जिसमें 10 तोपें खरीदी गई। इस बात का उल्लेख नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में किया गया है । निस्संदेह, उन्होंने अपना विचार रखा है। यह काम करने की उनकी जिम्मेदारी है और इसे उन्होंने किया है। लेकिन हमने प्रक्रिया और मूल्यांकन के बारे में उनकी आलोचना नहीं देखी है। वित्तीय आधार पर किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। वर्तमान प्रधान मन्त्री अथवा तत्कालीन रक्षा मंत्री को। श्री राजीव गांधी अथवा तत्कालीन वित्त मंत्री जिसने वित्तीय मूल्यांकन के बारे में निर्णय लिया था ? वह भारत सरकार में वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा कि रिपोर्ट में तत्कालीन वित्त मन्त्री, श्री वी०पी० सिंह पर आरोप लगाया गया है।

[श्री पी०आर० कुमारमंगलम]

सभापति महोदय, मूल्य के मुद्दे पर और गणना के तरीके पर जिसे "निवल वर्तमान मूल्य" कहा गया है, निस्संदेह यह सच है कि लेखा परीक्षक प्रश्न उठा सकता है और प्रश्न उठाए गए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा इसकी जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। इसमें एक दृढ़ विचार व्यक्त किया गया है कि यह सही प्रक्रिया है, केवल यही प्रक्रिया उपलब्ध थी। लेकिन कुल मिलाकर, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दो महीने की अवधि के अन्दर वार्त्ता—समिति मूल्यों में भारी कमी लाई थी—मैं केवल उनकी प्रशंसा कर सकता हूं—1619 करोड़ रुपए से कम करके 1422 करोड़ रुपए। यदि कोई एक महीना और कुछ दिन के अन्दर इसमें कमी ला सकता है·····

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : कितनी बचत ?

कुछ माननीय सदस्य : 193 करोड़ रुपए।

श्री पी०आर० कुमारमंगलम : 193 करोड़ रुपए। मेरे विचार से वार्ता-समिति प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। (**व्यवधान**) हां। शायद एक अच्छे लेखा परीक्षक होने के नाते, हो सकता है नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने कुछ त्रुटियां और कमियां ढूंढने का निर्णय लिया।

किस तरह से यह किया गया है; यह उनका कार्य है—कोई भी इनमें गलती नहीं निकाल सकता और इसकी जांच करना और गम्भीरता से देखना कि यह सही है अथवा गलत—यह कार्य भी लोक लेखा समिति का है। लेकिन समग्र रूप से, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि वार्ता समिति में किसी की कुछ कमीशन लेने की इच्छा होती तो वे वार्ता न करते और सप्लायर्स को 193 करोड़ कम करने पर मजबूर न करते। यह उचित है। यदि कोई व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है तो वह मूल्य में कमी कराने का प्रयास नहीं करेगा। वह, वास्तव में, इसमें कुछ और बढ़ाना चाहेगा जिससे उसका कमीशन और अधिक हो।

सभापति महोदय, सभा का अधिक समय न लेता हुआ मैं यह कहना चाहूंगा कि एजेन्ट का प्रश्न, चाहे वह विदेशी एजेन्ट हो अथवा भारतीय ऐजेण्ट हो अथवा विदेशी व भारतीय एजेन्ट हो, प्रासांगिक नहीं है। प्रासांगिक तो यह है कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीधी वार्ता हो, सरकार की ओर से ईमानदारी से प्रयास किए गए अथवा नहीं। वार्ता समिति के साथ किसने वार्ता की थी ? क्या वह एलैक्ट्रानिक्स अथवा एक्स, वाई, जैड था ? नहीं। सीधे बोफोर्स के साथ वार्ता हुई थी। तत्पश्चात, एजेन्ट कहां आता है ? मान लो, बोफोर्स में कोई व्यक्ति सौदे से कुछ धनराशि निकालना चाहता है तो क्या यह हमारा काम है ? मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने ऐसा किया लेकिन, यदि किया है, तो क्या यह हमारा काम है ? यह स्वीडन की संसद का कार्य है। यह हमारा कार्य नहीं है। हमें अपने देश की रक्षा करनी है अथवा संपूर्ण विश्व की तुलना में, कमजोर होना है। हम अच्छा सौदा चाहते हैं। हम अच्छी तोपें चाहते हैं। हमने अच्छी तोपें खरीदी। हमें अच्छी कीमत पर मिली हैं, विश्व में सबसे अच्छी कीमत पर। इन्हीं सब बातों के बारे में हम चिन्तित थे। यहां, अन्य लोग किस बारे में चिन्तित हैं, वह यह है कि क्या बोफोर्स द्वारा कुछ राशि किसी को और संयोगवश किसी अन्य देश को दी गई। (**व्यवधान**) निश्चित रूप से हमारे देश को नहीं। वे यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या संयोगवश कहीं से किसी जोड़-तोड़ का पता लगाया जा सकता है। वे हताश हो गए हैं। क्या इसलिए कि उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है ? मैं समझ सकता था यदि उन्होंने रोजगार मूल्य वृद्धि का मुद्दा दो वर्ष पहले उठाया

होता । मैंने प्रशंसा की थी जब मेरे मित्र डा० दत्ता सामान्त ने एक बार मजदूरों के बारे में कुछ मुद्दे उठाये थे । कुछ मौलिक मुद्दे हैं जिनका भारत के लोग सामना कर रहे हैं । इसके स्थान पर हम छोटे-मोटे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं । राजकोष के खर्चे पर इतना बड़ा ड्रामा क्यों ? वे जिम्मेदारी से मुंह क्यों छिपा रहे हैं ? यदि उन्होंने वास्तव में यह महसूस किया है कि रिपोर्ट में कुछ वैध मुद्दे हैं जिन पर सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए क्योंकि स्वतन्त्र सांविधिक प्राधिकारी ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया है तो वे यहां क्यों नहीं आते हैं और इस पर बहस क्यों नहीं करते हैं ? उन्हें किसी ने नहीं रोका है । मूल रूप से वे रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन रिपोर्ट पढ़ने के बाद दूसरा विचार आया कि इस मामले को तूल दिया जा सकता है और यही कारण है कि वे क्यों नही आए हैं और आज उनके त्याग पत्र से स्वयं उनकी यह स्वीकारोक्ति सिद्ध हो जाती है कि उनके नेता ही हैं जिन पर अभियोग लगाया गया है ।

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : सभापति जी, मैं आज इस परिप्रेक्ष्य में और इस रिपोर्ट की चर्चा में कुछ थोड़ा सा पिछले चार वर्षों का हमारी पालियामेंट का समालोचन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों ने इस लोकतन्त्र में और इस लोकतन्त्र की प्रणाली में कितना योगदान किया ।

सभापति जी, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं और वह यह है कि जब इतिहास लिखा जायेगा इस वक्त का तो इतिहास लिखने वाले राजीव जी के बारे में जरूर यह कहेंगे कि

[अनुवाद]

यह एक वह आदमी था जिसे जवाहरलाल की वैज्ञानिक मानव की दूरदर्शिता विरासत में मिली । उन्होंने महात्मा गांधी का प्यार और अहिंसावादी दृष्टिकोण अपनाया जिसे उनके माध्यम से समूचे विश्व में, समूचे विश्व के बड़े-बड़े नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया है । यह वह व्यक्ति है जिसमें इन्दिरा जी की कृतसंकल्प गतिशीलता पूरी तरह समायी हुई है और इससे भी अधिक उनमें एक आश्चर्यजनक राजनैतिक दूरदर्शिता अन्तर्निहित है ।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? आप कृपया उनके राजनैतिक जीवन पर शुरू से दृष्टि डालिए । सर्वप्रथम उन्होंने छः राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भाग लेकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस को तथा प्रसिद्ध प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया । ऐसे आलोचनात्मक तथा आक्रामक प्रेस सम्मेलन का सामना करना कोई आसान काम नहीं था । प्रेस सम्मेलन में इस प्रकार सफल रहे कि प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनेता के रूप में स्वीकार किया । लेकिन अब प्रतिपक्ष ने क्या महसूस किया ? उनके सत्ता में आने पर उन्होंने उनमें एक कुशल युवा व्यक्ति की छवि देखी थी जिसके पास कोई राजनैतिक अनुभव नहीं था । इस प्रकार उनकी इसी निर्मल छवि को प्रेस द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर सामने लाया गया । इसलिए प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस में भी कुछ लोगों ने यह सोचा और महसूस किया कि राजनीति में यह अनुभवहीन छोटा बच्चा है ।

[हिन्दी]

अभी तो बच्चा है, हम इसको मोल्ड करेंगे, जैसा चाहें वैसा घुमाएंगे, यह आइडिया लेकर निकले थे ।

[श्री वसन्त साठे]

[अनुवाद]

और जब उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं हो सकता है तो वे कुंठित हो गए। प्रतिपक्ष की कुंठा तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब उनकी एक के बाद एक राजनीति विफल होती गई, मैं अपनी तुलना केवल प्रतिपक्ष से ही कर सकता हूं। कुछ समय के लिए हम भी प्रतिपक्ष में थे। लेकिन इन्दिरा जी के नेतृत्व में हमने केवल 2½ वर्ष में ही उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।

[हिन्दी]

अरे साहब, कौन भागा, हम लोग नहीं भागे, हम लोग यहां पर डटकर खड़े रहते थे, हममें से एक एक आदमी काफी था। उस समय जनता पार्टी भी ऐसे ही प्रचण्ड बहुमत से ही आई थी, फिर भी हमारे लोग जरा भी नहीं हिले और इन्दिरा जी ने ऐसी स्ट्रेटिजी चलाई कि इनके सारे लोग चले गए। आखिर भागा तो कौन भागा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जो चन्द दिनों के लिए मोरारजी को निकाल कर आये और जब देखा कि यहां बहुमत नहीं बनता तो पार्लियामैण्ट भी नहीं बुलाई और पार्लियामैण्ट डिजोल्व करके भाग गये, मैदान छोड़कर भाग गये। भागने वाले लोग कौन हैं, आज आप देखिए, वही लोग आज विरोध में हैं। आप शुरू से लेकर आज तक उनका रवैया देखिए, मुझे इसका दुःख है। वे एक स्वस्थ लोकतन्त्र की परम्परा पुरःस्थापित कर सकते थे, मुद्दों पर बहस कर सकते थे। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि कितने बुनियादी सवाल देश के सामने हैं, देश निर्माण के सवाल देश के सामने हैं, गरीबों के सवाल देश के सामने हैं, रोजगारी के सवाल देश के सामने हैं, बेकारी के सवाल देश के सामने हैं, परराष्ट्र नीति के सवाल देश के सामने हैं। एक सवाल नहीं, अनेक सवाल हैं, उनपर अपने कुछ ठोस सुझाव देते। बीच में मैंने सुना, किसी भाई ने कहा, जब हमने 21 से मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी तो कहा कि यह तो मैं ही कह रहा था, यह तो मेरा ही सुझाव था। यदि आपका ही सुझाव था तो चार साल क्यों नहीं बोले ? यहां जब आपने देखा कि कुछ बात नहीं जमती, कुछ नहीं कर सकते तो फिर यह सोचा कि कोई ऐसा मुद्दा मिलना चाहिए, मैंने यह पहले भी कहा है, उनको यह लगा कि राजीव जी का एकमात्र प्लस पाइण्ट है तो उनकी क्लीन इमेज है, यदि उनकी क्लीन इमेज को दाग लगा दिया जाए, इसको कालिख लगा दी जाए तो बस काम बन गया और इसमें हमारे यहां के लोग भी सहयोग करते रहे। मुझे एक अखबार वाले मित्र मिले, वह कह रहे थे कि अब हमें ऐसा डाउट होने लगा है कि राजीव जी ऊपर से जितने भोले दिखते हैं, उतने भोले नहीं हैं, बहुत गहरे आदमी हैं। उन्होंने कहा कि कहीं उन्हीं का तो यह दाव नहीं कि अपोजिशन में यहां का एक आदमी भेज दो, उनका यह कहना था। अब यह बात कितनी खरी है, यह मैं कह रहा हूं कि उनको सूझता नहीं, उनको लगता है कि यह आदमी भी उन्हीं ने भेजा होगा और उन्होंने जो जो दाव डाला, उल्टा गिरता गया। अब वह जोर से आये, बोफोर्स निकाला, पहले फेयरफैक्स निकला था, याद है ? यह हमारे यहां के ही नम्बर दो भाई थे। तो हमारे इन लोगों को यह लगा कि चलो अच्छा मिला तो उन्होंने मांग की इसकी जांच होनी चाहिए, हमने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंटरी कमेटी से करा देते हैं। उन्होंने कहा—"नहीं, नहीं, पार्लियामेंटरी कमेटी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजिज से होनी चाहिए"। हमने कहा—"ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज अपोइंट कर देते हैं।" जब सुप्रीम कोर्ट का जज अपोइंट हो गया तो फिर बोफोर्स की बात आ गयी। जब सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा तो बोले कि नहीं नहीं यह तो सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं चलेगा, यह तो मामला पार्लियामेंटरी कमेटी

के पास जाना चाहिए। जब ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी की बात हुई तो उन्होंने सोचा कि यहां तो हम फंस गये क्योंकि इसके बारे में भी हमने उनकी बात मान ली।

मैं आपको बताऊं कि जब ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनने की बात हुई तो उनको लगा कि इसमें तो हम भी रहेंगे और हमारे हाथ में आ जाएगी और उसमें सब तरह का एवीडेंस होगा। जब ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनने लगी तो घबरा गये और सोचने लगे कि इससे तो हम फंस गये। फिर कहा कि ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी में हम नहीं आएंगे।

मैं आपको बताता हूं कि जब उनकी ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की बात मान ली तो मेम्बर आफ्टर मेम्बर आफ द अपोजीशन ने खुद सुझाव दिया और सप्लीमेंटरी मोशन मूव किया, उसे [illegible] मूव किया जो [illegible] डिफेंस मिनिस्टर साहब लाए थे कि ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी बननी च[illegible] इसके [illegible] में, आफ रेफरेंस होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि उस पर सब्स्टीच्यूट [illegible] दिया। श्री सोमनाथ चटर्जी, एक्स एम०पी०, श्री दिनेश गोस्वामी, श्री सी० माधव रेड्डी, लीडर आफ द अपोजीशन तेलुगु देशम पार्टी, श्री के०पी० उन्नीकृष्णन्, श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री जंगा रेड्डी ने दिया। अब आप देखिये, ये सब महानुभावों ने एक ही मांग की और अपने सब्स्टीच्यूट मोशन में यह कहा—

[अनुवाद]

"कि भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के महान्यायवादी तथा सभी जांच एजेन्सियां समिति को इस प्रकार की सहायता प्रधान करेंगी जिस प्रकार की सहायता जांच कार्य हेतु समिति द्वारा मांगी जाएगी।"

[हिन्दी]

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कैसी कैसी बातें उठाते हैं। जब हमने ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी बना दी तो मैदान छोड़ कर भाग गए। उसके बाद फिर धूल उठाते रहना, बाहर और अन्दर चिल्लाना जिसका सिर्फ एकही मतलब और एक ही परपज है। ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी में उन्होंने कोआप्रेट नहीं किया। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट पर यहां डिस्कशन हुआ, दोनों हाउसिज में डिस्कशन हुआ तो उस पर भी उन्होंने तमाशा किया। उस फाइनल रिपोर्ट के बारे में मेरे मित्र श्री जगन्नाथ जी ने अभी बहुत सुन्दरता से बताया कि आखिर किसी चीज की फाइनेलिटी भी होती है। रूल आफ ला में, कानून में सुप्रीम कोर्ट, उसकी फुल बेंच या यदि फैसला हो जाए तो उसको उसकी लार्जर बेंच तो रिव्यू कर सकती है लेकिन क्या नीचे की कोई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह कह सकती है कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह लागू नहीं होगा?

[अनुवाद]

मैं पुन: तथ्यों की नए सिरे से जांच करूंगा। मैं एक स्वतन्त्र व्यक्ति हूं। मुझे ऐसा करने का अधिकार है।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

क्या हो जाएगा उसका मतलब, उल्टी गंगा अब मैं क्यों आपको बता रहा हूं, आप देखिए हमारे

[श्री बसन्त साठे]

महानुभाव कन्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको यह लगने लगा, एक जगह कांस्टीट्यूशन में कह दिया है—

[अनुवाद]

छुट्टी, वेतन आदि प्रयोजन के लिए उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष माना जाएगा।

श्री जगन्नाथ कौशल : केवल पद से हटाने के लिए।

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : अब आप देखेंगे कि कैसे आदमी को गलतफहमी हो जाती है, गफ... आ जाता है।

वास्तव में आप शब्दों को देखिए :

[अनुवाद]

"भारत का एक नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और कारणों से हटाया जाएगा जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है।"

इस पूरे अध्याय पांच में—अनुच्छेद 148 से 151 तक, उच्चतम न्यायालय का केवल यही संदर्भ दिया गया है। लेकिन क्या उसे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा सोचना प्रारम्भ कर देना चाहिए कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है।

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का अधिकार क्षेत्र क्या है ? उसे भारत सरकार के इसके अभिकरणों के और राज्य सरकारों के लेखाओं की जांच करनी होती है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। वह स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं हो सकता, वह गवाहों को नहीं बुला सकता, उनके पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। उसे केवल प्रस्तुत किए गए रिकार्ड और दस्तावेजों पर ही विश्वास करना होता है, इससे अधिक नहीं। जब वह अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है तो उक्त रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है। उक्त विभाग से इस रिपोर्ट की सूक्ष्म जांच होने के पश्चात् राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और इसे सभा पटल पर रखा जाता है। जब यह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जाती है तब से यह रिपोर्ट सभा की सम्पत्ति बन जाती है और तब इसे नियमित रूप से लोक लेखा समिति को भेज दिया जाता है। लोक लेखा समिति नियमानुसार नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करती है। समिति लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए मामलों के संबंध में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेती है। समिति द्वारा की जा रही इस लेखा-जांच में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक समिति की सहायता करता है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य, उसकी भूमिका और उसका क्षेत्राधिकार क्या है ? संसद तथा उसकी संसदीय समितियों की सहायता करना। संसदीय समितियों को संसद का पूरा समर्थन, पूरी प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त है। वे किसी भी तरह कम नहीं हैं। उसे संसदीय समितियों की सहायता करनी होती है। इसकी रिपोर्टों की जांच संसदीय समिति द्वारा की जाती है जो इसे सभा को प्रस्तुत करती है और तत्पश्चात् सभा इस पर विचार करती है। लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी अथवा इसे पूर्णतया अस्वीकार भी कर

सकती है। समिति विभाग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य भी लेगी। साक्ष्य कौन ले सकता है? लोक लेखा समिति साक्षियों तथा विभाग के अधिकारियों को बुला सकती है।

श्री ए० चार्ल्स : नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को भी बुलाया जा सकता है।

श्री बसन्त साठे : हां-हां, उसे भी बुलाया जा सकता है। इसलिए क्या यह आवश्यक है, क्या कानूनी मामलों में तथा कानून की वैधता संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तरह नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अथवा निर्णय अन्तिम निर्णय है? मैं तो यही कहूंगा कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का क्षेत्राधिकार उन दस्तावेजों की, जिनकी इसने जांच की है लेखा परीक्षा करना तथा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देना तथा लोक लेखा समिति की सहायता करना हैं। लोक लेखा समिति इसे स्वीकार भी कर सकती है तथा अस्वीकार भी तथा और अधिक साक्ष्य लेकर इसकी जांच भी कर सकती है।

नियमों में यह भी व्यवस्था है कि उन्हें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही मामले की जांच करनी होती है। यदि ऐसी बात है तो मेरा निवेदन है कि क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ है? मैं तो कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय भी ऐसा नहीं कर सकता। मान लो उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई तकनीकी मामला आता है, उदाहरण के लिए—आपरेशन-1 के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा साबित होगा—इस तरह का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है, तो उच्चतम न्यायालय मामले की जांच और अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करेगा जिसके आधार पर वह अपनी रिपोर्ट देगा लेकिन स्वयं कभी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। परन्तु इस मामले में हम क्या देखते हैं?

[हिन्दी]

"सारी गंगा उल्टी बह रही है। यह अजीब तमाशा है"

[अनुवाद]

मामले की जांच करने के लिए संसद ने एक विशेष समिति—संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की है जो सामान्यतया लोक लेखा समिति के अधीन कार्य करती है।

उस समिति प्रयोजन के लिए संयुक्त संसदीय समिति के वही अधिकार और कार्यक्षेत्र होते हैं जो लोक लेखा समिति के पास होते हैं। इस समिति को विशेष रूप से एक विशेष संकल्प द्वारा गठित किया गया था जिसके अंतर्गत—यह कहा गया है कि लेखा परीक्षक को समिति की सहायता करनी चाहिए और वह समिति की सहायता करेगा। लेकिन जो कुछ महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में कहते हैं वह आश्चर्यजनक है। संयुक्त संसदीय समिति ने महान्यायवादी से समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का अनुरोध किया। महा-न्यायवादी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने कानूनी मुद्दों पर साक्ष्य दिया। वे समिति से यह अच्छी तरह कह सकते थे कि इसमें विसंगति मालूम होती है। लेकिन वे संयुक्त संसदीय समिति से क्या कहते है? यह संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में पृष्ठ 32 में उल्लिखित है :

"नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की अनुपस्थित में (उस समय वे बाहर गए हुए थे) उप-नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने समिति को सूचित किया कि उनके पास पहले से ही उपलब्ध दस्तावेजों और उन्हें सप्लाई किए गए अतिरिक्त कागज-पत्रों से समिति द्वारा की जा रही जांच संबंधी

[श्री वसन्त साठे]

मामलों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता और व्यवसायिक लेखा परीक्षा दृष्टिकोण से कोई टिप्पणी करना असम्भव लगता है।"

यही बात उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से कही। अब एकाएक कुछ माह पश्चात् आप देखते हैं कि उन्हीं कागज-पत्रों के आधार पर वे एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। क्या वे इस प्रकार दोतरफा बातें कर सकते हैं ? वे किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ? उन्होंने संसद को सहयोग देने और संसद के संकल्प का अनुपालन करने से इंकार कर दिया। उन्होंने संसद की अवज्ञा की। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। केवल इतना ही नहीं। मैं आपको एक बात और बताऊंगा। बाद में उन्होंने कहा कि "इतना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा क्षेत्राधिकार इससे काफी अधिक है।" ये सब उन्होंने कहा था। जब उन्हें बताया गया कि संयुक्त संसदीय समिति पहले ही इस मामले की जांच कर चुकी है। आप पुनः इस मामले की जांच क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"यद्यपि लेखा परीक्षण में संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ विषयों और इसके निष्कर्षों पर सम्मानपूर्वक तथा विचारपूर्वक गौर किया गया है। यह पुनरीक्षा संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निहित दायित्वों को पूरा करने तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम के अंतर्गत की गई है।"

उन्होंने यह भी कहा कि : "मैंने इसलिए इस बात को उजागर किया कि इससे किसी भी तरह उनके अधिकारों पर रोक नहीं लगती।"

इस प्रकार वे ऐसा स्पष्ट करने पर बल देते रहे कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा संसद का प्रतिनिधित्व करने की अनदेखी करते हुए उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने का पूरा अधिकार है। केवल इतना ही नहीं। यह बात यहीं समाप्त नहीं होती। संयुक्त संसदीय समिति के बाद इस पर यहां बहस हुई। इसे संसद ने मंजूर किया।

यह बात भी नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की जानकारी में लाई गई। जब उन्होंने फरवरी में अपनी रिपोर्ट दी अथवा जब उन्होंने 26 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर किए तो क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी ? इतना होते हुए भी यदि एक व्यक्ति कहता है "मुझे संसद के दृष्टिकोण की अवहेलना करते हुए भी इसकी जांच करने का अधिकार है, तो हमारी क्या स्थिति है ? संसद की गरिमा क्या रही ? अब हम एक विचित्र स्थिति में हैं। बनातवाला जी कहते हैं कि वे रिपोर्ट लेकर आए हैं। सामान्यतया इसे लोक लेखा समिति के पास जाना चाहिए। हम इसे लोक लेखा समिति के पास जाने देते। लेकिन पुनः जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिपक्ष ने नोटिस देकर बहस के लिए दबाव डाला। प्रतिपक्ष में जनता दल के प्रो० मधु दण्डवते और श्री जयपाल रेड्डी जैसे नेताओं ने नियम 193 के अधीन बहस के लिए नोटिस दिया था। वे दोतरफा बात कैसे कर सकते हैं? वे इस पर बहस चाहते थे। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि "हम इस पर बहस करना चाहते हैं।" उन्होंने पहले कहा कि : यह सरकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगी। यह इस रिपोर्ट को पेश नहीं करेगी क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ है। दुर्भाग्यवश रिपोर्ट लीक हो गई। इन दिनों इस विभाग में इतनी गोपनीय रिपोर्टें लीक हुई कि आश्चर्य होने लगा कि रिपोर्ट के इस प्रकटन को कहां-कहां रोका जाय और ऐसा अब कहां तक कर पाएंगे। इस रिपोर्ट पर 26 अप्रैल को हस्ताक्षर हुए। इसे

27 अप्रैल को सरकार को दिया गया। हमारी संसद का अधिवेशन 15 मई को समाप्त हुआ। निःसंदेह नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट में केवल यही मामला नहीं आता। यह रिपोर्ट कई अन्य मंत्रालयों से भी संबंधित है। क्या इसकी जांच उन मंत्रालयों—शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि-आदि— पांच, छः मंत्रालयों—आयुध और वस्त्र, निर्माण कार्य और इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास आदि संगठनों द्वारा नहीं की जाएगी। क्या राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले इसकी उक्त विभागों द्वारा जांच नहीं की जाती है ? इस प्रकार यदि इसे तत्काल यहां प्रस्तुत कर दिया जाता तब भी हमें जवाब तलब किया जाता, "सरकार ने इसकी जांच कैसे नहीं की ?" इस प्रकार हमने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। और जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए हमने पहले दिन ही इसे पेश कर दिया। यदि हम इसे अन्तिम दिन पेश करते, तो वे ऐसा कहते कि, आपने यह रिपोर्ट अन्तिम दिन प्रस्तुत की है और इस प्रकार आपने हमें इस पर बहस करने अथवा इसका अध्ययन करने का भी अवसर नहीं दिया। यही उन्होंने कहा है। हमने कहा था : "ठीक है, हम इसे पेश करेंगे।" यह यथा समय किया गया होता, यह लोक लेखा समिति को गया होता। लेकिन वे कहते हैं : 'नहीं, हमें चर्चा कराने के लिए अवश्य पूछना चाहिए।' जिस समय उन्होंने चर्चा कराने के लिए पूछा और महोदय, आपने चर्चा कराना स्वीकार किया, उनकी चालाकी पकड़ी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए।

प्रो० एन०जी० रंगा : समाचार-पत्रों को इसका रहस्योद्घाटन कब हुआ ?

श्री बसंत साठे : यहां सभा पटल पर रखे जाने से लगभग 8 दिन पहले, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य समाचार-पत्रों ने पहले से ही समाचार देना प्रारम्भ कर दिया था— श्री मधु दंडवते ने स्वयं ही टिप्पणी की थी : "वे इसे कैसे जानते हैं ? उन्होंने यह जानकारी कहां से प्राप्त की ?" लेकिन युवा नेता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की खूबी और जिस दूरदर्शिता के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, वह यह है कि उनका हृदय अत्यंत सरल और साफ है। उन्होंने कहा था : 'ठीक है; यही आप चाहते हैं। क्या ऐसा ही है ? मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। क्या आप संयुक्त समिति चाहते हैं ? मैं संयुक्त समिति गठित करूंगा। क्या आप यहां चर्चा कराना चाहते हैं ? ठीक है; मैं यहां चर्चा कराना स्वीकार कराता हूं।' इस बात की वे कल्पना नहीं कर सकते थे। इस पर वे पराजित हो गए। जब वे पराजित हो गए, वे अपने ही जाल में पुनः फंस गए। लेकिन वे कुछ नहीं जानते थे कि अब क्या करना चाहिए इसलिए उन्होंने प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र की मांग लेकर शोर-शराबा मचाना प्रारम्भ कर दिया है।

मैं यह निवेदन करता हूं : गत चार वर्षों के दौरान उनका व्यवहार जैसा मैंने कहा था, कुछ इसी प्रकार का है। जब शिकारी कुत्ते पीछा कर रहे हों तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है ? उन पर एक हड्डी फेंक देता है। तब सब तुरन्त ही उस हड्डी पर झपटा मारते हैं; और तत्पश्चात् वे कुछ समय तक इस पर लगे रहते हैं। इससे आगे यदि वे आते हैं तो एक और हड्डी फैंक दी जाती है। इस समय, विपक्ष के साथ यही घटित हुआ है। गत चार वर्षों के दौरान वे बोफोर्स कही जाने वाली हड्डी को चूस रहे हैं। केवल एक ही उद्देश्य से; और कुछ नहीं। अतः जब यह चर्चा के लिए आया है तो हमारे सामने स्थिति यह है। मैं श्री जगन्नाथ जी से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ? जैसा मैंने कहा, यह उसी तरह है जैसे उच्चतम न्यायालय यह कहे कि, "एक जिला न्यायाधीश ने हमारे निर्णय को रद्द कर दिया है। हम अब इस पर पुनः विचार करेंगे।"

[श्री बसंत साठे]

क्या हम संसद को परिहास का विषय बना रहे हैं ? नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रति पूर्ण सम्मान सहित, मैं कहूंगा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से पूर्णतया बाहर चले गए हैं। (व्यवधान)

प्रो० एन०जी० रंगा : यही बात सभा में अन्य वक्ताओं द्वारा भी कही गई थी।

श्री बसंत साठे : मरने पर ही स्वर्ग दिखाई देता है। इस समय मैं यह सिद्ध करने के लिए कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे गए, यह बात कहूंगा। मेरी आशंका है कि केवल मात्र अपने नाम में शब्द 'जनरल' होने के कारण, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने शायद यह सोचा था : "मैं भी एक जनरल हूं। जनरल के रूप में यदि सुन्दरजी कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता ? सुन्दरजी को, कम से कम अपने जीवन में तोपों को चलाने का अनुभव तो है और वह जानते हैं कि यह क्या है, गोलाबारी करना, भाग निकलना क्या है और विस्फोट क्या है। मुझे इसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है; मैं केवल लेखाओं के बारे में जानता हूं। लेकिन मैं सुन्दरजी की बात को अस्वीकार कर सकता हूं और मैं निर्णय दे सकता हूं कि यह तोप ठीक है अथवा नहीं है।" यही उन्होंने कहा है।

श्री बनातवाला यहां नहीं हैं। लेकिन उन्होंने बताया था, आपको मालूम है। वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इसका यहां वर्णन नहीं है। इसलिए, शब्दों पर गौर करें। पैराग्राफ 11.3.24 में वे कहते हैं :

> "लेखा परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के आधार पर निम्नलिखित बातें जानकारी में आईं··· "

आप ध्यान दें, वह केवल रिकार्ड पर भरोसा रख रहे हैं।

संयुक्त संसदीय समिति ने तोप विशेषज्ञ जनरल सुन्दरजी का साक्ष्य लिया है। उन सभी प्रत्यक्षदर्शियों की जांच की गई थी। अब इन महोदय ने कुछ नहीं देखा है। स्पष्ट कहूं तो नियंत्रक-महालेखा परीक्षक स्वयं प्रत्येक बात की जांच नहीं करते हैं। ये तो उसके कनिष्ट अधिकारी हैं जो जांच-पड़ताल करते हैं। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पास स्वयं प्रत्येक लेखे की जांच करने का वक्त कहां है। मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपने कनिष्ट अधिकारियों द्वारा रखे गए दस्तावेजों पर अवश्य ही, अपना अंगूठा लगा दिया होगा अथवा हस्ताक्षर कर दिए होंगे। मैं कह चुका हूं, हम इसे स्वीकार करते हैं; ठीक है।

पृष्ठ 13 में, यह निम्न शब्दों में पढ़ा जाता है :

> "वर्ष 1980-82 के दौरान भारत और विदेशों में किए गए परीक्षणों के आधार पर सेना मुख्यालय ने छह अवसरों पर·····"

इन छह अवसरों ने उन्हें अत्यधिक चिंतित किया है। मैं बताऊंगा कैसे हुआ। तत्पश्चात् यह निम्न प्रकार है :

> "(दिसम्बर 1982, अगस्त और नवम्बर 1984, मार्च, सितम्बर और अक्तूबर 1985) वरीयता के क्रम में यह दोहराया है कि सोफमा को प्रथम वरीयता प्राप्त है और बोफोर्स बाद में है। मंत्रालय ने, तथापि, फरवरी 1989 में कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत था।"

उन्होंने जनरल सुन्दरजी के साक्ष्य और सभी दस्तावेजों से बताया कि वरीयता जैसी कोई चीज नहीं थी, दो किस्में थी, दोनों समान रूप से अच्छी थीं; एक थोड़ी-बहुत अच्छी नहीं थी, यह इस पर निर्भर करता है कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अत: सेना ने बताया कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत था। उसी पृष्ठ 13 पर पुन: कहा गया है कि :

"यह तर्क दिया गया था कि सेना मुख्यालय ने इन अवसरों पर केवल सोफमा को प्रथम श्रेणी में रखा था और बोफोर्स को दूसरी में ....."

उसमें किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई है। उन्होंने अन्त में यह निष्कर्ष निकलाने की कोशिश की थी। इसी पृष्ठ 13 में पुन: निम्नलिखित कहा है :

"और पूर्ण तकनीकी दृष्टिकोण से इसमें सीमांत वरीयता का आभास दिया गया था ....."

अब विद्वान महालेखाकार ने यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। पुन: इसी पृष्ठ संख्या 13 पर निम्नलिखित कहा गया है :

"मंत्रालय के उपर्युक्त तर्क को समझना कठिन है क्योंकि सेना मुख्यालय की वरीयता के क्रम में स्पष्ट रूप से सोफमा प्रथम और बोफोर्स दूसरे स्थान पर थी। फरवरी 1986 के नए मूल्यांकन की न तो आवश्यकता और न कारण ही स्पष्ट है....."

अब क्या यह उनका अधिकार क्षेत्र है ? यह निर्णय करने वाले वे कौन होते हैं कि क्या बेहतर है ? जनरल सुन्दरजी ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने शपथ लेकर स्वयं यह कहा था कि यदि वह शाम तक राडार उपलब्ध होने पर, जो कि तोप दागने के बाद 30 सैकेंड के भीतर पैदा होने वाली ऊष्णता का पता लगाए, उस तोप को प्राथमिकता न दे जो कि सैकेंडों के भीतर तोप दागे और उसका फिर पता न चले तो वह अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहेंगे।

अत: राडार स्वयं इसे नहीं पकड़ सकता है। मैं समझता हूं कि सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। यदि सेनाध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं, तो और कौन योग्य है ? केवल इतना ही नहीं, केवल वे ही नहीं, मैं उन्हीं के समकक्ष व्यक्तियों की बातें आपको बताऊंगा। पहले तो सेनाध्यक्ष हैं। दूसरे व्यक्ति तोपखाने के महानिदेशक हैं। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 71 पर निम्नलिखित कहा गया है :

"तोपखाने के विशेषज्ञ के रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोफोर्स तोप के कार्य-निष्पादन पर टिप्पणी करने को कहे जाने पर, महानिदेशक तोपखाना ने साक्ष्य में कहा था :

"तोपखाने के अधिकारी के रूप में मैं कहूंगा कि इस समय उपयोग किए जा रहे तोप का सबसे बड़ा लाभ पहाड़ों तथा मैदानों दोनों स्थानों पर इसका उपयोग किए जाने की क्षमता है। इसके प्रदर्शन के दौरान हमने इस तोप से ऊंचे स्थानों पर भी गोले दागे थे। इसमें विभिन्न प्रक्षेपणों पर गोला दागने की क्षमता है। तब इसमें धमाके के साथ गोली दागने की क्षमता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यवाही के लिए तैयार होने तथा सामान्य स्थिति में आने के लिए इसकी अपनी आक्सीलियरी पावर यूनिट हैं जो पहाड़ों और मैदानों में विशेषरूप से महत्वपूर्ण है।"

[श्री वसन्त साठे]

यह बात कही गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध की कार्यवाही के लिए तैयार होने तथा सामान्य स्थिति में आने के लिए इसकी अपनी आक्सीलियरी पावर यूनिट है। यह विशेषरूप से पहाड़ों और मैदानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है

और, प्राधिकारी कौन है ? तोपखाने का जनरल ? सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दरजी अथवा आर्डीटर जनरल ? क्योंकि "जनरल" शब्द का उल्लेख किया है ?

[हिन्दी]

हमारी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं।

[अनुवाद]

हमारे पास भी जनरल हैं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं भी एडवोकेट जनरल रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : ठीक है कौशल जी। ईश्वर का धन्यवाद है। आपने एडवोकेट जनरल को 'अटॉरनी जनरल' नहीं कहा। यदि सभी जनरल यह निर्णय करने लग जायं कि सेना के लिए कौन सी तोप बेहतर होगी, मैं समझता हूं तब इस देश में हमारे पास कोई भी सेना नहीं होगी। (व्यवधान) आपको इस बारे में सोचना है, किन्तु प्रिय महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है—और मेरे मित्र श्री बनातवाला इस रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति का समय नष्ट करना चाहते हैं—जहां तक संयुक्त संसदीय समिति से संबंधित इन पैराओं का प्रश्न है, उन्हें कुछ लोगों की कही गई बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। सवैधानिक रूप से वे अधिकारहीन हैं। किसी भी बात पर निर्णय देना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैसा कि श्री जगन्नाथ कौशल ने कहा था बिना अधिकार क्षेत्र के कानून, कानून के नियम अस्तित्वहीन हैं।

और, मैंने आपसे तथ्यों का भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार इस बात में कोई सार नहीं है। अत: नियमों के दृष्टिकोण से, अधिकार क्षेत्र के दृष्टिकोण से, उनकी क्षमता और किसी भी आधार पर आप विचार करें तथ्य यही हैं। वित्तीय आधारों की जो बात उन्होंने कही थी उसे मैं समझ सकता हूं। किन्तु यहां भी, उनका कर्त्तव्य क्या है ? क्या उन्हें स्वीकृति मिली थी ? क्या इसके लिए उन साधनों के भीतर व्यय किया गया था ? क्या व्यय करने के लिए कोई प्राधिकारी था ? वे इस बात पर सहमत हैं कि वित्त मंत्री ने इसकी स्वीकृति दी थी। यदि वे अभियोग ही लगाना चाहते हैं तो उन्हें उस वित्त मंत्री पर अभियोग लगाना चाहिए। वे ऐसा नहीं करते। जब सब कार्य स्वीकृति से हुआ है तब उनका उल्लेख करने का क्या अधिकार है ? वे पुन: यह मामला उठाते हैं और देश के सामने रखते हैं। महोदय, वे जो बात कहते हैं, मैं उससे इंकार नहीं करता हूं। यहां एक बुद्धिमान, अनुभवी, विद्वान व्यक्ति जो सरकार में वरिष्ठ ओहदे पर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि वे अज्ञानी हैं, अथवा बिना जानकारी के ही कार्य कर रहे हैं, अज्ञानी की तरह कार्य कर रहे हैं। आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। अत: तब क्या

निष्कर्ष निकलता है ? इसका मतलब है उस व्यक्ति ने यह जानबूझ कर किया है। और यदि आप उस संसद की प्रभुत्ता का उपहास करने के लिए जानबूझ कर कुछ ऐसी बातें करते हैं, जिसने आपको कुछ बनने का अवसर दिया है, आपसे जिसकी सहायता करने की आशा की जाती है, यदि आप ऐसा ही करते रहे, तो मुझे डर है कि संसदीय संस्थाएं अपना विश्वास खो देंगे। प्रतिपक्ष इस जाल में फंस गया है। किसी को कहीं से खबर मिलती है तो किसी को और कहीं से। आजकल लोग रिपोर्ट आदि की खबरों को प्रकट करने में बहकावे में आ जाते हैं। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पहले ही प्रकट हो गई। जब हमने कहा "बहस करो"।

[हिन्दी]

हमने कहा ठीक है डिसकस करो, उन्होंने कहा कि हम डिसकस नहीं करेंगे।

5.28 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

क्योंकि कोई गुप्त बात है और आप उसे छिपा रहे हो।

इन सब तर्कों के आधार पर प्रतिपक्ष कुंठित हो गया है। पूरे मामले की दुखत बात यही है। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो हम उस स्थिति से भागे नहीं। क्योंकि हमने स्वयं को विपक्ष न समझकर शासक दल का विकल्प माना। हम जानते थे, हमें मालूम था कि हमने शासन चलाया है। हम सत्ता में थे। हमने देश को चलाने का दायित्व संभाला था और हम पुनः सत्ता में आएंगे। हमें यह विश्वास था। हमें ऐसा विश्वास था क्यों? हमारा एक नेता में ही विश्वास था। यही बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। स्वतन्त्रता आंदोलन से कांग्रेस की ताकत इस बात में रही कि इसने एक नेता को स्वीकार किया और यह पार्टी एक ही नेता से चलती आई। सबसे पहले नेता गांधी जी थे, उनके बाद पंडित नेहरूजी हुए, पंडित जी के बाद कुछ समय के लिए लाल बहादुर जी हुए और फिर इंदिराजी हुईं। इस पार्टी की दूरदर्शिता तथा विवेक तो देखिए।

जब वैभवशाली नं० 2 कुछ अन्य साथियों के साथ विपक्ष में चले गए तो आपको मालूम होगा कि केन्द्रीय कक्ष में क्या फुसफुसाहट हुई थी। उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया, "थोड़ी आप प्रतीक्षा तो कीजिए एक सौ व्यक्ति आयेंगे क्योंकि उन सबको फलां फलां द्वारा टिकट दिए जा चुके हैं, एक सौ संसद सदस्य हमारे साथ शामिल होंगे, दल छोड़कर आयेंगे, इस युवा व्यक्ति के साथ कौन कौन जाएगा। इसका कोई आधार नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक सदस्य छोड़कर हमारे साथ आएगा। हमने उसे प्रधान मंत्री बनाया था। आप हमारी बात मानिए।" उन्होंने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति को अपनी संख्या भी बतानी शुरू कर दी। क्रांति कैसे लाई जाय, केन्द्रीय कक्ष में प्रेस के एक सदस्य ने मुझसे पूछा, "साठे जी, आप विपक्ष में रहे हो। आप क्या समझते हैं ? कितने सदस्य उनके साथ जायेंगे ? आप जानते हैं मैंने क्या कहा--

[हिन्दी]

अरे मेरे भाई, तुम देखना, काना कौआ भी नहीं जाएगा। ये कांग्रेस वाले हम लोग बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, जब तक यह नहीं देखेंगे कि सचमुच तुम्हारी नाव चल सकती है तो यह अपनी चलने वाली नाव छोड़कर कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं आएगा, देख लेना।

[श्री वसन्त साठे]

[अनुवाद]

और यही सब कुछ हुआ। उन बुरे दिनों में भी आप कांग्रेस के सदस्यों की दूरदर्शिता देखिए। हम सत्ता से बाहर थे, बुरी तरह हारे थे लेकिन हम एक नेता के पीछे एकत्र थे और वह नेता इंदिरा जी थीं। और इस प्रकार हम सत्ता में वापस आए। कांग्रेस के वीर वे व्यक्ति जो बोट क्लब में 'इंदिरा इज इंडिया', का नारा दिया करते थे, कांग्रेस को छोड़ने तथा इस प्रकार इंदिरा जी से विश्वासघात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। वे आज कहां हैं ? उनका क्या हश्र हुआ ? वह एक ऐसी पार्टी है जो एक नेता में विश्वास करती है, जिसने लोकतांत्रिक रूप से इसे स्वीकार किया और इसमें अपनी आस्था रखी। आप किसी भी खेल में मुझे ऐसी कोई भी टीम बताइये। जब तक उनके पास एक ऐसा केप्टन नहीं होगा जिसमें पूरी टीम का विश्वास नहीं हो तो क्या वह टीम अपने खेल में विजय हासिल कर सकती है ? यही बात राजनीति पर भी लागू होती है। कांग्रेस की यही एक ताकत बन गई है। उसकी आज यही एक ताकत है। इस पार्टी ने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुना है, एक नेता में विश्वास रखा है और इसी में पार्टी की ताकत है। और यही प्रतिपक्ष की कमजोरी भी है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति नेता है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। विपक्ष ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बताए, कभी वह नटराज विश्वामित्र है, तो कभी कोई राजा है, कभी कोई और है, कभी कोई लाल है, तो कभी कोई पीला आदि है। यह क्या है ? कोई किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। वे किसी नकारात्मक प्रयोजन के लिए एक हो सकते हैं। वे आज इस तमाशे के लिए, इस कलाबाजी के लिए, अपना ही उपहास उड़ाने के लिए एक हो सकते हैं—जिसे समूचा देश हर गली का बच्चा-बच्चा जानता है।

[हिन्दी]

जब पूरी पालिट्री टर्म के 2-3 महीने बचे हैं।

[अनुवाद]

चुनाव के मुश्किल से 2-3 महीने ही बचे हैं। आप क्या बलिदान करने का प्रयास कर रहे हैं ? यह आप कौन सी चाल चल रहे हो ? आप जनता के सामने क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ? यह कि आपने चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया है जिसके लिए आपने ही कहा था; यह कि आप में सभा के अन्दर बातचीत करने की हिम्मत और साहस नहीं है, यह कि आप में अपने ही संकल्प पर सभा में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है; यह कि आप इससे भाग गए; यह कि आपने तीन दिनों से त्याग-पत्र देने के लिए कहने का तमाशा करना प्रारम्भ किया है ? ठीक है, यदि आप यह चाहते भी थे तो भी आप में अविश्वास प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं है जो प्रधान मंत्री को हटाने का केवल एकमात्र संसदीय तरीका है। लेकिन आप किसे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं ? आप सोचते हैं कि आप संचार माध्यम के कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं ? नहीं, महोदय। आपका खेल जानने की बुद्धिमानी संचार माध्यम को भी काफी है। संचार माध्यम में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे पक्ष की कोई भी अच्छी, बुरी अथवा साधारण बात घटित होने पर हमेशा राजीव गांधी के विरुद्ध प्रचार करेंगे। इसलिए, वे आपके कड़े रुख का भी महान बलिदान के रूप में समर्थन करेंगे। आप इस तरीके से इस देश पर शासन नहीं कर सकते।

आप लोगों का पुन: लोक सभा में पूर्णत: भण्डाफोड़ हो चुका है। इस बात को पूरी तरह से जानते हुए कि केवल तीन महीने शेष हैं आप लोगों ने त्याग-पत्र देने का निर्णय लिया है और इसे एक बहुत बड़ा तूफान बना दिया है। आपको अधिक से अधिक तीन महीने के वेतन का नुकसान होगा। लेकिन राज्य सभा में आपके साथियों के बारे में क्या स्थिति है जो आपके दल के हैं? वे लोग त्याग-पत्र क्यों नहीं देते हैं? यदि वे लोग यह महसूस करते हैं कि वे इस प्रधान मंत्री के नेतृत्व में इस सरकार के साथ संसदीय प्रक्रिया और संचालन में भाग नहीं ले सकते, यदि आप यही बात दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो इस दल का वही नेता दूसरी सभा का भी नेता है। वहां भी वह सरकार की ओर से बोलता है। तब आप लोग वहां संसदीय प्रक्रिया में भाग क्यों ले रहे हो? क्या इसमें कोई औचित्य है? अत: औचित्य, विवेक, चरित्रता आदि कारणों के आधार पर विपक्ष का पूरी तरह भण्डाफोड़ हो गया है। और मुझे संदेह नहीं है कि यह देश, ये आम लोग इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। आप अपने ग्राम में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापिस जाओ। हम अपने स्थानों पर हो आए हैं। क्या वहां लोग इस बात की चिन्ता करते हैं कि बोफोर्स क्या है? उनके लिए बोफोर्स और धोखेबाज का एक ही अर्थ है—वह है कुछ नहीं। उन्हें अपनी रोजी-रोटी कमाने की प्रतिदिन की समस्या की चिन्ता है। वे नौकरी पाने के लिए चिन्तित हैं। परिवार के युवा व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। इस परिवार की सबसे बड़ी चिन्ता यही है कि परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। उनकी चिन्ता क्या है? वे इस बारे में चिन्तित हैं कि वे अपने ग्रामों में समस्याएं कैसे निपटाएंगे, सड़कें कैसे बनवाएंगे, बिजली कैसे प्राप्त करेंगे, और उन्हें पेय जल कैसे मिलेगा। उनकी ये समस्याएं हैं। और जब ऐसे कार्य प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस दल द्वारा किए जा रहे हैं, जो, जब आप बोफोर्स के साथ व्यस्त थे; पूरे देश का दौरा लगा रहे थे, मरुस्थल में जा रहे थे, वनों में जा रहे थे, आदिवासी ग्रामों में उनकी झुग्गी और झोपड़ियों में उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जा रहे थे और अध्ययन के दो वर्ष पश्चात् सभी स्तरों पर सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निचले स्तर पर लोगों की समस्याएं निपटाने का केवल एक मात्र यही तरीका है कि लोगों को निचले स्तर पर सत्ता दी जानी चाहिए। इसकी वह घोषणा करते हैं। यह भी आपके लिए अशुभ है। आप जनता को सत्ता नहीं देना चाहते हैं। आप लोग इस चर्चा तक में भाग नहीं लेते हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान मुझे कोई भी एक उदाहरण बताएं जहां विपक्ष ने देश की भलाई के लिए कोई भी एक ठोस सकारात्मक सुझाव दिया हो? उनकी हर चीज नकारात्मक होती है। यदि वे ऐसा सोचते हैं कि विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करने की है तो वे बुरी तरह गलती पर हैं। शब्द विरोध नहीं है। लोकतान्त्रिक शब्द विकल्प होना चाहिए। आप सामने बैठ सकते हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि सामने का अर्थ है अनुमान लगाना और इसलिए उन्हें सरकार की अच्छी, बुरी, हरेक चीज का अवश्य विरोध करना चाहिए। इन भावनाओं से उनकी हालत वास्तव में बहुत बुरी हो गयी है। अब इस सरकार ने इन कार्यक्रमों और नीतियों द्वारा लोगों की कल्पनाओं को जागृत किया है। पंचायती राज द्वारा, हर गांव का हर व्यक्ति जानता है कि अब इस देश की केन्द्रीय सरकार में उसे सीधे शक्ति मिल रही है। जवाहर रोजगार योजना द्वारा, प्रत्येक घर का हर युवा महसूस करता है कि उसे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम हैं जैसे—शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को शक्ति देना, यह देखना कि चुनाव उचित ढंग से हुए हैं, महिलाओं को और अधिक प्रतिनिधित्व मिला है, युवाओं को अठारह वर्ष से ऊपर मताधिकार देना। महोदय, कृपया मुझे बताइये कि यदि इन बातों से हमारे जनसाधारण का उत्साह नहीं बढ़ा तो फिर किन बातों से बढ़ेगा? बोफोर्स

[श्री बसन्त साठे]

से ? मैं विपक्ष के लोगों की बुद्धिमता की कल्पना नहीं कर सकता हूं जो समझते हैं कि वे इन हथकंडों से लोगों के पास जा सकते हैं। इसके साथ ही, मैं नहीं समझता कि यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जानी चाहिए क्योंकि आपने यह निर्णय लिया है कि एक विशेष मामले के रूप में इस पर यहीं चर्चा होगी। सामान्य रूप से इसे लोक लेखा समिति के पास जाना चाहिये था। मैं सभा से यह नहीं कहूंगा कि यह लोक लेखा समिति के पास नहीं जानी चाहिये क्योंकि अनावश्यक रूप से इससे लोक लेखा समिति का समय नष्ट होगा। जैसा कि मैंने कहा था, यह पूर्णरूप से अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं केवल इन दोनों पैराओं का उल्लेख कर रहा हूं। शेष बातों के लिए यह लोक लेखा समिति के पास जा सकती है। इस रिपोर्ट से इन दो पैराओं को हटाया जाना चाहिये और किसी भी स्थिति में लोक लेखा समिति के पास नहीं भेजा जाना चाहिये। अन्तिम निर्णय एक बार दिया गया है। यद्यपि इस पर अन्तिम निर्णय दिया गया है फिर भी इस सभा को कहना चाहिये कि हम इस पर अपना अन्तिम निर्णय देते हैं। चाहे जो कुछ भी हो इसका कोई तात्पर्य नहीं है।

5.42 म०प०

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को आज निम्नलिखित सदस्यों के लोक सभा से त्यागपत्र प्राप्त हुए हैं :—

1. श्री चरनजीत सिंह अठवाल,
2. श्री अशोक कुमार सेन, और
3. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव

अध्यक्ष महोदय ने उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिये हैं जो तुरन्त प्रभावी हो गये हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : (इरन्दोल) : अब कुल कितने हो गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं बहत्तर हो गये हैं। ये गिने जा सकते हैं।

5.43 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—(जारी)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 और 12 [जारी]

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, कौशल जी ने साठे साहब ने और अन्य वक्ताओं ने अपनी सारी बातें और बोफोर्स पर सारी बातें, इस रिपोर्ट पर सारी बातें कीं।

आज यह विरोधी दल की बेंचें खाली हैं और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि क्यों खाली हैं। क्योंकि यह चुनाव का जो समय आया है, उसमें उनको अपनी एक रणनीति बनानी थी। एक रणनीति उन्होंने बनाई, वह सही पड़ी या गलत पड़ी, यह तो अलग बात है लेकिन एक रास्ता उन्होंने निकाला।

बोफोर्स का मामला जी०पी०सी की रिपोर्ट के बाद खत्म सा हो गया था और पब्लिक के माइण्ड में इसकी कोई जगह नहीं रह गयी थी। बाद में देखना हमको यह है कि वास्तव में बोफोर्स का मामला साफ-साफ, सही-सही क्या है। इस बात का पता कौन लगाना चाहेगा ? कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता, मैं नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि बोफोर्स में सचाई है, आरोप सही हैं या आरोप गलत हैं, इसका पता कौन लगाना चाहेगा, प्रश्न यह है। कानून कायदे की बातें जो भी हों, आम जनता में तो सत्य क्या है, वह यह जानना चाहेगी और सत्य की जानकारी के लिए दिलचस्पी किसको होगी। जिसको लाभ होगा सही बात का पता लगाने से वह सत्ताधारी दल को होगा। अगर उसके उपर आरोप लग जाता है तो उसको उसका नुकसान होता है। अगर संदेह रहता है तो भी उसको नुकसान होता है। अगर सत्य सामने आ जाता है तो नुकसान नहीं होता है। इसमें दिलचस्पी सत्ताधारी दल की है कि वह यह जाने कि सही और साफ बात क्या है। वही उसको सामने लाना चाहता है।

विरोधी दल ने लगभग 1987 से फेअर फेक्स, बोफोर्स यह सब परेड करना रहा है। इसमें कितने घंटे और टाईम खराब हुए, यह सब मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन यह सब होता रहा है। अभी यही बात कही गयी है। लेकिन चूंकि उसका महत्व है इसलिए मैं थोड़ा-सा इंगित करना चाहता हूं।

जब शुरू-शुरू में फेअर फेक्स का मामला उठा था तो ये लोग ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी मांगते रहे। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से जांच कराने की बात की। हालांकि हम लोगों ने यह राय जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाने की जरूरत नहीं है, ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी बन जाए। उसमें दोनों हाउसिज के लोग आएंगे, उसकी रिपोर्ट बनेगी इसलिए वह कमेटी हमारे लिए ठीक है। लेकिन उन प्रधान मंत्री जी ने जिनसे ये सबूत मांग रहे हैं ने कहा कि मैं यह चाहता हूं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट का जज करे कि सही क्या है, गलत क्या है। उन्होंने यह कहा कि सत्य सामने आये, बेशक तलवार सिर पर लटके, चाहे गले पर लटके, उसका कोई गम नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरी बात आयी और उसमें विरोधी पक्ष की ओर से ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी की मांग की गयी। उस मामले में ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी दी गयी।

जब ज्वाएंट पार्लियामेंटरी कमेटी की आप मांग कर रहे थे तो क्या आप जानते नहीं थे कि उसके बनने के कानून और कायदे होते हैं ? आप यह सब जानते थे कि उसमें मेम्बरों के, उसके चेयरमैन के बनने के नियम और कायदे होते हैं और उसी से वे उसमें आते हैं। उस पर आपने यह कहना शुरू कर दिया कि उसका चेयरमैन अपोजीशन का होना चाहिए। आप इस एक कमेटी के लिए रूल बदलना चाहते थे। आप जानते थे कि रूल बदले नहीं जा सकते थे। लेकिन उसके लिए भी आपने इन्सिस्ट किया। जब टर्म्स आफ रेफरेंस बने तो उनमें भी आपने संशोधन कराए। हम लोग यहां बैठे रहे और देखते रहे कि उधर से जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं उन्हें रक्षा मंत्री जी मानते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं यह कह दो, वह कह रहे हैं यह भी कर दो। सारे टर्म्स आफ रिफरेंस

[श्री श्रीपति मिश्र]

आपके कहने से बदल गये । उसके बाद भी आपने उस कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं किया और यही मुद्दा उठाते रहे कि हमारा चेअरमैन होगा । दावा भी आप दायर करें, जज भी आप बनें और गवाह भी आप हों । आप इस तरह की बात चाहते थे और इसलिए चाहते थे कि आप जानते थे कि बोफोर्स में कोई तथ्य नहीं है । आपका मकसद यही रहा है कि सब को भ्रम में डाला जाए, जितना भी हो सके देश में उस भ्रम को फैलाएं, जो बात आप साबित नहीं कर सकते हैं, उसको साबित करें और उस भ्रम को बनाए रखें ।

अभी बनातवाला जी ने भी कहा, कौशल जी ने भी कहा कि इस रिपोर्ट पर यहां बहस नहीं होनी चाहिए थी, इसको सीधे पी०ए०सी में चला जाना चाहिए था । मेरा यह दृढ़ मत है कि जिन प्वाएंट्स को जे०पी०सी० ने टच कर दिया है उनको अब टच नहीं किया जाना चाहिए । तो ऐसी हालत में आवश्यक हो गया था, कानूनन भी और राजनीतिक दृष्टि से भी कि इस रिपोर्ट पर इस हाउस में बहस हो और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि बहस होने के बाद यह रिपोर्ट पी०ए०सी० के पास नहीं जानी चाहिए, कम से कम वे पैराग्राफ्स जो इससे संबंधित हैं । मैंने 184 के तहत मूव किया था कि इस के तहत बहस होनी चाहिए, ताकि वे वोट भी करें, हालांकि यह जानते हैं कि इनके वोट कम हैं, लेकिन वोट करें और बताएं कि क्यों किस प्वाइंट पर, किस बात पर डिफरेंस है, लेकिन 184 के बजाए 193 के तहत इन्होंने मूव किया । इसके बाद 3 दिन तक यह हाउस नहीं चला और 3 दिन तक बराबर खड़े होकर कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें । जबकि वास्तविक रूप से ये समझते थे कि किसी देश का प्रधान मंत्री, सी०ए०जी० की रिपोर्ट पी०ए०सी० के पास आमतौर पर जाती है, उस रिपोर्ट में आमतौर से शासन के लेकूना निकाले जाते हैं, लेकिन सी०ए०जी० की रिपोर्ट पर इस्तीफा शायद पहली बार इस बौद्धिक अपोजीशन ने मांगा और इस रिपोर्ट पर प्राइम-मिनिस्टर से इस्तीफा कभी नहीं मांगा गया, इस पर इस्तीफा नहीं दिया जा सकता, इसके बावजूद इस्तीफा मांगा और यह बात सामने रखकर इस बात को करते रहे ताकि इस रिपोर्ट पर बहस न हो, बहस इसलिए न हो, 5 बातें जो मैंने मुख्यत: बताई, वे इसमें सामने आई और उन पांचों बातों का जवाब जे०पी०सी० ने दिया है । उनको डर था कि अगर यहां बहस होगी तो सारी चीजें फिर सामने आ जाएंगी और जो भ्रम पैदा हो रहे हैं वे दूर हो जाएंगे ।

पहली बात जो इसमें देखें, वह यह थी कि जी०एस०क्यू०आर० नहीं बना । जनरल स्टाफ क्वालीटेटिव रिक्वायरमेंट तैयार नहीं किया गया । इसका जवाब जे०पी०सी० के सामने जिरह के बाद आया कि जनरल स्टाफ क्वालीटेटिव रिपोर्ट तब तैयार की जानी आवश्यक नहीं हैं, यह तब तैयार की जाती है । (व्यवधान) मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप देख लीजिए । हमारे साथियों ने कुछ कहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि यह पोलीटिकल केस नहीं है, मैंटल केस है, इसलिए इसके बारे में परेशानी की बात नहीं है । सिम्टम्स से यही जाहिर होता है, वास्तविकता कुछ हो, मुझे पता नहीं ।

तो उस रिपोर्ट को चाहते थे, वह रिपोर्ट न आए । अब आप देखें कि जी०एस०क्यू०आर० के बारे में कहा गया, उन्होंने कहा कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट हैं इसकी आवश्यकता तब होती है जब हम कंट्री के अन्दर बनाते हैं, तब इसको तैयार करना पड़ता है, लेकिन जब हम कहीं से खरीद रहे हैं तो इसको तैयार नहीं करते हैं, तब उसकी जो क्वालिटीज आलरेडी हैं, इसके हिसाब

से देखते हैं कि हमको क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, इसके लिए उन्होंने यह कहा कि नेगोशिएटिंग कमेटी को हमने एक पूरा डिसक्रिप्शन दे दिया था कि क्या हमको चाहिए, क्या उनको देखना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं थी तो नहीं बताया।

दूसरी बात इसको करने के बाद यह कहा गया कि पहली फ्रेंच, फिर बोफोर्स। यह मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि राडार सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में उस जनरल के मन में यह बात आई कि ज्यादा लाभदायक बोफोर्स है और उसने यह फैसला कर लिया। तीसरी यह बात कही गई कि जो उसमें कुछ सुधार करने के लिए कहे गए थे, वह सुधार नहीं देखे गए। वह सुधार जब कर दिए गए तो उसके बाद फिर उनका ट्रायल नहीं लिया गया। इसके बाद जे०पी०सी० बहुत डिटेल में गई और उसके सामने यह एवीडेंस आया कि यहां का डेलीगेशन गया, उसने उन सुधारों को देखा और उसने पाया कि सही ढंग से सुधार किए गए हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर उस सुधार के आधार पर हम उसका फिर ट्रायल करना चाहते तो कम से कम साल भर लगता और उसके बाद हमको नये कान्ट्रैक्ट करने पड़ते। ऐसी हालत में उस सुधार को देखा जा चुका था और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। चौथी बात रिपोर्ट में यह कही गई कि जो मूल्य था वह मूल्य कांट्रेक्ट साइन होने के बाद नहीं घटाया गया, जितना बोफोर्स ने पहले घटा दिया था और जब कांट्रेक्ट साइन हो गया तो उसके पश्चात फ्रेंच कंपनी ने अपने दाम घटाए और वह स्वतः अपनी जगह पर निश्चित है कि जब एक जगह कांट्रेक्ट हो गया तो फिर उसको बदलना संभव नहीं था और जो घटाया भी उसका भी एक एडवांटेज था जो जे०पी०सी० में आया कि उसको एक आदमी कम आपरेट करता। डिटेल कास्टिंग की गई तो उसमें पता चला कि बीस साल की लाइफ है और उसमें 125 करोड़ रुपए की बचत थी। अगर वह भी जोड़ा जाए तो यह कांट्रेक्ट उससे बहुत सस्ता था। ऐसी हालत में क्या क्वालिटी थी और किस तरह की बात थी। इन सब चीजों को देखते हुए एक फैसला लिया गया था। सी०ए०जी० हों, हम सब हैं या चाहे कोई भी भाग हो, हम सब संविधान की क्रिएशन हैं। संविधान ने हम सबको पैदा किया है और संविधान के तहत ही यह पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को निश्चित रूप से यह अख्तियार दिया गया है कि वह यह बताए कि सी०ए०जी० का क्या काम होगा और क्या काम वह करेंगे। जो हुकुम देगा कि यह काम आप सम्पन्न कीजिए तो करने वाला मालिक हो जायेगा या बताने वाला मालिक हो जायेगा। इसका फैसला मुश्किल नहीं है। जो काम बतायेगा वही सुपर होगा और जिसको बतायेगा वह उसका मातहत होगा और पार्लियामेंट के मातहत होने में डेमोक्रेटिक कन्ट्री में पार्लियामेंट की मातहती मानना गौरव की बात है, कोई हानि नहीं है। जे०पी०सी० की रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिसकस हुई, पार्लियामेंट में फाइनेलाइज हुई, पार्लियामेंट ने उसको मोहर लगाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करने के बाद कोई अथारिटी किसी किस्म की बचती नहीं है कि उन रेफरेंसेज को, उन प्वाइंट्स को जिसको जे०पी०सी० ने देखा था, उनको देखते या उनको देखकर कुछ करना चाहते।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

5.59 म०प०

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को आज एक और संसद सदस्य श्री आनन्द पाठक का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है जो तुरन्त प्रभावी हो गया है।

अब सभा मंगलवार, 25 जुलाई, 1989 के ग्यारह बजे म०पू० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 जुलाई 1989/3 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रैस, 1867 चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006